अष्टम माला, खंड 8, अंक 20

मंगलवार, 20 अगस्त, 1985

29 श्रावण, 1907 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 8 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 8, तीसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 20, मंगलवार, 20 अगस्त, 1985/29 श्रावण, 1907 (शक)

विषय		पृष्ठ
मारीशस से आये हुए संसदीय शिष्टमण्डल का स्वागत		1
प्रधान मन्त्री के जन्म दिवस पर शुभ कामनाएं		1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		2—28
*तारांकित प्रश्न संख्या :	389 से 396	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		28—247
तारांकित प्रश्न संख्या :	397 से 409	
अतारांकित प्रश्न संख्या :	4048 से 4150, 4153 से 4156, 4158 से 4174, 4176 से 4241, 4243 से 4259, 4261 से 4275 4277 से 4279, 4279 क और 4279 ख	
सभा-पटल पर रखे गए पत्र		247—249
राज्य सभा से संदेश		249
आरोविल (आपात उपबंध) संशोधन विधेयक, 1985		249
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में		
प्राक्कलन समिति		250
नौवां प्रतिवेदन		

* किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति ... 250

तीसरा प्रतिवेदन

पंजाब में कपूरथला के निकट रेल के सवारी डिब्बे बनाने का एक कारखाना स्थापित करने के लिये भारत की आकस्मिक निधि में से धनराशि निकालने के बारे में वक्तव्य

श्री माधव राव सिंधिया 251

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण ... ... 252—259

बिहार के जहानाबाद शहर में रक्षा उपकरणों के फालतू पुर्जों के बड़ी मात्रा में जब्त किये जाने के समाचार

श्री राम बहादुर सिंह 252
श्री पी० वी० नरसिंह राव 252
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह 255
श्रीमती मनोरमा सिंह 257
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह 258

सभा-पटल पर रखा गया पत्र (—जारी) 260

ऊपरी असम के राजगढ़ क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में तेल मिलने के बारे में वक्तव्य

श्री नवल किशोर शर्मा 260

नियम 377 के अधीन मामले ... ... 261—265

(एक) मध्य प्रदेश के मांडला नगर को प्रतिवर्ष बाढ़ से होने वाले विनाश से बचाने के लिए केन्द्रीय बाढ़ नियंत्रण बोर्ड द्वारा 50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता

श्री एम० एल० झिकराम 261

(दो) उत्तरप्रदेश के एटा और फरूखाबाद जिलों के लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये वहां एक कताई और बुनाई कारखाना तथा एक चीनी कारखाना स्थापित करने एवं तम्बाकू व्यापार का अधिग्रहण करने की व्यवहार्यता की जांच करने की आवश्यकता

श्री मोहम्मद महफूज अली खां 261

(तीन) पुरी में प्रतिवर्ष आयोजित विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण करने की आवश्यकता

श्रीमती जयंती पटनायक 262

(चार) देश में "गरीबी हटाओ" और स्वनियोजन कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए "मार्गदर्शी बैंक योजना" का सामुदायिक विकास खंड स्तर

विषय				पृष्ठ
तक विस्तार				
प्रो० नारायण चन्द पराशर	...	...	...	263
(पांच) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता				
कुमारी पुष्पा देवी	...	...	...	263
(छः) तेल टैंकरों के निर्माण हेतु अपेक्षित इस्पात आदि के लिये क्रयादेश देने की कोचीन शिपयार्ड को अनुमति प्रदान करने की आवश्यक्ता				
श्री वी० एस० विजय राघवन	...	...	...	263
(सात) कैंगेरी-बंगलौर सवारी रेलगाड़ी को फिर से चालू करने की आवश्यकता				
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर		...	...	264
(आठ) कोटा और बूंदी में सिंचाई और कृषि विकास के लिये विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित योजना के दूसरे चरण के काम को पूरा करने के लिये राजस्थान को केन्द्रीय सहायता				
श्री शांति धारीवाल	...	...	...	264
सरकारी बचत विधि (संशोधन) विधेयक	...	...	...	265—277
विचार करने के लिये प्रस्ताव				
श्री जनार्दन पुजारी	...	...	...	265
श्री रेणु पद दास	...	...	...	267
श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव		...	...	269
श्री राम सिंह यादव		...	...	269
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर	...	...	...	271
श्री गिरधारी लाल व्यास	...	...	...	272
खंड 2, 3 तथा 1				
पारित करने के लिए प्रस्ताव				
श्री जनार्दन पुजारी	...	...	...	276
श्री मूलचन्द डागा	...	...	...	276
आसूचना संगठन (अधिकार निर्बन्धन) विधेयक	...	...	...	277—309
विचार करने के लिए प्रस्ताव				
श्री एस० बी० चव्हाण	...	...	...	277
श्री एच० ए० डोरा	...	...	...	279
श्री श्यामलाल यादव	...	...	...	281
डा० गौरी शंकर राजहंस	...	...	...	284
श्री हन्नान मोल्लाह	...	...	...	285
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	...	...	...	287

विषय				पृष्ठ
श्री राम सिंह यादव	...	...	...	290
श्री थम्पन थामस	...	...	...	292
श्री गिरधारी लाल व्यास	...	...	...	293
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	...	...	...	295
श्री नारायण चौबे	...	...	...	296
श्री शान्ताराम नायक	...	...	...	298
डा० दत्ता सामन्त	...	...	...	299
श्री विजय एन० पाटिल	...	...	...	301
श्री मोहम्मद अयूब खां	...	...	...	303
श्री सी० जंगा रेड्डी	...	...	...	304
श्री एस० बी० चव्हाण	...	...	...	305
खंड 2 से 7 तथा 1				
पारित करने के लिये प्रस्ताव				
श्री एस० बी० चव्हाण	...	...	...	309
तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) विधेयक				309—319
विचार करने के लिए प्रस्ताव				
श्री पी० ए० संगमा	...	...	...	309
श्री पी० पेंचालैया	...	...	...	311
श्री राम स्वरूप राम	...	...	...	312
श्री एस० एम० गुरड्डी	...	...	...	314
श्री वी० कृष्ण राव	...	...	...	316
श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव	...	...	...	317
आधे घंटे की चर्चा	...	...	...	319—334
सरकारी कारखानों में निम्न स्तर की औषधियों का बनाया जाना				
श्री गौरीशंकर राजहंस	...	...	...	319
श्री वीरेन्द्र पाटिल	...	...	...	324
श्री हरीश रावत	...	...	...	328
श्री अजय विश्वास	...	...	...	329
श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक	...	...	...	330

लोक सभा

मंगलवार, 20 अगस्त, 1985/29 श्रावण, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मारीशस से आये हुए संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, सर्वप्रथम मुझे एक घोषणा करनी है।

अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से मारीशस की विधान सभा के अध्यक्ष महामहिम श्री चत्तराधारी दाबी, श्रीमती दाबी और श्री जगदीश गोवर्धन, एम० एल० ए० का, जो हमारे सम्माननीय अतिथियों के रूप में भारत की यात्रा पर आए हैं का स्वागत करने में मुझे अपार हर्ष हो रहा है। इसके अतिरिक्त आपकी ओर से मैं उन्हें बधाई और शुभ कामनाएं देता हूं क्योंकि वे नवविवाहित हैं और हनीमून मनाने आये हैं।

वे नई दिल्ली में 15 अगस्त, 1985 को आए। वे अब विशेष कक्ष में बैठे हैं। हम कामना करते हैं कि हमारे देश में उनकी यात्रा सुखमय और सफल हो। उनके माध्यम से हम मारीशस की संसद सरकार और मित्र जनता के प्रति शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं।

प्रधान मंत्री को जन्म दिवस पर शुभ कामनाएं

[अनुवाद]

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिन्दचोट्टियापलयम) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक सूचना देता हूं। आज प्रधान मन्त्री जी का जन्म दिवस है। महोदय, हम उन्हें जन्म दिवस की शुभकामनाएं देते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, प्रश्न काल में हम केवल यह पूछ सकते हैं कि क्या यह सच है कि आज उनका जन्म दिवस है।

अध्यक्ष महोदय : आज है। मैं सम्पूर्ण सभा की ओर से हार्दिक शुभ कामनाएं प्रकट करता हूं और मंगल कामना करता हूं कि उन्हें और अधिक सफलता मिले।

[हिन्दी]

श्री बाल कवि बैरागी (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, वे आज अपना जन्म दिन कहां मना रहे हैं, क्या इसकी कोई सूचना है।

अध्यक्ष महोदय : मना लिया। इससे बड़ी शुभकामना देश भक्ति की क्या हो सकती है। भगवान करे, देश आगे बढ़ता रहे।

—— ——

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

कैंसर-रोधी औषधियों का आयात

*389. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में कैंसर रोधी औषधियों का आयात कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उन औषधियों के नामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस बात की ओर सरकार ने ध्यान दिया है कि इस तथ्य के बावजूद कि वित्त मन्त्रालय द्वारा इन औषधियों को सीमा शुल्क से मुक्त किया गया है, ये औषधियां अत्यधिक मूल्यों पर बेची जाती हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) आयातित कैंसर निरोधक औषधों के मूल्य, ऐसे फार्मूलेशनों को 50 प्रतिशत मार्क अप देने के बाद उनकी अवतरित लागत के आधार पर औषध (मूल्य नियंत्रण)

आदेश, 1979 के अधीन निर्धारित किए जाते हैं। आयातित फार्मूलेशनों को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के अधीन तथा निर्धारित मूल्यों से अनधिक मूल्यों पर बेचा जा सकता है।

श्री जगन्नाथ पटनायक : अध्यक्ष महोदय, क्या भारतीय निर्माताओं को नई बुनियादी औषधियों का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव है चाहे उसके लिए जहां कहीं आवश्यक हो, आधुनिक प्रौद्योगिकी का और कम्प्यूटर का इस्तेमाल करना पड़े। यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, हाल ही में हमारे देशी दवा निर्माताओं ने कुछ औषधियों का निर्माण आरम्भ किया है। उदाहरण के लिए एक औषधि निर्माता—सिपला-विनबलासटिन और विनक्रिसटिन का निर्माण कर रहा है। उन्होंने हाल ही में निर्माण आरम्भ किया है और अत्यन्त कम मात्रा में निर्माण कर रहा है। वह उपभोक्ताओं को स्वीकार्य है या नहीं यह बताना अभी कठिन है। एक अन्य औषधि अर्थात् सिस-प्लेटिन का निर्माण तमिलनाडु डाधा द्वारा किया जा रहा है। ये दो पार्टियां देश में ही दो या तीन मदों का निर्माण कर रही हैं परन्तु शेष मदों का आयात किया जा रहा है।

श्री जगन्नाथ पटनायक : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उर्वरक और रसायन मन्त्रालय नई औषधि नीति की घोषणा करने जा रहा है और "उचित मूल्य पर औषधियां उपलब्ध कराने हेतु औषधियों और अन्तर्वर्ती सामग्री पर न्यूनतम कर लगाने" के सुझाव के प्रति उसका क्या दृष्टिकोण है। यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कदम उठाये गए हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय राष्ट्रीय औषध और भेषजीय विकास परिषद ने औषधि नीति के पुनरीक्षण के बारे में सरकार को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जो कि विचाराधीन है और सरकार ने कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है। जहां तक कैंसर रोधी औषधियों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने का सम्बन्ध है। इन कैंसर रोधी औषधियों को गैर-लाइसेंस वाली औषधियां घोषित किया गया है। उनका उत्पादन गैर-एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (एम० आर० टी० पी०) और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम कम्पनियों द्वारा किया जायेगा।

श्री जगन्नाथ राव : महोदय ...

अध्यक्ष महोदय : जगन्नाथ जी के बाद जगन्नाथ जी।

श्री जगन्नाथ राव : महोदय एलोपैथी औषधियों के निर्माण के अतिरिक्त क्या सरकार का इरादा कैंसर के इलाज के लिए अनुसंधानरत आयुर्वेदिक वैद्यों को प्रोत्साहित करने का है ताकि वे भी ऐसी दवा विकसित कर सकें जो आम आदमी तक भी पहुंच सकेगी ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जहां तक कैंसर के लिए आयुर्वेदिक औषधियां विकसित करने का सम्बन्ध है, सम्बन्धित मन्त्रालय स्वास्थ्य मन्त्रालय है, यह मन्त्रालय नहीं।

श्री पी० कुलनदई वेलू : क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से एक बात जान सकता हूं ?

कैंसर एक असाध्य रोग है, चिकित्सा विज्ञान और शल्य चिकित्सा में डाक्टरेट की उपाधि प्राप्त डाक्टर यही कहते हैं। वे कहते हैं कि यह एक असाध्य और संक्रामक रोग है। वे यही कहते हैं, मैं नहीं जानता कि क्या यह सच है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : लोगों को और अधिक मत डराओ।

(व्यवधान)

श्री पी० कुलनवई वेलू : क्या मैं माननीय मन्त्री से जान सकता हूं? आप कैंसर-रोधी औषधियों का आयात कर रहे हैं और आज प्रधान मंत्री के जन्म दिवस पर हम गरीबी विरोधी कार्यक्रम चला रहे हैं। मेरे विचार में ...(व्यवधान)...निस्सन्देह, यह इसके अन्तर्गत नहीं आता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कैंसर-रोधी कार्यक्रम। (व्यवधान)

श्री पी० कुलनवई वेलू : मेरा भी यही विचार है कि यह इससे सम्बन्धित नहीं है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : जन्म दिवस का कैंसर से क्या सम्बन्ध है?

श्रीमती गीता मुखर्जी : बहुत अच्छा सम्बन्ध है।

श्री पी० कुलनवई वेलू : मुझे कैंसर के सम्बन्ध में उत्तर चाहिए। नकारात्मक उत्तर नहीं, बल्कि सकारात्मक आपने आयात की जा रही औषधियों के बारे में पहले बताया है परन्तु डाक्टर कहते हैं कि कैंसर के इलाज के लिए आयुर्वेदिक औषधियां नई हैं मन्त्री जी का क्या उत्तर है?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं कि जहां तक कैंसर-रोधी औषधियों का सम्बन्ध है, उन पर कोई आयात शुल्क नहीं लगता है। परन्तु मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं कि ये कैंसर-रोधी दवाइयां अत्यन्त महंगी हैं। ये न केवल हमारे देश में बल्कि विश्व में सब जगह महंगी हैं। मेरे पास आंकड़े हैं जिनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि इंगलैण्ड में कैंसर-रोधी दवाइयां हमारे देश से महंगी हैं। बहरहाल ये औषधियां महंगी हैं।

माननीय सदस्य जो एक अन्य प्रश्न मुझसे पूछना चाहते थे वह यह है कि क्या कैंसर एक असाध्य रोग है। इतना अधिक विकास हुआ है और इतना अधिक अनुसंधान हो रहा है। यद्यपि मैं डाक्टर या विशेषज्ञ नहीं हूं, परन्तु मुझे बताया गया है कि यदि प्रारम्भिक अवस्था में इसका पता चल जाए तो यह असाध्य रोग नहीं है।

श्री मुरली देवरा : महोदय, मैं माननी मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच

है कि सरकार ने हाल ही में यह निर्णय किया है कि कई दवाइयों के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि हां, तो वे नीति सम्बन्धी निर्णय को कब क्रियान्वित करेंगे ? क्योंकि न केवल कैंसर-रोधी औषधियां बल्कि अन्य कई औषधियां बाजार में उपलब्ध नहीं हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : हम उन्हें पहले ही लाइसेंस की परिधि से बाहर रख चुके हैं। इसका लाभ उठाना निर्माताओं का काम है।

श्री जी० जी० स्वैल : महोदय, एक कहावत है यदि धनी लोग अपने स्थान पर मरने के लिए दूसरे लोगों को किराये पर ले सकते तो निर्धनों का रहन-सहन बढ़िया हो जाता। अब मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि ये कैंसर-रोधी औषधियां अत्यन्त महंगी हैं। मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या धनी वर्ग में कई रोग अन्य बीमारियों का इलाज करते समय लग जाते हैं यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय देश में इस प्रकार की औषधियों को प्रोत्साहन देने से पूर्व कई बार सोचेंगे ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, यदि देशी निर्माता कैंसरी-रोधी औषधियों का निर्माण यहां देश में करते हैं तो हम बहुत खुश होंगे और उसका स्वागत करेंगे।

श्री जी० जी० स्वैल : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कैंसर सहित अधिकांश रोग अन्य रोगों का इलाज करते समय लग जाते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या वह भी एक औषधि है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं केवल यह बता सकता हूं कि यदि देशी निर्माता कैंसर-रोधी औषधियां बनाने के लिए आगे आते हैं तो सरकार उनको प्रोत्साहित करने के लिए सभी प्रयास करेगी।

राजस्थान में चूना पत्थर पर आधारित उद्योगों की स्थापना

*390. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री राजस्थान में चूना पत्थर पर आधारित उद्योगों की स्थापना के बारे में दिनांक 4 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6354 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में चूना पत्थर पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने के सम्बन्ध में कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) राजस्थान राज्य में इस समय 49.38 लाख मी० कुल अधिष्ठापित क्षमता वाले 11 सीमेंट कारखाने चल रहे हैं। इनके अलावा राज्य में सीमेंट कारखानों की स्थापना के लिए

54.408 लाख मी० टन अतिरिक्त क्षमता स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस/आशयपत्र तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकरण हेतु स्वीकृत किए गए हैं। इनका ब्यौरा सभा पटल पर रखे जाने वाले विवरण में दिया गया है।

जहां तक राजस्थान के जैसलमेर जिले में चूने के पत्थर पर आधारित उद्योगों की स्थापना का सम्बन्ध है इसका समर्थन इसलिए नहीं किया गया है कि राष्ट्रीय महत्त्व के कई ऐतिहासिक स्मारक जो आस-पास स्थापित हैं उन पर सीमेंट कारखानों से निकलने वाली धूल से बुरा असर पड़ने की सम्भावना है। जैसाकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा पता लगाया गया है यह क्षेत्र राष्ट्रीय विरासत का समझा जाता है। यहां जुरैसी काल के दुर्लभ लकड़ी के जीवावशेष हैं। अतः इस क्षेत्र में सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने सम्बन्धी प्रस्तावों पर विचार करना कठिन है।

विवरण

विद्यमान सीमेंट कारखानों की सूची

क्र० सं०	नाम	स्थापना स्थल	क्षमता (लाख मी० टन)
1.	एसोसिएटेड सीमेंट कं० लि०	लखेड़ी, बूंदी	3.22
2.	बिरला सीमेंट वर्क्स	चित्तौड़गढ़	4.00
3.	जयपुर उद्योग लि०	सवाई माधोपुर	10.00
4.	जे० के० सीमेंट वर्क्स	निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़	11.40
5.	उदयपुर सीमेंट वर्क्स	मावली उदयपुर	4.00
6.	मंगलम सीमेंट लि०	मोरक	4.00
7.	स्ट्रा प्रोडक्ट्स लि०	बनास सिरोही	5.00
8.	श्री सीमेंट्स	ब्यावर	6.00
9.	जे० के० सिन्थेटिक्स लि०, (सफेद)	गोटन	0.50
10.	कल्याण सुन्दरम सीमेंट्स	बांसवाड़ा जिला	0.60
11.	स्वदेशी सीमेंट लि०	जयपुर जिला	0.66
		योग :	49.38

उन सीमेंट संयंत्रों की सूची जिन्हें औद्योगिक लाइसेंस/आशयपत्र/
तकनीकी विकास के महानिदेशालय के पंजीकरण दे दिए गए हैं

क्र० सं०	नाम	स्थापना स्थल	क्षमता (लाख मी० टन)
1	2	3	4
1.	श्री सीमेंट्स लि०	ब्यावर जिला	6.00
2.	जे० के० सिन्थेटिक्स लि०	सम्बूपुरा चित्तौड़गढ़	6.00
3.	जय इंजीनियरिंग वर्क्स	चित्तौड़गढ़ (दो अवस्थाओं में)	10.00
4.	श्रीराम कैमीकल्स लि०	लाड़पुरा चित्तौड़गढ़	2.00
5.	हिन्दुस्तान सुगर मिल्स लि०	उदयपुर (पर्याप्त विस्तार)	4.00
6.	बिरला जूट एण्ड इण्ड० लि०	चित्तौड़गढ़ (प० वि०)	5.00
7.	क्विरेली सीमेंट लि०	आबू रोड	4.00
8.	स्ट्रा प्रोडक्ट्स लि०	सिरोही जिला (पर्याप्त विस्तार)	5.00
9.	के० ई० जी० इण्टरनेशनल लि०	गोटन नागौर जिला	1.00 (तेल कुआं) 2.00 (सलफेट रजिस्टेंट)
10.	जनरल इण्डस्ट्रियल सोसाइटी	सिरोही	1.00 (सफेद)
11.	बेफोड कम्पनी लि०	गोटन	0.66 "
12.	स्नोसेम इंडिया लि०	गोटन	0.50 "
13.	जे० पी० बालोटिया	गोटन	0.80 "

1	2	3	4
14.	इंडियन रेयन कारपोरेशन	गोटन	0.80 सफेद
15.	जे० के० सिन्थेटिक्स लि०	गोटन (प० वि०)	0.30 "
16.	मे० जन लघु उद्योग लि०	सीकर जिला	0.60 (मिनी)
17.	राजस्थान स्टेट डेव० कार०	अलरोड आखरी जिला सिरोही	0.66 "
18.	—वही—	बिलारा जिला जोधपुर	0.66 "
19.	श्री एम० एस० राजपुरी—हित	सिरोही	0.66 "
20.	श्री आर० पी० आनन्द एण्ड सन्स प्रा० लि०	कटरा	0.365
21.	श्री सतिन्दर पाल सिंह	बेहरर जिला अलवर	0.33
22.	श्री वीरेन्द्र सिंह	कोटपुतली जिला जयपुर	0.33
23.	सिरोही सामेंट प्रा० लि०	जिला सिरोही	0.165
24.	मे० पूर्णिमा सरूना	गोटन	0.33
25.	मे० ओमेगा सीमेंट उद्योग प्रा० लि०	नीम का थाना जिला सीकर	0.33
26.	मे० सुन्दरम सीमेंट लि०	जिला नागौर	0.198
27.	मे० साई बाबा	जिला सीकर	0.33
28.	मे० बैस्ट कैमीकल्स लाइमस्टोन इंडिया (प्रा०) लि०	—वही—	0.33
		योग :	54.408

प० वि०=पर्याप्त विस्तार।

[हिन्दी]

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, जैसलमेर जिले के राष्ट्रीय महत्त्व को सभी जानते हैं और हम राष्ट्रीय महत्त्व को कम या समाप्त करना नहीं चाहते हैं। हम यह भी नहीं चाहते हैं कि वहां जो फासिल 1 करोड़ 80 लाख वर्ष पुराना है, वह नष्ट हो। हम उसकी रक्षा करना चाहते हैं परन्तु प्रश्न यह है कि हमारी राजस्थान गवर्नमेंट ने यह निर्णय लिया है कि जैसलमेर के 40 किलोमीटर इर्द-गिर्द कोई भी उद्योग स्थापित न किया जाए। यह जो चूना है, लाइमस्टोन है, यह वहां पर बहुत ही क्वांटिटी में है और सबसे अच्छी क्वालिटी का है और 90 परसेन्ट प्यूरिटी का है और 60 किलो मीटर के डिस्टेंस पर यह निकल रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि 60 किलोमीटर की दूरी पर सीमेंट उद्योग स्थापित करने में आपको क्या कठिनाई है और उसके लिए परमिशन देने में क्या कठिनाई है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैंने पहले ही उत्तर में बताया है कि लाइमस्टोन की एवेलए-बिलिटी जैसलमेर जिले में 800 मिलियन टन बताई है। नेशनल कौंसिल फार सीमेंट एण्ड बिल्डिंग मेटीरियल जो है, उसने 800 मिलियन टन लाइमस्टोन उस जिले में बताया है। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया कि उस जिले में राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारक हैं जिनके बारे में आर्केलोजिकल सर्वे ने पता लगाया है।

अध्यक्ष महोदय : वे नई दरख्वास्तों के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : जहां के लिए हमारे पास दरख्वास्त आई हैं, या आती हैं तो उस क्षेत्र में फैक्टरी स्थापित करने से पूर्व इस बात पर विचार किया जाता है कि उस क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्त्व के स्मारक उस फैक्टरी से प्रभावित होंगे या नहीं होंगे।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया था कि फैक्टरी कोई प्रभाव नहीं डालती है। अगर कोई प्रभाव डालती है तो उसको हम भी नहीं चाहते।

दूसरा प्रश्न यह है कि लाईम स्टोन पर आधारित इंडस्ट्रीज सैट अप करने के लिए जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिज या लेटर आफ इन्टेन्ट ग्रांट किए गए हैं उनके कार्य की गति बहुत धीमी और शिथिल है। वे सीमेंट इंडस्ट्रीज जल्दी से एस्टेब्लिश हो जाएं जिनको कि लेटर आफ इन्टेन्ट जारी किये गये हैं, उसके लिए क्या आप राजस्थान सरकार पर कोई प्रेशर डाल रहे हैं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : इस वक्त राजस्थान में 11 फैक्ट्रियां सीमेंट का उत्पादन कर रही हैं। अगर आप कहें तो उन 11 फैक्ट्रियों के बारे में विस्तार से बताऊं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : मैंने नई फैक्ट्रियों के बारे में पूछा है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : नई के बारे में मैं बता रहा हूं। औद्योगिक विकास विभाग बुनियादी तौर पर नये यूनिट और नई इकाइयां लगाने के लिए जा दरख्वास्तें हमारे पास आती हैं उनके लिए आशयपत्र या इंडस्ट्रियल लाइसेंस देता है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : एप्लीकेशंस आ गई हैं और लेटर आफ इन्टेन्ट जारी कर दिये गये हैं, उनके बार में बताएं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यह काम राज्य सरकार के करने का है कि राज्य सरकार जो सुविधाएं चाहिए वे सुविधाएं उपलब्ध कराए।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : राज्य सरकार नहीं कर रहा है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अगर राज्य सरकार यह नहीं कर रही है तो अगर कोई उद्यमी, उद्यमी ही क्या, अगर माननीय सदस्य भी यह बताएंगे कि किस क्षेत्र में राज्य सरकार अपना काम नहीं कर रही है तो हम वह मामला आपकी तरफ से राज्य सरकार से टेक-अप करेंगे।

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : मेरे पास वह जानकारी है : जिन ग्यारह फैक्ट्रियों को लाइसेंस दिया गया है, उनकी लाइसेंस क्षमता और उत्पादन निम्नलिखित है :

एसोसिएटिड सीमेंट कम्पनी, लाखेड़ी बूंदी प्राप्त उत्पादन		लाइसेंस क्षमता 3.22 लाख मीटरी टन
1982	—	2.85 लाख मीटरी टन
1983	—	3.45 लाख मीटरी टन
1984	—	3.60 लाख मीटरी टन
बिड़ला सीमेंट वर्क्स चित्तौड़गढ़		लाइसेंस क्षमता 4 लाख मीटरी टन
	प्राप्त उत्पादन	
1982	—	2.92 लाख मीटरी टन
1983	—	3.65 लाख मीटरी टन
1984	—	3.56 लाख मीटरी टन

मेरे पास इस प्रकार उत्पादन के आंकड़े हैं। मैं यह जानकारी माननीय सदस्य को दे सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री मूल चन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है वह गलत है। क्या

मंत्री जी यह बताएंगे कि सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया ने बूंदी के अन्दर सीमेंट का कारखाना लगाने के लिए तय कर लिया था ? वह उसने कब तय किया था और वह कारखाना आज तक उसने क्यों नहीं लगाया ? वहां जगह भी रोक ली गई है। मेहरबानी करके यह भी बताएं कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? वहां वे खुद भी काम नहीं करते हैं और दूसरों को भी काम नहीं करने देते हैं।

श्री ग्रारिफ मोहम्मद खां : श्रीमान् यह सवाल जैसलमेर जिले के बारे में है।

श्री मूल चन्द डागा : सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया ने बूंदी के अन्दर जगह रोक ली है। बूंदी में सीमेंट का कारखाना लगाने का निर्णय उसने कब लिया था ? आपने लिया या नहीं लिया; पहले यह बताइए और लेने के बाद ये कारखाने क्यों नहीं लगाए गए और नहीं लगाए गए तो जगह क्यों नहीं छोड़ते हैं आप ?

श्री ग्रारिफ मोहम्मद खां : श्रीमन् मैंने निवेदन किया है कि यह प्रश्न जैसलमेर जिले के बारे में लाइम स्टोन के बारे में है।

[ग्रनुवाद]

श्री मूल चन्द डागा : महोदय, उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, जहां तक शम्भुपुरा और बूंदी में संयंत्र लगाने का सम्बन्ध है; भारतीय सीमेंट निगम अपनी इकाइयां स्थापित करने के बारे में सोच रहा था परन्तु संसाधनों के अभाव के कारण वह इस सम्बन्ध में आगे कार्यवाही नहीं कर सका। महोदय, सरकार ने मेसर्स जे० के० सिन्थेटिक्स को शम्भुपुरा में छः लाख मीटरी टन सीमेंट की वार्षिक क्षमता वाला सीमेंट संयंत्र लगाने के लिए आशय पत्र दिया है। जहां तक बूंदी में दूसरी सीमेंट परियोजना का सम्बन्ध है, मुझे सीमेंट कारपोरेशन से पता चला है कि इस क्षेत्र में चूने के पत्थर के अधिक भण्डार नहीं हैं और उनसे दस लाख मीटरी टन क्षमता वाला संयंत्र नहीं लगाया जा सकता।

[हिन्दी]

श्री रामसिंह यादव : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं; प्रश्न "ए" में पूछा गया है कि राजस्थान में लाइम स्टोन जो सीमेंट पैदा करने वाला खनिज पदार्थ है, कितनी मात्रा में मिलता है और क्या उस अनुपात में सीमेंट का कारखाना लगाने के प्रार्थनापत्र आए हैं, तो क्या उन पर आप विचार करेंगे और कितने ऐसे प्रार्थनापत्र विचाराधीन हैं जिनको स्वीकृति नहीं मिल रही।

ग्रध्यक्ष महोदय : पहले जवाब दिया है कि काम कर रहे हैं।

श्री रामसिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, नहीं कर रहे हैं। अभी माननीय प्रधान मन्त्री जी ने देखा कि जैसलमेर में कितनी बेरोजगारी की समस्या है और उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए इस तरह के कारखाने लगाना जरूरी है। क्या इस दिशा में सोचकर ऐसे सीमेंट के कारखानों को स्वीकृति देंगे ?

[अनुवाद]

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, मेरे पास आंकड़े हैं। यह सच है कि राजस्थान में चूना पत्थर के बहुत बड़े भण्डार है। जैसा कि मेरे सहयोगी ने पहले कहा है कि वहां 8.000 लाख मीटरी टन चूना पत्थर के भण्डार मौजूद हैं। अतः जब वहां भण्डर हैं तो सरकार ने आशय पत्र और लाइसेंस देने में उदारता का दृष्टिकोण अपनाया है। मेरे पास जो आंकड़े हैं उनसे पता चलता है कि 434.2 लाख मीटरी टन की वर्तमान क्षमता का 11.37 प्रतिशत राजस्थान में है। वहां बहुत-सी फैक्ट्रियां लग चुकी हैं और अन्य कई फैक्ट्रियों के लिए आशय पत्र और लाइसेंस दिए गए हैं।

मोदी उद्योग-समूह द्वारा क्षमता से अधिक उत्पादन

*391. **श्री विजय कुमार मिश्र** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोदी उद्योग-समूह मोदी नगर (उत्तर प्रदेश) ने वर्ष 1980 से 1984 तक उनके मन्त्रालय के नियन्त्रणाधीन उद्योगों के सम्बन्ध में अपनी अधिष्ठापित उत्पादन क्षमता से अधिक उत्पादन किया है;

(ख) यदि हां, तो अधिष्ठापित क्षमता से कितना अधिक उत्पादन किया गया है; और

(ग) सरकारी आदेशों का उल्लंघन करने के कारण इस कम्पनी समूह के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जहां तक उद्योग मन्त्रालय के प्रभार के अन्तर्गत आने वाले उद्योगों का सम्बन्ध है, मोदी उद्योग समूह के स्वामित्व की एक कंपनी मैसर्स मोदी पेन्ट्स एंड वार्निश वर्क्स, मोदीनगर, ने सिंथेटिक रेजिन बनाने के लिए अपनी लाइसेंस प्राप्त क्षमता से अधिक उत्पादन किया है।

(ख) मैं० मोदी पेन्ट्स एण्ड वार्निश वर्क्स के पास पेन्ट्स उत्पादन के लिए अपेक्षित 36 मी० टन सिंथेटिक रेजिन प्रति वर्ष की लाइसेंस प्राप्त कैप्टिव क्षमता मौजूद है। किन्तु वर्ष 1981, 1982, 1983 और 1984 में सिंथेटिक रेजिन का वास्तविक उत्पादन क्रमशः 179 मी० टन, 283 मी० टन, 373 मी० टन और 1010 मी० टन हुआ।

(ग) कंपनी से अपने फालतू उत्पादन को लाइसेंस प्राप्त क्षमता के स्तर तक नीचे लाने के लिए कहा था। कम्पनी ने उसे जारी किए गए अनुदेश का पालन नहीं किया है और वह इसके बदले पर्याप्त विस्तार करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करके फालतू क्षमता को नियमित करने का प्रयास कर रही है।

उसके बाद, अप्रैल, 1985 में, कम्पनी ने यह दलील दी कि थी चूंकि कंपनी द्वारा जो रेजिन बनाई जा रही है, उसका उपयोग पेन्ट्स और एनेमल बनाने के लिए अपनी कैप्टिव खपत के लिए किया जाता है, अतः इन्हें उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 19(5) के संदर्भ सहित पठित स्पष्टीकरण सं० 2 के अनुसार अपने उत्पादन के लिए किसी प्रकार की अनुमति/लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पेन्ट (रंग रोगन) तैयार करने वाले एककों को कैप्टिव उपयोग के लिए अपेक्षित मध्यवर्तीय उत्पादों के रूप में उपयोग किए गए रेजिनों/माध्यम के उत्पादन के लिए अलग से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। कम्पनी के इस तर्क की जांच की जा रही है। अतः फालतू उत्पादन के मामले में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, पिछले चार साल में पहले 142 मीट्रिक टन का उत्पादन करने का लाइसेंस मोदी कम्पनी को दिया गया था, जिसके विरुद्ध उसने 2000 मीट्रिक टन उत्पादन किया। इसकी जानकारी सरकार को कब हुई ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : जैसे ही उन्होंने इजाजत से अधिक क्षमता में उत्पादन करना शुरू किया और उस साल की जो बैलेंस शीट थी, उसी से पता चल जाता है कि क्षमता से अधिक उत्पादन हो रहा है। कई साल के बाद पता चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसाकि उत्तर में बताया है कि कम्पनी को बार-बार कहा गया कि वह स्वीकृत क्षमता के अनुसार ही उत्पादन करे, इसके खिलाफ कम्पनी ने रिप्रजेंटेशन दिया है और अप्रैल, 1985 को कम्पनी ने यह स्टैंड लिया है—

[अनुवाद]

> "कम्पनी ने यह दलील दी थी कि चूंकि कम्पनी द्वारा जो रेजिन बनाई जा रही है, उसका उपयोग पेन्ट और एनेमल बनाने के लिए अपनी कैप्टिव खपत के लिए किया जाता है, अतः इसे उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की प्रथम अनुसूची की मद संख्या 19(5) के सन्दर्भ सहित पठित स्पष्टीकरण संख्या 2 के अनुसार अपने उत्पादन के लिए किसी प्रकार की अनुमति/लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पेंट (रंग रोगन) तैयार करने वाले एककों को कैप्टिव उपयोग के लिए अपेक्षित मध्यवर्ती उत्पादों के रूप में उपयोग किए जाने वाले रेजिन/माध्यम के उत्पादन के लिए अलग से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है।"

पार्टी के इस तर्क की जांच की जा रही है और जैसा कि मैंने पहले कहा कम्पनी ने इस दलील के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

श्री विजय कुमार मिश्र : मन्त्री जी कह रहे हैं कि मोदी वालों के लिए जरूरत नहीं थी। मैं यह पूछना चाहता हूं कि 36 मीट्रिक टन का लाइसेंस क्यों दिया जब आवश्यकता नहीं थी।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं नहीं कह रहा हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं थी। मैंने अपने मंत्रालय की तरफ से यह बताया कि जैसे ही हमें यह जानकारी मिली कि स्वीकृत क्षमता से ज्यादा उत्पादन यह कम्पनी कर रही है तो हमने उनसे कहा कि आपको यह नहीं करना चाहिए। हमने उनको यह निर्देश दिया कि जितनी क्षमता स्वीकृत है केवल उतना ही उत्पादन कीजिए। हमारे निर्देश देने के बाद कम्पनी ने यह स्टैण्ड लिया। हालांकि उन्होंने पहले लाइसेंस लिया था। अब उन्होंने ज्ञापन दिया है, उसे हमे देखना पड़ेगा। उन्होंने जो स्टैण्ड लिया है, उसके बाद हम उसकी जांच करा रहे हैं, इस बारे में अभी अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, दिए गए उत्तर से यह देखा जा सकता है कि पिछले चार वर्षों के दौरान इसने अपनी लाइसेंस क्षमता से अधिक उत्पादन किया है। वर्ष 1981 में इसने अपनी क्षमता से 500 प्रतिशत अधिक उत्पादन किया, वर्ष 1982 में 900 प्रतिशत, वर्ष 1983 में 1000 प्रतिशत तथा वर्ष 1984 में 3000 % अधिक उत्पादन किया। अप्रैल, 1985 में इसने स्पष्टीकरण दिया, जो बड़ा ही सोच-समझकर दिया गया था। अतः मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने पिछले 4 वर्षों के दौरान कोई कार्यवाही क्यों नहीं की। दूसरे मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात से संतुष्ट है कि पिछले 4 वर्षों के दौरान जिस सिंथेटिक रेजिन का उत्पादन किया गया उसका उपयोग केवल मोदी कम्पनी की कैप्टिव खपत के लिए ही किया गया है अथवा क्या यही रेजिन बाजार में बेचा गया था ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : महोदय, यह सच है कि यह कम्पनी अपनी लाइसेंस क्षमता से बहुत अधिक उत्पादन कर रही हैं और 1980 से ही वह सरकार से इसे नियमित करने का अनुरोध कर रही है, उसकी यह दलील है कि सिंथेटिक रेजिन, वह जो भी, उत्पादन कर रही हैं—वह अपनी कैप्टिव खपत के लिए उत्पादन कर रही हैं और निर्माता कम्पनी के अनुसार यह कच्चा माल नहीं है बल्कि मध्यवर्ती है; चूंकि यह मध्यवर्ती है अतः इसके लिए अलग से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। अतः वह सरकार से इसे नियमित करने का अनुरोध कर रही है। सरकार का यह तर्क है कि यह कचचा माल है। इसकी जांच की जा रही है। यदि यह मध्यवर्ती है तो इसे नियमित करने का प्रश्न उठेगा। यदि यह कच्चा माल है तो उन्हें आवेदन पत्र देकर अलग से लाइसेंस लेना होगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : महोदय, मेरे प्रश्न के किसी भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। मेरा पहला प्रश्न यह था कि पिछले 4 वर्षों के दौरान जब उसका उत्पादन उसकी क्षमता से 3000 प्रतिशत अधिक रहा तो सरकार द्वारा कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई। दूसरे, मैं जानना चाहता था कि क्या सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि जिस माल का उत्पादन किया गया था उसका उपयोग मोदी कंपनी द्वारा केवल अपनी कैप्टिव खपत के लिए किया गया था।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, मैंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि इसने 1980 में सरकार के

समक्ष प्रस्ताव रखा था। ऐसा नहीं है कि वह सरकार की जानकारी के बिना इसका उत्पादन कर रही हैं। सरकार को इसकी जानकारी है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह और भी खराब बात है। फिर सरकार ने पिछले 4 वर्षों में कोई कार्यवाही क्यों नहीं की ?

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, उनके स्पष्टीकरण से बात और बिगड़ गई है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, इसने सरकार के समक्ष इसे नियमित किये जाने का प्रस्ताव रखा है। उस आवेदन पत्र में इसने यह स्पष्ट किया है कि वह इसका उत्पादन इसे बाजार में बेचने के लिए नहीं कर रही है अपितु अपनी खपत के लिए कर रही है। वे जो भी उत्पादन कर रही है, उसका पूरा उपयोग वह अपनी खपत के लिए ही कर रही है। अतः वह इसे नियमित कराना चाहती है और कंपनी यह दलील दे रही है कि यह मध्यवर्ती है और चूंकि यह मध्यवर्ती है इसलिए इसके लिए अलग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। उस मामले की जांच की जा रही है और एक बार हम यह निर्णय ले लें कि क्या यह मध्यवर्ती है या कच्चा माल तो फिर हमारे लिए आगे कार्यवाही करना आसान हो जाता है।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, यह सचमुच हैरानी की बात है कि सरकार ने यह पता लगाने में कि यह क्या है, चार वर्ष लगा दिए हैं और उसका उत्तर एकदम असन्तोषजनक है और वह गोलमोल जवाब दे रही है। अतः मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दी जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

अध्यक्ष महोदय : हम उसके लिए समय कहां से लाएंगे ? मैं समय पैदा तो नहीं कर सकता। अतः अच्छा होगा आप अपना प्रश्न पूछिए और मामला निपटाइए।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, समय निकालने का प्रयास करने की बजाय मन्त्री महोदय को निदेश दीजिए कि वह ठीक उत्तर दें और वही पर्याप्त है। 1980 से अब तक उन्हें इतना समय क्यों लगा ?

श्री एस० जयपाल रेड्डी : कुछ भी हो, इसकी जांच में सरकार ने इतना समय क्यों लिया ?

प्रो० मधु दंडवते : विस्तार के लिए भेद किए जाने पर ध्यान दिया गया है.

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं कह रहा हूं कि 1980 से भिन्न-भिन्न समय पर इसकी जांच की गई है। कार्य दल ने भी इस मामले की जांच की और एक निर्णय लिया।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रक्रिया को तेज कीजिए और शीघ्र निर्णय लीजिए।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, इसकी जांच कराई जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : अब हमने उन्हें इसके लिए कहा है और वह इसकी जांच कराएंगे।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी : रिपोर्ट अगले सत्र में सभा पटल पर रखी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : वह इसकी जांच कराएंगे। वह इसकी पूरी जांच कराने जा रहे हैं और हमने उन्हें इसकी जांच करने के लिए पहले ही कह दिया है।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मोदी उद्योग अपनी अनियमितताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। मोदी उद्योग की अनियमितताओं का मामला सदन के समक्ष पहली बार ही नहीं आया है। बार-बार इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

प्रो० के० के० तिवारी : वे इसके लिये बहुत बदनाम हैं। हमें इसकी जांच करानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : हमने मन्त्री महोदय से इसकी जांच कराने के लिए कहा है। वह इसकी जांच कराएंगे।

श्री भागवत झा आजाद : महोदय, इस साधारण से प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। जो भी जांच की गई है, हम उस बारे में इतना ही जानना चाहते हैं। सरकार यह स्वीकार करती है कि वह 1980 से इसकी जांच कर रही है। 4 वर्षों में सरकार ने क्या किया है ? क्या वह यह कहेंगे कि चारवर्षों में इसने इस मामले की जांच नहीं की है ? और हर बार वह अपनी क्षमता बढ़ाती रही और यह क्षमता 3000 गुना तक बढ़ाई गई। यह कैसे हुआ ? हम यह जानना चाहते हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : 1980 से इस मामले की विभिन्न संगठनों द्वारा कई बार जांच की गई है, लेकिन मैं माननीय सदस्यों की इस बात से सहमत हूं कि अन्तिम निर्णय लेने में पर्याप्त समय लगा है और चूंकि सदस्य उत्तेजित हैं मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि एक महीने के अन्दर मैं सभी सम्बन्धित अधिकारियों के साथ इस बारे में चर्चा करूंगा और अन्तिम निर्णय लूंगा।

विस्फोटक पदार्थों का उत्पादन

*392. **श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1984-85 के दौरान देश में विस्फोटक पदार्थों का कितना उत्पादन/निर्माण हुआ और इसे किस प्रकार प्रयोग किया गया और उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विस्फोटक पदार्थ विभाग विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के उपबन्धों और इसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों का पालन किया गया जाना सुनिश्चित करता है; और

(ग) यदि हां, तो किस प्रकार और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान उच्च विस्फोटक सामग्री का हुआ वर्ग-वार उत्पादन निम्नलिखित है :—

विस्फोटक सामग्री का नाम	उत्पादन
हाई एक्सप्लोसिव्स	84,646.37 मी० टन
डेटोनेटर	2131.00 लाख संख्या
डेटोनेटिंग फ्यूज	196.80 लाख मीटर
सेफ्टी फ्यूज	459.470 लाख मीटर

इन विस्फोटक सामग्रियों का उपयोग मुख्यत: खनन में और कुछ गैर-खनन सम्बन्धी कार्यकलापों जैसे पन-बिजली परियोजना और सिंचाई परियोजनाओं, भूकम्पीय, सर्वेक्षणों, तथा सड़क बनाने आदि में होता है।

(ख) और (ग) विस्फोटक सामग्री अधिनियम और नियमों के उपबंधों के अनुपालन का सुनिश्चय मुख्यत: लाइसेंस प्राप्त परिसरों का निरीक्षण करके और विभाग को लाइसेंस धारियों द्वारा प्रस्तुत की गई निर्धारित विवरणियों और रिपोर्टों की छानबीन करके किया जाता है। उत्पादन/कब्जे/उपयोग/बिक्री/परिवहन/भंडारण के लिए नियमों का पालन न किए जाने पर या लाइसेंस की शर्तों और उपबन्धों का उल्लंघन किए जाने पर लाइसेंस को निलम्बित या रद्द कर दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति द्वारा वैध लाइसेंस के बिना विस्फोटक सामग्री का उत्पादन करना/रखना/उपयोग करना/बेचना/लाना-ले जाना और उक्त भंडार रखना विस्फोटक सामग्री अधिनियम के अधीन दंडनीय है और यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है, जो उसे जेल की सजा या जुर्माना या दोनों ही प्रकार का दण्ड दिया जा सकता है। जिला प्रशासन को भी तलाशी लेने और उसे जब्त करने के साथ-साथ गंभीर मामलों में दोषी व्यक्ति को बिना वारण्ट के गिरफ्तार करने की शक्तियां प्रदान कर दी गई हैं।

[हिन्दी]

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक (मुरादाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे देश में जब भी आतंकवादियों से सशस्त्र सेनाओं की मुठभेड़ होती है तो उसके बाद यह पाया जाता है कि उनके द्वारा प्रयुक्त विस्फोटक पदार्थ हमारी आर्डिनेंस फैक्टरियों में बने हुए होते हैं। क्या इस सम्बन्ध में सरकार की ओर से कभी यह जांच की गई या यह जानने का प्रयत्न किया गया कि उन तक ये पदार्थ कैसे पहुंच जाते हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : मान्यवर, माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि आर्डिनेंस फैक्टरियों में बनें विस्फोटक पदार्थ उग्रवादियों के हाथों में कैसे पहुंच जाते हैं, उसके पीछे प्रमुख कारण यही है कि उनकी कभी-कभी चोरी हो जाती है। वैसे हम लोग समय-समय पर स्टोरेज का इंस्पेक्शन करते रहते हैं, मैन्यूफैक्चररं का भी इंस्पैक्शन करते रहते हैं लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि चोरी के जितने भी मामले होते हैं उनकी संख्या बहुत ही कम है। मेरे पास आंकड़े हैं और उनसे आपको पता चल जाएगा। ये चोरी के जितने मामले हैं, ये बहुत कम हैं, क्योंकि मेरे पास जो आंकड़े हैं, उनसे पता चलता है कि जो थैफ्ट होते हैं, चोरी होती है, ऐसे मामले बहुत ही कम हैं। इसका कारण यह है कि हमारे यहां इंस्पैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं और हमारे आफिसर्स बार-बार इंस्पैक्शन करते हैं। कभी-कभी चोरी होती है, लेकिन ये आम शिकायत नहीं है, इतना मैं कह सकता हूं।

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि इन चोरियों में कितने लोग पकड़े गए हैं और कितने लोगों को सजा मिली है और इन चोरियों पर आपका कण्ट्रोल क्यों नहीं है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मान्यवर, चोरियों के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है, मेरे पास आंकड़े हैं—1982-83 में सिर्फ 11 चोरियां पूरे देश में हुईं, 1983-84 में सिर्फ 2 और 1984-85 में सिर्फ 1 चोरी हुई है। अगर चोरी कहीं भी होती है, तो फौरी तौर पर वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्र और पुलिस आफिसर को इत्तिला दी जाती है और आगे कार्यवाही करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है।

श्री चन्द्र शेखर त्रिपाठी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो एक्सप्लोसिव्स के दीवाली और शादी विवाह में तमाशे बनाने के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं, उन लाइसेंस के तहत एक्सप्लोसिव मिलता है, उसको खासकर डकैत और बदमाश ले लेते हैं, तो ऐसे लाइसेंसों के माध्यम से जितनी एक्सप्लोसिव्स की मात्रा अलाट की जाती है, उसका उन्होंने खेल-तमाशे के लिए ही इस्तेमाल किया है या नहीं, इसको जज करने के लिए क्या कोई मशीनरी सरकार के पास है ?

अध्यक्ष महोदय : आप घबराइए मत, बनेगी-बनेगी।

[अनुवाद]

श्री वीरेन्द्र पाटिल : लाइसेंस जारी करने की एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया यह है कि विस्फोटक सामग्री नियमों के अन्तर्गत सभी आवेदन पत्र मुख्य विस्फोटक पदार्थ नियंत्रक के पास भेजने होते हैं और वह आवेदन पत्रों की जांच करते हैं और कई बार वे स्थानीय जिला मजिस्ट्रेट से परामर्श भी करते हैं। कई सावधानियां बरतने के बाद लाइसेंस जारी किए जाते हैं।

श्री एस० एम० भट्टम : अपने उत्तर में मन्त्री महोदय ने कहा है कि विस्फोटक सामग्री

का उपयोग मुख्य रूप से खनन और गैर-खनन कार्यों के लिए होता है। अब उनका उपयोग किन कार्यों में किया जा रहा है?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : उनका उपयोग खनन के लिए किया जाता है तथा इनका उपयोग सड़कें, बांध, नहरें बनाने और सिंचाई परियोजनाओं तथा ऐसी अन्य परियोजनाओं के लिए किया जाता है जहां विस्फोटक सामग्री की आवश्यकता होती है।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र : मान्यवर मन्त्री जी ने जो जवाब दिया है, उसे सुनकर हमको आश्चर्य हुआ। दो तरह के ये लाईसेंस होते हैं—एक तो सरकारी क्षेत्र का है और दूसरा गैर-सरकारी क्षेत्र का है। हमेशा अखबारों में हमें पढ़ने को मिलता है कि मिलिट्री से गायब हुए इतने बम मिले कानपुर में और फलां-फलां जगह से। बाहर ये जितने कारतूस मिलते हैं, उन लोगों को कहां से बारूद मिलता है, जितने भी डकैत हैं ये कारतूस और बम अपने हाथ से बनाते हैं, तो इन लोगों को बम बनाने के लिए, कारतूस बनाने के लिए ये सभी सामग्रियां मिल जाती हैं और शासन द्वारा संचालित जो सरकारी यन्त्र है, फौज से भी तमाम बम लोगों को मिल जाते हैं। आपके कागजों में केवल तीन-चार चोरियों की रिपोर्ट है। अब तीन-चार चोरियों में ही जब देश में इतना विस्फोट हो रहा है अगर कहीं दो-चार चोरियां और बढ़ जाएं तो मान्यवर पता नहीं देश रहेगा या नहीं रहेगा, तो मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आप ऐसी क्या सख्त से सख्त कार्यवाही कर रहे हैं जिससे मिलिट्री के कारखानों से बम न निकल पाएं और जो भी लाइसेंस दिए जाएं, उनके तहत दिया जाने वाला बारूद चोर और डकैतों के हाथ में न लगे?

अध्यक्ष महोदय : देश के लिए तो आप चिन्तित मत होइए, इसका तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। बाकी काम बदमाशों को देखने का है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मान्यवर, मैं जो प्रश्नों का उत्तर दे रहा था, वे इंडियन एक्सप्लोसिव्स एक्ट के तहत जो चीफ कंट्रोलर आफ एक्सप्लोसिव्स होते हैं, वे एक्सप्लोसिव्स मैन्यूफैक्चर करने के लिए और मैन्यूफैक्चरिंग प्रोसेस में और उसके कंजरवेशन और उसके स्टोरेज वगैरह के लिए-क्या क्या एक्ट में है, उसका कैसे उन्होंने यूज किया, उसका वे प्रबन्ध करते हैं।

अब बम और एक्सप्लोसिव अगर कोई अन-लाइसेंस्ड या इल्लिसिट तौर पर मैन्युफैक्चर करते हैं तो उन लोगों के खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट, सैंट्रल गवर्नमेंट, इंटेलिजेंस को कार्यवाही करनी चाहिये, लेकिन इंडियन एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत चीफ कन्ट्रोलर एक्सप्लोसिव कुछ नहीं कर सकते हैं, बल्कि उनकी जानकारी में अगर कोई ऐसी बात आती है तो फौरी तौर पर वह इन्सपैक्शन भी करते हैं और वहां के मोकामी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस आफिसर को रिपोर्ट करते हैं और आगे की कार्यवाही की जिम्मेदारी उन पर होती है।

[अनुवाद]

खाद्य सामग्री परिष्करण के क्षेत्र में भारतीय फर्मों के साथ अमरीकी सहयोग

*393. **श्रीमती गीता मुखर्जी**
श्री राधाकान्त डिगाल : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका व्यापारिक गृह सामग्री परिष्करण उद्योग के क्षेत्र में भारतीय फर्मों के साथ सहयोग करने की पेशकश कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वे अमरीकी कम्पनियां कौन सी हैं और उनके सहयोगी भारतीय कम्पनियां कौन सी हैं और किन विशिष्ट उत्पादों के मामले में सहयोग की पेशकश की जा रही है; और

(ग) इस क्षेत्र में अमरीकी कम्पनियों के साथ सहयोग के प्रति भारत सरकार का क्या रुख है?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) सरकार के समक्ष इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जैसा कि अन्य विदेशी सहयोग सम्बन्धी प्रस्तावों के मामले में किया जाता है, प्राप्त प्रस्तावों पर भी उनमें निहित प्रौद्योगिकी एवं अर्जित हो सकने वाली विदेशी मुद्रा को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि इस समय कोई सहयोग नहीं किया गया है। समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि तत्काल भोजन तैयार करने के लिए एक भारतीय कम्पनी ने जनरल फूड कारपोरेशन आफ दि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ सहयोग किया है। मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार को इसकी जानकारी है। यदि यह तकनीकी सहयोग नहीं है तो मैं जानना चाहती हूं कि यह क्या है। किसी भी मामले में मैं जानना चाहती हूं कि क्या कम्पनियों को खाद्य पदार्थ परिष्करण करने, बल्कि मैं तो कहूंगी खाद्य उद्योग, के क्षेत्र में आने की अनुमति दी जा रही है। इसे हमारी अपनी प्रौद्योगिकी पर भी छोड़ा जा सकता है। कोका कोला के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि यह खाद्य पदार्थ नहीं है। मेरा केवल यह अनुरोध है कि बंगाली में, हम कहते हैं 'जल खाओ' न कि 'जल पीओ'। इसलिए मेरी समझ में कोका कोला भी खाद्य पदार्थ है। अतः मैं जानना चाहती हूं कि कोका कोला, जिसको वापस लाने की बात हो रही है, के सम्बन्ध में स्थिति क्या है।

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : पेप्सी कोला के सहयोग से माल तैयार करने वाली एक भारतीय कम्पनी द्वारा दिए गए आवेदन के सम्बन्ध में मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं और यह बता चुका हूं कि उस आवेदन पत्र को नामंजूर कर दिया गया है। माननीय सदस्य अमरीका के 'जनरल फूड कार्पोरेशन' के साथ भारतीय सहयोग के बारे में जानना चाहते हैं। इस सहयोग पर 22 जुलाई, 1983 में मंजूरी दे दी गई थी। मैंने अपने उत्तर में कहा है कि फिलहाल सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं है। माननीय सदस्य जिस प्रस्ताव का उल्लेख कर रहे हैं, उसको मंजूरी 1983 में दे दी गई थी, क्योंकि अमरीका का 'जनरल फूड कारपोरेशन' घुलनशील कॉफी, सब्जियों पर आधारित जमे हुए और सूखे प्रोटीन युक्त पदार्थ, चूर्ण खाद्य पेय का उत्पादन करना चाहता था। इस सहयोग पर 23 जुलाई 1983 को मंजूरी दी गई, इसके अन्तर्गत $33\frac{1}{3}\%$ विदेशी इक्विटी, 5% रायल्टी, तथा 8 लाख अमरीकी डालर की एकमुश्त अदायगी की स्वीकृति दी गई थी। स्वीकृति देने की शर्त यह थी कि मूल्यानुसार इसके 60% उत्पादन का निर्यात किया जायेगा। कम्पनी के अनुमान के अनुसार, इस निर्यात से पहले 5 वर्षों में 99.60 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकेगी। यह एक अत्याधुनिक परियोजना है तथा देश के हित में ही इसे मंजूरी दी गई थी।

श्रीमती गीता मुखर्जी : सर्वप्रथम, मैं विदेशी मुद्रा प्राप्ति की सही-सही राशि न कि अनुबंधित राशि के बारे में जानना चाहती हूं। मन्त्री महोदय ने मेरे प्रश्न के (ग) भाग के उत्तर में बताया है कि प्रस्तावों पर, सम्बद्ध प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए, उनके गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जायेगा। मैं जानना चाहती हूं कि क्या खाद्य उत्पादों के इस उद्योग को, मुख्यतया रोजगार के लिए और विदेशियों को इस क्षेत्र में न आने देने के लिए, देशी साधनों पर ही नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए ? मैं जानना चाहती हूं कि क्या इस पहलू पर विचार किया जायेगा और इस आधार पर सरकार को इस खाद्य क्षेत्र में सहयोग को निरुत्साहित करना चाहिए।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जहां तक सहयोग का सम्बन्ध है, हमने किसी भी विदेशी सहयोग कर्त्ता को 40 प्रतिशत से अधिक ईक्विटी की अनुमति नहीं दी है। जिसका अर्थ यह हुआ कि सहयोग के बाद भी अधिकांश शेयर या ईक्विटी भारतीय कम्पनी के पास रहेगी। विधायन उद्योग के क्षेत्र में भी काफी विकास हो रहा है और क्रांति आ रही है। उदाहरणार्थ सोयाबीन और अन्य उत्पादों को ही लें।

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकांत डिगाल।

श्रीमती गीता मुखर्जी : उस करार से वस्तुत: कितनी विदेशी मुद्रा मिली है।

अध्यक्ष महोदय : उद्योग मन्त्रालय पर ही सब प्रश्न पूछे जा रहे हैं और आप ही सब अनुपूरक प्रश्न पूछे जा रही हैं। क्या यह ठीक है ?

श्री राधाकांत डिगाल : क्या मैं मन्त्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या देश में विद्यमान खाद्य पदार्थ बनाने वाले एककों में सुधार लाने की अधिक आवश्यकता है और यदि हां, तो क्या देश में

स्थापित खाद्य पदार्थ बनाने वाले एककों की विद्यमान प्रौद्योगिकी में सुधार लाने के लिए कोई नये प्रोत्साहन दिये जाने और कुछ कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : यही मैंने पहले कहा है। जहां कहीं गुन्जाइश होती है और जहां कहीं खाद्य पदार्थ बनाने वाले उद्योग में सुधार लाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध होती है तो आवेदन किये जाने पर उन पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

उद्योगों को प्रोत्साहनों के बारे में प्रचार की कमी

*394. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा देश में विभिन्न उद्योगों को दिए जा रहे व्यापक प्रोत्साहनों के सम्बन्ध में प्रचार की कमी होने के कारण उनका अधिकतम उपयोग नहीं हो पा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की ओर से प्रचार में कमी होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इसके सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ताकि उद्योगों को उपलब्ध प्रोत्साहनों का वे अधिकतम प्रयोग कर सकें ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय प्रोत्साहन और राज सहायता योजना का व्यापक प्रचार किया गया है और राज्य सरकारों को इस योजना के ब्यौरों की जानकारी है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज सहायता के वितरण से सम्बन्धित आंकड़ों से पता चलता है कि इस योजना पर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया हुई है। आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	राशि
1982-83	40.00 करोड़ रु०
1983-84	53.20 करोड़ रु०
1985-86	85.00 करोड़ रु०
(जुलाई तक)	33.42 करोड़ रु०

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री लक्ष्मण मलिक : महोदय, मंत्री महोदय ने पिछले तीन वर्षों में दी गई राजसहायता के आंकड़े दिये हैं। यह राजसहायता औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के लिए दी जाती है। पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव में उद्योग स्थापित नहीं हो रहे हैं। यह सच है कि देश में अनेक जिले अब भी औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। यह भारत सरकार का कर्त्तव्य है कि वह इन क्षेत्रों विशेषकर पिछड़े राज्यों में स्थित ऐसे क्षेत्रों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाए। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसे पिछड़े क्षेत्रों का पता लगा लिया गया है और क्या उन क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के लिए कोई अन्य कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : हमने पिछड़े क्षेत्रों और जिलों की एक सूची पहले ही बनाई हुई है जिसमें इन्हें तीन श्रेणियों में बांटा गया है। पिछड़े क्षेत्र योजना के अन्तर्गत इन पिछड़े क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रोत्साहनों और रियायतों की घोषणा कर दी गई है। इसका प्रयोजन यह है कि इन पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण और आर्थिक विकास के लिए उद्योगों को आकर्षित किया जा सके। इसलिए ये सभी रियायतें और प्रोत्साहन दिये जाते हैं। जब कभी आवेदन पत्र भेजे जाते हैं या उद्यमी हमें कहते हैं तब हम विभिन्न जिलों, जो श्रेणी क, ख और ग के अन्तर्गत आते हैं, की सूची के आधार पर उन क्षेत्रों के औद्योगीकरण के लिए ये रियायतें देते हैं।

श्री लक्ष्मण मलिक : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार गाडगिल फार्मूले के मानदण्डों में परिवर्तन करने जा रही है ताकि उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्यों के लिए अधिक केन्द्रीय सहायता उपलब्ध हो सके और क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् में इस पहलू पर विचार किया गया है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या इस पर राष्ट्रीय विकास परिषद् में विचार किया गया है? इस बारे में मैं जानकारी देने की स्थिति में नहीं हूं किन्तु यह सभा में घोषित किया जा चुका है कि एक अन्तर्मन्त्रालयीय दल का गठन किया गया है। यह दल योजना की पुनरीक्षा करेगा। दल को इस योजना के अन्तर्गत हुई प्रगति का मूल्यांकन करना है और हमें आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक दल अपनी रिपोर्ट पूरी कर लेगा और अपनी सिफारिशें दे देगा ताकि इस योजना को पिछड़े क्षेत्रों के लिए अधिक प्रभावी और आकर्षक बनाया जा सके।

श्री सलीम आई० शेरवानी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार राजसहायता को पिछड़े क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में लगाने की सोच रही है, ताकि उद्योगपति स्वयं ही पिछड़े क्षेत्रों में आने के लिए आकर्षित हों।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : हमने पिछड़े क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए पहले ही योजना बनाई हुई है; और इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से बुनियादी ढांचे के विकास पर आने वाले कुल खर्च का एक तिहाई भाग सहायता की राशि के रूप में दिया जाएगा किन्तु यह राशि प्रति जिला 2 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगी। निम्नलिखित बुनियादी सुविधाएं केन्द्रीय सहायता की पात्र होंगी : सम्पर्क सड़कें, जल सम्बन्धी निर्माण कार्य, मल निर्यास प्रणाली, सामान्य उपयोगी सेवायें और सुविधाएं, विद्युत उप-केन्द्र, जल-निकासी, पुलिया, औद्योगिक आवास और वे

अन्य सुविधाएं जो राज्य सरकार द्वारा विकास केन्द्रों में उपलब्ध कराई जाती हैं। एक-तिहाई राशि राज्य सरकार देगी और एक-तिहाई रियायती ब्याज दर पर भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी।

श्री आनन्द गजपति राजू *: मंत्री महोदय, पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के विकास के लिए कुछ* मानदण्डों का उल्लेख कर रहे थे किन्तु मैं बताना चाहता हूं कि प्रति व्यक्ति आय और अन्य आंकड़ों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए; और जब औद्योगिक नीति का निर्धारण हो तो पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के बारे में अत्यन्त वैज्ञानिक आधार पर नीति निर्धारित की जानी चाहिए क्योंकि इस समय यह कार्य वैज्ञानिक ढंग से और उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : माननीय सदस्य ने मानदण्डों में परिवर्तन का सुझाव दिया है। चूंकि इस अन्तर्मन्त्रालयीय दल का गठन कर लिया गया है, हम सदस्य महोदय का सुझाव उस दल को भेज देंगे। वह अपनी सिफारिशें तैयार करते समय इस पर विचार कर लेगा।

श्री दिग्विजय सिंह : मेरा पांच साल का अनुभव यह रहा है कि अनेक बार इस सदन में सुझाव दिए गए हैं, उनके उत्तर दिए गए हैं और सिफारिशें की गई हैं—केन्द्र द्वारा घोषित पिछड़े जिलों के लिए नहीं बल्कि केन्द्र द्वारा घोषित पिछड़े तालुका के लिए अर्थात् इस योजना को तालुका स्तर तक लाने के लिए। क्या इस सुझाव पर इस दल द्वारा विचार किया जाएगा ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : यह दल इस पहलू पर भी विचार करेगा।

दूरसंचार व्यवस्था का आधुनिकीकरण

* 395. **श्री काली प्रसाद पांडेय** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस ने बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास में दूरसंचार व्यवस्था में सुधार करने और उसके आधुनिकीकरण के लिए सहायता देने की पेशकश की थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[हिन्दी]

श्री काली प्रसाद पांडेय : अध्यक्ष महोदय, मेरे पहले सवाल के जवाब में दूसरा सवाल भी खत्म हो जाता है जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा। लेकिन एक समाचार पत्र "नवभारत टाइम्स"

में 11 जून 1985 को यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि :

"महानगर टेलीफोन सुधार में फ्रांसीसी सहयोग"

पेरिस 10 जून, फ्रांस ने बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता और मद्रास में दूरसंचार टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में व्यापक सुधार और आधुनिकीकरण का प्रस्ताव रखा है। इस पूरे कार्यक्रम के लिए फ्रांस ने ऋण देने का प्रस्ताव भी किया है। यह योजना करीब 1 अरब 25 करोड़ रुपये की है।

प्रधान मंत्री राजीव गांधी और फ्रांसीसी दूरसंचार मंत्री के बीच हुई बातचीत में यह प्रस्ताव सामने आया है और श्री गांधी ने इस पर विचार करने का संकेत दिया है।

फ्रांसीसी दूरसंचार मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि फ्रांसीसी डिजीटल सिस्टम दुनिया के 49 देशों में उपयोग में आ रहा है। इस अधिकारी ने बताया कि फ्रांस ने भारत में टेलीफोन एक्सचेंज लगाए हैं और दूरसंचार के आधुनिकीकरण में सहायता कर सकता है···

अध्यक्ष महोदय : बात सुनिए, आप यहां समाचार पत्र पढ़ने के लिए आए हैं या प्रश्न पूछने के लिए ?

श्री काली प्रसाद पांडेय : मैं प्रश्न पूछ रहा हूं···

अध्यक्ष महोदय : आपको समाचार पत्र पर ज्यादा विश्वास है या जो बात यहां हाउस में कही जाती है उस पर ?

श्री काली प्रसाद पांडेय : मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री ने ये बातें कही हैं या नहीं ?

श्री राम निवास मिर्धा : प्रधान मंत्री किन से क्या बात करते हैं—उसका सारा उल्लेख करना उचित नहीं है लेकिन यह मसला किसी भी स्तर पर इस रूप में, जोकि माननीय सदस्य रख रहे हैं, हमारे सामने नहीं आया।

श्री काली प्रसाद पांडेय : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि फ्रांस द्वारा अब तक भारत में कितने टेलीफोन एक्सचेंज लगाए गए हैं और उनका कार्यकरण कैसा है ? क्या किसी अन्य देश ने भी भारत में दूरसंचार नेटवर्क में सुधार और आधुनिकीकरण का प्रस्ताव पेश किया है ? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके प्रति सरकार की क्या प्रक्रिया है ?

श्री राम निवास मिर्धा : फ्रांस से हमारे देश ने टेलीफोन व्यवस्था को सुधारने के लिए एक करार किया है और उसी से सम्बन्धित एक-दो करार और हैं जिनके अन्तर्गत दो लाख लाइन हमने वहां से मंगवाई हैं जो लगा रहे हैं और उसी के साथ-साथ मनकापुर, जोकि उत्तर प्रदेश में है, वहां पर पांच लाख लाइन प्रति वर्ष बनें, इस क्षमता का एक कारखाना लगाया गया है, जोकि काम करना प्रारम्भ करने वाला है। और भी उनसे शोध इत्यादि के सम्बन्ध में करार हैं। दूसरे देशों ने कोई निश्चित

रूप से हमारे पास कोई योजना नहीं भेजी है कि हमारी टेलीफोन प्रणाली को सुधारने में वे कितनी और किस प्रकार से मदद कर सकेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के० नटराजन : मद्रास में एक लाख से अधिक टेलीफोन कनेक्शन हैं। प्राय: वे खराब होते रहते हैं। क्या मद्रास में आधुनिक दूरसंचार प्रणाली स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव है जिससे कि वर्त्तमान व्यवस्था दोषरहित हो सके। यदि हां, तो कब ?

श्री राम निवास मिर्धा : यह प्रश्न विचाराधीन प्रश्न से नहीं उठता है लेकिन मैं सदस्य महोदय को विश्वास दिला सकता हूं कि मद्रास की टेलीफोन सेवाएं हमारे ध्यान में हैं और उनमें सुधार लाने के लिए लगातार प्रयत्न किये जाते हैं। नये केन्द्र खोले जा रहे हैं और अन्य को बदला जा रहा है और हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि सुधार हो।

श्री नारायण चौबे : दिल्ली और अन्य स्थानों के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री उत्तम राठौड़ : एक ओर तो सरकार दूरसंचार नेटवर्क को आधुनिक बनाने की बात सोच रही है और दूसरी ओर हमें बताया गया है कि हम शीघ्र ही षट्कोणीय योजना आरम्भ कर रहे हैं। इसके साथ ही हमें यह पता चला है कि सरकार ने विभाग से कहा है कि षट्कोणीय योजना के मामले में धीरे चलो। यह कहां तक सही है ?

श्री राम निवास मिर्धा : हमारे विभाग ने लगभग 13,000 करोड़ रुपये की एक योजना तैयार की थी। योजना आयोग के कार्यकारी दल ने इसे घटाकर 11,000 करोड़ रुपये कर दिया था और अब योजना आयोग ने संकेत दिया है कि यह राशि काफी कम होगी। अत: कई योजनाओं का प्रभावित होना अवश्यम्भावी है।

श्री अमल दत्त : समाचार पत्रों और अन्य पत्रिकाओं में प्राय: छपता रहता है कि टेलीफोन विभाग का 50 प्रतिशत राजस्व उसकी अक्षमता के कारण वसूल होता है क्योंकि एक लाइन पर टेलीफोन करने के लिए लोगों को दो-तीन बार गलत नम्बर मिलते हैं और उसके बाद सही नम्बर मिलता है। यदि टेलीफोन विभाग अपनी कार्यकुशलता बढ़ा लेगा और लोगों को एक बार डायल करने पर ही सही नम्बर मिल जाएगा तो राजस्व में कितनी कमी होगी ? क्या विभाग ने इसका मूल्यांकन किया है ?

एक माननीय सदस्य : यह तो सामान्य ज्ञान की बात है कि वह कार्यकुशलता नहीं बढ़ाएंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह इसको कैसे पूरा करेगा ?

श्री अमल दत्त : उन्हें बताने दीजिए कि क्या उन्होंने कोई मूल्यांकन किया है ? वे अपनी सेवाओं में सुधार क्यों नहीं करते ?

(व्यवधान)

श्री राम निवास मिर्धा : यदि हम अपनी सेवाओं में सुधार लाएंगे। उदाहरण के लिए यदि की जाने वाली और मिल जाने वाली ट्रंककालों की प्रतिशतता बढ़ जाती है तो स्वभावत: राजस्व में वृद्धि होगी। यह कहना कि गलत कालों से हमें काफी राजस्व मिलेगा। पूरी स्थिति को गलत समझना है।

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम में संशोधन

*396. **श्री दिग्विजय सिंह** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, जो वर्ष 1860 में कानून-पुस्तिका में शामिल किया गया था, में परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार संशोधन करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधन क्या है, और अधिनियम में संशोधन करने हेतु विधेयक कब पुरःस्थापित किया जाएगा ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) उपर्युक्त (क) को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

श्री दिग्विजय सिंह : स्वतन्त्रता के बाद 1860 के अधिनियम में कितने संशोधन किए गए हैं ? निर्वाचित प्रतिनिधियों या संस्थाओं या आम जनता द्वारा सरकार को 1860 के इस अधिनियम में संशोधन करने के लिए क्या मुख्य सुझाव दिए गए हैं।

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : जहां तक 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम का सम्बन्ध है, संविधान के लागू होने के बाद इसमें काफी परिवर्तन हुआ है। इसके लागू होने के बाद सोसाइटियों से सम्बन्धित विषय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-दो की प्रविष्टि 32 के तहत राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ गया है। कुछ राज्य सरकारों ने 1860 के अधिनियम को कुछ आवश्यक संशोधनों के साथ अपना लिया है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और मेघालय जैसे कुछ राज्यों ने अपने कानून पारित किए हैं। चूंकि राज्य सरकारों को संविधान के अन्तर्गत इस सम्बन्ध में आवश्यक कानून

पारित करने का पूरा अधिकार है, अतः हमारा अधिनियम में संशोधन करने का प्रश्न पैदा नहीं होता है और हमने इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव भी नहीं रखा है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

जहरीली कीटनाशक दवाओं का उत्पादन

*397. **श्री सुभाष यादव** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी मैसर्स सायनामिड इण्डिया लिमिटेड द्वारा निर्मित "थीमेट 10 जी०" एक अत्यधिक जहरीली कीटनाशक दवा है, और जिसकी डरमल/ओरल एल० डी०-50 क्षमता बहुत ही कम है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस उत्पाद से बाजार में आने से पूर्व किसी सरकारी प्रयोग-शाला में इसके और विशेषतः डरमल/ओरल ए० डी०-50 क्षमता के सन्दर्भ में परीक्षण करके इसका सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करती है;

(ग) क्या डरमल/ओरल एल० डी०-50 क्षमता के परीक्षण हेतु बाजार से नमूने लिए गए थे और यदि हां, तो इस प्रकार के परीक्षण के क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) क्या सरकार इस उत्पाद पर, जो कि "टिमिक" के समान जहरीला है और जिसका यूनियन कारबाइड द्वारा उत्पादन किया गया था और जिस पर भोपाल दुर्घटना के पश्चात हाल ही में प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, प्रतिबन्ध लगाने का विचार कर रही है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) थाइमेट मै० सिनामिड इंडिया द्वारा फोरेट-10-जी० के लिए प्रयोग किया जाने वाला व्यापारिक नाम है, जिसे उनके द्वारा फोरेट टेक्निकल जो एक अत्याधिक जहरीला ओरगेनो फास्फोटिक पेस्टीसाइड है, से तैयार किया जाता है। फोरेट 10-जी का पंजीकरण प्रदान करने से पूर्व इन्सेक्टिसाइड्स अधिनियम, 1968 के अधीन गठित पंजीकरण समिति ने उक्त पेस्टीसाइड के विषैलेपन इसके डरमल और ओरल एल० डी० 50 वैल्यूज सहित, के विभिन्न पहलुओं की जांच की थी। पंजीकरण समिति ने पाया कि ग्रेन्यूलर फार्मूलेशन के कैप्सूलों में प्रयोग किए जाने पर यह पेस्टिसाइड सुरक्षित है।

(ग) डरमल/ओरल एल० डी०-50 वैल्यूज का परीक्षण/जांच सामान्यतः केवल तभी की जाती है जब कोई विपरीत रिपोर्ट प्राप्त होती है। सरकार को अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) जी नहीं। टेमिक 10-जी पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है किन्तु यूनियन कार्बाइड इंडिया लि० के भोपाल स्थित संयंत्र के बन्द हो जाने के कारण अब इसका निर्माण नहीं हो रहा है।

उद्योग के राष्ट्रीयकरण पर बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं की अधिग्रहण पूर्व देयताओं को संरक्षण

*398. **श्री जायनल अबेदिन**
श्री आनन्द पाठक : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने किसी उद्योग के राष्ट्रीयकरण के मामले में उसकी बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं की देयताओं के संरक्षण की शर्तों को छोड़ने का मामला उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार, उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन अभिग्रहीत औद्योगिक एककों का राष्ट्रीयकरण करने के मामलों में बैंकों और वित्तीय संस्थानों के ब्याज सहित अभिग्रहण से पूर्व की सभी देय राशियों को एकक का राष्ट्रीयकरण करने वाली सरकार द्वारा पूरा संरक्षण दिया जाना अपेक्षित है। अभिग्रहण पूर्व की देय राशियों सहित, देय राशियों के संरक्षण सम्बन्धी नीति की समीक्षा की जा रही है।

घरेलू गैस सिलिण्डरों सम्बन्धी "कैश-एन्ड कैरी" (भुगतान करके ले जाना) योजना

*399. **श्री दौलत सिंह जी जडेजा** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने घरेलू गैस सिलिण्डरों सम्बन्धी "कैश-एण्ड-कैरी" (भुगतान करके ले जाना) योजना के बारे में उपभोक्ताओं में व्याप्त असन्तोष की ओर ध्यान दिया है;

(ख) सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है कि "कैश-एण्ड-कैरी" योजना के कारण गैस एजेंसी डीलरों द्वारा लोगों को "होम डिलीवरी" सेवा से वंचित न रखा जाए;

(ग) सरकार ने ऐसे डीलरों के विरुद्ध क्या दण्डात्मक उपाय किए हैं;

(घ) सरकार ने अकुशल और भ्रष्ट गैस डीलरों की डीलरशिप को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) देश भर में वर्ष 1985 में कितने डीलरों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) इसके बावजूद कि कैश एण्ड कैरी सिस्टम स्वैच्छिक है, अनिवार्य नहीं, उपभोक्ताओं के लिए यह अतिरिक्त विकल्प है कि वह घर में एल० पी० जी० रिफिल सप्लाई लेने की सुविधा ग्रहण करें।

(ग) और (घ) एल० पी० जी० विपणन अनुशासन (मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइड लाइन) मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन बेईमान विक्रेताओं के विरुद्ध तेल कम्पनियों द्वारा दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है। यह चेतावनी, सावधानी पत्र तथा गुम हुए उपस्करों के लिए उसके नाम डालने से लेकर गम्भीर मामलों के वितरणशिप समाप्त करने तक की सजा हो सकती है।

(ङ) 1985 के दौरान एल० पी० जी० विपणन अनुशासन मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन 79 वितरकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

औषधों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता

*400. **डा० सी० पी० ठाकुर** : क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय का देश में वर्ष 2000 ई० तक सभी लोगों की स्वास्थ्य सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से औषधों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु क्या योजनाएं बनाने का विचार है; और

(ख) मांग को पूरा करने के लिए औषधों और फार्मूलेशनों की प्रस्तावित मांग कितनी है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) वर्ष 1984-85 में उत्पादन के लिए संशोधित छठी योजना लक्ष्य बल्क औषधों और फार्मूलेशनों के लिए क्रमश: 500 करोड़ रु० और 1950 करोड़ रु० था। 1984-85 में बल्क औषधों का उत्पादन मूल्य 1979-80 के स्थिति के आधार पर 377 करोड़ रु० था जबकि फार्मूलेशनों का उत्पादन मूल्य लगभग 1827 करोड़ रु० था। योजना लक्ष्यों के सन्दर्भ में उत्पादन में कमी मुख्यत: मांग में आशानुसार वृद्धि न होना था।

फार्मूलेशनों के निर्माण में देश ने लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। इस समय लगभग 225 बल्क औषधों का देश में उत्पादन किया जा रहा है जिनमें थेराप्यूटिक ग्रुप का समग्र समूह शामिल है। वर्ष 1983-84 के दौरान निगरानी रखी जा रही है तथा 87 बल्क औषधों में से 55 बल्क औषधों का आयात या तो शून्य था या 1983-84 में उन औषधों के स्वदेशी उत्पादन के 10 प्रतिशत से कम था। वर्तमान मूल्यों पर फार्मूलेशन उत्पादन के मूल्य के प्रतिशत के रूप में बल्क औषधों के आयात में 1979-80 में 8.82 प्रतिशत से 1983-84 6.63 में प्रतिशत तक कमी हुई है।

औषधों और भेषजों पर 7वीं पंचवर्षीय योजना कार्यकारी दल ने अनुमान लगाया है कि

1989-90 तक बल्क औषधों और फार्मूलेशनों के स्वदेशी उत्पादन की मांग क्रमश: 808.40 करोड़ रुपये और 3775.00 करोड़ रुपये के मूल्य की होगी।

उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे विभिन्न उपायों में (I) 1978 की औषध नीति की पुनरीक्षा और (II) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में उल्लिखित देश की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से उद्योग की वृद्धि और विकास के लिए सही दिशा निर्देशन के विचार से लाइसेंसिग पद्धति में सरलीकरण, उदारीकरण शामिल है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र राज्य में "उद्योग विहीन जिले"

*401. **श्री आर० एम० भोये** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई औद्योगिक नीति के अधीन पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक विकास की गति में तेजी लाने की दृष्टि से महाराष्ट्र में वर्ष 1980 से आज तक कितने जिलों को "उद्योग विहीन जिले" घोषित किया गया है; और

(ख) देश में 1982 से "उद्योग विहीन जिलों" तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े जिलों की राज्य-वार संख्या कितनी है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) महाराष्ट्र में एक जिला अर्थात् गढ़चिरौली को 1-4-1985 से उद्योग रहित जिला घोषित किया गया है।

(ख) 1-4-1983 से विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत पिछड़े क्षेत्रों की संख्या निम्नलिखित है :—

क्रम संख्या	राज्य	श्रेणी "क"		श्रेणी "ख"	श्रेणी "ग"
		उद्योग रहित जिले	विशेष क्षेत्र/जिले	जिलों की संख्या	जिलों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	—	—	6 जिलों के बराबर	13 जिले
2.	असम	2	8	—	—

1	2	3	4	5	6
3.	बिहार	6	—	5	6
4.	गुजरात	1	—	3	7
5.	हरियाणा	—	—	3 जिलों के बराबर	4 जिले
6.	हिमाचल प्रदेश	5	7	—	—
7.	जम्मू और काश्मीर	7	7	—	—
8.	केरल	2	—	3	2
9.	कर्नाटक	1	—	3	7
10.	मध्य प्रदेश	18	—	3 जिलों के बराबर	19 जिले
11.	महाराष्ट्र	1	—	3	10
12.	मणिपुर	6	—	—	—
13.	मेघालय	4	1	—	—
14.	नागालैण्ड	1	6	—	—
15.	उड़ीसा	3	—	5	—
16.	पंजाब	—	—	3	2
17.	राजस्थान	4	—	5	7
18.	सिक्किम	4	—	—	—
19.	त्रिपुरा	3	—	—	—
20.	तमिलनाडु	—	—	3 जिलों के बराबर	9 जिले
21.	उत्तर प्रदेश	11	4	5	21

1	2	3	4	5	6
22.	पश्चिम बंगाल	5	—	3	5
23.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	1	—	—
24.	अरुणाचल प्रदेश	4	2	—	—
25.	दादरा और नगर हवेली	1	—	—	—
26.	लक्षद्वीप	1	—	—	—
27.	मिजोरम	2	—	—	—
28.	गोआ, दमन और दीव	—	1	—	—
29.	पाण्डिचेरी	—	1	—	—

खंड/तहसील के आधार पर इनका पता मोटे तौर पर मूल रूप से राज्यों द्वारा समानता के अनुसार लगाया गया था।

[अनुवाद]

अति उच्च फ्रीक्वेन्सी प्रणाली स्थापित करना

*402. डा० गुलाम याजदानी : क्या संचार मन्त्री अति उच्च फ्रीक्वेन्सी प्रणाली स्थापित करने के बारे में 14, मई, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6404 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अति उच्च फ्रीक्वेन्सी उपकरण का डिजिटल रूपान्तर इसके "एन्लाग" रूपान्तर से कहीं अधिक महंगा है;

(ख) यदि हां, तो किस अनुपात में;

(ग) क्या चालू योजना अवधि में दूर-संचार बोर्ड के लिए सीमित आवंटनों को देखते हुए इस नई प्रणाली को लागू करना आवश्यक है;

(घ) क्या डिजिटल अति उच्च फ्रीक्वेन्सी प्रणाली एक परियोजना विशेष रूप से राज्यों

के कम क्षमता वाले पार्श्विक मार्गों पर लाभकारी सिद्ध होगी जहां स्थानीय एक्सचेंज नेटवर्क भी इलैक्ट्रोनिक किस्म का नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो क्या पार्श्विक ट्रंक मार्गों के लिए ऐसी परियोजनाओं हेतु विभाग द्वारा हानि वाली योजनाओं के रूप में विशेष मंजूरी मिलेगी; और

(च) कम क्षमता के पार्श्विक मार्गों की तुलना में उच्च क्षमता के राष्ट्रीय जिला मुख्यालय मार्गों पर स्थायी साधन आयोजना के लिए नीतियों की रूपरेखा क्या है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) डिजीटल यू० एच० एफ० उपस्कर के एक चैनल की लागत एनालॉग यू० एच० एफ० उपस्कर की लागत से मिलती जुलती है।

(ग) दूर-संचार विभाग ने देश के दूर-संचार नेटवर्क को उत्तरोत्तर डिजीटल रूप में बदलने का निर्णय लिया है ताकि दूर-संचार के क्षेत्र में इस नवीनतम टेक्नोलोजी का तकनीकी एवं आर्थिक दृष्टि से लाभ उठाया जा सके।

(घ) और (ङ) इस समय सभी जिला मुख्यालयों को यू० एच० एफ०/माइक्रोवेव/कोएक्सिअल/उपग्रह आदि जैसे किसी एक विश्वसनीय माध्यम द्वारा राज्यों की राजधानियों से जोड़ने की योजना है। इसके लिए परियोजना का लाभकारी होना आवश्यक नहीं है। इस कार्यक्रम के साथ किसी विशेष गौण क्षेत्र में स्थानीय एक्सचेंजों को डिजीटल बनाने के लिए यू० एच० एफ० मार्ग पर छोटी क्षमता के सहायक मार्ग तैयार किए जाएंगे ताकि इसे एकीकृत डिजीटल नेटवर्क में परिवर्तित किया जा सके। इसके लिए तकनीकी एवं वित्तीय व्यवहार्यता तथा संसाधनों की उपलब्धता को भी ध्यान रखना होगा।

(च) विभाग की नीति यह है कि पहले सभी जिला मुख्यालयों को विश्वसनीय माध्यम से जोड़ा जाए तथा बाद में तहसील मुख्यालयों और छोटे कस्बों में डिजीटल नेटवर्क उपलब्ध कराया जाए। उच्च क्षमता वाली डिजीटल ट्रांसमिशन प्रणाली द्वारा डिजीटल ट्रंक ऑटोमेटिक एक्सचेंजों को जोड़ा जाएगा।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पेट्रोलियम और गैस की खोज

*403. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोलियम और गैस की खोज के लिए तट पर और तट-दूर क्षेत्रों में कितनी परियोजनाएं चल रही हैं;

(ख) शुरू करने के बाद कितनी परियोजनाएं छोड़ दी गई हैं और उन्हें बन्द करने के क्या कारण हैं तथा इन छोड़ी हुई परियोजनाओं में कितनी धन राशि खर्च हुई है;

(ग) क्या सरकार का विचार असम को छोड़कर विशेषरूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक नया खोज कार्यक्रम शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) 14 बेसिनों में तेल तथा गैस की खोज की जा रही है।

(ख) कोई नहीं।

(ग) और (घ) जी, हां। सातवीं पंचवर्षीय योजना को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही ये ब्यौरे उपलब्ध हो पाएंगे।

उत्तर प्रदेश में डीजल/पेट्रोल बिक्री केन्द्र

*404. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोल/डीजल बिक्री केन्द्रों का स्थान चुनने सम्बन्धी सरकार की नीति क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार की नीति के अनुसार उत्तर प्रदेश में पीलीभीत, बरेली और शाहजहांपुर जिलों में डीजल/पेट्रोल बिक्री केन्द्रों की संख्या बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) उत्तर प्रदेश में स्थापित किए गए ऐसे डीजल/पेट्रोल बिक्री केन्द्रों की संख्या कितनी है जहां सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों का पालन नहीं किया गया है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) तेल उद्योग द्वारा पेट्रोल तथा डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र उस क्षेत्र की मांग की सम्भावना तथा आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर खोले जाते हैं तथा मात्रा और दूरी से सम्बन्धित आंकड़ों को भी हिसाब में लिया जाता है।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और बरेली जिलों में खुदरा बिक्री केन्द्रों की मौजूदा संख्या पर्याप्त है। 1985-86 की विपणन योजना में शाहजहांपुर जिले की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तीन और बिक्री केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है।

(घ) सरकार को उत्तर प्रदेश के किसी ऐसे खुदरा बिक्री केन्द्र की जानकारी नहीं है जिसमें उनके लिए निर्धारित मानदण्डों की अवहेलना की हो।

बंगाल की खाड़ी में तट-दूर क्षेत्र में तेल की खोज

*405. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल की खाड़ी में पूर्वी तट पर-दूर क्षेत्र में की गई तेल की खोज के कोई परिणाम निकले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त क्षेत्र में तेल की खोज करने का काम किस एजेंसी ने शुरू किया था;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रश्न के औचित्य की जांच की है कि तेल की खोज का कार्य एक से अधिक एजेंसियों को सौंपा जाए; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) कावेरी के 3 कुओं, कृष्णा-गोदावरी के 6 कुओं तथा अण्डमान अपतटी के एक कुएं में तेल/गैस मिली है।

(ग) से (ङ) ओ० एन० जी० सी० तथा ओ० आई० एल० के अतिरिक्त कार्ल्सबर्ग-नाटोमास तथा असमीरा नविगत में बंगाल की खाड़ी में अन्वेषण किया है। विदेशी कम्पनियों का अन्वेषण के लिए अपतटीय ब्लाक देने का प्रश्न विचाराधीन है।

डिगबोई तेल शोधक कारखाने का विस्तार

*406. **श्री बी बी० देसाई :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने डिगबोई तेल शोधक कारखाने के आधुनिकीकरण और उसकी वर्तमान क्षमता 5 लाख टन से बढ़ाकर 10 लाख टन प्रति वर्ष करने सम्बन्धी उसकी व्यवहार्यता रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस पर 309 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा; और

(ग) डिगबोई के आधुनिकीकरण की प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने प्रारम्भिक तौर पर 309 करोड़ रुपए की लागत पर डिगबोई रिफाइनरी के आधुनिकीकरण के लिए एक सम्भाव्यता रिपोर्ट तैयार की है। उस प्रस्ताव में प्रति वर्ष 0.5 एम० टी० तक क्षमता का विस्तार करना, हाईड्रोक्रेकर की स्थापना करना और डिलेड कोकर की प्रतिस्थापना करना शामिल था। परन्तु क्रूड और अन्य वैकल्पिक उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय के कार्यकारी दल ने डिगबोई में एक संशोधित आधुनिकीकरण कार्यक्रम तैयार करने की सिफारिश की है जिसमें डिलेड कोकर का प्रतिस्थापन और विद्युत पैदा करने की सुविधाओं की

स्थापना आदि शामिल है। आई० ओ० सी० को कहा गया है कि इनके आधार पर एक संशोधित सम्भाव्य रिपोर्ट तैयार करें।

तमिलनाडु में रक्षा परियोजना की स्थापना

*** 407. श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु राज्य में, विशेषतया सेलम जिले में कोई रक्षा परियोजना स्थापित किये जाने की योजना है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ख) यदि नहीं, तो तमिलनाडु को उन नये एककों में हिस्सा न दिए जाने के क्या कारण हैं जो रक्षा मंत्रालय द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) तमिलनाडु, मद्रास में आवड़ी में दो परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं, इनमें से एक टी-72 एम-1 टैंकों के निर्माण की सुविधाएं स्थापित करने के लिए और दूसरी टैंकों और सेना के लड़ाकू वाहनों — दोनों के लिए इंजनों के निर्माण के लिए हैं। इसके अतिरिक्त तिरुचिरापल्ली में आयुध निर्माणी परिसर में टैंक के गोला-बारूद के प्रक्षेपकों के निर्माण के लिए एक भारी मिश्रधातु वेधन परियोजना की भी स्थापना की जा रही है। परन्तु सेलम जिले में रक्षा परियोजना स्थापित करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

शहरी तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में लाइसेंस प्राप्त डाकघर

***408. श्री बसुदेव आचार्य**
श्री अनिल बसु } : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने शहरी तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में लाइसेंस प्राप्त डाकघर खोलने के लिए एक योजना मंजूर की है;

(ख) क्या इसका मतलब नीति में परिवर्तन लाना है;

(ग) यदि हां, तो निर्णय किस स्तर पर लिया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो डाकघरों के वर्तमान ढांचे में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। लाइसेंसशुदा डाक एजेंटों को नियुक्त करने की एक प्रणाली का प्रायोगिक आधार पर अनुमोदन किया गया है। ये एजेंट डाक-टिकट और स्टेशनरी की बिक्री, रजिस्टर्ड पत्रों की बुकिंग तथा उनके परिसर में जमा कराए

जाने वाले पत्रों को स्वीकार करने और वहां लगाए गए लेटर बाक्सों की निकासी जैसा सीमित डाक कार्य करेंगे।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह निर्णय डाक बोर्ड के सदस्यों द्वारा लिया गया है तथा संचार राज्य मंत्री ने इसका अनुमोदन किया है।

(घ) उक्त निर्णय लेने का कारण यह है कि आवश्यक डाक सुविधाएं जनता की सुविधा के अनुसार अधिक स्थानों पर उपलब्ध हो सकें।

उद्योग मंत्रालय में कम्प्यूटर लगाना

* 409. **श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक लाइसेंसों आदि को शीघ्र अनुमति देने हेतु उनके मंत्रालय में कम्प्यूटर लगाने की सरकारी नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो कम्प्यूटर लगाने में बाधक कारणों का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय ने नेशनल इन्फोरमेटिक्स सेन्टर की सहायता से मंत्रालय में एक औद्योगिक आंकड़ा बैंक स्थापित करने के लिए एक स्टेण्ड एलोन कम्प्यूटर सिस्टम एच० पी०-21 एक एक्स तथा साइबेर (सी० वाई० बी० ई० आर०)-170/730 से सम्बद्ध आठ अन्तर सक्रिय टर्मिनलों की स्थापना की है।

[हिन्दी]

बिहार में बिहार शरीफ में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण

4048. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार में नालन्दा जिले के बिहार शरीफ मुख्यालय में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज भवन का निर्माण कार्य चल रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि इस भवन का निर्माण कार्य निर्धारित विशिष्ट विवरण के अनुरूप नहीं हो रहा है; और

(ग) क्या सरकार निरंतर निगरानी रखेगी तथा उस पर निर्धारित विशिष्ट विवरण के अनुसार निर्माण सुनिश्चित करेगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। निर्धारित विनिर्देशन के अनुसार निर्माण कार्य चल रहा है।

(ग) जी हां।

एल० पी० जी० स्टोव बनाने वाली फर्में

4049. **श्री प्रकाश चन्द्र :** क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उत्तरी क्षेत्र में एल० पी० जी० स्टोव बनाने वाली फर्मों के नाम और पते क्या हैं; और

(ख) इन फर्मों द्वारा बनाए जाने वाले गैस स्टोवों की गारंटी सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) एल० पी० जी० स्टोवों के उत्तरी क्षेत्र में अनुमोदित आई० एस० आई० विनिर्माताओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) प्रत्येक एल० पी० जी० स्टोव विनिर्माताओं को आई० एस० आई० का अनुमोदन प्राप्त करना होता है उसके बाद यह गारण्टी देनी पड़ती है कि उसके द्वारा उत्पादित उत्पाद आई० एस० आई० विनिर्देशनों के अनुरूप है।

विवरण

दिनांक 30-6-1985 को उत्तरी क्षेत्र में एल० पी० जी० स्टोव के निर्माताओं की सूची

1. मैसर्स ग्लोब सुपर पार्ट्स 14/1 मथुरा रोड, अमरनगर, फरीदाबाद।
2. मैसर्स सन फ्लेम इंडस्ट्रीज, 2 डी० आई० एफ० इंडस्ट्रीयल एरिया 11, 13/4 मथुरा रोड, अमरनगर, फरीदाबाद-121003।
3. मैसर्स गोयल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, ए-32/2 वजीरपुर इंडस्ट्रीयल एरिया दिल्ली-110052।
4. मैसर्स इस्टर्न गैस एप्लिएंस, 31, के० एम० स्टोन (निकट सिनेमा के पास) जी० टी० रोड, कुण्डली, हरियाणा।

5. मैसर्स निक्कीताशा प्राइवेट लिमिटेड, प्लाट नम्बर 97, सेक्शन 6, फरीदाबाद हरियाणा-88652।

6. मैसर्स तुलसी डोमेस्टिक एप्लिएंस, 30-ए ओल इंडस्ट्रीयल एरिया, अल्वर-301001, राजस्थान।

7. मैसर्स प्रफेक्ट इंजीनियरिंग इंटरप्राइजेज इंडस्ट्रीयल इस्टेट, मखुपुरा, अजमेर-305002, राजस्थान।

8. मैसर्स फरीदाबाद गस गजटर्स प्राइवेट लिमिटेड प्लाट नं० 369, सेक्टर 21, फरीदाबाद, हरियाणा 121005।

9. मैसर्स उद्योग भारती, ए-90/3, वजीरपुर इंडस्ट्रीयल एरिया, दिल्ली-110052।

10. मैसर्स फुसबास ईडिया प्राइवेट लिमिटेड, 15/6 मथुरा रोड, फरीदाबाद-121002।

11. मैसर्स अरुण इंडस्ट्रीज, 1/20 ए, दिल्ली गैस, आगरा-282002।

12. मैसर्स जैनको इंडस्ट्री, ई-43, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फरीदाबाद-121001।

13. मैसर्स कॉमेट इंटरप्राइजेज, प्राइवेट लिमिटेड, 31-बी, इंडस्ट्रीयल एरिया, फरीदाबाद।

14. मैसर्स सलेक्शन एप्लिएंस प्राइवेट लिमिटेड, गांव मलिकपुर, तहसील मलेरकोटला रोड, अहमदगढ़ के पास, जिला संगरूर, पंजाब।

15. मैसर्स के० के० एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कसारा नंम्बर 299, गोकलपुर, शाहदरा दिल्ली-92।

16. मैमर्स सुन्दरा एण्ड सुदर्शन, 147, इंडस्ट्रीयल एरिया, पोस्ट बॉक्स 629, चण्डीगढ़-2।

17. मैसर्स मौर्या उद्योग लिमिटेड, 1/10-बी, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002।

18. मैसर्स अशोक उद्योग, बी-10/4, झिलमिल इंडस्ट्रीयल एरिया, शाहदरा, दिल्ली-32।

19. मैसर्स एग्रो इक्यूपमेंट (इण्डिया) प्लाट न० 88, सेक्टर 24, फरीदाबाद, हरियाणा।

20. मैसर्स हिलटन प्रीसिशन इंस्ट्रूमेन्ट मैन्यूफेक्चर कं०, 3016, सेक्टर 19-डी, चण्डीगढ़ (इंडिया)।

21. मैसर्स फोलार आटो एण्ड इजीनियरिंग, इंडस्ट्रीयल प्रा० लि०, 12-ए, ओखला इंडस्ट्रीयल इस्टेट, नई दिल्ली-110020।

22. मैसर्स प्रफेक्ट इंजीनियरिंग कं० 67, महिला कालोनी, गांधी नगर, दिल्ली-110031

23. मैसर्स फरीदाबाद आटो इंडस्ट्रीज प्रा० लि०, प्लाट नं० 63, सेक्टर 6, फरीदाबाद, हरियाणा।

24. मैसर्स खण्डेलवाल सन्स, सी-9, मेघ निवास, स्वाई जय सिंह हाईवे, बैंक पार्क, जयपुर-302008।

25. मैसर्स कपूर इंजी० वर्क्स, बी-56 एण्ड बी-41, मायापुरी, इंडस्ट्रीयल एरिया फेज-1, नई दिल्ली-64।

26. मैसर्स सिलवर फ्लेम एप्लिएंस 383-सी/1, ईस्ट आजाद नगर, शाहदरा, दिल्ली-110051.

27. मैसर्स इंडियन समिथा (इण्डिया) 6, इंडस्ट्रीयल एरिया, एन०आई०टी०, फरीदाबाद।

28. मैसर्स यूनाई टैक्नोलोजीस प्रा० लि०, प्लाट नं० 314, सेक्टर-24, फरीदाबाद-2.

29. मैसर्स कोच्छर एग्रो इंडस्ट्रीज प्रा० लि०, 18-ए, मथुरा रोड, फरीदाबाद।

30. मैसर्स क्लासिक एप्लियेंस प्रा० लि०, प्लाट नं० 306, सेक्टर 24, फरीदाबाद।

31. मैसर्स न्यूएज एप्लियेंस प्रा० लि०, 257, सेक्टर-24, फरीदाबाद, हरियाणा।

32. मैसर्स सवलोय प्रोडेक्ट प्रा० लि०, 18/1, मथुरा रोड, फरीदाबाद-2.

33. मैसर्स शिवानी आटो प्रा० लिमिटेड, 2 तल, स्टूटी बिल्डिंग, बैंक स्ट्रीट, करोल बाग, नई दिल्ली-110005.

34. मैसर्स मनोज इंटरप्राइजेज, प्लाट-1, डी० बी० गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली।

35. मैसर्स ब्लू सुपर फ्लैम इंडस्ट्रीज 5-डी/8/ई, रेलवे रोड, एन० आई० टी०, फरीदाबाद-1.

36. मैसर्स डुरेबल एप्लियेंस (प्रा०) लि०, 35, डी० एल० एफ०, इंडस्ट्रीयल इस्टेट-1, फरीदाबाद।

37. मैसर्स सुपर कोआरडिनेटर. 83-ए, संत नगर, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-65.

38. मैसर्स ए० पी० टी० (दिल्ली) इंजीनियरिंग, प्रा० लि०, सी-38/1, अशोक विहार इंडस्ट्रीयल एरिया दिल्ली।

39. मैसर्स एस० के० एन० ऐसोसिएट्स प्रा० लि०, सी बी 59/1, नारायणा इंडस्ट्रीयल ऐरिया, फैज-II, नई दिल्ली-20 .

40. मैसर्स जे० के० बत्रा एण्ड कं० प्रा० लि०, प्लाट नं० 74, सेक्टर 24, एन०आई०टी०, फरीदाबाद।

41. मैसर्स जैन इंडस्ट्रीयल मेन्यूफेक्चर का० 160, उद्योग विहार, फेज-I, एच० एस० आई० डी० सी०, इंडस्ट्रीयल काम्पलैक्स, दुंदहेरा, गुड़गांव।

42. मैसर्स सी० टो० इंजीनियरिंग, 32, के एम, जी० टी० रोड, कुण्डली, जिला सोनीपत, हरियाणा।

43. मैसर्स पंचशील इंडस्ट्रीज 35-सी/3, रामपुर बाग, बरेली।

44. मैसर्स किचन टूल्स, विलेज एण्ड पी० ओ० दोबह, रोहतक, भिवानी रोड।

45. मैसर्स हाईड्रो वाल्व्स, एच० नं०, 125, गांव पीतमपुरा, दिल्ली-34 .

46. मैसर्स इंलसा प्रा० लि०, सूर्य किरण, 19, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-1 .

47. मैसर्स डोमेस्टिक एप्लियेंस, 15/5, मथुरा रोड, फरीदाबाद।

48. मैसर्स स्टील किंग इंडस्ट्रीज ए-80, सेक्टर-IV, नं०-1 डी० ए० जिला, गाजियाबाद, (यू० पी०)।

49. मैसर्स गुड फ्लेम इंडस्ट्रीज, चौसकी गेट, फरीदाबाद-283203 (यू० पी०)।

50. मैसर्स जिन्थ कारपोरेशन, 204 नई गांधी नगर, हरि मन्दिर, गाजियाबाद-201001, (यू० पी०)।

51. मैसर्स संकला एप्लियेंस प्रा० लि०, प्लाट नं० 64, सेक्टर-24, फरीदाबाद।

52. मैसर्स उत्तम गैस एप्लियेंस, 27, 28, नीलम वाटा रोड, फरीदाबाद-1 .

53. मैसर्स यूनीक किचन-एड्स, प्रा० लि०, बी-32, 33 सेक्टर 6, (वर्क्स), नोएडा-201301.

[अनुवाद]

केरल में उद्योगों की स्थापना

4050. **श्री के० मोहन दास** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के पास केरल में उद्योग स्थापित करने हेतु लाइसेंसों के लिए आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं; और

(ख) इन आवेदन-पत्रों के निपटान के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) 13-8-1985 को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अन्तर्गत केरल में उद्योगों की स्थापना करने के लिए आशय-पत्रों की स्वीकृति हेतु प्राप्त 12 औद्योगिक लाइसेंस के आवेदन-पत्र सरकार के पास विचार हेतु लम्बित थे।

(ख) सरकार का यह सतत प्रयास रहा है कि सभी अनिर्णीत आवेदन-पत्रों को जितनी जल्दी सम्भव हो सके उतनी जल्दी निबटाया जाए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कार्यप्रणाली को सुप्रवाही बनाया गया है।

जिला उद्योग केन्द्रों का प्रशासन व्यय

4051. **श्री के० प्रधानी** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना के समय इनके प्रशासनिक व्यय का मूल ढांचा क्या था;

(ख) क्या सरकार का विचार जिला उद्योग केन्द्रों के प्रशासनिक व्यय में केन्द्रीय अंश में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हां, तो जिला उद्योग केन्द्रों के प्रशासनिक व्यय का कितना-कितना भाग केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जायेगा ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) एक जिला उद्योग केन्द्र की प्रशासनिक लागत की मूल पद्धति निम्न प्रकार है :—

(1) जिला उद्योग केन्द्र के कर्मचारियों के लिए कार्यालय स्थान हेतु एक भवन का निर्माण करने के लिए प्रति जिला उद्योग केन्द्र 2.00 लाख रुपये का अनावर्ती अनुदान।

(2) फर्नीचर और जुड़नारों (फिक्सचर्स) कार्यालय उपकरणों, वाहनों (डीजल चालित जीपों को अधिमान्यता), आदि पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए 3 लाख रुपये का अनावर्ती अनुदान।

(3) अनधिक 3.75 लाख रुपये का आवर्ती अनुदान बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा प्रति केन्द्र 1.25 लाख रुपये का ऐसा ही अंशदान किया जाए। जहां जिला उद्योग केन्द्र की

स्थापना में आवर्ती व्यय 5 लाख रुपये से कम है, वहां केन्द्र से मिलने वाले अंशदान को उसके 75 प्रतिशत तक सीमित कर दिया जाएगा।

(ख) और (ग) आवर्ती व्यवस्था सम्बन्धी व्यय के लिए केन्द्रीय सहायता की अधिकतम सीमा 1985-86 से बढ़ाकर 4.00 लाख रुपये प्रति जिला उद्योग केन्द्र तथा एक समय में अनावर्ती व्यवस्था सम्बन्धी व्यय वास्तविक कुल व्यय का 50 प्रतिशत (इनमें से जो भी कम हो) तक कर दिया गया है।

ब्रितानिया, इण्डस्ट्रीज लिमिटेड में विदेशी शेयर पूंजी पर नियन्त्रण

4052. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की एक बड़ी सिगरेट कम्पनी रेनोल्ड्स इन्टर नेशनल द्वारा अधिग्रहण कर लिए जाने के बाद ब्रितानिया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड में विदेशी शेयर पूंजी का प्रभावी नियन्त्रण पुनः बदल गया है;

(ख) यदि हां, तो ब्रितानिया इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के प्रबन्ध और इसकी रोजगार क्षमता और इसके विविधिकरण कार्यक्रमों और कलकत्ता में इसकी गतिविधियों पर इसका क्या तत्काल प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) क्या अमरीका की इस बड़ी सिगरेट कम्पनी को भारत में अपनी सिगरेट बेचने की अनुमति भी दी जाएगी यदि हां, तो किन शर्तों पर और किस कारण से और इस अमरीकी फर्म को कितनी धनराशि का प्रत्यावर्तन करने की अनुमति दी गई है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) मैसर्स एसोसिएटेड बिस्कुट इन्टरनेशनल लिमिटेड, ब्रिटेन की ब्रिटेनिया इन्डस्ट्रीज लिमिटेड में 38.15 अंश पूंजी है, यद्यपि विदेश में इस कम्पनी के स्वामित्व में परिवर्तन हो गए हैं, किन्तु जहां तक ब्रिटेनिया इन्डस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों का सम्बन्ध है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ख) उपर्युक्त (क) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए, इसका प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

इंडियन ड्रग्स एन्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, ऋषिकेश द्वारा मध्यवर्ती औषधों और अर्द्ध निर्मित औषधों की बिक्री

4053. **श्री एन० डेनिस** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, ऋषिकेश ने औषध उद्योग को बहुत-सी मध्यवर्ती औषध और अर्द्ध निर्मित औषध बेची हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान बेची गई औषधों के नाम, बेची गई मात्रा, विक्रय मूल्य तथा अन्य ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सिविल सेवा में टेरिटोरियल आर्मी अरबन यूनिट सर्विस को महत्त्व देना

4054. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिविल सेवा में टेरिटोरियल आर्मी अरबन यूनिट सर्विस के व्यक्तियों को महत्त्व दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दिए जाने वाले महत्त्व का स्वरूप क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) सरकार के जो सिविलियन कर्मचारी प्रादेशिक सेना की शहरी यूनिटों में भरती होते हैं उन्हें अपने वेतन और भत्तों, पदोन्नति और वरिष्ठता के संरक्षण का हक होता है। प्रादेशिक सेना में उनकी सेवा की अवधि को वेतन वृद्धि, पेंशन और छुट्टियों के लिए जोड़ा जाता है।

प्रादेशिक सेना के वे कार्मिक जो सिविलियन सरकारी कर्मचारी नहीं हैं और जिन्होंने प्रादेशिक सेना की यूनिटों के स्थायी स्टाफ में सेवा की है या जो कम-से-कम छ: महीनों की नियमित अवधि के लिए प्रादेशिक सेना नियमावली के नियम 33 के अन्तर्गत अंगीभूत किए गए हैं वे रोजगार केन्द्रों द्वारा भरे जाने वाले सिविल पदों के लिए आयुसीमा में छूट के हकदार हैं। आयु में छूट, प्रादेशिक सेना में की गई अंगीभूत सेवा-अवधि (खण्डित अवधि सहित) तथा तीन वर्ष की और अवधि की छूट दी जाती है।

नागालैंड प्रतिबंधित क्षेत्रों से संबंधित मानचित्रों का प्रकाशन

4055. **श्री पी० नामग्याल** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी स्वैच्छिक एजेंसी द्वारा नागालैंड के प्रतिबंधित क्षेत्रों से संबंधित मानचित्रों का प्रकाश किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस संगठन का नाम क्या है और इसमें कौन से पदाधिकारी शामिल हैं; और

(ग) क्या रक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमति प्राप्त की गई थी ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) कुदाल जांच आयोग ने स्वैच्छिक एजेन्सियों द्वारा नागालैण्ड के कुछ ऐसे क्षेत्रों, जो कि मानचित्र प्रतिबन्ध नीति के अन्तर्गत "प्रतिबंधित" श्रेणी में आते हैं, के मानचित्र प्रकाशित किए जाने की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है।

(ख) मानचित्रों के प्रकाशन करने वाली स्वैच्छिक एजेन्सियों और उनके पदाधिकारियों के नाम इस प्रकार हैं : —

(1) **ग्रामीण विकास से संबंधित स्वैच्छिक एजेन्सियों की एसोसिएशन**

अध्यक्ष	—	श्री के० एस० राधाकृष्ण
उपाध्यक्ष तथा महासचिव	—	श्री ए० सी० सेन
कोषाध्यक्ष	—	श्री गोपी कृष्ण

(2) **नागालैण्ड शान्ति केन्द्र**

अध्यक्ष	—	श्री एल० लूंगालैंग

(3) **नागालैण्ड गांधी आश्रम**

सचिव	—	श्री नटवर ठक्कर

(ग) इस बात का कोई रिकार्ड नहीं है कि इन मानचित्रों को प्रकाशित करने से पहले रक्षा मंत्रालय की अनुमति ली गयी थी।

एक्स सर्विसेज लीग, बीकानेर से अभ्यावेदन

4056. **श्री सोडे रामैय्या** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान स्टेट एक्स सर्विसेज लीग, बीकानेर से 1 जुलाई, 1985 को कोई अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि उस सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया गया है तो वह क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

बंगाल पेपर मिल्स और पिलकिंगटन ग्लास वर्क्स को पुन: खोलने का उपाय

4057. **श्री पीयूष तिरकी :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

बंगाल पेपर मिल्स और हिन्दुस्तान पिलकिंगटन ग्लास वर्क्स को पुन: खोलने के लिए क्या उपाय किये गये हैं जिनके बन्द होने के कारण लाखों लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है तथा करोड़ों रुपये की राष्ट्रीय आय का नुकसान हो रहा है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खाँ) : 1. **बंगाल पेपर मिल्स :** मिल के प्रवर्तक इसे किसी अन्य स्वस्थ कम्पनी में समामेलित करने के लिए सैद्धांतिक रूप में सहमत हो गए हैं। समामेलन हेतु एक योजना वित्तीय संस्थानों को विचार करने के लिये भेज दी गई है।

2. **हिन्दुस्तान पिलकिंगटन ग्लास वर्क्स :** वित्तीय संस्थान किसी ऐसे उपयुक्त उद्यमी को खोजने के प्रयास कर रहे हैं जो एकक को पुनरूज्जीवित करने की स्थिति में हो।

हिंदुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन के हल्दिया एकक को सक्षम बनाना

4058. **श्री सत्यगोपाल मिश्र**
श्री हन्नान मोल्लाह
श्री बिमल कांति घोष
श्री रेणुपद दास
: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन के हल्दिया एकक के नवीकरण के लिये आवश्यक धनराशि में कटौती की है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इससे संयंत्र समय पर चालू करने में बाधा नहीं पड़ेगी; और

(घ) सरकार ने उसे शीघ्र चालू करने हेतु इस यूनिट के लिए अपेक्षित धनराशि आबंटित करने के लिये क्या कदम उठाए हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (घ) हल्दिया उर्वरक परियोजना को चालू करने और संबंधित आवश्यक मरम्मतों और परिवर्धनों के लिए सरकार ने वांछित निधि की मंजूरी दे दी है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में तालचेर उर्वरक संयंत्र का घाटे पर चलाना

4059. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में तालचेर उर्वरक संयंत्र की उर्वरक उत्पादन का वार्षिक क्षमता कितनी है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान तालचेर उर्वरक संयंत्र में वर्ष-वार कितना उत्पादन हुआ ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) संयंत्र की वार्षिक स्थापित क्षमता 4.95 लाख मी० टन यूरिया है और प्राप्य क्षमता 3.30 लाख मी० टन यूरिया है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उत्पादन निम्न प्रकार था :--

वर्ष	उत्पादन
1982-83	44,701 मी०टन
1983-84	81,050 मी०टन
1984-85	1,19,758 मी०टन

बेनसिरिया डाकघर का दर्जा बढ़ाया जाना

4060. **श्री अनादि चरण दास** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बेंनसिरिया डाकघर (पिन-755021) सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र और बचत बेंक सुविधाओं सहित उप-डाकघर बनाए जाने के उपयुक्त हो गया है परन्तु साजिश करके उसे विभागेतर एजेंट प्रणाली के अन्तर्गत ही चलाया जा रहा है;

(ख) भारी बचत बैंक लेनदेन तथा विशाल क्षेत्र की आने-जाने वाली डाक के बावजूद इसका दर्जा बढ़ा कर उसे उप-डाकघर न बनाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि डाकघर टूटे-फूटे मकान में निरन्तर चल रहा है, पहले ही चुने जा चुके स्थानों पर इसे स्थानान्तरित करने के प्रस्ताव को कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है, क्योंकि स्थानान्तरण का अर्थ होगा दर्जा बढ़ाया जाना और विभागेतर प्रणाली को समाप्त किया जाना; और

(घ) डाकघर का उपयुक्त स्तर तक दर्जा बढ़ाने, उपयुक्त स्थान पर इसे स्थानान्तरित करने

और इसका दर्जा बढ़ाने के समय विभागेतर एजेंटों की सेवाओं को संरक्षण देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ग) जी नहीं।

(ख) और (घ) इसका विभागीय उप-डाकघर में दर्जा बढ़ाने का अब औचित्य पाया गया है। मितव्ययिता के लिए नए पदों के सृजन पर लगी पाबन्दी के हटाए जाने के बाद तथा क्षेत्र में उपयुक्त स्थान मिल जाने पर इसका दर्जा बढ़ा दिया जाएगा। अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की सेवाओं की सुरक्षा के लिए सर्किल अध्यक्ष द्वारा उन्हें कोई अन्य रोजगार देने के मामले पर विचार किया जाएगा।

हिन्दुस्तान पिलकिंगटन ग्लास वर्क्स लिमिटेड का प्रबन्ध अधिग्रहण/राष्ट्रीयकरण

4061. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक और अन्य बैंक हिन्दुस्तान पिलकिंगटन ग्लास वर्क्स लिमिटेड (एच०पी०जी०) के प्रबंध मंडल में किसी गैर-निजी क्षेत्र के उद्योगपति के प्रवेश के विरुद्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) हिन्दुस्तान पिलकिंगटन ग्लास वर्क्स के प्रबन्ध अधिग्रहण अथवा राष्ट्रीयकरण के प्रस्तावों पर सरकार का क्या विचार है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) हिन्दुस्तान पिलकिंगटन ग्लास वर्क्स लिमिटेड, आसनसोल के उपक्रम का प्रबन्ध उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के अधीन अभिग्रहण करने अथवा एकक को राष्ट्रीयकृत करने का केन्द्र सरकार का विचार नहीं है।

विदेशी फर्मों के साथ सहयोग कार्यक्रम

4062. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "केरल मिनरल्स एण्ड मैटल्स" जो सामान्यतः "टीटानियम काम्पलेक्स" के नाम मे जाना जाता है, के पास विदेशी फर्मों के साथ सहयोग के तीन कार्यक्रम हैं;

(ख) यदि हां, तो इन फर्मों के क्या नाम हैं और ये फर्में किस उद्देश्य हेतु सहयोग कर रही हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि जहां केरल मिनरल्स एण्ड मैटल्स का कारखाना स्थित है वहां रेडियो-धर्मी खनिज बहुतायत में हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की है कि इस क्षेत्र के रेडियो-धर्मी धातुओं के ब्यौरे का पता किसी को न लगे ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार हैं :—

क्र० सं०	विदेशी सहयोगकर्ता का नाम	प्रयोजन
1.	मै० बेनिलाइट कार्पोरेशन आफ अमरीका, यू०एस०ए०	सिन्थेटिक स्टाइल जैसी मदों के निर्माण के लिये
2.	मै० बूडाल डवखाम लि०, यू०के०	होइड्रोक्लोरिक एसिड की रिसाईक्लिग के लिये
3.	मै० केर-मेकजी कैमिकल्स कार्पोरेशन यू०एस०ए०	टिटानियम डायोक्साइड पिग-मैंट्स के निर्माण के लिये ।

(ग) और (घ) मै० केरल मिनरल्स एण्ड मैटल्स लि० (केरल सरकार का उपक्रम) द्वारा निर्मित रेडियो एक्टिक मिनरल की थोड़ी-थोड़ी मात्राएं अन्य परिष्करण के लिये इंडियन रेअर अर्थ्स लि० (केन्द्रीय सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग का उपक्रम) के रेअर अर्थ्स डिवीजन को स्थानान्तरित की जाती है। यह सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त सावधानी बरती जाती है कि इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण ब्यौरा अनाधिकृत व्यक्तियों को पता न लगे ।

प्राथमिकता प्रणाली के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शन

4063. **डा० जी० विजयरामा राव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को यह जानकारी है कि चिकित्सा व्यवसाय करने वालों को प्राथमिकता प्रणाली के अन्तर्गत टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और यदि हो, तो क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : डाक्टरों को टेलीफोन कनेक्शन

की मांग कुछ अन्य श्रेणी के आवेदकों के साथ "गैर-ओवाईटी" श्रेणी में दर्ज की जाती है। एक्सचेंज क्षमता उपलब्ध हो जाने पर 20 प्रतिशत नए कनेक्शन इस श्रेणी में दर्ज आवेदकों को ही दिए जाते हैं।

देश में टेलीफोन प्रणाली

4064. **श्री चिन्त मोहन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवाणी कार्यक्रम मे प्रयोक्ताओं की शिकायतें उठाई गई थीं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई;

(ख) क्या अनेक प्रयोक्ता अथवा संगठन प्रयोक्ता स्वयं इस प्रकार की शिकायतें उठाते रहे हैं और यदि हां, तो प्राप्त अभ्यावेदनों/ज्ञापनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) ये शिकायतें कब प्राप्त हुईं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है तथा यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार भूमिगत केबलों का प्रयोग तत्काल बन्द करेगी तथा भूमि के ऊपर केबलों का इस्तेमाल फिर करने लगेगी क्योंकि टेलीफोन खराब हो जाने का यह सबसे मुख्य कारण है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। जनवाणी कार्यक्रम के दौरान प्राप्त हुई कुछ शिकायतें संबंधित अधिकारियों को जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए भेजी गई हैं क्योंकि जनवाणी कार्यक्रम उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए ही शुरू किया गया है और यह व्यक्तिगत शिकायतों को दूर करने का माध्यम नहीं है।

(ख) और (ग) जी हां। टेलीफोन प्रयोक्ताओं द्वारा स्थापित विभिन्न एसोसिएशनों से भी शिकायतें और प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं और ऐसी शिकायतों की भी जांच की जाती है और तत्सम्बन्धी उपचारी कार्रवाई की जाती है। विभिन्न स्तरों पर गठित टेलीफोन सलाहकार समितियां विभिन्न क्षेत्रों के टेलीफोन प्रयोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। इन समितियों की बैठकें समय-समय पर होती हैं और उनमें उपभोक्ताओं की कठिनाइयों पर चर्चा की जाती है।

(घ) जी नहीं। ऊपरी केबिल का इस्तेमाल इतना अधिक हो जाएगा कि वे रोड परियात में व्यवधान पहुंचायेंगी तथा उनके लगातार चोरी हो जाने की भी सम्भावना रहेगी। इससे सेवा गंभीर रूप से अस्त-व्यस्त हो जाएगी।

कीमत नियन्त्रण सूची में आवश्यक औषधियों को सम्मिलित करना

4065. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आवश्यक औषधियों जैसें कियोपेन्टोन सोडियम, बरालगन केटोन,

एनलजिन, डेम्सट्रोप्रो-पोम्सीफीन फेन्डोजोकासीन, टेट्रानिसोल, पायरामटेल, इन्टेस्टोफीन टीनाडाजोल आदि वीयामाइसीन तथा बहुत-सी अन्य जीवन रक्षक औषधियों को कीमत नियंत्रण सूची में सम्मिलित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके आधार क्या हैं;

(ग) क्या इस प्रकार के निर्णय के प्रभाव का अध्ययन किया गया था, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्तमान कीमत नियंत्रण क्षेत्राधीन प्रत्येक चिकित्सीय ग्रुप की वार्षिक बिक्री का ब्यौरा क्या है और कीमत नियन्त्रण के लिए सिफारिश की गई प्रत्येक वस्तु की प्रतिशतता कितनी है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) चिकित्सा विशेषज्ञों ने जो राष्ट्रीय औषध और भेषज विकास परिषद की संचालन समिति के सदस्य थे, अनिवार्य सूची में औषधों को शामिल करने के लिए यूनाइडो द्वारा अपनाये गये मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए और विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा हाथी समिति की सूचियों का प्रयोग करते हुए बैठक करके 95 औषधों की एक अग्रता सूची तैयार की। अधिकांश जनता द्वारा बहुत सामान्य बीमारियों के लिये ज्ञात और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिये अपेक्षित दवाइयां अग्रता सूची में शामिल हैं।

(घ) इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन नहीं किया गया है। तथापि इस समय 70 प्रतिशत से अधिक मूल्य के औषधों और भेषजों पर मूल्य नियंत्रित हैं।

जीवन रक्षक औषधियों का निर्माण

4066. **श्री अमर सिंह राठवा**
श्री चिन्तामणि जेना
} क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश जीवन रक्षक औषधियों का आयात किया जा रहा है और उन्हें भारत पहुंचने में काफी समय लगता है;

(ख) यदि हां, तो इन औषधियों के आयात पर प्रति वर्ष कुल कितनी धनराशि खर्च की जाती है; और

(ग) विदेशी मुद्रा की बचत करने और उक्त औषधियों को आसानी से उपलब्ध कराने के प्रयोजन से देश में ही उनका निर्माण करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) फार्मूलेशनों के निर्माण में देश लगभग आत्म-निर्भरता प्राप्त कर चुका है क्योंकि देश में प्रयुक्त

फार्मूलेशनों के कुल मूल्य के लगभग 8.15 प्रतिशत का ही आयात किया जा रहा है। सामान्यतः केवल उन ऐसी औषधों का ही आयात किया जाता है जिनका देश में उत्पादन नहीं किया जाता अथवा जिनका उत्पादन देश की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिये पर्याप्त नहीं है। ये आयात समुद्र अथवा वायु मार्ग के माध्यम से किये जाते हैं।

(ख) गत कुछ वर्षों के दौरान आयात किये गये तैयार फार्मूलेशनों का मूल्य निम्न प्रकार है :—

वर्ष	(रु० करोड़ों में) मूल्य
1981-82	1.93
1982-83	5.41
1983-84	3.43

(ग) औद्योगिक अनुमोदन और विदेशी सहयोगों की अनुमति गुण-दोष के आधार पर दी जाती है।

तमिलनाडु में कावेरी बेसिन में तेल के लिये ड्रिलिंग

4067. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी :** क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में कावेरी बेसिन में तेल के लिए ड्रिलिंग आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1985-86 और सातवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों में क्या-क्या कार्यक्रम आरम्भ किये जायेंगे; और

(ग) परियोजना की अनुमानित लागत क्या है और उनके मन्त्रालय ने निर्धारित अवधि में ड्रिलिंग पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) कावेरी बेसिन में पहले से ही व्यधन कार्य किया जा रहा है।

(ख) और (ग) वर्ष 1985-86 के दौरान, तटीय क्षेत्र में 3 तथा अपतटीय क्षेत्र में 2 कुएं खोदने की योजना है और इस कार्य के लिए 42.71 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। सातवीं योजना की शेष अवधि में कार्यान्वित किये जाने वाले कार्यक्रम के ब्यौरे का पता योजना को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद चल सकेगा।

[हिन्दी]

कलकत्ता के मैदान क्षेत्र में खेल क्लबों और संगठनों को पट्टेदारी के आधार पर चलाना

4068. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता मैदान (ब्रिगेड परेड ग्राउंड) और उसमें लगा हुआ ईडनगार्डन ग्राउंड, (मोहनबागान, ईस्ट बंगाल मोहम्मडन स्पोर्टिंग ग्राउंड की भूमि) रक्षा विभाग की सम्पत्ति है;

(ख) यदि हां, तो रक्षा विभाग की अनुमति से मैदानी क्षेत्र में पट्टेदारी के आधार पर अस्थायी निर्माण और टेन्टों में कितने खेल क्लब और संगठन चल रहे हैं;

(ग) पट्टेदारी की सामान्य शर्तें और अन्य औपचारिकतायें क्या हैं; और

(घ) उनमें से वास्तव में कितनी यूनिटें खेल-कूद की गतिविधियों में लगी हुई हैं और कितनी नहीं लगीं हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) "कलकत्ता मैदान" रक्षा मंत्रालय की सम्पत्ति है। फिर भी "ब्ल्यू जोन क्षेत्र" का नियंत्रण कतिपय शर्तों पर स्थानीय सरकार को दे दिया गया है। इस ब्ल्यू जोन क्षेत्र में 69 क्लब/संगठन विद्यमान हैं।

(ग) और (घ) मैदान का प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकार के पास है इसलिए इस सूचना का पता राज्य सरकार से चलेगा और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

[अनुवाद]

आर्डनेंस फैक्ट्रियों की उत्पादन क्षमता

4069. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी आर्डनेंस फैक्ट्रियों की उत्पादन क्षमता तथा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक फैक्ट्री के वास्तविक उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक फैक्ट्री में कितनी मदों का उत्पादन होता है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कुछ महत्वपूर्ण मदों के उत्पादन में कमी आई थी, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) इन फैक्ट्रियों में गत तीन वर्षों के दौरान चोरी के कितने मामले सरकार के ध्यान में आये हैं; और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) सुरक्षा को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : विभिन्न आयुध निर्माणियों में उत्पादन क्षमता के ब्यौरे देना जनहित में नहीं है। फिर भी, पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए उत्पादन का कुल मूल्य निम्नलिखित हैं :—

(i)	1982-83	—	869.65 करोड़ रुपये
(ii)	1983-84	—	1017.36 करोड़ रुपये
(iii)	1984-85	—	1180.00 करोड़ रुपये

(ख) और (ग) आयुध निर्माणियां भारी मात्रा में टैंकों, वाहनों, विस्फोटक पदार्थों, हथियारों और कपड़े की मदों सहित व्यापक श्रेणी के अत्याधुनिक सामान का उत्पादन कर रही हैं। अति महत्वपूर्ण मदों का उत्पादन कुल मिलाकर संतोषजनक था और उत्पादन उस लक्ष्य तक पहुंच गया है जिसको प्राप्त किया जाना था।

(घ) 1983 से चोरी और नुकसान के 7 मामले सरकार के ध्यान में आए हैं।

(ङ) आयुध निर्माणियों के तीन कर्मचारियों को निलम्बित कर दिया गया है। एक कर्मचारी भाग गया है। एक बाहरी व्यक्ति को भी पकड़ा गया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।

निर्माणियों की चार-दीवारी और उनके प्रवेश द्वारों पर औद्योगिक कर्मचारियों और अन्य स्टाफ की सुरक्षा-जांच सख्त कर दी गई है। निर्माणी के अन्दर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। निर्माणी के बाहर जाने वाले वाहनों की तलाशी ली जाती है। कर्मचारियों की गतिविधियों पर भी सतर्कता सैल सूचना एकत्रित करते हैं और असामाजिक तत्वों के सम्बन्ध में सिविल प्रशासन से सम्पर्क बनाए रखा जाता है तथा स्थानीय पुलिस के माध्यम से चोरी के मामलों का मुस्तैदी से पता लगाया जाता है।

न्याय प्रणाली में सुधार के सुझाव

4070. **डा० ए० के० पटेल**
श्री सी० जंगा रेड्डी
: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 2 जुलाई, 1985 के "नवभारत टाइम्स" में न्याय प्रणाली में सुधार के बारे में प्रकाशित सुझावों की ओर ध्यान दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इन सुझावों का ब्यौरा क्या है और इन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सरकार ने इन पर क्या कार्रवाई की है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी हां।

(ख) सुझाव निम्नलिखित विषयों के सम्बन्ध में सुधार करने के लिए हैं :—

(i) सम्मनों के समय से तामील किए जाने में असमर्थता।

(ii) पर्याप्त कारणों के बिना मुकदमे करना।

(iii) अंतर्वर्ती अर्जियों में क्यादेश मंजूर करना।

(iv) निर्णयों के पश्चात् बहुत सी अपीलें फाइल करने की अनुज्ञा देना।

(v) काउंसेल अपनी फीस उपसंजात होने के आधार पर पाते हैं। इसलिए उनकी रुचि बार-बार स्थान प्राप्त करने में होती है।

(vi) पर्याप्त संख्या में न्यायाधीश न होना।

उपर्युक्त सुझाव सरकार के पहले से ही विचाराधीन हैं। सरकार न्यायिक सुधार सम्बन्धी एक आयोग का गठन करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है। ऐसे आयोग के विचारार्थ विषय व्यापक होंगे।

उड़ीसा के गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

4071. **श्री अनंत प्रसाद सेठी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में कितने गांवों को वर्ष 1983-84 के दौरान टेलीफोनों से जोड़ा गया; और

(ख) उन गांवों की जिलेवार संख्या कितनी है जहां 1985-86 के दौरान सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित किए जाने हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) वर्ष 1983-84 के दौरान उड़ीसा के 55 गांवों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन लगाए गए।

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान धन और सामग्री की उपलब्धता के अध्याधीन जिन गांवों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन लगाए जाने की सम्भावना है उनकी जिलेवार संख्या इस प्रकार है :—

जिले का नाम	संख्या
1	2
बालासोर	10
बोलंगीर	10

1	2
ढेंकानाल	10
गंजम	10
कालाहांडी	10
क्योंझर	10
मयूरभंज	10
फूलबनी	10
सम्बलपुर	10
सुन्दरगढ़	10
कोरापुट और पुरी	15
कटक	20
कुल :	135

नई आटोमोबाइल नीति

4072. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई आटोमोबाइल नीति का सरकारी क्षेत्र के आटोमोबाइल उपक्रमों पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ख) क्या आटोमोबाइल नीति का कोई ऐसा भी पहलू है जिससे इस क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र के एकाधिकार को बढ़ावा मिलने की संभावना है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) सरकारी क्षेत्र की कार निर्माण कम्पनी देश के आटोमोबाइल उद्योग के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तथापि सरकारी क्षेत्र के दुपहिया वाहन निर्माता आर्थिक सक्षमता प्राप्त करने के लिए अपने मिश्र उत्पाद का पुनर्निर्माण कर रहे हैं।

(ख) नहीं श्रीमान् ।

आटो-एन्सीलरी क्षेत्र का उत्पादन लक्ष्य

4073. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आटो-एन्सीलरी क्षेत्रों को उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो आटो-एन्सीलरी क्षेत्र के उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सातवीं योजना में कुल कितना पूंजी निवेश किया जाना है; और

(ग) सातवीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य का ब्यौरा क्या है और इस योजनावधि में उत्पादन में वृद्धि हेतु कौन-कौन सी योजनाओं को उदार बनाया गया है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) अनुमान है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में मोटरगाड़ी सहायक क्षेत्र में उत्पादन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 1000 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी।

(ग) 1989-90 तक मोटरगाड़ी सहायक क्षेत्र का उत्पादन लक्ष्य 2500 करोड़ रुपये रखा गया है। इस उत्पादन लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण उपाय पहले ही कर लिए हैं। जैसे मोटरगाड़ी सहायक उद्योग को लाइसेंस मुक्त करना; विभिन्न मोटरगाड़ी सहायक वस्तुओं को व्यापक रूप देना, आधुनिकीकरण और नवीनतम प्रौद्योगिकी को प्रारम्भ करना। नवीनतम प्रौद्योगिकी से अच्छी किस्म के हिस्से पुर्जों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए मोटरगाड़ी सहायक क्षेत्र को कुछ वित्तीय रियायतें भी दी गई हैं।

केरल में माइक्रोवेव टेलीफोन

4074. **प्रो० पी० जे० कुरियन :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूचना और प्रसारण मन्त्रालय ने अनुरोध किया है कि केरल में माइक्रोवेव टेलीफोन उसे उपलब्ध किया जाए ताकि त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन के मलयालम कार्यक्रम कोचीन के दूरदर्शन केन्द्र से रिले किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) दूरसंचार विभाग को त्रिवेन्द्रम और कोचीन के बीच एक टी० वी० वेअरर चैनल प्रदान करने के लिए सूचना एवं प्रसारण

मन्त्रालय से अनुरोध प्राप्त हुआ है तथापि, विभाग को इस बात की जानकारी नहीं है कि उक्त स्टेशन से किस किस्म का कार्यक्रम प्रसारित किया जाना है।

(ख) इलेक्ट्रानिक विभाग से अनुरोध किया जा रहा है कि वह टी० वी० चैनल के लिए अपेक्षित अतिरिक्त रेडियो उपस्कर का आयात करने की अनुमति दे।

इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड में भ्रष्टाचार

4075. **श्री मुरली धर माने** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड में व्याप्त भ्रष्टाचार के कुछ मामले सरकार की जानकारी में आए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त मामले की पूरी जांच करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड के कुछ अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सी० बी० आई० द्वारा की जा रही है और एक मामला न्यायाधीन हैं। इस समय इन मामलों का विस्तृत ब्यौरा देना जनहित में नहीं होगा।

न्यायालय भवनों और न्यायिक अधिकारियों के लिए आवास गृहों के निर्माण के लिए धन उपलब्ध कराने की शर्तें

4076. **श्री अमल दत्त** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार न्यायालय भवनों और न्यायिक अधिकारियों के लिए आवास गृहों के निर्माण के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की सहायता के आबंटनों की क्या शर्त है;

(ग) क्या इस प्रकार की शिकायतें हैं कि केन्द्र सरकार द्वारा लगाई गई शर्तों के कारण राज्य सरकारों के लिए आबंटित धन का उपयोग कर सकना, अब संभव नहीं रह गया है;

(घ) क्या राज्य सरकारों ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान भवन निर्माण सामग्री के मूल्यों में तेजी से हुई वृद्धि के कारण उपर्युक्त शर्तों को पूरा करने में अपनी असमर्थता केन्द्रीय सरकार को सूचित की है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार नियमों और शर्तों में इस प्रकार संशोधन

करने का है कि राज्य सरकारें न्यायालय भवनों और न्यायिक अधिकारियों के लिए आवास गृहों के निर्माण के लिए धन का पूरी तरह उपयोग कर सकें ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एल० आर० भारद्वाज) : (क) से (ङ) आठवें वित्त आयोग ने न्याय-प्रशासन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए अपनी स्कीम के भाग रूप में राज्यों को, न्यायालय-भवनों और न्यायिक अधिकारियों के लिए आवास-गृहों के निर्माण के लिए 1984-89 के दौरान राज्यों को सहायता अनुदान देने की सिफारिश की है। आयोग ने प्रत्येक राज्य के लिए वित्तीय परिव्यय और कार्य-सम्पादन लक्ष्य भी बताए हैं। 1985-1989 के दौरान वित्त आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के सरकार के विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए वित्तीय परिव्यय और कार्य-सम्पादन लक्ष्यों का समायोजन किया गया है और वे राज्य सरकारों को सूचित कर दिए गए हैं। कीमतों में वृद्धि और प्रशासन के प्रोन्नयन के लिए केन्द्र में गठित अन्तर मन्त्रालय शक्ति प्राप्त समिति द्वारा कार्य-सम्पादन मानों में परिवर्तन किए जाने जैसे तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, कार्य-सम्पादन लक्ष्यों में परिवर्तन करने के लिए भी उपलब्ध किया गया है। वित्त आयोग द्वारा सिफारिश किए गए कार्य-सम्पादन लक्ष्यों की, उसके द्वारा आबंटित रकम से ही पूर्ति करने के लिए कोई शर्तें नहीं रखी गई हैं।

इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड द्वारा आरक्षण नियमों का उल्लंघन

4077. **श्री राम भगत पासवान** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डो बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी किए गए आरक्षण नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि इण्डो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली में वरीयता सूची तैयार नहीं की जाती है और उसको कर्मचारियों को परिचालित नहीं किया जाता है और वरीयता सूची तैयार करते समय 40 प्वाइंट रोस्टर नहीं रखा जाता है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इण्डो बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी, नई दिल्ली में "बी" और उससे ऊपर के ग्रेडों में अनुसूचित जाति/जनजाति का कोई भी अधिकारी नहीं है और इस कम्पनी में पदोन्नतियोंमें भी कोई आरक्षण नहीं है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) आई० बी० पी० कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली के पास वरीयता पर आधारित रिकार्ड हैं। प्रचलित पद्धति के अनुसार वरीयता सूचियां कर्मचारियों को नहीं दी जाती हैं। 40 प्वाइंट रोस्टर रखा जा रहा है।

(ग) आई० बी० पी० कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली में ग्रेड बी० और इससे ऊपर के ग्रेड में

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कोई भी अधिकारी नहीं है। तथापि, पदोन्नति में आरक्षण नियमों का अनुपालन किया जा रहा है।

हसन जिले (कर्नाटक) में चन्नारायापटन में रसोई गैस की डिस्ट्रीब्युटरशिप खोलना

4078. **डा० बी० वेंकटेश** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हसन जिले (कर्नाटक) में चन्नारायापटन के लोग वहां इंडियन आयल कारपोरेशन की रसोई गैस की कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप न होने के कारण अपने सिलेण्डरों के लिए दोबारा भरे हुए सिलेण्डर लेने में अत्यन्त कठिनाई का सामना कर रहे हैं और उन्हें इसके लिए वहां से 45 किलोमीटर दूर हसन जाना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इंडियन आयल कारपोरेशन का विचार शीघ्र ही इस स्थान पर कोई रसोई गैस की डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रारम्भ करने की है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) चन्नारायापटन की जनसंख्या 1981 की जनगणना के अनुसार 16,300 है इस तथ्य को देखते हुए एल० पी० जी० वितरणशिप दिया जाना आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं होगा। इसलिए इस स्थान पर वितरणशिप खोलने का तेल उद्योग का कोई प्रस्ताव नहीं है।

वाशिंग शोप, टायलट सोप, टूथ पेस्ट्स आदि का उत्पादन

4079. **श्री मोती लाल सिंह** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टायलट और वाशिंग सोप, टूथ पेस्ट्स का उत्पादन करने वाली कम्पनियों की संख्या और नाम क्या है और उनका अपने उत्पादों के मूल्य निर्धारित करने का क्या मानदण्ड है ;

(ख) क्या यह सच है कि साबुन तथा डिटरजेंट्स का उत्पादन करने में कुछ विशेष कम्पनियों का एकाधिकार है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस एकाधिकार को समाप्त करने के लिए कदम उठाने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) संगठित क्षेत्र में टायलट, वाशिंग सोप और टूथ पेस्ट का उत्पादन करने वाली और लघु क्षेत्र में टूथ पेस्ट का उत्पादन करने वाली कम्पनियों के नाम दर्शाने वाला विवरण संलग्न

है। लघु क्षेत्र में करीब 5000 इकाइयां वाशिंग सोप का उत्पादन कर रही हैं।

साबुन और टूथ पेस्ट के मूल्यों पर इस समय सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।

(ख) मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, जो देश में टायलट सोप के कुल उत्पादन का 65% तक उत्पादन करती है, का टायलट सोप के उत्पादन के क्षेत्र में प्रभुत्व है। परन्तु डिटरजेंट्स या वाशिंग सोप का उत्पादन करने में किसी एक कम्पनी का प्रभुत्व नहीं है।

(ग) वाशिंग सोप का उत्पादन लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित है। चूंकि टायलट सोप परिशिष्ट एक मे शामिल नहीं है, अतः एम० आर० टी० पी०/फेरा इकाइयों को नई क्षमता स्थापित करने की अनुमति नहीं है जब तक कि वे भारी मात्रा में निर्यात के दायित्व को पूरा न करें। गैर एम० आर० टी० पी०/फेरा कम्पनियों द्वारा नई क्षमताओं की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए टायलट सोप उद्योग के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।

सिंथेटिक डिटरजेंट परिशिष्ट एक में शामिल मद है, जिसके लिए एम० आर० टी० पी०/फेरा कम्पनियों को लाइसेंस दिया जा सकता है, जब तक कि कोई विशेष एस० आर० टी० पी०/फेरा कम्पनी का सिंथेटिक डिटरजेंट का उत्पादन करने में प्रभुत्व न हो।

विवरण

संगठित क्षेत्रों में टायलट साबुन बनाने वाली कम्पनी के नाम :

क्रम संख्या	कम्पनियों के नाम
1	2
1.	मैसर्स एशिआटिक सोप्स, कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल)
2.	मैसर्स बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल, वर्क्स कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)
3.	मैसर्स कलकत्ता केमिकल कम्पनी, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)।
4.	मैसर्स कुसुम प्रोडक्ट्स, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)।
5.	मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)।
6.	मैसर्स टाटा आयल मिल्स कम्पनी, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)।
7.	मैसर्स बम्बई सोप्स फैक्ट्री, बम्बई (महाराष्ट्र)।
8.	मैसर्स गोदरेज सोप्स, बम्बई (महाराष्ट्र)।

1	2

9. मैसर्स विपरो प्रोडक्ट्स बम्बई (महाराष्ट्र)।
10. मैसर्स स्वास्तिक हाऊसहोल्ड्स एण्ड इंडस्ट्रीयल प्रोडक्ट्स, बम्बई, (महाराष्ट्र)।
11. मैसर्स टाटा आयल मिल्स कम्पनी, बम्बई (महाराष्ट्र)।
12. मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, बम्बई (महाराष्ट्र)।
13. मैसर्स बोम्बे एक्सट्रेक्शन, बम्बई (महाराष्ट्र)।
14. मैसर्स सनराइज सोप्स्, सुरेन्द्रनगर (गुजरात)।
15. मैसर्स टाटा आयल मिल्स कम्पनी, मद्रास (तमिलनाडु)।
16. मैसर्स मैट्टूर केमिकल एण्ड इंडस्ट्रीयल कारपोरेशन लिमिटेड, सेलम (तमिलनाडु)।
17. मैसर्म टाटा आयल मिल्स कम्पनी, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)।
18. मसर्स केरल सोप्स एण्ड आयल्स, गांधी रोड, कालीकट।
19. मैसर्स टाटा आयल मिल्स कम्पनी, कोचीन।
20. मैसर्स टाटा आयल मिल्स कम्पनी, कालीकट।
21. मैसर्स कर्नाटक सोप्स एण्ड डिटरजेंट, बंगलौर।
22. मैसर्स स्टीपन केमिकल्स, राजपुर, पंजाब।
23. मैसर्स ओसवाल एग्रो मिल्स, लुधियाना, पंजाब।
24. मैसर्स मोनार्क आयल मिल्स, संगरूर, पंजाब।
25. मैसर्स जयलक्ष्मी आयल एण्ड केमिकल इंडस्ट्री, जोकीपरस, गुंटूर।

संगठित क्षेत्रों में वाशिंग सोप बनाने वाली कम्पनियों के नाम

1. मैसर्स एशियाटिक सोप लिमिटेड, कलकत्ता।
2. मैसर्स कलकत्ता केमिकल कम्पनी, कलकत्ता।
3. मैसर्स बंगाल केमिकल एण्ड फार्मेस्यूटिकल वर्क्स कलकत्ता।

1	2
	4. मैसर्स कुसुम प्रोडक्ट्स, कलकत्ता।
	5. मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, कलकत्ता।
	6. मैसर्स रसोई वनस्पति इंडस्ट्रीज, कलकत्ता।
	7. मैसर्स टाटा आयल मिल्स कम्पनी, कलकत्ता।
	8. मैसर्स स्वाइका आयल मिल्स कम्पनी, बम्बई।
	9. मैसर्स स्वाइका आयल मिल्स, कलकत्ता।
	10. मैसर्स जोन पैटरसन एण्ड कम्पनी, हावड़ा।
	11. मैसर्स वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, कलकत्ता।
	12. मैसर्स बोम्बे सोप फैक्ट्री, बम्बई।
	13. मैसर्स अकोला आयल इंडस्ट्रीज, अकोला (महाराष्ट्र)।
	14. मैसर्स गोदरेज सोप्स, बम्बई।
	15. मैसर्स इन्दू आयल्स एण्ड सोप्स कम्पनी, बम्बई।
	16. मैसर्स विपरो प्रोडक्ट्स, बम्बई।
	17. मैसर्स स्वास्तिक हाऊसहोल्ड्स एण्ड इंडस्ट्रीयल प्रोडक्ट्स, बम्बई (महाराष्ट्र)।
	18. मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, बम्बई।
	19. मैसर्स मानसिंह इंडस्ट्रीज, पछौरा, महाराष्ट्र।
	20. मैसर्स अश्विन इंडस्ट्रीज, बड़ौदा (गुजरात)।
	21. मैसर्स मौरवी वैजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, मौरवी (गुजरात)।
	22. मैसर्स मधुसूदन वैजिटेबल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, अहमदाबाद।
	23. मैसर्स टाटा आयल मिल्स कम्पनी लिमिटेड, मद्रास।
	24. मैसर्स मेट्टूर केमिकल एण्ड इंडस्ट्रीयल कारपोरेशन, सेलम, तमिलनाडु।
	25. मैसर्स मद्रास वनस्पति, मद्रास।

1	2
	26. मैसर्स अमृत वनस्पति कम्पनी लिमिटेड, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)।
	27. मैसर्स टाटा आयल मिल्स कम्पनी गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)।
	28. मैसर्स मोदी सोप वर्क्स, मोदीनगर (उत्तर प्रदेश)।
	29. मैसर्स गणेश फ्लोर मिल्स, कानपुर (उत्तर प्रदेश)।
	30. मैसर्स मालवा वनस्पति, इंदौर (मध्य प्रदेश)।
	31. मैसर्स श्रीराम फूड्स एन्ड फर्टिलाइजर्स, नई दिल्ली।
	32. मैसर्स गणेश फ्लोर मिल्स, नई दिल्ली।
	33. मैसर्स केरल सोप्स् एण्ठ आयल्स कालीकट, (केरल)।
	34. मैसर्स टाटा आयल मिल्स कम्पनी, टाटापुरम, कोचीन।
	35. मैसर्स टाटा आयल मिल्स कम्पनी, कालीकट (केरल)।
	36. मैसर्स रोहतास इंडस्ट्रीज, डालमिया नगर (बिहार)।
	37. मैसर्स बह्मप्पा तावाप्पवार, देवनगिरि (कर्नाटक)।
	38. मैसर्स रवि वेजिटेबल आयल, देवनगिरि (कर्नाटक)।
	39. मैसर्स कर्नाटक सोप्स एण्ड डिटरजेंटस् बंगलौर।
	40. मैसर्स मारगरीन एण्ड रिफाइन्ड आयल कम्पनी, बंगलौर।
	41. मैसर्स तुंगभद्रा इंडस्ट्रीज, कुरनूल, आन्ध्र प्रदेश।

संगठित क्षेत्रों में टूथपेस्ट बनाने वाली कम्पनियों के नाम :

1. मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, बम्बई।
2. मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, कलकत्ता।
3. मैसर्स कलकत्ता केमिकल कम्पनी, कलकत्ता।
4. मैसर्स जाफरी मैनर्स, बम्बई।
5. मैसर्स कोलगेट पामोलिव, बम्बई।

1	2
6.	मैसर्स एच० एम० एम० लिमिटेड, नाभा (पंजाब) ।
7.	मैसर्स हिन्दुस्तान शिबा गायगी, बम्बई ।
8.	मैसर्स जे० एल० मेरिसन, बंगलौर ।
9.	मैसर्स डुपहर इन्टरफान लिमिटेड, बम्बई ।
10.	मैसर्स टी० टी० के० फार्मेस्यूटिकल्स, मद्रास ।
11.	मैसर्स एलेम्बिक केमिकल वर्क्स, बडौदा (गुजरात) ।
12.	मैसर्स बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स, कलकत्ता ।

लघु क्षेत्र में उत्पादन की जाने वाली टूथपेस्ट की कम्पनियों के नाम

1. मैसर्स बलसारा हाइजीन प्रोडक्ट्स लिमिटेड, बम्बई ।
2. मैसर्स वीको लेबोरेटरीज, बम्बई ।
3. मैसर्स केमिक्लीन (इण्डिया) प्राइवेट, लिमिटेड, नई दिल्ली ।
4. मैसर्स वारेन फार्मेस्यूटिकल्स् (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई ।
5. मैसर्स डेन्टीफाइसिज, त्रिचूर ।
6. मैसर्स चन्द्रकला परफ्युमरी कम्पनी, दिल्ली ।
7. मैसर्स स्किन केयर प्रोडक्ट्स, इंदौर (मध्य प्रदेश) ।
8. मैसर्स जे० के०गिल्ड, बम्बई ।
9. मैसर्स विटरो फार्मा प्रोडक्ट्स लिमिटेड, बम्बई ।
10. मैसर्स नवीन उद्योग, अटूर, नासिक ।
11. मैसर्स ग्लोब कासमेटिक्स (रजि०) भारत, रोहतक (हरियाणा) ।

नई दूरसंचार प्रौद्योगिकी के लिए फाइबर ओप्टिक्स टेक्नीक का विकास

4080. श्री आशुतोष लाहा : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेन्ट्रल ग्लास एण्ड सेरामिक्स रिसर्च इन्स्टीट्यूट कलकत्ता, नई दूरसंचार पारेषण प्रौद्योगिकी के लिए फाइबर ओप्टिक्स टेक्नीक के विकास और उसको प्रचलित बनाने की प्रक्रिया में अन्तर्ग्रस्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस विषय में अब तक कितनी सफलता मिली है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) यदि सेन्ट्रल ग्लास एण्ड सिरेमिक रिसर्च इन्स्टीच्यूट, कलकत्ता ने सूचित किया है कि संस्थान फाइबर आप्टिक तकनीक का विकास करने के कार्य में संलग्न है। अल्प कालीन लाभ हेतु उपयोग के लिए मल्टीमोड श्रेणी के इन्डेक्स फाइबरों का उत्पादन पहले ही किया जा चुका है।

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रायबरेली द्वारा क्रासबार एक्सचेंजों का निर्माण

4081. **श्री धर्म वीर सिंह त्यागी : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, रायबरेली में उत्पादन लक्ष्यों को पूरा करने की दृष्टि से कर्मचारियों को जनवरी, 1985 से मार्च 1985 की अवधि के दौरान उनके वेतनों से दुगुने तक समयोपरि भत्ते का भुगतान किया गया है;

(ख) क्या क्रास-बार एक्सचेंजों का निर्माण करने वाले एकक ने वर्ष 1984-85 के उत्पादन लक्ष्यों को पूरा नहीं किया; और

(ग) चालू वर्ष के उत्पादन लक्ष्यों के संबंध में इस एकक की अब तक क्या प्रगति हुई है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं।

(ख) क्रासबार कारखाने ने वर्ष 1984-85 के दौरान 30,000 लाइनों के लक्ष्य की तुलना में 25,392 समतुल्य लाइनें बनाईं।

(ग) इस कारखाने ने अप्रैल से जुलाई, 1985 तक 4720 लाइनों का उत्पादन किया है।

निर्धनों को विधिक सहायता

4082. **श्री कृष्ण सिंह : क्या विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में निर्धनों को विधिक सहायता दी जाने के

संबंध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) क्या इस संबंध में एक सीमा तक एकरूपता लाने की दृष्टि से केन्द्रीय विधान बनाए जाने का विचार है; यदि हां, तो ऐसे विधान की रूपरेखा क्या होगी और वह संसद के समक्ष कब लाया जाएगा।

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : 13.8. 1985 तक राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड से जितने व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं, उनका उल्लेख संलग्न विवरण में किया गया है। यह विवरण सरकार द्वारा गठित विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति के पास उपलब्ध जानकारी पर आधारित है।

(ख) निर्धनों को विधिक सहायता संबंधी विषय पर व्यापक विधान का प्रारूप तैयार करने का कार्य समिति ने आरम्भ कर दिया है और प्रस्तावित विधान संबंधी ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
(समिति के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर)
(13.8.1985 को यथा विद्यमान)।

क्रम सं०	राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड का नाम	अवधि से	तक	लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या
1	1	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1981-82	30.9.1984	1.242
2.	बिहार	1980-81	1984-85	1,809
3.	गुजरात	1982	1983-84	2,859*
4.	कर्नाटक	1981	28.2.1985	8,966**
5.	मध्य प्रदेश	1976-77	14.8.1984	1,21,045
6.	उड़ीसा	1982	1984-85	31,084
7.	पंजाब	1981	जनवरी, 1985	3,402***
8.	राजस्थान	जुलाई, 1976	31.7.1983	1,590

1	2	3	4	5
9.	सिक्किम	जुलाई, 1983	जनवरी, 1985	68
10.	तमिलनाडु	जनवरी, 1983	जून, 1985	43,441
11.	उत्तर प्रदेश	1981	1984	9,230
12.	दिल्ली	सितम्बर, 1982	जुलाई, 1985	2,428
13.	उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति	नवम्बर, 1981	जुलाई, 1985	17,298
			योग :	2,44,462

आंध्र प्रदेश में उद्योगों को जारी किए गए आशय पत्र/लाइसेंस

4083. **श्री के० एस० राव : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984 के दौरान तथा 30 जून, 1985 तक उद्योगों को राज्य-वार कुल कितने आशय पत्र/लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(ख) आंध्र प्रदेश में शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख उद्योगों को कितने आशय-पत्र/लाइसेंस जारी किए गए हैं; और

(ग) लाइसेंस के अनुसरण में उक्त राज्य में कुल कितने उद्योग लगाए गए हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) आंध्र प्रदेश में शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों की स्थापना करने के लिए वर्ष 1984 और 30 जून, 1985 तक प्राप्त आवेदनों से में 9 आशय पत्र और 3 औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत किए गए थे।

* 1.4.1983 से 31.8.1983 तक की अवधि को छोड़कर

** जनवरी से जून, 1982 तक और जुलाई, 1983 तथा नवम्बर, 1983 को छोड़कर

*** सितम्बर, 1983 को छोड़कर

(ग) एक औद्योगिक लाइसेंस प्रारम्भ में 2 वर्ष की वैधता अवधि के लिए जारी किया जाता है और बाद में औचित्यपूर्ण आधार होने पर इसकी वैधता अवधि आगे बढ़ाने की भी अनुमति दे दी जाती है। एक औद्योगिक परियोजना के फलीभूत होने में सामान्यतः, लगभग 3से 4 वर्ष लग जाते हैं। किन्तु पनपने की अवधि प्रत्येक परियोजना में भिन्न भिन्न होती है।

विवरण

वर्ष 1984 जनवरी-जून 1985 के दौरान जारी किए गए
आशयपत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों के राज्यवार ब्यौरे

राज्य	1984		1985 (जून 1985 तक)	
	आशयपत्र	औद्योगिक लाइसेंस	आशयपत्र	औद्योगिक लाइसेंस
1	2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	92	45	65	39
2. अण्डमान और निकोबार	2	—	1	—
3. अरुणाचल प्रदेश	2	3	—	2
4. असम	14	8	5	5
5. बिहार	21	26	12	12
6. चंडीगढ़	3	1	1	4
7. दादरा और नगर हवेली	—	1	3	—
8. दिल्ली	6	19	15	4
9. गोवा, दमन एण्ड द्वीव	9	10	10	3
10. गुजरात	107	82	89	36
11. हरियाणा	53	46	61	27
12. हिमाचल प्रदेश	18	5	14	11
13. जम्मू और कश्मीर	9	8	9	4

1	2	3	4	5
14. कर्नाटक	63	49	46	33
15. केरल	7	21	15	11
16. लक्षद्वीप द्वीप समूह	—	—	—	—
17. मध्य प्रदेश	77	36	48	25
18. महाराष्ट्र	194	140	119	68
19. मणिपुर	—	—	1	—
20. मिजोरम	—	—	—	—
21. मेघालय	2	—	1	—
22. नागालैंड	1	2	—	—
23. उड़ीसा	20	15	19	16
24. पांडिचेरी	11	3	10	6
25. पंजाब	44	94	21	44
26. राजस्थान	38	25	23	27
27. सिक्किम	2	2	—	—
28. तमिलनाडु	89	85	70	111
29. त्रिपुरा	—	1	—	—
30. उत्तर प्रदेश	132	80	114	45
31. पश्चिम बंगाल	35	93	40	31
32. निर्दिष्ट न किया गया राज्य/एकाधिक राज्य	13	5	10	1
योग	1064	905	822	565

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में खाना पकाने की गैस और पेट्रोल पम्प एजेंसियों का आबंटन

4084. श्री मानवेन्द्र सिंह : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाना पकाने की गैस और पेट्रोल पम्प एजेंसियों के आबंटन के मामले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कोई अनुपात निर्धारित किया है ; और यदि हां, तो वह अनुपात क्या है और यह किस तरह निर्धारित किया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) उत्तर प्रदेश में वर्ष 1984-85 के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जिला-वार खाना पकाने की गैस और पेट्रोल पम्प की कितनी एजेंसियां आबंटित की गई हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक एजेंसियां आबंटित करने का है जिससे वहां ईंधन समस्या को दूर कर ग्रामीण विकास को सुनिश्चित किया जा सके ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) सिवाय उन ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर जो शहरों/कस्बों के निकट व उनकी परिधि में है/जिन्हें एल०पी० जी० का विपणन किया जाता है, तेल उद्योग ने ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में किसी विशिष्ट स्थान को एल०पी०जी० की [डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के लिए नहीं चुना है, इन डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को खोलने का आधारभूत मानदण्ड है वहां आर्थिक व्यवहार्यता नये खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल/डीजल) में से 40 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में कम लागत के बिक्री केन्द्रों के रूप में खोले जाते हैं। उत्तर प्रदेश में डीलर शिपों का आवश्यक विवरण संलग्न विवरण पत्र में दिया गया है।

विवरण

एल० पी० जी० वितरणशिप

क्र० सं०	स्थान	जिला	शहरी	ग्रामीण
1	2	3	4	5
1.	कंधला	मुजफ्फरनगर	1	—
2.	लखनऊ	लखनऊ	7	—
3.	रामपुर	रामपुर	1	—
4.	आगरा	आगरा	5	—
5.	गाजियाबाद	गाजियाबाद	2	—

1	2	3	4	5
6.	शामली	मुजफ्फरनगर	1	—
7.	इलाहाबाद	इलाहाबाद	3	—
8.	आजमगढ़	आजमगढ़	1	—
9.	बस्ती	बस्ती	1	—
10.	बरेली	बरेली	1	—
11.	देहरादून	देहरादून	1	—
12.	फरुखाबाद	फरुखाबाद	1	—
13.	गोरखपुर	गोरखपुर	2	—
14.	झांसी	झांसी	1	—
15.	कानपुर	कानपुर	5	—
16.	मथुरा	मथुरा	1	—
17.	मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर	1	—
18.	सहारनपुर	सहारनपुर	1	—
19.	वाराणसी	वाराणसी	2	—
20.	लखीमपुर खेड़ी	खेड़ी	1	—
21.	नागिना	बिजनौर	1	—
22.	पालियाकलां	खेड़ी	1	—
23.	अलीगढ़	अलीगढ़	1	—
24.	बाराबंकी	बाराबंकी	1	—
25.	हापुड़	गाजियाबाद	1	—
26.	मेरठ	मेरठ	1	—
27.	शहाजहांपुर	शहाजहांपुर	1	—
28.	शिकोहाबाद	मैनपुरी	1	—

रिटेल आउटलेट (पेट्रोल/डीजल) डीलरशिप

क्र०सं०	स्थान	जिला	शहरी	ग्रामीण
1	2	3	4	5
1.	पिहानी	हरदोई		1
2.	बेलघाट	गोरखपुर		1
3.	बाबतपुर	वाराणसी	1	—
4.	आगरा	आगरा	1	—
5.	इलाहाबाद	इलाहाबाद		3
6.	बस्ती	बस्ती		1
7.	बरेली	बरेली		1
8.	गोरखपुर	गोरखपुर		1
9.	लखनऊ	लखनऊ	1	—
10.	मुजफ्फर नगर	मुजफ्फर नगर		1
11.	वाराणसी	वाराणसी		1
12.	जौनपुर	जौनपुर	1	4
13.	हमीजपुर	हमीजपुर		1
14.	दियोरिया	दियोरिया		1
15.	बलिया	बलिया		1
16.	ब्रिन्द्रावन	मथुरा	1	—
17.	खन्दौली	आगरा	1	—
18.	नैनी (मिर्जापुर)	इलाहाबाद	1	—
19.	कोरनालगंज (कर्नलगंज)	गोंडा	1	—
20.	मनीपुर	मथुरा	1	—
21.	देरवा	प्रतापगढ़		1

1	2	3	4	5
22.	सिकन्दरा	जे कानपुर		1
23.	शक्तिपुरा	कानपुर		1
24.	शीकरीगंज	गोरखपुर		1
25.	कुदरा	लखनऊ		1

[अनुवाद]

वायुसेना के वारन्ट अफसरों को संशोधित पेंशन का भुगतान

4085. **श्रीमती ऊषा वर्मा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा लेखा (पेंशन) नियंत्रक कार्यालय, इलाहाबाद को 1983 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर सेवा-निवृत्त रक्षा कर्मचारियों के पेंशन भुगतान आदेशों (पी० पी० ओ०) संशोधन करने के लिए कोई अनुदेश दिये गये हैं;

(ख) क्या इस निर्णय के कार्यान्वयन की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए उनके मंत्रालय में कोई अनुभाग खोला गया है तथा क्या इसके कार्यान्वयन के मामले में कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया गया है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) 28-2-1978 को सेवानिवृत्त हुए वारंट आफिसर रैंक के वायु सेना के अधिकारियों की कुल संख्या कितनी है तथा उनमें से कितनों को संशोधित पेंशन भुगतान आदेश जारी हो चुके हैं तथा कितने कर्मचारियों के पेंशन भुगतान आदेश संशोधनाधीन हैं तथा उनके मामले में पेंशन भुगतान आदेश कब तक जारी होने की सम्भावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) उच्चतम न्यायालय के दिसम्बर, 1982 (न कि 1983) के निर्णय के अनुसरण में, इस मंत्रालय ने इस संबंध में नवम्बर और दिसम्बर, 1983 में आदेश जारी किए थे।

(ख) पेंशन निम्नलिखित द्वारा संशोधित की जानी थी :

(i) स्वयं पेंशन संवितरण प्राधिकारियों द्वारा—जिन कार्मिकों के मामले परिकलित्रों के अन्तर्गत आते थे और जिन्होंने इन परिकलित्रों के अनुसार संशोधन के लिए अपना विकल्प दिया था। और (ii) जिन्होंने नियंत्रक रक्षा लेखों (पेंशन) द्वारा जिनके मामले परिकलित्रों के अन्तर्गत नहीं आते थे अथवा जिन्होंने इसके लिए अपना विकल्प नहीं दिया था। नियंत्रक रक्षा लेखा (पेंशन) द्वारा पेंशनों में किए जा रहे संशोधन के मामलों की स्थिति पर मंत्रालय द्वारा नजर रखी जा रही है। परन्तु नियंत्रक

रक्षा लेखा (पेंशन) द्वारा तभी पेशन संशोधित की जानी होती है जब पेंशनर से उसके बारे में आवेदन प्राप्त हो, जिसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए पेंशनों को संशोधित करने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करना संभव नहीं है।

(ग) 28.2.1985 को 28 वारंट अफसर सेवानिवृत्त हुए। इनमें से 21 के मामलों में नियंत्रक, रक्षा लेखा (पेंशन) द्वारा पेंशन संशोधित कर दी गई है। शेष सात वारंट अफसरों से पेंशन के संशोधन के लिए उन्हें आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं। फिर भी, उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर नियंत्रक, रक्षा लेखा (पेंशन) द्वारा उनकी पेंशनें भी संशोधित कर दी जाएंगी।

बम्बई हाई से कच्चे तेल उत्पाद का निर्यात

4086. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **पेट्रोलियम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल शोधक कारखानों के उपकरण पेट्रोलियम उत्पादों की स्वदेशी मांग के लिए पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है जिसके कारण बम्बई हाई के कच्चे तेल उत्पाद के एक भाग को निर्यात करना जरूरी हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो समस्त स्वदेशी कच्चे तेल उत्पाद का शोधन करना कब तक सम्भव होगा ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) बी० एच० क्रूड चूंकि स्नेहक तेलों, बिटूमन तथा ए० टी० एफ० के उत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं हैं और इससे बड़ी मात्रा में एल० एस० एच० एस० निकलता है, इसलिए देश में इसका पूरी तरह संसाधन पहले नहीं किया जा सका था।

(ख) अब बी० एच० क्रूड से उत्पादित उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए, देश में ही लगभग संपूर्ण बी० एच० क्रूड के उत्पादन के संसाधन के लिए गौण संसाधन सुविधाओं सहित पर्याप्त शोधन क्षमता की स्थापना हो चुकी है।

अल्कोहल की खपत

4087. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान एल्कोहल को राज्य-वार और वर्ष-वार खपत कितनी है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : गत तीन अल्कोहल वर्षों (दिसम्बर-नवम्बर) 1981-82 से 1983-84 के दौरान अल्कोहल की राज्य-वार खपत संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

विवरण

अल्कोहल वर्ष 1981-82 (दिसम्बर, 81 से नवम्बर, 82) से 1983-84 (दिसम्बर-नवम्बर) के दौरान अल्कोहल की खपत

(मात्रा लाख लीटर में)

क्र० सं०	राज्य का नाम	अल्कोहल की खपत		
		1981-82	1982-83	1983-84
1	2	3	4	5
1.	उत्तर प्रदेश	1020.00	1165.90	1235.59
2.	बिहार	156.74	137.71	160.45
3.	हरियाणा	82.15	85.50	96.21
4.	पंजाब	110.21	105.64	137.88
5.	आसाम	18.24	20.00	18.87
6.	उड़ीसा	20.45	21.57	24.27
7.	मेघालय	1.50	0.24	0.48
8.	वेस्ट बगाल	529.82	385.66	446.37
9.	मध्य प्रदेश	97.49	129.02	137:61
10.	राजस्थान	94.02	102.46	123.13
11.	महाराष्ट्र	1129.85	1224.44	1363.82
12.	गुजरात	222.13	190.79	271.06
13.	आन्ध्र प्रदेश	573.20	577.78	550.04
14.	तमिलनाडु	421.82	577.19	646.98
15.	कर्नाटक	376.73	375.49	386.33
16.	केरल	80.71	116.37	122.99
17.	हिमाचल प्रदेश	21.23	15.30	15.53

1	2	3	4	5
18.	जम्मू तथा कश्मीर	11.52	14.16	12.99
19.	नागालैण्ड	1.23	3.45	2.51
20.	मणिपुर	1.50	0.43	0.72
21.	त्रिपुरा	1.34	1.26	0.94
22.	सिक्किम	27.20	18.00	12.73
23.	दिल्ली	36.22	47.96	50.29
24.	पांडिचेरी	18.18	22.28	19.64
25.	गोवा, दमनद्वीप	13.00	30.00	13.74
26.	चण्डीगढ़	5.00	5.00	5.00
27.	दादरा नगर हवेली	2.50	5.00	1.86

रसायन और उर्वरक संयंत्रों के उत्पादन में वृद्धि

4088. **श्री बनवारी लाल बेरवा :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राजस्थान में कितने रसायन और उर्वरक संयंत्र काम कर रहे हैं;

(ख) इन संयंत्रों का एकक-वार उत्पादन कितना है;

(ग) क्या सरकार का विचार सवाई माधोपुर के संयंत्र में रसायनों और उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने और नए एकक लगाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) राजस्थान में स्थित उर्वरक एककों के नाम तथा वर्ष 1984-85 के दौरान उनके द्वारा उत्पादित किए जाने वाले उर्वरकों के नाम अगले पृष्ठ पर दिये गये हैं :—

एकक का नाम	1984-85 के दौरान उत्पादन (हजार टनों में)	
	नाइट्रोजन	पी2 ओ5
1. श्रीराम फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स, कोटा	143.7	—
2. हिन्दुस्तान कॉपर लि०, खेतरी	—	8.3
3. हिन्दुस्तान जिंक लि०	—	3.3
4. लिबर्टी पेस्टिसाइड्स एण्ड फर्टिलाइजर्स	—	6.0
5. भारत कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स	—	9.3
6. उदयपुर फास्फेट्स एण्ड फर्टिलाइजर्स	—	8.1
7. फास्फेट इंडिया	—	3.7

(ग) और (घ) सवाई माधोपुर जिले में एक बड़ा उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया गया है, जिसकी प्रतिदिन 1350 टन अमोनिया की क्षमता तथा तदनुरूपी यूरिया क्षमता होगी। यह संयंत्र मैसर्स जुआरी एग्रो कैमिकल्स लि० द्वारा स्थापित किया जाएगा।

[हिन्दी]'

अरमापुर एस्टेट, कानपुर में मजिस्द का निर्माण

4089. **श्री जगदीश अवस्थी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में रक्षा कर्मचारियों की एक कालोनी अरमापुर एस्टेट में मस्जिद के निर्माण के लिए भूमि आबंटित करने हेतु कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है और यदि कोई प्रगति नहीं हुई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) इस फैक्टरी में काम करने वाले मुस्लिम समुदाय के कर्मचारियों के लिए एक नमाजघर के निर्माण के लिए अरमापुर एस्टेट कानपुर के अन्जुमन रेफाहे आम के महासचिव द्वारा किए गए अनुरोध पर अन्जुमन रेफाहे आम के महासचिव को लगभग 500 वर्ग गज का एक प्लाट अस्थाई तौर पर पट्टे पर पर दिया गया है। इस प्लाट के बाजार भाव के बराबर, जो 40,000 रु० है प्रीमियम अन्जुमन

रेफाहे आम को देना है जिसमें से उसने केवल 5,000 रु० जमा किए हैं।

[अनुवाद]

मोका मेह जंक्शन स्टेशन पर सेना के प्रेषित माल से गोलियों की चोरी

4090. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जून, 1985 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपी इस खबर की ओर दिलाया गया है जिसमें कहा गया है कि 5 जून, 1985 को पूर्वी रेलवे के मोका मेह जंक्शन स्टेशन पर मालगाड़ी के एक डिब्बे से सेना के प्रेषित माल से गोलियों के अनेक सन्दूक चोरी हो गये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बीच कोई जांच करवाई गयी है और कोई गिरफ्तारी की गयी है; और

(ग) इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां। लेकिन प्रेषित माल सिविल व्यापार के लिए गोला-बारूद था न कि सैनिक सामान और इसकी जिम्मेवारी रेलवे और सिविल अधिकारियों की है।

(ख) यह पता चला है कि रेलवे सुरक्षा बल द्वारा पकड़े गए दो व्यक्तियों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया था। बाद में रेलवे सुरक्षा बल और पुलिस ने दो अन्य व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया था।

(ग) रेल से हथियारों और गोला-बारूद को ले जाने के दौरान रेलवे सुरक्षा बल की सहायता प्रदान करने और परिवहन की प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने के लिए आवश्यक कार्यविधि तैयार करने की दृष्टि से रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालयों का एक संयुक्त अध्ययन दल बनाया गया है। इस अध्ययन कार्य में सिविल व्यापार के लिए भेजे जाने वाले गोला-बारूद के लिए कार्यविधि तैयार करने का प्रश्न भी शामिल किया जाए या नहीं यह बात अभी विचाराधीन है।

केन्द्र द्वारा राज्य सरकारी क्षेत्र में सहभागिता

4091. **श्री चित्त महाता :** क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार की राज्य सरकारों द्वारा स्वामित्व सरकारी क्षेत्र के एककों से सहभागिता नहीं होती अथवा वह उनमें निबेश नहीं करती और उनको गैर-सरकारी क्षेत्र में निवेश के लिए देखने पर मजबूर करती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) तथा (ख) सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट अनुरोध किए जाने पर सम्बन्धित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा गुणावगुण के आधार पर विचार किये जाने के बाद केन्द्र सरकार राज्य सरकार के स्वामित्व वाले सरकारी एककों में भाग ले सकती है अथवा निवेश कर सकती है।

यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन द्वारा दिए गए दान

4092. **श्री एस० एम० गुरड्डी**
श्री विजय कुमार मिश्र : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यूनियन कार्बाइड द्वारा पिछले लोक सभा चुनावों के समय भोपाल/मध्य प्रदेश में अनेक संस्थाओं को काफी संख्या में दान स्वरूप बड़ी राशि दिए जाने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) जी, नहीं। इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार को भी कोई जानकारी नहीं है। यूनियन कार्बाइड इंडिया लि० से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार 1984 में सैंट मैरिज कन्वेन्ट को दान की गई 5000/-रु० की राशि को छोड़कर गत संसदीय चुनावों के समय उनके द्वारा भोपाल/मध्य प्रदेश में कोई बड़ी धन राशि दान नहीं दी गई।

आन्ध्र प्रदेश में विधायकों को टेलीफोन कनेक्शन

4093. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन देने में विधायकों को प्राथमिकता दी जाती है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें कितना समय लगता है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) विधायकों (संसद सदस्य, सदस्य विधान सभा, सदस्य विधान परिषद और नगर निगम पार्षद) की टेलीफोन मांग "गैर-ओ० वाई० टी०-एस० एस०" श्रेणी में दर्ज की जाती है तथा उन्हें बिना बारी के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाते हैं जो संबंधित एक्सचेंज की उपलब्ध क्षमता पर निर्भर करता है।

हैदराबाद टेलीफोन प्रणाली के सैफाबाद एक्सचेंज के कुछ कनेक्शनों को छोड़कर आन्ध्र प्रदेश, के विधायकों की मांगें पूरी कर दी गई हैं। ये टेलीफोन कनेक्शन एक्सचेंज क्षमता में कमी होने के कारण प्रदान नहीं किए जा सके। एक्सचेंज का विस्तार हो जाने पर 1985 के अंत तक इन कनेक्शनों के दे दिए जाने की संभावना है।

गैस कनेक्शनों का स्थानान्तरण

4094. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का ध्यान टेलीफोनों के स्थानान्तरण के संबंध में दूरसंचार विभाग के निर्णय की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उसी प्रकार की छूट खाना पकाने की गैस के कनेक्शनों के स्थानान्तरण के संबंध में देने का है; और

(ग) यदि हां, तो उसके लिए क्या प्रणाली अपनाई जाएगी ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उर्वरकों का आयात

4095. **श्री हन्नान मोल्लाह :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी क्षेत्रों में उवरकों के कई यूनिट होने के बावजूद इस क्षेत्र के किसानों को अपनी मांग को पूरा करने के लिए आयात का माल लाने वाले जहाजों की प्रतीक्षा करनी पड़ती है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसके लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) पूर्वी क्षेत्र में उर्वरकों की खपत उस क्षेत्र में स्थित उर्वरक संयंत्रों के उत्पादन से अधिक है। अतः किसान की पूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें आयातित उर्वरक उपलब्ध कराये जाते हैं।

भारतीय तेल निगम द्वारा होटल रणजीत, दिल्ली में किराए पर कमरे लेना

4096. श्री टी० बशीर : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने गत तीन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के होटल रणजीत में कोई कमरे किराये पर लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो होटल के साथ किए गए ठेके का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके लिए किसी स्थावर सम्पत्ति एजेंट की सेवाएं ली गई थीं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) स्थावर सम्पत्ति एजेंट को सेवा प्रचार के रूप में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया;

(च) क्या इस बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा कोई जांच कराने के आदेश दिए गए हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां। इंडियन आयल कारपोरेशन ने जुलाई, 1984 में भारतीय पर्यटन विकास निगम के रणजीत होटल में कुछ 6800 वर्ग फुट क्षेत्र के 34 कमरे (28 सिंगल तथा 6 डबल) किराये पर लिए।

(ख) होटल के साथ किये गये करार का विवरण इस प्रकार है :

लाइसेंस फीस

बिजली प्रभारों के अलावा प्रत्येक सिंगल रूम का 3000/-रुपये प्रतिमाह तथा प्रत्येक डबल रूम का 6,000/-रुपये प्रति माह। इससे अतिरिक्त, आई० ओ०सी० टेलीफोन प्रभार हेतु प्रत्येक कमरे के प्रति काल का सामान्य प्रभार और एक सौ रुपये देने को सहमत हो गया है।

लाइसेंस की अवधि

3 वर्ष, जिसे आपसी सहमति से फीस में 15 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी देकर बढ़ाया जा सकता है। एक महीने की नोटिस पर लाइसेंस समाप्त किया जा सकता है। होटल के प्राधिकारी कमरों की सफाई तथा धुलाई, बाह्य सुरक्षा और वाहन खड़े करने के स्थान आदि की मुफ्त व्यवस्था करने के लिए सहमत हो गये थे। गरम और ठण्डे पानी की भी सप्लाई मुफ्त दी जानी थी।

(ग), (घ) और (ङ) यह स्थान इस्टेट एजेंट श्री एस० एस० कपूर शान्ति प्रापर्टीज, सैकिण्ड बी-20, लाजपत नगर, नई दिल्ली के माध्यम से लिया गया।

एजेंट को 7½ दिन का किराया सेवा प्रभार के रूप में दिया गया जो 3 ,000/- रुपये बैठता है।

(च) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मैसर्स रिशरा स्टील लिमिटेड द्वारा जे० के० स्टील का प्रबन्ध ग्रहण

4097. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स रिशरा स्टील लिमिटेड ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 23 के अन्तर्गत जे० के० सिन्थैटिक्स की सहायक कम्पनी जे० के० स्टील के प्रबन्ध ग्रहण हेतु आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या जे० के० स्टील के कर्मचारियों की सेवा और सेवा शर्तों की सुरक्षा की गारंटी दी जायेगी और किसके द्वारा; और

(ग) क्या इस मामले में अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा श्रमिकों के प्रतिनिधियों की बात सुनी जायेगी ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 29 के अन्तर्गत कानूनी व्यवस्था के रूप में श्रमिक संगठन/एसोसियेशन जिनसे अभ्यावेदन प्राप्त किये गये हैं, सहित आवेदक कम्पनियों और अन्य इच्छुक घटकों की सुनवाई की जायेगी और अन्य बातों के साथ-साथ सेवा सुरक्षा और सेवा शर्तों के सम्बन्ध में, यदि कोई, उनकी राय हुई तो कम्पनी के आवेदन पर निर्णय लिए जाने से पूर्व उचित विचार किया जायेगा।

[हिन्दी]

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा लघु सीमेंट संयंत्र वित्तीय सहायता बन्द करना

4098. **श्री राम प्यारे सुमन :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने जनवरी, 1985 में लघु सीमेंट संयंत्रों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता बन्द कर दी थी ; और यदि हां, तो सहायता बन्द करने से पहले और बाद में लघु सीमेंट संयंत्रों को अलग-अलग कितनी वित्तीय सहायता दी गई थी; और किन-किन तारीखों को यह सहायता दी गई थी ; और

(ख) उपर्युक्त मामलों में बैंक द्वारा सहायता बन्द किये जाने के बाद भी भुगतान करने के क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने सूचित किया है कि सीमेंट उद्योग की प्रवृत्तियों और उनके द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त मिनी सीमेंट संयंत्रों के कार्यकरण की विस्तृत समीक्षा होने तक के लिए जनवरी, 1985 में बैंक ने मिनी सीमेंट संयंत्रों को वित्तीय सहायता देना रोक दिया था। किन्तु, उसने जून, 1985 में कुछ शर्तों के अधीन एक सीमित सीमा तक यह सुविधा देना पुनः आरम्भ कर दिया है। इस संबंध में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा जारी किए गए मार्ग-दर्शी सिद्धांतों में मार्गस्थ आवेदन अर्थात् 15 जनवरी, 1985 तक प्राप्त आवेदनों पर कुछ परिस्थितियों में विचार करने का प्रावधान किया गया है। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में यह प्रावधान भी किया गया है कि 15 जनवरी, 1985 के बाद प्राप्त आवेदनों पर अत्यधिक चयनात्मक आधार पर उस स्थिति में विचार किया जा सकता है, जब प्रवर्त्तक प्रौद्योगिकीविद उद्यमी हों या अन्य उद्यमी जो विशेष रूप से विचार करने योग्य हों बशर्ते कि आवेदनों ने परियोजनाओं का कार्यान्वियन करने में 15 जनवरी,1985 से पूर्व प्रभावी कदम उठा लिए हों।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने यह भी सूचना दी है कि जनवरी, 1985 के पश्चात् भी वित्तीय सहायता पुन: आरम्भ करने के मुख्य कारण ये थे कि प्रवर्त्तकों ने भूमि की लागत में व्यय करके, मशीनों के संभरणकर्त्ताओं को अग्रिम देकर, अंशपूंजी में अंशदान करके तथा प्रदूषण नियंत्रण खनन पट्टे पर लेने आदि जैसी विभिन्न मंजूरियां प्राप्त करके परियोजना का कार्यान्वियन करने के लिए पर्याप्त कदम पहले ही उठा लिए थे।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मिनी सीमेंट संयंत्रों को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा मिनी सीमेंट संयंत्रों को दी गई वित्तीय सहायता

(क) प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का अंश :

क्रम सं०	महीना तथा वर्ष	स्वीकृत राशि (लाख रु० में)
1	2	3
1.	फरवरी, 1980	170.00
2.	जून, 1980	255.00

1	2	3
3.	जनवरी 1981	542.00
4.	फरवरी, 1981	280.00
5.	मार्च, 1981	268.00
6.	मई, 1981	240.00
7.	दिसम्बर, 1981	357.00
8.	जनवरी, 1982	587.00
9.	फरवरी, 1982	220.00
10.	अप्रैल, 1982	283.00
11.	मई, 1982	235.00
12.	अक्तूबर, 1982	711.00
13.	दिसम्बर, 1982	281.00
14.	अप्रैल, 1983	260.00
15.	जून, 1983	906.00
16.	सितम्बर, 1983	68.00
17.	अक्तूबर, 1983	564.00
18.	जनवरी, 1984	476.00
19.	अप्रैल, 1984	95.00
20.	मई, 1934	288.00
21.	जून, 1984	325.00
22.	अगस्त, 1984	110.00
23.	जनवरी, 1985	170.00

1	2	3
24.	जून, 1985	113.00
25.	जुलाई, 1985	320.00
	योग :	8,124.00

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा दी गई पुनर्वित्त सहायता :

1. 15.1.1985 तक स्वीकृत सहायता — 52.67 करोड़ रुपये।

2. जनवरी, 1985 से जून, 1985 तक स्वीकृत सहायता — 5.38 करोड़ रुपये।

[अनुवाद]

अनिवासी भारतीयों द्वारा निवेश की अनुमति

4099. **श्री अजय विश्वास :** क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने अनिवासी भारतीयों ने पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, आसाम और केरल में औद्योगिक लाइसेंसों के लिए अब तक आवेदन किया है;

(ख) सरकार द्वारा उनमें से कितने औद्योगिक लाइसेंसों को स्वीकृति दी गई है; और

(ग) अन्य आवेदनों को अस्वीकार किये जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) प्रवासी भारतीयों से प्राप्त आवेदनपत्रों को निपटाने के लिए नवम्बर, 1983 में विशेष स्वीकृति समिति की स्थापना हो जाने के बाद से पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, असम और केरल में उद्योगों की स्थापना करने के लिए 8 आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं। इनमें से एक आवेदनपत्र स्वीकृत हो गया है, एक अनिर्णीत है और शेष आवेदनपत्र इन कारणों अर्थात पर्याप्त क्षमता पहले ही स्वीकृत/स्थापित हो चुकी है, कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता, योजना अच्छी तरह से नहीं बनायी गयी है, कुल निवेश कम है, आदि पर अस्वीकृत हो गये हैं।

[हिन्दी]

मुंशयारी उत्तर प्रदेश में गैस का वितरण

4100. श्री हरीश रावत : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के एक उपक्रम को उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में मुंशयारी, चम्पावत और गंगोलीहट-बेरीनाग में खाना पकाने की गैस वितरित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

(ख) यदि हां, तो इस उपक्रम को कब प्राधिकृत किया गया था;

(ग) क्या इस उपक्रम ने इन स्थानों पर खाना पकाने की गैस का वितरण शुरू कर दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और गैस का वितरण कब तक शुरू होने की आशा है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) इंडियन आयल कारपोरेशन ने लिमिटेड उत्तर प्रदेश सरकार के कुमांयु मण्डल विकास निगम को सितम्बर, 1980 में मुंशयारी तथा गंगोलीहार-बेरीनाग में जनवरी, 1985 में तथा चम्पावट में एल०पी०जी० के वितरण के लिए प्राधिकृत किया था।

(ग) और (घ) जी, नहीं। निगम इन स्थानों के लिए एक वैकल्पिक विपणन योजना बना रही है क्योंकि वहां आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य कार्यचालन के लिए पूर्णाक्षम प्रबन्धों के होने की सम्भावना है।

[अनुवाद]

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के मेडिकल प्रतिनिधियों को दिया गया प्रोत्साहन और कमीशन

4101. श्री थम्पन थामस : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० में अपने मेडिकल प्रतिनिधियों को प्रोत्साहन और कमीशन देने की कोई प्रथा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि किसी एक प्रतिनिधि को लगभग एक लाख रुपये का प्रोत्साहन और कुल कमीशन मिलकर 30 लाख रुपये कम दिये गये थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 1983-84 के दौरान अन्य मेडिकल प्रतिनिधियों का कार्य निष्पादन कैसा रहा; और

(ङ) उन मेडिकल प्रतिनिधियों की संख्या कितनी है जिन्होंने एक लाख रुपये से अधिक का प्रोत्साहन और कमीशन प्राप्त किया है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० (आई० डी० पी० एल०) कम्पनी के प्रचलित सभी उत्पादों की बिक्री पर फील्ड स्टाफ को वार्षिक आधार पर कमीशन दे रही है। इसके अतिरिक्त, कुछ अलग-अलग उत्पाद-वार योजनाएं हैं जिनकी कम्पनी द्वारा बाजार स्थिति, वस्तु सूची स्थिति, कम उत्पाद प्रतियोगी कुशलता आदि को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर घोषणाएं की जाती हैं।

आई० डी० पी० एल० द्वारा 1984-85 के दौरान बाहरी पार्टियों को दिये गये कमीशन की राशि और कर्मचारियों को दिये गये प्रोत्साहन राशि क्रमशः 12.70 लाख रु० और 14.17 लाख रु० है। 1984-85 के दौरान एक अकेले चिकित्सा प्रतिनिधि को दी गई उच्चतम प्रोत्साहन राशि 91000/-रु० है।

(घ) अन्य चिकित्सा प्रतिनिधियों का कार्य निष्पादन सामान्यतः सन्तोषप्रद है।

(ङ) जी, नहीं।

महिलाओं से संबंधित विधियों को विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित करना

4012. **श्रीमती फूल रेणु गुहा** : क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं से संबंधित विधियों को देश की विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित करने की उनके मंत्रालय की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) विधायी विभाग का राजभाषा खण्ड, 1984 के अंत तक लगभग सभी केंद्रीय अधिनियमों के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ प्रकाशित कर चुका है। अतः महिलाओं से संबंधित सभी केंद्रीय अधिनियमों के हिन्दी रूपांतर इस समय भी उपलब्ध हैं।

सरकार प्रश्न में अंतर्निहित सुझाव से सहमत है और तद्नुसार सरकार का विचार, महिलाओं से संबंधित सभी केंद्रीय विधियों के हिन्दी रूपांतरों का एक संकलन सम्यक अनुक्रम में प्रकाशित करने

का है। राज्य सरकारों की सहायता से, इसी प्रकार के प्रकाशनों को, जिनमें सुसंगत राज्य अधिनियमितियां समाविष्ट हों, यथासंभव अनेक प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित करने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। यद्यपि इस कार्य को पूरा करने में समय लग सकता है तथापि इसे यथा संभव शीघ्र पूरा करने के लिए हर प्रयास किया जाएगा।

उद्योग-विहीन जिलों में राज-सहायता योजनाएं

4103. **श्री सुख राम** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय निवेश और अन्य राज-सहायता योजनाओं के लिए अब तक कितने उद्योग-विहीन जिलों और विशेष क्षेत्रों का पता लगाया गया है;

(ख) ऐसे उद्योग-विहीन जिलों में इस प्रकार की राज सहायता योजनाओं पर वर्ष 1980 से 1984 के दौरान राज्य-वार और जिला-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) उद्योग-विहीन जिलों में और राज्य सरकारों के लम्बित दावों को इस व्यवस्था में समायोजित करने के लिए केन्द्रीय राज सहायता हेतु वर्ष 1985-86 केन्द्रीय बजट में क्या व्यवस्था की गई है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) देश में 93 उद्योग रहित जिले और 38 विशेष क्षेत्र जिले हैं।

(ख) वर्ष 1980-81 से 1984-85 तक केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना और परिवहन राजसहायता योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों/संघ क्षेत्रों के प्रशासनों को 228.75 करोड़ रुपये की राशि प्रतिपूर्ति के रूप में दी गई थी। प्रतिपूर्ति के रूप में दी गई राशि के बारे में जिलेवार जानकारी इस मंत्रालय में नहीं रखी जाती।

(ग) पिछड़े क्षेत्रों के विकासार्थ इस मंत्रालय द्वारा लागू की जाने वाली प्रोत्साहन योजनाओं के संदर्भ में बजट प्रावधान राज्य-वार नहीं रखे जाते। विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों से जब दावे प्राप्त होते हैं तभी धनराशि रिलीज की जाती है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की गवेषणा परियोजनाएं

4104. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के प्रबंध के अन्तर्गत भारत में तेल गवेषणा कार्यों के क्या परिणाम निकले हैं;

(ख) तेल की कुल मांग में से कितने प्रतिशत उत्पादन देश में होता है;

(ग) क्या हम भारत में निकाले जा रहे कच्चे तेल के शोधन की स्थिति में हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) दिनांक 1 जनवरी, 1985 को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने तटीय एवं अपतटीय क्षेत्रों में आरम्भ की गई विभिन्न अन्वेषी परियोजनाओं के परिणामस्वरूप 2753.19 मि० मी० टन तेल तथा 898245.5 एम० एम० एम० 3 गैस के भू-गर्भीय भंडारों की खोज की है।

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान देश में 28.99 मि० मी० टन स्वदेशी क्रूड तेल का उत्पादन हुआ जिससे लगभग 70 प्रतिशत आवश्यकता को पूरा किया गया।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्नाटक को शीरा सप्लाई

4105. **श्री नर सिंह सूर्यवंशी** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार को महाराष्ट्र राज्य से लगभग 50 हजार टन शीरा मिला है;

(ख) यदि हां, तो इस आबंटन का क्या आधार है;

(ग) इस कोटे में से "बिहार, कर्नाटक के "उद्योग विहीन क्षेत्र" को कितना कोटा निर्धारित सप्लाई किया गया है; और

(घ) यदि इस कोटे में से "बिहार, कर्नाटक" को कोई सप्लाई नहीं की गई तो सप्लाई न करने के क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) कर्नाटक सरकार से प्राप्त अनुरोध के आधार पर महाराष्ट्र सरकार से कहा गया था कि वर्तमान अल्कोहल वर्ष 1984-85 (दिसम्बर, 1984 नवम्बर, 1985) के दौरान कर्नाटक को 50,000 टन शीरे की आपूर्ति करें। कर्नाटक सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार महाराष्ट्र सरकार ने उनका 35,000 टन आबंटित किया।

(ग) यह अनुमान लगाया जाता है कि संदर्भ "बिदार" की ओर है तथा "बिहार" की ओर नहीं। कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि बिदार में दो आसवनियां, अर्थात् मै० इंडियन ब्रिवरीज एण्ड डिस्टिलरीज लि० और मै० रविन्द्रा एण्ड कं० को 13,000 मैट्रिक टन शीरा आबंटित किया गया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अमेरिका और चीन के बीच परमाणु संधि के संदर्भ में रक्षा नीति में परिवर्तन

4106. **श्री शांता राम नायक** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका और चीन के बीच परमाणु समझौते में अमरीकी परमाणु सामग्री और प्रौद्योगिकियों के अपवर्तन को रोकने का किसी शर्त के न होने को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार अपनी रक्षा नीति में कोई परिवर्तन करेगी; और

(ख) क्या भारत सरकार इस स्थिति में अमेरिकी सरकार से सम्पर्क करेगी जब इस प्रकार की आशंका हो कि इस प्रकार की सामग्री और प्रौद्योगिकी के पाकिस्तान के हाथों में चले जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) सरकार देश की रक्षा नीति बनाते समय हमारी सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी गतिविधियों को ध्यान में रखती है।

(ख) पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम और चीन-पाक परमाणु समझौते की रिपोर्टों से भारत सरकार की चिन्ता के बारे में अमेरिका सरकार को समय-समय पर समुचित रूप से अवगत करा दिया गया है।

[हिन्दी]

दिल्ली में निर्यातकों को टेलीफोन कनेक्शन

4107. **श्री जितेन्द्र सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने निर्यातकों ने टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदन किया है;

(ख) उनमें से कितने निर्यातकों को टेलीफोन कनेक्शन दे दिए गए हैं और कितनों को अभी टेलीफोन दिये जाने हैं;

(ग) शेष व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन न देने के क्या कारण हैं;

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) निर्यातकों को टेलीफोन आवंटन करने की दृष्टि से अलग से प्रतीक्षा सूची नहीं है। अतः यह बतला पाना संभव न होगा

कि प्रतीक्षा सूची के निर्यातकों की संख्या कितनी है और कितने निर्यातकों को पिछले तीन वर्षों के दौरान टेलीफोन कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

तथापि, विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले जैसे निर्यातक वस्तुओं के उत्पादनकर्त्ताओं, व्यक्तियों, फर्म तथा संगठन जो सेवा के जरिए विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं; निर्यातक संस्थान और ऐसे वाणिज्यिक संगठन जो विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं, वह "ओ० वाई० टी०-विशेष" श्रेणी के अंतर्गत टेलीफोन कनेक्शन के लिए मांग दर्ज करा सकते हैं, बशर्ते कि एक वर्ष में कम-से-कम वह दो लाख रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा अर्जित करते हों। विदेशी मुद्रा अर्जित करने की राशि के अनुसार वह "ओ० वाई० टी०-विशेष" श्रेणी के अंतर्गत अतिरिक्त टेलीफोन कनेक्शनों के लिए मांग दर्ज करा सकते हैं। टेलीफोन कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर प्रदान किए जाते हैं बशर्ते कि एक्सचेंज में अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध हो।

[अनुवाद]

वैगनों को प्राप्त करने के लिए अधिक आबंटन

4108. **श्री आनन्द पाठक** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने अधिक आबंटन विशेषकर वैगनों को प्राप्त करने के बारे में रेल मंत्रालय तथा योजना आयोग से इस मामले को उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) रेल मंत्रालय ने बताया है कि उनके पास उपलब्ध निधियों के अन्तर्गत अधिकतम संभव सीमा तक वैगन उद्योग के हितों का ख्याल रखा जायेगा।

द्वारका और खाम्भालिया में रसोई गैस की डीलरशिप का आबंटन

4109. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सौराष्ट्र क्षेत्र के द्वारका और खाम्भालिया में रसोई गैस की डीलरशिप के आबंटन हेतु पहली बार 21 अप्रैल, 1984 को विज्ञापन जारी किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके बाद से उक्त शहरों के लोगों को रसोई गैस उपलब्ध कराने के लिए अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) द्वारका और खाम्भालिया में डीलरशिप खोलने के लिए इंडियन आयल कारपोरेशन ने 21 जनवरी, 1984 को पहला विज्ञापन दिया। द्वारका की डीलरशिप के लिए आशय पत्र मार्च, 1985 में जारी किया गया। आशा है यह शीघ्र ही काम करने लगेगी। खाम्भालिया डीलरशिप के लिए डीलर का चयन तेल चयन बोर्ड (पश्चिम) द्वारा शीघ्र ही कर लिए जाने की सम्भावना है।

सेना के रेजीमेन्टों का पुनर्गठन

4110. **श्री के० वी० थामस** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेना के रेजीमेंटों का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है ताकि सभी समुदायों और क्षेत्रों के लोगों को एक साथ मिलाया जा सके; और

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप सेना के वर्तमान रेजीमेंट रद्द हो जाएंगे जो क्षेत्रों और समुदायों के नाम पर हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) स्वतन्त्रता के पश्चात सरकार की नीति यह रही है कि जाति, वंश, धर्म आदि के आधार पर कोई रेजीमेंट नहीं बनाई जाए। इस समय इन बातों पर जो रेजीमेंट आधारित हैं वे स्वाधीनता से पूर्व के समय की हैं और ऐतिहासिक तथा परम्परा संबंधी कारणों से ये नाम बनाए रखे गए हैं। सेना का पुनर्गठन एक निरन्तर और नियमित रूप से चलती रहने वाली प्रक्रिया है।

छोटी कार के निर्माण की परियोजनाएं

4111. **श्री एस० कृष्ण कुमार** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय छोटी कार बनाने की कितनी परियोजनाएं चल रही हैं;

(ख) इस प्रकार की कितनी नई परियोजनाओं को मंजूर किया गया है और उनके कार्यान्वयन की क्या स्थिति है; और

(ग) सरकार का स्वदेश में निर्मित मोटर वाहनों की किस्म को सुधारने और उनके बिक्री मूल्य को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) मेसर्स मारुति उद्योग लिमिटेड और सिपानी आटोमोबाइल्स लिमिटेड छोटी कारें बनाते हैं।

(ख) पिछले दो वर्षों में किसी भी नई छोटी कार परियोजना को मंजूर नहीं किया गया है।

(ग) स्वदेशी अनुसंधान तथा विकास और जानकारी के चयनात्मक आयात के जरिए प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने के लिए मोटरगाड़ी एककों को सरकार प्रोत्साहन दे रही है। पर्याप्त निर्माण क्षमता मंजूर कर दी गई है और आशा है कि अब उद्योग में उत्पन्न हो रही प्रतियोगी स्थिति से मोटरगाड़ियों की कीमतों के स्थिर होने में मदद मिलेगी।

एल० पी० जी० सिलेण्डरों का आयात

4112. **श्री सी० माधव रेड्डी**
श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव } : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में खाना पकाने की गैस के उत्पादन से संतुष्ट है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1985-86 की कुल मांग कितनी है और उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा में खाना पकाने की गैस उपलब्ध होगी;

(ग) क्या सरकार वर्ष 1985-86 के दौरान गैस सिलेण्डरों का फिर से आयात करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी मुद्रा खर्च होगी ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) देश में खाना पकाने की गैस के उत्पादन में प्रति वर्ष सुनियोजित और चरणबद्ध तरीके से वृद्धि की जा रही है।

(ख) 1985-86 के दौरान अनुमानत: 12.50 लाख मीट्रिक टन मांग को पूरा करने के लिए देश में उपलब्ध 11.88 लाख मीट्रिक टन के अलावा करीब 60,000 मीट्रिक टन गैस का आयात किया जाएगा।

(ग) जी नहीं, महोदय।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अधिक "उद्योग-विहीन" जिले

4113. **श्रीमती बसव राजेश्वरी** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1985-86 के दौरान प्रत्येक राज्य में कुछ और जिलों को उद्योग-विहीन जिले घोषित करने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष है; और

(ख) इन्हें घोषित करने के मापदण्ड क्या हैं ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) तथा (ख) वर्तमान योजना 31.3.86 तक वैध है। योजना में संशोधन करने का मामला एक अंतर मंत्रालयीय समिति को सौंप दिया गया है और आशा है कि यह अपनी रिपोर्ट 31.12.1985 तक दे देगी।

डाक सेवा का अस्त-व्यस्त होना

4114. **डा० गौरी शंकर राजहंस**
श्री विजय कुमार यादव } क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पटना, बिहार से दिनांक 21 जुलाई, 1985 को "सण्डे इंडियन नेशनल" में "पोस्टल सर्विसेज इन डिसएरे" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि पत्रों-पार्सलों आदि से भरे थैलों के ढेर लग रहे हैं और वे पटना में बिना छंटाई के पड़े हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस मामले में विस्तृत जांच करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और पटना में बिना छंटाई के पड़े थैलों के ढेर की छंटाई कराने की समुचित व्यवस्था करने हेतु सरकार का विचार और क्या उपाय करने का है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) यह सच नहीं है। समाचार पत्र में दिए गए चित्र में जिन थैलों को दिखाया गया है उनमें खाली बोरे थे जो विभिन्न कार्यालयों को उनकी प्रचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भेजे जाते हैं।

(ग(और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

रसोई गैस के सिलेंडरों का आयात

4115. **श्री मोहन भाई पटेल** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रसोई गैस के सिलेंडरों की वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) रसोई गैस के सिलेंडरों का कितना वार्षिक उत्पादन होता है;

(ग) क्या रसोई गैस सिलेंडरों का उत्पादन अत्यन्त कम है और आवश्यकता के अनुरूप नहीं है;

(घ) यदि हां, तो देश में रसोई गैस के सिलेंडरों का और अधिक उत्पादन करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या रसोई गैस सिलेंडरों का आयात करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) 1985-86 के दौरान, तेल उद्योग की एल०पी०जी० सिलिण्डरों की अनुमानित आवश्यकता 40 लाख की है जबकि इसकी स्थापित वार्षिक क्षमता 130 लाख की है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

सातवीं योजना के दौरान कम्प्यूटरीकृत मशीन उपकरणों का निर्माण

4116. **श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मशीन उपकरण उद्योग के लिए सातवीं योजना के दौरान कुल कितनी धनराशि की व्यवस्था की गयी है;

(ख) कितनी भारतीय फर्म कम्प्यूटरीकृत संख्यात्मक रूप से नियंत्रित मशीन उपकरणों का निर्माण करती हैं;

(ग) वर्ष 1985-86 के लिए कम्प्यूटरीकृत संख्यात्मक रूप से नियंत्रित मशीन उपकरणों के निर्माण का लक्ष्य क्या है; और

(घ) क्या मशीन उपकरण उद्योग को आधुनिकीकृत करने हेतु कम्प्यूटरीकृत संख्यात्मक रूप से नियंत्रित मशीनों से चुनौती है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) सातवीं योजना अभी तैयार की जा रही है।

(ख) सी० एन० सी० मशीन औजारों के निर्माण करने के लिए 18 फर्मों को मंजूरी दी गई है।

(ग) वर्तमान सी० एन० सी० मशीन औजार निर्माताओं के उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार 1985-86 के लिए 250 नग उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है।

(घ) जी, हां।

पेट्रोल में मिलावट

4117. **श्री के० एन० प्रधान :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान मध्य प्रदेश से उनके मन्त्रालय की बम्बई स्थित प्रयोगशाला को पेट्रोल में मिट्टी के तेल की मिलावट के कितने मामले भेजे गये और उनमें से कितने नमूनों में मिलावट साबित हुई; और

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में ही एक प्रयोगशाला स्थापित करने का सुझाव दिया है और यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) वर्ष 1984-85 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादकों के 98 नमूने मध्य प्रदेश से बम्बई स्थित तेल कम्पनियों की प्रयोगशालाओं को भेजे गये थे। इनमें से 12 नमूने विनिर्देशनों के प्रतिकूल पाये गये।

(ख) जी नहीं।

प्रबन्ध संबंधी परामर्श के क्षेत्र में सहयोग

4118. **श्री बी० तुलसी राम :** क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार प्रबन्ध संबंधी परामर्श के क्षेत्र में भारत और कुछ विदेशों के बीच सहयोग करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन देशों/कम्पनियों को संयुक्त उद्यमों के लिए आमंत्रित किया जाएगा; और

(घ) इससे भारत को कहां तक लाभ होगा ?

उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) सरकार की प्रौद्योगिकी के आयात से सम्बन्धित नीति चयनात्मक

है और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर आधारित हैं। प्रौद्योगिकी के आयात की अनुमति जटिल प्रकार के और उच्च-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों निर्मातोन्मुख अथवा आयात प्रतिस्थापना के लिए किए जाने वाले उत्पादनों या देशी उद्योगों को भारत में विद्यमान प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाने, देश की आन्तरिक आवश्यकताओं को कुशलतापूर्वक पूरा करने और/अथवा निर्यात बाजार में उन्हें प्रतिस्पर्धा के रूप में प्रतिष्ठित होने में सहायता प्रदान करने के लिए दी जाती है।

(क) और (घ) प्रौद्योगिकी का चयन मुख्यतः भारतीय उद्यमियों/पार्टियों पर छोड़ दिया जाता है, जो प्रौद्योगिकी के वैकल्पिक स्रोतों का पता लगाने और तकनीकी आर्थिक विश्लेषण करने के बाद एक ऐसी प्रौद्योगिकी का चयन करते हैं, जो उनके लिए सर्वोत्तम हो। उसके पश्चात, वे सरकार को स्वीकृति देने के लिए आवेदन देते हैं और ऐसा आवेदन जब कभी प्राप्त होता है, तो उसकी संबंधित प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके जांच की जाती है।

खराब यन्त्रों के कारण टेलीफोन काल का कट जाना

4119. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 40 प्रतिशत टेलीफोन काल खराब यन्त्रों के कारण कट जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : यह कहना सही नहीं है कि 40 प्रतिशत कालें दोषयुक्त उपकरणों के कारण नहीं मिल पातीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

पेट्रोल में आत्म-निर्भरता

4120. **श्री बापू लाल मालवीय** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पेट्रोल के मामले में आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पेट्रोल के मूल्य घटाने हेतु कोई कदम उठाये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) देश में पेट्रोल का वर्तमान उत्पादन इसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।

(ख) और (ग) इस समय पेट्रोल के मूल्य को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। पेट्रोलियम उत्पादों का बिक्री मूल्य इस प्रकार से निर्धारित किया जाता है कि यह सुनिश्चित हो सके कि मिट्टी के तेल जैसे उत्पादों का प्रयोग करने वाले महत्वपूर्ण वर्गों को उत्पाद की असली लागत से अधिक मूल्य न देना पड़े ऐसा पेट्रोल आदि जैसे कई अन्य उत्पादों के मूल्यों पर पारस्परिक आर्थिक सहायता देकर किया जाता है।

[अनुवाद]

कोरापुट जिले में "टेलीफोन टावर" की स्थापना

4121. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा दूरसंचार मंडल ने छठी योजना के दौरान डिजीटल टेलीफोन तन्त्र के लिए टेलीफोन रिले टावरों की स्थापना करने हेतु कोरापुट जिले में स्थानों का चयन किया है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं और "टावर्स" की स्थापना में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) क्या उनके मन्त्रालय ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस योजना की मंजूरी दे दी है और वर्ष 1985-86 के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) विभाग ने इंटेग्रेटिड डिजीटल नेटवर्क के क्रियान्वयन की दृष्टि से कोरापुट का चयन किया है।

(ख) अन्य चयन किए गए स्थानों के नाम नीचे दिए गए हैं :—

1. जैपोर	2. कोरापुट	3 नवरंगपुर
4. रायगुडा	5. मल्कनगिरी	6. उमरकोली
7. सुनेबेडा	8. कोटपाड़ा	9. बोरीगुमा
10. बेरीपाडा	11. दोमनजोडी	12. मुनिगुडा
13. तिरूयल्ली	14. बिस्साम कटक	15. गुनुपुर

इनके नेटवर्क की योजनाएं तैयार कर ली गई हैं।

(ग) जी नहीं। उपस्कर और निधियों की अनुपलब्धता के कारण अभी तक योजना की मंजूरी नहीं दी गई है।

शाहपुरा गांव में गैस फिलिंग स्टेशन और बाटलिंग प्लांट

4122. **श्री अजय मुशरान :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व केन्द्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री ने वर्ष 1983-84 में जबलपुर जिले में शाहपुरा गांव में भारत पेट्रोलियम और इंडियन आॅयल कारपोरेशन की संस्थापनाओं का उद्घाटन किया था ;

(ख) यदि हां, तो उनके सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या उनमें "गैस फिलिंग स्टेशन" और "बाटलिंग प्लांट" भी शामिल थे;

(घ) यदि हां, तो उनके सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (घ) 4 दिसम्बर, 1984 को तत्कालीन पेट्रोलियम राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) जबलपुर जिले में शाहपुरा में मैसर्स भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के एल० पी० जी० भरण संयंत्र की आधार शिला रखी थी। स्थल पर सिविल कार्य पहले ही आरम्भ हो चुका है तथा आयातित भरण उपस्करों के शीघ्र पहुंचने की आशा है, जबकि स्टोरेज स्फियरों के लिए आर्डर दिये गये हैं।

[हिन्दी]

कानपुर में टेलीफोन

4123. **श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कानपुर में पिछले सप्ताह से लगभग 5 हजार टेलीफोन खराब हैं जिसके कारण दूसरे शहरों को वाणिज्यिक टेलीफोन काल करने के लिये अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है ;और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और ये टेलीफोन कब से ठीक काम करना प्रारम्भ कर देंगे ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। यह कहना सही नहीं है कि कानपुर टेलीफोन जिले में 5000 टेलीफोन कई सप्ताह तक खराब रहे।

(ख) फिर भी कानपुर में विभिन्न एजेंसियों द्वारा सड़कों की निरन्तर खुदाई करने के कारण केबिल क्षतिग्रस्त हो जाने से अनेक टेलीफोन खराब हो गए। केबिलों के अधिकांश दोषों को रात-दिन कार्य करके दूर कर दिया गया तथा टेलीफोनों को ठीक कर दिया गया था।

उत्तर प्रदेश में बहु-प्रयोजनीय पेट्रोल पम्प

4124. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय कुल कितने बहु-प्रयोजनीय पेट्रोल पम्प हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में उनकी संख्या में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो कितनी वृद्धि करने का विचार है और ये किन-किन स्थानों पर और कब तक खोले जाएंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) आजकल उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे बहुउद्देशीय पेट्रोल पम्पों की कुल संख्या 100 है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) चूंकि हाई स्पीड डीजल तेल तथा मिट्टी के तेल के मूल्य में भिन्नता अवांछित तत्वों को हाई स्पीड डीजल तेल में मिलावट करने के लिए प्रेरित कर सकती है, इसलिए नये बहुउद्देशीय वितरण केन्द्र (एम०पी०डी०सी०) स्थापित न करने का निर्णय लिया गया है।

[अनुवाद]

सतना (मध्य प्रदेश) को एस०टी०डी० द्वारा अन्य शहरों से जोड़ना

4125. **श्री अजीज कुरेशी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सतना जिला (मध्य प्रदेश) को भारत के अन्य शहरों के साथ एस०टी०डी० टेलीफोन के माध्यम से जोड़ने का कोई प्रस्ताव अथवा कार्यक्रम था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अद्यतन प्रगति कितनी हुई है, और विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) सतना जिला को एस०टी०डी० प्रणाली से शेष भारत के साथ जोड़ने में कितना समय लगेगा ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सतना में स्विचन उपस्कर स्थापित कर दिया गया है। सतना को जोड़ने के

लिए संचार प्रणाली का कार्य चल रहा है। सातवीं योजना अवधि के दौरान संभवतः सतना को एस० टी० डी० के जरिए देश के प्रमुख शहरों से जोड़ दिया जाएगा।

पारेषण प्रौद्योगिकी का आयात

4126. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिजीटल इलेक्ट्रानिक संचार की पारेषण प्रौद्योगिकी का आयात किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हें यह जानकारी है कि इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, बेंगलौर ने ऐसी अनेक प्रौद्योगिकियों का विकास किया है; और

(ग) यदि हां, तो इन प्रौद्योगिकियों का आयात करने के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) मैसर्स आई० टी० आई० ने अंकीय संचारण उपस्कर के लिए अपेक्षित सभी किस्म की टेक्नोलोजी तैयार नहीं की है।

खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रमाणित संस्थानों में पूंजी निवेश

4127. **श्री सतीश चन्द्र सिंह** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग ने महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिमी बंगाल में अपने विभिन्न प्रत्यक्ष सूचीबद्ध और प्रमाणित संस्थानों में 30 जून 1985 तक कितना पूंजी निवेश किया है;

(ख) पश्चिम बंगाल में गत तीन वर्षों के दौरान कितने संस्थानों को आयोग की प्रत्यक्ष सूची के अन्तर्गत लाया गया है और पश्चिम बंगाल में इस अवधि में कितने संस्थानों को प्रमाण-पत्र दिया गया है और इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में प्रमाण-पत्र देने के लिए अब किसी भी संस्थान का निरीक्षण नहीं किया जा रहा है; और

(घ) गत एक वर्ष में कितने संस्थानों का निरीक्षण किया गया है और कितनों को प्रमाण-पत्र दिया गया है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दक्षिण बेसिन में गैस की उपलब्धता

4128. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण बेसिन के तेल क्षेत्रों से मिलने वाली प्राकृतिक गैस हजीरा-बीजापुर जगदीशपुर पाइप लाइन के मार्ग के साथ-साथ बनाये जाने वाले दस नये उर्वरक कारखानों और उनके रक्षित विद्युत संयंत्रों के साथ-साथ 500 मेगावाट वाले तीन गैर-रक्षित विद्युत संयंत्रों के लिये फीड-स्टाक के रूप में पर्याप्त होगी;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का इन एककों की प्राकृतिक गैस की मांग को किस प्रकार पूरा करने का विचार है; और

(ग) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दक्षिण बेसिन में और अधिक गैस क्षेत्र खोले जायेंगे ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क), से (ग) साऊथ बेसिन के क्षेत्रों में उपलब्ध प्राकृतिक गैस आठ नए उर्वरक संयंत्रों के फीडस्टाक तथा कैप्टिव पावर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी। एच० बी० जे० पाइप लाइन के मार्ग के साथ-साथ प्रस्तावित गैस पर आधारित दो बिजली संयंत्रों की गैस की आवश्यकता को पूरा करने के लिए साउथ बेसिन के कुछ सैटेलाइट क्षेत्रों को विकसित करने का प्रस्ताव है।

हैदराबाद में सैफाबाद में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज

4129. **श्री डी०एन० रेड्डी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैदराबाद में सैफाबाद में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज इस वर्ष पूरा हो जायेगा;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस एक्सचेंज के कब तक चालू हो जाने की सम्भावना है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : जी हां। इसे सम्भवतः चालू वित्त वर्ष के दौरान चालू कर दिया जाएगा।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) एक्सचेंज की स्थापना का कार्य प्रगति पर है और जैसा उपर्युक्त भाग (क) में बताया गया है, एक्सचेंज को सम्भवतः चालू वित्त वर्ष के दौरान चालू कर दिया जाएगा।

कम्बलों की कमी

4130. **श्री सैफुद्दीन सोज** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को कम्बलों की कमी का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि सरकारी और अर्ध-सरकारी संस्थाओं को दिए गए आर्डर पूरे नहीं किए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां।

(ख) 1979 से पहले विभिन्न विशिष्टताओं के तीन प्रकार के कम्बल अर्थात् श्रेणी "क", "ख" और "ग" प्राप्त किए जा रहे थे। 1979 में संशोधित विशिष्टताएं निर्धारित की गईं जिनमें केवल दो प्रकार, अर्थात् श्रेणी "क" और श्रेणी "ख" के ही कम्बल रखे गए। श्रेणी "क" में 40 के ग्रेड के शत-प्रतिशत शुद्ध ऊन से ही बने कम्बलों को प्राप्त करने का ही निर्णय लिया गया। ऐसा इसलिए किया गया ताकि सेना के लिए बेहतर कोटि के कम्बल सुनिश्चित किए जा सकें। इस विशिष्टता के परिणामस्वरूप आशा की जाती है कि ये कम्बल लगभग पांच वर्ष तक चल सकेंगे। यह एक महत्वपूर्ण बात है क्योंकि कम्बलों को अब इस आधार पर बदला जाता है कि उनके कितने समय तक चलने की उम्मीद है। श्रेणी "क" कम्बलों के निर्माण के लिए अपेक्षित विशिष्टताओं की ऊन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होने के कारण इस समय ऊनी कम्बलों की अधिक कमी है। लेकिन इस कमी को पूरा करने के लिए वस्त्र और पूर्ति विभागों तथा संबंधित राज्य सरकारों की सहायता से भरपूर प्रयास किये जा रहे हैं।

पंचवर्षीय विधि पाठ्यक्रम

4131. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विधि में पंचवर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम आरम्भ करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो यह पाठ्यक्रम किस तारीख से प्रवृत्त किया जाएगा; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

सिलेन्डर बनाने वाले रुग्ण एकक

4132. **श्री हरिहर सोरन** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिलेन्डर बनाने वाले अनेक एकक रुग्ण एककों की सूची में हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे रुग्ण एककों के नाम क्या हैं और उनकी संख्या कितनी है;

(ग) उन एककों की रुग्णता के क्या कारण हैं; और

(घ) उन रुग्ण एककों की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) अनेक एल०पी०जी० सिलिंडर उत्पादक एकक अपनी स्थापित क्षमता से कम काम कर रहे हैं क्योंकि देश में एल०पी०जी० सिलिण्डरों के विनिर्माण की स्थापित क्षमता तेल उद्योग की आवश्यकताओं से अधिक है। उन एककों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है जो तेल उद्योग को सिलिण्डर सप्लाई कर रहे हैं। कुछ और एकक ऐसे हैं जिन्होंने मुख्य विस्फोटक नियंत्रक से अनुमोदन प्राप्त किया है किन्तु उनको तेल उद्योग द्वारा कोई आर्डर नहीं दिये गये हैं।

(घ) इन एककों को अपने क्रियाकलापों में परिवर्तन लाने के लिए कहा गया है। नए एककों की स्थापना को हतोत्साहित करने के लिए वित्तीय संस्थाओं को यह सलाह दी गई कि वे नए एककों की स्थापना के लिए कोई ऋण न दें।

विवरण

एल०पी०जी० सिलिण्डर निर्माताओं की सूची

1. लार्सविन इंजिनियर्स
2. लार्सविन एपिलिएन्सेस
3. मैनन प्रैसर विसिल्स
4. हैदराबाद ऐलवन
5. कोसान मैंटल प्रोडक्ट्स
6. इंडियन गैस सिलिण्डर्स
7. यूनिवर्सल सिलिण्डर्स
8. भारत पम्पस एण्ड कौमप्रैसर्स
9. फरीदाबाद मैंटल उद्योग
10. श्री बालाजी सिलिण्डर्स
11. वैर्ना कौन्टेनर्स
12. जै० सिलिण्डर्स

13. नागपुर फैब्रिफोर्ग
14. हिन्दुस्तान वायर्स
15. प्राशनाथ सिलिण्डर्स
16. बालाजी प्रैशर विसिल्स
17. इनतल एपिलिएन्स
18. एसोसिएटेड कैमिकल्स एण्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग
19. हिन्दुस्तान जनरल इंडस्ट्रीज
20. मिडको कौन्टेनर्स
21. स्टैंडर्ड सिलिण्डर्स
22. इंडस्ट्रीयल औक्सीजन (प्रा०) लि०
23. बूडोपालिया इंडस्ट्रीज
24. पंकज गैस सिलिण्डर्स
25. जे०आर० फैब्रिकैटर्स
26. मूलूर सिलिण्डर्स
27. मूलून इंजिनियर्स
28. बिलभा प्रैसर विसल्स
29. क्यूरियर सिलिण्डर (प्रा०) लि०
30. भारत ब्रेक एण्ड वेल्म्स
31. साहूवाला सिलिन्डर्स
32. प्रैस्टीज फैब्रिकेट्र्स
33. यू०पी० सिलिण्डर्स (प्रा०) लि०
34. वामर लाबी एण्ड कं० लि०
35. भारत वैगन एण्ड इंजि०
36. एक्सपो गैस कौन्टेनर्स

37. विजे मैटल प्रोडक्ट्स (प्रा०) लि०

38. साहू सिलिण्डर्स एण्ड उद्योग (प्रा०) लि०

39. राजस्थान सिलिण्डर्स

40. मालव मैटल्स

41. पंजाब गैस सिलिण्डर्स

42. मौर्या उद्योग

43. बी०टी०पी० स्ट्रेक्चल

44. सुब्राबन इंडस्ट्रीयल (कौलिंग) (प्रा०) लि०

45. श्री शक्ति सिलिण्डर्स (प्रा०) लि०

46. एवी एस कौन्टेनर्स

47. नायका परमेश्वरी इंजि० (प्रा०) लि०

48. साऊथर्न सिलिण्डर्स (प्रा०) लि०

49. डेसिमा इंजिनियरिंग (प्रा०) लि०

50. सुप्रीम सिलिण्डर्स लि०

51. श्री श्रीनिवास सिलिण्डर्स (प्रा०) लि०

52 कोनार्क सिलिण्डर्स एण्ड कौन्टेनर्स

53. जिमाजो इंडि० फैब्रिकैट्र्स

54. इंडियन किचन इक्वीपमैंट

55. एसोसिएटेड सिलिण्डर्स (प्रा०) लि०

56. नार्थ इंडिया बायर्स लि०

57. कर्नाटका प्रैशर विसिल्स (प्रा०) लि०

58. एस०ओ०एल० इंजिनियर्स (प्रा०) लि०

[हिन्दी]

पेट्रोल पम्पों और गैस एजेंसियों के आबंटन के लिए साक्षात्कार

4133. **श्री के०डी० सुलतानपुरी** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में कतिपय स्थानों के लिए पेट्रोल पम्पों और गैस एजेंसियों के आबंटन के लिए इस वर्ष साक्षात्कार हुए और यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं;

(ख) साक्षात्कारों के पश्चात् इस प्रकार की एजेंसियों के आबंटन का निर्णय करने में कितना समय लगता है; और

(ग) अब तक कितने साक्षात्कार हुए हैं और इस सम्बन्ध में लिए गए निर्णय कब तक कार्यान्वित किए जाएंगे ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) हिमाचल प्रदेश में विभिन्न स्थानों के लिए एल०पी०जी० वितरकों तथा खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल/डीजल) के चयन के लिए चालू वर्ष के दौरान तेल चयन बोर्ड (उत्तर) द्वारा लिये गये साक्षात्कारों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप		आर०ओ० (पेट्रोल/डीजल) डीलरशिपें	
क्रम संख्या	स्थान	क्रम संख्या	स्थान
1.	शिमला (दो स्थान)	1.	सिरकाघाट
2.	सोलन	2.	ढिल्ली
3.	कसौली	3.	स्वारघाट
.	पालमपुर	4.	करसोग
5.	सुन्दर नगर	5.	राजघर
6.	ऊना	6.	बानीखेत
		7.	कलामब

(ख) और (ग) साक्षात्कार तथा तेल चयन बोर्ड की सिफारिशों की संसूचना संबंधित तेल कम्पनी को भेजने के मध्य लगभग 4-5 महीनों का समय लगता है।

[हिन्दी]

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में बाल एण्ड बेयरिंग एककों की स्थापना

4134. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों द्वारा विभिन्न स्थानों पर बाल एण्ड बेयरिंग के अब तक कितने एकक स्थापित किए गए हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : देश में बॉल और रोलर बियरिंग बनाने वाले 20 औद्योगिक एकक हैं, जिनका ब्यौरा अगले पृष्ठ पर दिया गया है :—

क्र० सं०	कम्पनी का नाम	स्थापना स्थल
1.	अम्बर बियरिंग मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड	नागपुर (महाराष्ट्र)
2.	एन्टी फ्रिक्शन बियरिंग कम्पनी लिमिटेड	भड़ौच (गुजरात)
3.	एन्टीफ्रिक्शन बियरिंग कम्पनी लिमिटेड	लोनावाला (महाराष्ट्र)
4.	एशियन बियरिंग्स लिमिटेड	होसूर (तमिलनाडु)
5.	दीपक इन्सुलेटेड केबल्स कम्पनी लिमिटेड	मैसूर (कर्नाटक)
6.	एच०एम०टी० बियरिंग्स लिमिटेड	हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)
7.	कर्नाटक बियरिंग्स कम्पनी लिमिटेड	मैसूर (कर्नाटक)
8.	एसोसिएटेड बियरिंग कम्पनी लिमिटेड	पूना (महाराष्ट्र)
9.	मैटल बाक्स इण्डिया लिमिटेड	खड़गपुर (प० बंगाल)
10.	नेशनल इंजी० इन्ड० लिमिटेड	जयपुर (राजस्थान)
11.	नीडल रोलर बियरिंग कम्पनी लिमिटेड	थाना (महाराष्ट्र)
12.	,, ,, ,, ,, ,,	औरंगाबाद (महाराष्ट्र)
13.	,, ,, ,, ,, ,,	जालना (महाराष्ट्र)
14.	प्रिसिजन बियरिंग इण्डिया लिमिटेड	बड़ौदा (गुजरात)
15.	रुबी बियरिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	राजकोट (गुजरात)
16.	श्री राम बियरिंग लिमिटेड	रांची (बिहार)
17.	श्री राम नीडल बियरिंग इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	रांची (बिहार)
18.	मैसूर किर्लोस्कर लिमिटेड	हरिहर (कर्नाटक)
19.	यूनियन बियरिंग मैन्यु० कम्पनी	पोरबंदर (गुजरात)
20.	आस्टिन इंजी० कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	जूनागढ़ (गुजरात)

उपर्युक्त एककों में से केवल एक ही एकक जिसका नाम मैसर्स एच०एम०टी० बियरिंग्स लिमिटेड है, भारत सरकार का सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है।

बेल्लारी में हगारी स्थान पर स्थित कार्बाइड फैक्ट्री को एसेटाइलीन ब्लैक का निर्माण करने की अनुमति

4135. श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेल्लारी जिला (कर्नाटक) में हगारी में कार्बाइड फैक्ट्री और उसी राज्य की पन्याम सीमेंट लि० को "एसेटाइलीन ब्लैक" के निर्माण की अनुमति दी गई है;

(ख) क्या उपर्युक्त मदों का प्रयोग करने वाली औद्योगिक यूनिटों को "एसेटाइलीन ब्लैक" के आयात की अनुमति दिए जाने के परिणामस्वरूप हगारी में "एसेटाइलीन ब्लैक" की स्वदेशी निर्मित भरमार हो गई है; और

(ग) यदि हां, तो हगारी स्थित स्वदेशी उत्पादन एककों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) कर्नाटक राज्य के बेल्लारी जिले में हगारी नामक स्थान पर केवल मै० पानयम सीमेंट्स एण्ड मिनरल इन्डस्ट्रीज लि० को ही एसीटाइलीन ब्लैक के निर्माण हेतु लाइसेंस दिया गया है।

(ख) और (ग) आयात नीति 1984-85 में एसीटिलीन ब्लैक परिशिष्ट 4 अर्थात् स्वतः अनुमेय मदों की सूची के अन्तर्गत था। तथापि, यह विचार करते हुए कि वर्तमान लाइसेंसशुदा क्षमता स्वदेशी मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी, चालू आयात नीति में इसे परिशिष्ट III (ए) अर्थात् एसीटिलीन ब्लैक के आयात को और सीमित कर दिया गया है।

1984 के संशोधन के पश्चात् एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियां

4136. **श्री एस०एम० भटटम:** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1984 में, उन सभी कम्पनियों, जो तब तक एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन कराने से बच रही थीं, को उसके अन्तर्गत लाने के लिये अधिनियम में संशोधन किया गया;

(ख) क्या यह सच है कि कई प्रमुख औद्योगिक गृह/कम्पनियां, जिनमें टाटा और बिड़ला की कम्पनियां भी शामिल हैं, आस्तियों की सीमा को 20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर देने से एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन समाप्त करवाने के लिये पात्र हो गई है; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कि इस प्रकार के बड़े औद्योगिक गृहों के रजिस्ट्रेशन से छूट न मिलने पर सरकार का विचार उपयुक्त कदम उठाने का है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां): (क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का (i) उच्चाधिकार विशेषज्ञ समिति (सच्चर समिति) के सुझावों; (ii) उत्पादकता और देश में व्याप्त आर्थिक स्थिति की वृद्धि के

संदर्भ में अधिनियम में आशोधन की आवश्यकता; (iii) समय-समय पर विभिन्न स्थानों से सरकार द्वारा प्राप्त सुझावों (iv) एक दशक से अधिक के अधिनियम के कार्यकरण का अनुभव और (v) कुछ न्यायिक अधिघोषणाओं के परिणामस्वरूप 1984 में संशोधन किया गया था।

(ख) नहीं, श्रीमान जी। सभी उपक्रम, अन्तः सम्बन्धित उपक्रमों की परिसम्पत्तियों सहित जिनकी परिसम्पत्ति 100 करोड़ रुपये से अधिक है, के पंजीकरण रद्द कराने के पात्र नहीं होंगे।

(ग) उत्पन्न नहीं होता है।

प्रत्येक राज्य में लोक न्यायालय

4137. **श्री एन० वी० रत्नम :** क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा दिए गए इस सुझाव की जानकारी है कि प्रत्येक राज्य में लोक न्यायालय स्थापित किए जाएं;

(ख) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) सरकार द्वारा गठित विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य न्यायमूर्ति जो लोक अदालत विचारधारा के जनक हैं, का विचार है कि लोक अदालतों को कानूनी आधार प्रदान किया जाना चाहिए। इस बात को ही ध्यान में रखते हुए निर्धनों को विधिक सहायता की बाबत समिति ने एक व्यापक विधान तैयार किया है। किन्तु समिति अभी तक प्रारूप विधान के ब्यौरों को अंतिम रूप नहीं दे सकी है।

परियोजनाओं के लिए परामर्शदाता

4138. **श्री के० पी० उन्नीकृष्णन :** क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ऐसी कितनी उर्वरक परियोजनाएं हैं जिनमें मैसर्स हेल्डोर टोपसी एक परामर्शदाता के रूप में कार्य कर रही है और उसने उत्पादन हेतु अपनी प्रौद्योगिकी अन्तरित की है;

(ख) इसे किस क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त है और उसके अनुभव सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और "फैंजो" की तुलना में इसमें क्या अन्तर है; और

(घ) कितनी अन्तर्राष्ट्रीय परियोजनाओं में निर्माताओं ने उनकी प्रौद्योगिकी को खरीदा है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) मैसर्स हेल्डोर टोपसी (एच०टी०ए०एस०) आर०सी०एफ० के माल संयंत्र एवं एन०एफ०एल० के विजयपुर परियोजना मे अमोनिया सुविधाएं सुलभ कराने के लिये परामर्शदाता का कार्य कर रहे हैं। उनका पी० डी० आई० एल० सार्वजनिक क्षेत्र के भारतीय इंजिनियरिंग संगठन के साथ प्रौद्योगिकी के अन्तरण का समझौता है।

2. एच० टी० ए० एस० के विशेषज्ञता प्राप्त क्षेत्र ये हैं :—

(i) अमोनिया संयंत्र में आवश्यक उत्प्रेरकों की सम्पूर्ण श्रृंखला का विकास करना;

(ii) मूल एवं द्वितीयक रिफार्मरों का खाका बनाना;

(iii) संश्लेषण लूप का ढांचा बनाना।

3. प्राप्त जानकारी के अनुसार, टोपसी प्रौद्योगिकी को 62 बड़े आकार के अमोनिया संश्लेषण इकाइयों एवं 45 बड़े आकार के अमोनिया रिफार्मरों में प्रयुक्त किया जा रहा है/जायेगा।

4. मैसर्स पी०डी०आई०एल० तथा एफ०ई०जी०ओ०, ने अमोनिया के उत्पादन के लिये वाणिज्यिक दृष्टि से लाभप्रद तकनीक को अभी तक विकसित नहीं किया है। परन्तु इसमें से पहली कम्पनी अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर कुछ उत्प्रेरकों का उत्पादन कर रही है।

कुछ बीमारियों के उन्मूलन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली औषधों का मूल्य निर्धारित करना

4139. **श्री प्रकाश चन्द्र** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ बीमारियों का उन्मूलन करने के लिये सरकार की कोई नीति है;

(ख) ऐसी बीमारियों के नाम क्या हैं और उनके उन्मूलन के लिये किन औषधों का प्रयोग किया जाता है;

(ग) जब इन औषधों का प्रयोग उसी बीमारी के लिये किया जाता है तो कुछ औषधों का मूल्य नियंत्रित श्रेणी में रखने और कुछ औषधों को उससे निकालने का औचित्य क्या है; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) कुष्ठरोग, तपेदिक, मलेरिया फाइलेरिया तथा दृष्टिहीनता की तरह के कुछ रोगों के उन्मूलन/रोक के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं। इन कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित औषधों में आई०एन०एच०, पी०ए०एस० इथमबुटोल, डेप्सोन, क्लोफेजीमाइन, क्लोरोक्विन, रिफेम्पसिन, विटामिन ए, डी०ई०सी० सीट्रेट आदि शामिल हैं।

(ग) और (घ) इन कार्यक्रमों के लिए अपेक्षित लगभग सभी औषधें अब मूल्य नियंत्रित हैं।

प्रादेशिक सेना के जवानों द्वारा भूतपूर्व सैनिकों के दर्जे की मांग

4140. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रादेशिक सेना के शहरी यूनिटों में अपनी माँगें पूरी करने वाले कार्मिकों को उनकी भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी में शामिल की मांग के बारे में कोई निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो यह मांग कब स्वीकार की गयी है और प्रादेशिक सेना के कितने कार्मिकों को यह दर्जा दिये जाने से लाभ मिलेगा;

(ग) क्या उनकी सेवा के दौरान सूबेदार मेजर के पद तक पदोन्नति दिये जाने और सेवा के दौरान आनरेरी कमीशन रैंक की मंजूरी देने की मांगें भी स्वीकार कर ली गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) प्रादेशिक सेना के कार्मिकों की कुछ श्रेणियों को भूतपूर्व सैनिकों का दर्जा देने का मामला विचाराधीन है।

(ग) और (घ) प्रादेशिक सेना अधिनियम 1948 में प्रादेशिक सेना कार्मिकों की सूबेदार मेजर के रैंक में पदोन्नति की व्यवस्थाएं पहले ही विद्यमान हैं। सरकार प्रादेशिक सेना के जूनियर कमीशन अफसरों को उनकी सेवा के दौरान आनरेरी कमीशन देने पर भी सहमत हो गई है।

निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों को जल और बिजली सुविधाओं की पूर्ति

4141. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नांगल/तलवाड़ा रेल लाइन के निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों ने नेशनल फर्टिलाइजर्स, नया नांगल जिला रोपड़, पंजाब के अधिकारियों से, उत्तर रेलवे को हस्तान्तरित किये गये क्वार्टरों के लिये जल और बिजली की मौजूदा सुविधाओं को जारी रखने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो अधिकारियों ने इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो निर्णय कब तक लिये जाने और कर्मचारियों को सुविधायें जारी रखने की अनुमति दिये जाने की सम्भावना है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० (एन० एफ० एल०) ने सूचित किया है कि उत्तरी रेलवे प्राधिकारियों से उनको सौंपे गये क्वार्टर्स में विद्युत और जल उपलब्ध कराने के लिये एक अनुरोध प्राप्त हुआ था। एन०एफ०एल० ऐसा नहीं कर सकी क्योंकि विद्युत और जल लाइनों को पुन: जोड़ा गया था। तथापि, एन०एफ०एल० ने कहा है कि विद्युत पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई है और जल कनैक्शन अस्थाई आधार पर एन०एफ०एल० द्वारा दिये गए हैं।

[हिन्दी]

मैसर्स ज्योति कलश पटना के विरुद्ध शिकायतें

4142. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना नगर, पटना सिटी और बांकीपुर नाम से दो भागों में विभक्त है;

(ख) यदि हां, तो क्या बांकीपुर क्षेत्र में रसोई गैस सप्लाई करने की बहुत सी एजेंसियां हैं जबकि पटना सिटी में ज्योति कलश, गायघाट, गुलजार बाग नामक एक ही एजेंसी है;

(ग) यदि हां, तो समस्त पटना सिटी उप-भाग में केवल एक ही गैस एजेंसी होने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस एजेंसी के विरुद्ध अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो शिकायतों का ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) पटना सिटी पटना सिविल जिले का अनुमंडल (सब-डिवीजन) है।

(ख) बांकीपुर (पटना शहर) में वितरक कार्य कर रहे हैं तथा एक वितरक (मैसर्स ज्योति कलश, गायघाट, गुलजार बाग) पटना शहर में कार्यरत हैं।

(ग) पटना शहर में दो और एल०पी०जी० एजेंसियां खोलने की योजना है।

(घ) और (ङ) 19.7.1984 से मैसर्स ज्योति कलश के विरुद्ध 9 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 7 शिकायतें रिफिल सप्लाई में विलम्ब तथा दो शिकायतें डी०बी०सी० स्थापित करने में

विलम्ब के बारे में थी। डीलर को भविष्य में विलम्ब न करने के निर्देश दिये गये हैं।

[अनुवाद]

उड़ीसा में तेल के लिए गवेषण

4143. **श्री के० प्रधानी**
श्री अनन्त प्रसाद सेठी
} क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में तटवर्ती क्षेत्रों में तेल की खोज के लिये की गई ड्रिलिंग और विकास के क्या परिणाम रहे हैं; और

(ख) उड़ीसा में अन्य किन-किन क्षेत्रों में तेल के लिए सर्वेक्षण कार्य करने का विचार है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) और (ख) ऑयल इंडिया लिमिटेड के पास उड़ीसा के 6800 वर्ग किलो मीटर के उस क्षेत्र में पेट्रोलियम हेतु अन्वेषण करने का लाइसेंस है, जहां तेल के लिए सर्वेक्षण किया गया है। हालांकि अभी तक कोई कुआं नहीं खोदा गया है, तथापि, 1985-86 में एक अन्वेषण कुआं खोदने का प्रस्ताव है।

ऑयल इंडिया लिमिटेड ने और आगे अपने मौजूदा सर्वेक्षण क्षेत्र के समीपवर्ती 1750 वर्ग किलो मीटर के क्षेत्र में पेट्रोलियम अन्वेषण के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के वास्ते उड़ीसा सरकार को जून, 1985 में आवेदन किया है।

बर्न स्टैन्डर्ड कम्पनी और साइकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया की स्थिति को सुधारने के लिए उपाय

4144. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बर्न स्टैन्डर्ड कम्पनी, जिसने अपने कारखाने के रिफ्रैक्ट्री वर्क्स में मजदूरों की छंटनी कर दी है तथा साइकिल कारपोरेशन आफ इण्डिया की असन्तोषजनक स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : बर्न स्टैन्डर्ड कम्पनी के कार्य-निष्पादन में सुधार हो रहा है और 1982-83 से कम्पनी को लाभ हो रहा है। कार्य-निष्पादन में आगे और सुधार लाने के लिए कम्पनी ने नई वस्तुओं जैसे आफ शोर प्लेटफार्मों कोल प्रेपरेशन संयंत्रों, इस्पात संयंत्र उपकरणों आदि का निर्माण करके विविधीकरण के लिए कार्रवाई की है। कारपोरेट मैनेजमेंट को मजबूत बनाने और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए भी कार्रवाई शुरू की गई है। कम्पनी ने अपने उस सह कारखाने में श्रमिकों की छंटनी नहीं की है। भारतीय साइकिल निगम जिसके काम की हाल ही में समीक्षा की गई है, को सलाह दी गई है कि वह उत्पादन

बढ़ाने, परिहार्य व्यय को कम करने और नकद हानियों को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

[हिन्दी]

बिहार में लघु उद्योग

4145. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बिहार में लघु उद्योगों की कुल संख्या कितनी है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : दिसम्बर 1984 के अन्त तक उद्योगों के राज्य निदेशालय, बिहार में पंजीकृत लघु उद्योग एककों की संख्या 37,136 थी।

[अनुवाद]

उड़ीसा में बी०ई०एल० द्वारा इलैक्टानिक्स उद्योग की स्थापना करना

4146. **श्री अनादि चरण दास** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने (एक) विस्तार (दो) नये उत्पाद कार्यक्रम और (तीन) नये उद्यम लगाने के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का विचार है;

(ग) बी०ई०एल० का किन-किन स्थानों पर नई परियोजनायें लगाने का विचार है और यदि राज्यों के सहयोग से कोई संयुक्त उद्यम स्थापित करने का विचार है, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उड़ीसा सरकार को इलैक्ट्रानिक क्रांति की महत्वाकांक्षी योजना को देखते हुए बी०ई०एल० द्वारा निकट भविष्य में उड़ीसा में कोई इलैक्ट्रानिक उद्योग स्थापित किया जायेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : (क) से (ग) जी, नहीं। लेकिन मैसर्स भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, राज्य के कुछ उपक्रमों को विशेष प्रकार के उत्पादन के लिए सुविधा स्थापित करने में, जब भी उन्होंने सहायता की मांग की, उन्हें तकनीकी सहायता देती रही है।

(घ) और (ङ) इस समय भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड के पास उड़ीसा में इलैक्ट्रानिकी उद्योग स्थापित करने की कोई योजना नहीं है।

सीमेंट का आयात

4147. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सीमेंट उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है;

(ख) यदि नहीं, तो गत दो वर्षों में वर्ष-वार कितनी सीमेंट का आयात किया गया;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में कितनी सीमेंट का आयात किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) देश में सीमेंट उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) अभी नहीं।

(ख) पिछले दो वर्षों में आयात किये गये सीमेंट की वर्ष-वार कुल मात्रा इस प्रकार है :—

1983-84	:	23.80 लाख मी० टन
1984-85	:	3.70 " " "

(ग) वर्ष 1984-85 में प्राधिकृत किए गए आयातों में से भारतीय राज्य व्यापार निगम द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 3 लाख मी० टन सीमेंट आयात करने के संविदा किए गए थे। इसके अलावा और सीमेंट का आयात प्राधिकृत किए जाने के बारे में अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है।

(घ) सीमेंट उद्योग के अन्तर्गत विद्यमान एककों में स्थापित करने हेतु अतिरिक्त क्षमता स्वीकृत करके तथा क्षमता के उपयोग में सुधार करने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

टेलीफोनों में निवेश

4148. डा० जी० विजयरामा राव : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में लगाये गये प्रत्येक टेलीफोन पर सरकार की 40,000 रुपये की निवेश है;

(ख) यदि हां, तो देश में टेलीफोन प्रणाली में कुल निवेश कितना है;

(ग) क्या उक्त लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार अमेरिका की तरह टेलीफोन प्रणाली को निजी उद्यम को सौंपेगी;

(घ) क्या देश में 50 प्रतिशत टेलीफोन असैनिक और सैनिक प्रतिष्ठानों के कार्यालयों और रिहायशी नामों पर हैं; और

(ङ) क्या सरकार प्रयोक्ताओं की शिकायतों तथा की गई कार्यवाही/की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में एक स्थिति पत्र प्रकाशित करेगी ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में संचार पर गठित कार्यकारी दल ने लगभग 41 लाख मुख्य टेलीफोन लाइनें प्रदान करने के उद्देश्य से नेटवर्क के एक संघटित और संतुलित विकास के लिए 13,768 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान लगाया था। इस खर्च में निम्नलिखित कार्य भी शामिल हैं : —

1990 तक व्यवहारिक रूप से मांग करने पर टेलेक्स कनेक्शन देने के उद्देश्य से टेलेक्स क्षमता का पर्याप्त रूप से विस्तार करना—तार सेवाओं में सुधार लाना तथा उनका विस्तार करना; विभिन्न नॉन वाइस सेवाएं प्रारम्भ करना; पहले से स्थापित की गई परिसम्पत्तियों पर अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए लम्बी दूरी के संचारण और स्विचिंग क्षेत्रों का संतुलित विकास करना; बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास महानगरों के लिए एक विशेष सुधार कार्यक्रम; स्वचलीकरण करके सुधार लाना तथा 8.5 लाख लाइनों की सीमा तक घिसे-पिटे और कार्य अवधि समाप्त उपस्करों को बदलना; स्थानीय एक्सचेंजों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए विभिन्न सिटी नेटवर्क के डक्टिंग सुविधा तथा उपभोक्ताओं की संतुष्टि के अनुरूप उनकी आटो मैनुअल सेवाओं और अन्य वाणिज्यिक रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण करना; ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं का विस्तार करना; इन सेट सुविधाओं का अधिकतम उपयोग करना, अनुसंधान और विकास तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ-साथ 15 प्रतिशत कार्य लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रशासनिक इमारतों और स्टाक क्वार्टरों जैसे अन्य संरचनात्मक कार्य पूरे करना तथा देश में विद्युत क्षेत्र आदि जैसे अधिकांश उपभोक्ताओं की जरूरतें पूरी करने के लिए एक घटक तैयार करना।

देश में संस्थापित प्रत्येक टेलीफोन के लिए ऊपर बताए अनुसार एक संयुक्त पैकेज के लिए प्रतिलाइन लागत लगभग 33,600 रु० आती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) विभाग द्वारा उल्लिखित श्रेणियों के सम्बन्ध में सांख्यिकीय जानकारी तैयार नहीं की जाती है। इतने कम समय में समूचे देश से इस जानकारी को एकत्र करना काफी कठिन होगा।

(ङ) जी नहीं।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में टेलीफोन तथा तार सेवा

4149. **श्री आर० एम० भोये** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष 1985-86 के लिए बेहतर टेलीफोन और तार सेवायें उपलब्ध कराने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ख) क्या वर्ष 1984-85 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूर्णत: प्राप्त कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में 1985-86 के दौरान बेहतर टेलीफोन और तार सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य निम्न प्रकार है :

(एक) लगभग 200 लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफानघर/तारघर सेवाएं प्रदान करना।

(दो) 124 कम क्षमता के ऑटोमेटिक एक्सचेंज खोलना।

(ख) जी नहीं।

(ग) सीमित मात्रा में उपस्कर तथा लाइन संबंधी साजसामान उपलब्ध न होने के कारण लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके।

ट्रैक्टरों और डीजल इंजनों के स्तर को सुधारने के सुझाव

4150. **श्री आर० एम० भोये :** क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ट्रैक्टरों और डीजल इंजनों के स्तर में सुधार करने के लिए कोई विशेषज्ञ समिति गठित की है और उसे कुछ सुझाव मिले हैं और क्या कुछ सुधार किये गये हैं;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि इन ट्रैक्टरों और डीजल इंजनों के घटिया किस्म के कारण किसानों को भारी घाटा उठाना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) ट्रैक्टरों और इंजनों के प्रौद्योगिकी सम्बन्धी उन्नयन के लिए योजनाएं तैयार करने हेतु सरकार द्वारा गठित की गई समितियों द्वारा अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही प्रस्तुत किए जाने की आशा है।

(ख) ट्रैक्टरों और डीजल इंजनों की गुणवत्ता के बारे में उपयोक्ताओं से कोई विशिष्ट शिकायतें नहीं मिलीं हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

बेतार संचार सेवा

4153. श्री आनन्द पाठक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 21वीं सदी के महान पदार्पण की तैयारी के लिए एक फ्रीक्वेंसी बैण्ड के भीतर बेतार संचार प्रणाली स्थापित करने और चलते-चलते (मोबाइल) टेलीफोन आरम्भ करने की अनुमति देने में क्या कठिनाइयां हैं;

(ख) कितने पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग लगाने का विचार है और क्या सरकार उसके लिए वित्तीय रियायतें भी दे रही है किन्तु वहां पर टेलीफोन सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं; और

(ग) क्या बेतार संचार के उदार इस्तेमाल से पिछड़े क्षेत्रों के विकास में सहायता मिलेगी ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) इस मामले में कोई पर्याप्त तकनीक कठिनाइयां नहीं हैं। फिर भी अपर्याप्त संसाधनों के कारण इनको स्थापित करने की कुछ सीमा बद्धताएं हैं।

(ख) जब भी उद्योगों द्वारा समय पर अग्रिम सूचना दी जाती है और निश्चित मांग प्रस्तुत की जाती है, तो विभाग टेलीफोन सुविधायें प्रदान कर देता है। फिर भी समय पर अपेक्षित मात्रा में इन सुविधाओं को प्रदान करने में संसाधन की दिक्कतें पुनः बाधक बन जाती हैं।

(ग) प्रत्येक पिछड़े क्षेत्र में इंजीनियरी समाधान ही अलग किस्म की आवश्यकता होती है। कुछ क्षेत्रों में रेडियो संचार उपयोगी होगा।

हावड़ा में टेलीफोन और दूर संचार उपकरणों का कारखाना स्थापित करना

4154. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का सातवीं योजना के दौरान हावड़ा में, जहां इस क्षेत्र में सबसे उत्तम कुशल श्रमिक और बेहतर बुनियादी ढांचा है एक टेलीफोन और दूर संचार उपकरण कारखाना स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस पर कब कार्यवाही करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) से (ग) स्वदेशी इलेक्ट्रानिक स्विचिंग प्रणाली हित टेलीमेटिक्स के विकास के राष्ट्रीय केन्द्र द्वारा आवश्यक तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने के बाद डिजिटल इलेक्ट्रानिक स्विचिंग के तीसरे और बाद वाले कारखानों की स्थापना के लिए स्थान पर विचार किया जाएगा। यह तकनीकी जानकारी 1986-87 के अन्त में प्राप्त होने की संभावना है। अत: इन कारखानों के लिए इस समय स्थान तय करना जल्दबाजी होगी।

फ्रांस की सहायता से टेलेक्स लाइनें और टेलीफोन एक्सचेंज

4155. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मंत्री फ्रांस की सहायता से टेलेक्स लाइनें और टेलीफोन एक्सचेंज के बारे में 23 जुलाई, 1985 के तारांकित प्रश्न संख्या 6 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन केन्द्रों के सर्किलवार क्या नाम हैं जिनके लिए 23 इलेक्ट्रानिक और 15 ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज मंजूर किये गये हैं;

(ख) उन स्थानों के क्या नाम हैं जहां इनमें से कुछ वस्तुतः स्थापित कर दिये गये हैं तथा सर्किलवार इनकी स्थापना की क्या तारीख है;

(ग) सर्किलवार उन शेष स्थानों के क्या नाम हैं जहां इन एक्सचेंजों के स्थापित करने की योजना तैयार की गई है और किस तारीख तक इनको (एक) आयात किये जाने (दो) लगाये जाने (तीन) शुरू किये जाने की सम्भावना है; और

(घ) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) (एक) उन स्थानों के नाम जहां 23 स्थानीय डिजिटल एक्सचेंज की मंजूरी दे दी गई हैं, उनका ब्यौरा निम्न प्रकार है :

क्र० सं०	स्थान का नाम	एक्सचेंजों की संख्या	सर्किल का नाम
1	2	3	4
1.	बंबई	7	बंबई टेलीफोन जिले।
2.	कलकत्ता	4	कलकत्ता टेलीफोन जिले।
3.	दिल्ली	5	दिल्ली टेलीफोन जिले।
4.	मद्रास	2	मद्रास टेलीफोन जिले।
5.	अहमदाबाद	1	अहमदाबाद टेलीफोन जिले।
6.	हैदराबाद	1	हैदराबाद टेलीफोन जिले।

1	2	3	4
7.	कानपुर	1	कानपुर टेलीफोन जिले
8.	पठानकोट	1	उत्तर पश्चिम सर्किल
9.	श्रीगंगानगर	1	राजस्थान सर्किल,

(दो) जिन 16 स्थानों पर ई-10 बी० ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंजों की मंजूरी दी गई है, उनका ब्यौरा निम्न प्रकार है —:

1.	आगरा	उत्तर प्रदेश सर्किल
2.	वाराणसी	
3.	लखनऊ	
4.	जालंधर	उत्तर पश्चिम सर्किल
5.	लुधियाना	
6.	पुणे	पुणे टेलीफोन जिले।
7.	त्रिची	तामिलनाडु सर्किल
8.	राजकोट	गुजरात सर्किल
9.	सूरत	
10.	विशाखापटनम्	आंध्र प्रदेश सर्किल
11.	कटक	उड़ीसा सर्किल
12.	जोधपुर	राजस्थान सर्किल
13.	बेंगलूर	बेंगलूर टेलीफोन जिले।
14.	रांची	बिहार सर्किल
15.	रायपुर	मध्य प्रदेश सर्किल
16.	भोपाल	

(ख) (एक) निम्नलिखित स्थानों पर ई-10 बी० एक्सचेंज खोल दिए गए हैं :

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	चालू होने की तारीख	सर्किल का नाम
1.	बंबई वर्ली-111	10.4.1985	बंबई टेलीफोन जिले।
2.	कानपुर लाजपतनगर (5000 लाइनें मुख्य)	4.7.1985	कानपुर टेलीफोन जिले।

(दो) कोई भी ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज अभी संस्थापित नहीं किया जा सका है।

(ग)—(एक) शेष स्थानीय ई-10-बी० एक्सचेंजों की सूची निम्न प्रकार है जहां उनके संस्थापन की योजना है। इन सभी एक्सचेंजों के लिए उपकरणों का पहले ही आयात किया जा चुका है और कार्य स्थल पर उपलब्ध है। अधिकांश एक्सचेंजों का संस्थापन किया जा रहा है उनके चालू होने का अस्थाई वर्ष उनके सामने दिया गया है।

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	सर्किल	आयात का वर्ष	संस्थापन कार्य चालू है	चालू होने का संभावित वर्ष
1	2	3	4	5	6
1.	बंबई वाडला-II	बंबई टेली-फोन जिले	पहले से ही आयात कर लिया गया है	हां	1985-86
2.	बंबई घटकोपड़	,,	,,	हां	1985-86
3.	बंबई मारोल-III (स्थानीय)	,,	,,	हां	1985-86
4.	बंबई मारोल टेंडम	,,	,,	हां	1985-86
5.	बंबई कोपरेज-V	,,	,,	हां	1986-87
6.	बंबई खार-III	,,	,,	नहीं	1986-87
7.	कलकत्ता मध्य-1	कलकत्ता टेली-फोन जिले	,,	हां	1986-87
8.	कलकत्ता मध्य-2	,,	,,	हां	1985-86
9.	कलकत्ता टेलीफोन भवन	,,	,,	हां	1986-87

1	2	3	4	5	6
10.	कलकत्ता काशीपोर टेंडम	कलकत्ता टेलीफोन जिला	पहले से आयात कर लिया गया	नहीं	1986-87
11.	दिल्ली-करोल बाग टेंडम	दिल्ली टेली फोन जिले	,,	हां	1985-86
12.	दिल्ली-राजौरी गार्डन	,,	,,	हां	1986-87
13.	दिल्ली-शक्तिनगर	,,	,,	नहीं	1986-87
14.	दिल्ली-ओखला	,,	,,	नहीं	1986-87
15.	दिल्ली-शाहदरा दक्षिण	,,	,,	नहीं	1986-87
16.	मद्रास-अन्नारोड टेंडम	मद्रास टेली-फोन जिले	,,	हां	1985-86
17.	मद्रास-फ्लावर बाजार (टेक्स भवन)	,,	,,	हां	1985-86
18.	अहमदाबाद रेलवे पुरा-VI	अहमदाबाद टे० जिले	,,	हां	1985-86
19.	हैदराबाद-शैफाबाद	हैदराबाद टे० जिले	,,	हां	1985-86
20.	पठानकोट	उत्तर पश्चिम सर्किल	,,	हां	1985-86
21.	श्रीगंगानगर	राजस्थान सर्किल	,,	हां	1985-86
21. (क)	कानपुर (5000, लाइन)	कानपुर टेली-फोन जिले	,,	हां	1985-86

(दो) ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंजों के नाम निम्न प्रकार हैं जहां उनकी योजना है। उपस्कर वितरण तथा चालू होने का संभावित वर्ष उनके नाम के सामने दिया गया है :—

क्र० सं०	टी० ए० एक्स० का नाम	सर्किल का नाम	उपस्कर वितरण का संभावित वर्ष	चालू होने का संभावित वर्ष
1	2	3	4	5
1.	आगरा	उत्तर प्रदेश	1985-86	1986-87
2.	वाराणसी	उत्तर प्रदेश	1986-87	1987-88
3.	लखनऊ	उत्तर प्रदेश	1985-86	1986-87
4.	जालंधर	उत्तर पश्चिम सर्किल	1985-86	1986-87
5.	लुधियाना	—वही—	1986-87	1987-88
6.	पुणे	पुणे टेलीफोन जिले	1985-86	1986-87
7.	त्रिची	तामिलनाडु सर्किल	1985-86	1986-87
8.	राजकोट	गुजरात सर्किल	1986-87	1987-88
9.	सूरत	गुजरात सर्किल	1986-87	1987-88
10.	विशाखापटनम	आंध्र प्रदेश सर्किल	1986-87	1987-88
11.	कटक	उड़ीसा सर्किल	1986-87	1987-88
12.	जोधपुर	राजस्थान सर्किल	1986-87	1987-88
13.	बेंगलूर	बेंगलूर टेलीफोन जिला	1986-87	1987-88
14.	रांची	बिहार सर्किल	1986-87	1987-88
15.	रायपुर	मध्य प्रदेश सर्किल	1986-87	1987-88
16.	भोपाल	—वही—	1986-87	1987-88

(ख) विलंब के मुख्य कारण निम्न प्रकार हैं :--

(1) भवन निर्माण के कार्य में विलंब और ई-10 बी०-एक्सचेंज के लिए अपेक्षित विशेष पर्यावरणीय मौसम।

(2) देश में पहली बार ई-10-एक्सचेंज के वर्ली-III बंबई में संस्थापन में विलंब हुआ। चूंकि वर्ली में देश का पहला 10 बी० एक्सचेंज चालू किया गया था अतः उपभोक्ताओं को अच्छी सेवा देने तथा नेटवर्क में बेहतर कार्य-निष्पादन के लिए इसका कड़ा परीक्षण किया जाना अपेक्षित था। परीक्षण के दौरान अनेक तकनीकी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और समुचित संशोधन करते हुए इन समस्याओं को दूर किया गया। आवश्यक संशोधन करने के बाद वर्ली-III एक्सचेंज अप्रैल, 1985 में चालू हो गया था। सीमित संस्थापन दल, औजार एवं परीक्षण उपकरणों का अधिकतम प्रयोग करते हुए अन्य एक्सचेंज उत्तरोत्तर स्थापित किए जा रहे हैं।

(3) पी० सी० एम० प्रणाली के संस्थापन तथा जंक्शन नेटवर्क तैयार करने के कारण विलंब हुआ।

पश्चिमोत्तर मंडल में भंडारों तथा लाइन उपकरणों की कमी

4156. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वहां दूरसंचार सुविधाओं की स्थापना हेतु अत्यन्त आवश्यक भंडारों और लाइन उपकरणों की जबर्दस्त कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और 1 अप्रैल, 1985 से 30 तारीख तक पश्चिमोत्तर दूरसंचार मंडल में टेलीग्राफ इंजीनियरिंग डिवीजन और टेलीफोन डिवीजन के लिए वस्तुतः कितने भंडार आबंटित किये गये हैं; और

(ग) इस कमी को दूर करने और इसी कमी के कारण से रुकी पड़ी अथवा शुरू नहीं की गयी परियोजनाओं को पूरा करने हेतु आवश्यक भंडारों की व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1984-85 के दौरान जी० आई० तार को छोड़कर सामान्यतया भंडार और लाइन सामग्री की कोई पर्याप्त कमी नहीं थी। फिर भी वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान स्थिति में सुधार हुआ।

(ख) जी० आई० तार की कमी कुछ फर्मों द्वारा जिन्हें आर्डर दिया गया था, सामग्री की सप्लाई न करने के कारण हुआ। उत्तर पश्चिम दूरसंचार सर्किल को वर्ष 1985-86 की पहली और दूसरी तिमाही के लिए आबंटित उपस्कर और लाइन तथा तार भंडार की कुछ मुख्य मदों की मात्रा तथा 1.4.85 से 31.7.85 तक की अवधि के दौरान सप्लाई की गयी। मंडलवार मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है :—

(ग) भंडार की आबंटित मात्रा उत्तरोत्तर सप्लाई की जा रही है। उत्तर पश्चिम दूरसंचार सर्किल को जी० आई० तार और स्टाक्स की शीघ्र सप्लाई करने के लिए प्रबंध किये गये हैं।

विवरण

मद		हैमिलटन ट्यूब	साकेट	ब्रकेट	4 तार स्टाल्क	जी० आर० तार	एस० ए० ए०
उत्तर पश्चिम सर्किल के लिए जारी किए गए 1985-86 की पहली और दूसरी तिमाही का आबंटन		21470	10458	9712	42692	140 मीटरटन	27 (पूरे)
क्रमांक	मंडल	1-4-85 से 31-7-85 तक मंडलवार प्राप्त सप्लाई					
1.	शिमला	1085	424	1248	4174	7564 कि०ग्रा०	2
2.	धर्मशाला	1220	936	860	5960	10860—वही—	2
3.	सूरजपुर	681	460	652	3440	1960—वही—	—
4.	पटियाला	1027	536	450	17413	4372—वही—	—
5.	मोगा	232	86	100	2000	—	—
6.	पठानकोट	288	266	—	3838	665—वही—	—
7.	अमृतसर	7	398	—	3266	—	1
8.	जालंधर	306	154	365	8912	10584—वही—	1
9.	भटिंडा	—	162	—	2948	3135—वही—	—
10.	संगुरूर	349	541	245	2156	—	—
11.	करनाल	229	350	226	3469	395—वही—	—
12.	हिसार	1858	1003	1263	7390	13695—वही—	—
13.	रोहतक	121	104	125	1114	900—वही—	—
14.	अम्बाला (फोनस)	—	—	—	209	——वही—	—
15.	अम्बाला (टेलीग्राम)	757	101	180	8252	4350—वही—	—
16.	गुड़गांव	430	407	404	610	2000—वही—	—

पेट्रोलियम उत्पादों का प्रतिस्थापक

4158. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :** क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के प्रतिस्थापकों की खोज के लिए कोई अध्ययन अथवा सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कौन-कौन से अन्य पदार्थ पेट्रोलियम उत्पादों के विकल्प के रूप में प्रयोग किये जा सकते हैं; और

(घ) उनके अलग-अलग गुण तथा दोष क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (अनुसंधान एवं विकास) तथा इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम (आई० आई० पी०) ने पेट्रोल तथा डीजल के आंशिक स्थानापन्न के रूप में क्रमशः अल्कोहल-एथनोल तथा मथनोल पर प्रयोगशाला तथा फील्ड परीक्षण किये हैं। एथनोल तथा मेथनोल की सान्द्रता को 20 प्रतिशत तक क्रमशः गैसोलीन तथा डीजल में मिलाकर सम्मिश्रण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। नेशनल वोटोनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट तथा इंडियन इंस्टीट्यूट तथा इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम पेट्रो-क्रॉप और उसे पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों में परिवर्तित किये जाने की सम्भाविता पर अनुसंधान कर रहे हैं।

(घ) चूंकि अल्कोहल ईंधनों की आक्टेन संख्या उच्च होती है, अतः इनका प्रयोग अमिश्रित और पेट्रोल के सम्मिश्रण के रूप में किया जा सकता है। जिसके परिणामस्वरूप वाहनों में सीसे (लेड) के प्रदूषण को कम किया जा सकता है। इनके कार्बुरेशन डीजल वाले वाहनों के धुएं को कम करने में सहायक होते हैं। परन्तु अल्कोहल के प्रयोग इंजनों की टूट-फूट में वृद्धि, तेल का तीव्रता से डिग्रिडेशन तथा ईंधन प्रणाली वाले संघटकों में जंग लगने के तथ्य के बारे में पता चला है। जहां तक पेट्रो-क्रॉप का प्रश्न है, चूंकि अनुसंधान कार्य अभी प्रारम्भिक अवस्था में है, अतः अभी उनके लाभ या हानियों का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।

यंत्र उद्योग द्वारा प्रौद्योगिकी आयात में कमी करने के लिए अनुसंधान और विकास केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव

4159. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यंत्र उद्योग ने प्रौद्योगिकी के आयात में कमी करने के लिए अनिवासी भारतीयों की

सहायता से अनुसंधान और विकास केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव किया है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में उस उद्योग को कोई सहायता देने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) अनुसंधान और विकास केन्द्रों की स्थापना करने के लिए सहायता के प्रश्न पर इस सम्बन्ध में विशेष प्रस्ताव के प्राप्त होते ही विचार किया जाएगा। तथापि, सरकार द्वारा पालघाट (केरल) में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से तरल नियंत्रण अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जा रही है।

एरीथ्रोमाईसिन का उत्पादन

4160. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध मध्यवर्ती टी० आई० ओ० सी० और 6 ए० पी० ए० पर सीमा शुल्क 1 सितम्बर, 1984 में बढ़ाया गया था जिससे जीवन रक्षक औषधियां आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गयी हैं; और

(ख) जिन कम्पनियों को वर्ष 1984-85 में लाइसेंस जारी किये गये थे उनके द्वारा एरीथ्रोमाईसिन का कितना उत्पादन किया गया ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) 6-ए० पी० ए० के आयात शुल्क में मार्च 1979 के पश्चात केवल एक बार संशोधन किया गया था। अगस्त, 1984 में यह संशोधन राज्य व्यापार निगम नामक जैसी सरणीबद्ध एजेन्सियों के अलावा अन्यों द्वारा किये गये आयातों के सम्बन्ध में इस दृष्टि से किया गया था कि अनियमित आयातों से 6 ए० पी० ए० के घरेलू उत्पादन पर प्रभाव न पड़े।

जहां तक टी० आई० ओ० सी० का सम्बन्ध है, इस मध्यवर्ती पर सीमा शुल्क में 25 प्रतिशत से वर्तमान 135.21 प्रतिशत (कुल) के स्तर तक की वृद्धि कर दी गई थी ताकि टी० आई० ओ० सी० से मूल अवस्था से उत्पादित इरिथ्रोमाईसिन और इसके इस्टर्स एक समान मूल्य पर उपलब्ध हो सके।

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान संगठित क्षेत्र के किसी भी निर्माता को इरिथ्रोमाइसिन के उत्पादन के लिये औद्योगिक लाइसेंस प्रदान नहीं किया गया था।

सिलेंडर भरने के उपकरण की अनुपलब्धता के कारण प्राकृतिक गैस का जलाया जाना

4161. श्री **जगन्नाथ पटनायक** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ ऐसे मामलों का पता चला है जिनमें सिलेन्डर भरने के उपकरणों और सिलेंडरों की अनुपलब्धता के कारण बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस जलाई गई;

(ख) यदि हां, तो उक्त (क) भाग में उल्लिखित उपकरणों और सिलेंडरों के आयात के लिए कुल कितने निवेश की आवश्यकता है; और

(ग) अब तक कितनी मात्रा में गैस जलाई गई है और खुदरा उपभोक्ता मूल्यों के अनुसार उसका कितना मूल्य है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) भरण उपस्करों तथा एल० पी० जी० सिलेंडरों की अनुपलब्धता के कारण प्राकृतिक गैस को नहीं जलाया जा रहा है क्योंकि देश में ये पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। एल० पी० जी० की भांति प्राकृतिक गैस को किफायती तौर पर सम्पीड़ित करके सिलेंडरों में भर कर नहीं रखा जा सकता है। और न ही खुदरा उपभोक्ताओं को इसकी सप्लाई की जा सकती है। अपतट पर सम्पीड़न सुविधाओं की अपर्याप्तता डाऊनस्ट्रीम आधारभूता (इंफ्रास्ट्रकचरल) सुविधाओं की अपर्याप्तता, उपभोक्ताओं की वचनबद्ध मात्रा के उठान की असफलता, सुरक्षात्मक कारणों आदि से इस गैस को जलाया जा रहा है।

वर्ष 1984-85 के दौरान जलाई गई प्राकृतिक गैस की कुल मात्रा 3052 मि० घन मीटर थी। इस गैस का सांकेतिक मूल्य जिसका परिकलन 30-52 करोड़ रुपये था, 100 रुपये प्रति हजार घन मीटर की उस दर पर किया गया है। जो देश में वसूल की जाने वाली न्यूनतम दर है।

आन्ध्र प्रदेश में हैदराबाद तथा सरूरनगर में नए टेलीफोन कनेक्शन

4162. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए टेलीफोन कनेक्शन देने के मामले में आन्ध्र प्रदेश विशेष रूप से हैदराबाद तथा सरूरनगर, की उपेक्षा की जा रही है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा आन्ध्र प्रदेश में विशेष रूप से हैदराबाद तथा नलगोंडा जिले में टेलीफोन व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं।

(ख) हैदराबाद टेलीफोन प्रणाली में 1984-85 के दौरान लगभग 4800 नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए थे और लगभग 7,000 टेलीफोन 1985-86 में दिए जाएंगे। 1.4.85 को प्रतीक्षा सूची में 31,661 नाम दज थे तथा इस प्रणाली सूची के सातवीं योजना अवधि में निपटा दिए जाने की संभावना है। सरूर नगर की प्रतीक्षा सूची में वृद्धि हुई है क्योंकि मौजूदा इमारत में एक्सचेंज का विस्तार नहीं किया जा सका। अगले दो वर्षों में इस एक्सचेंज को बदलने तथा इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज की 2,000 लाइनों में इसका विस्तार किए जाने का प्रस्ताव है।

नलगोंडा जिले को इस समय 82 छोटे एक्सचेंजों से 4079 टेलीफोन दिए गए हैं। इस समय वहां प्रतीक्षा सूची में 165 नाम हैं जिन्हें सातवीं योजना अवधि में टेलीफोन दे दिए जाएंगे।

वेरालगन, केकोन आदि का उत्पादन और आयात

4163. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम्पीसिलीन, एस० एम०जेड०, टी० एम०डी० जैसी औषधियां जो पहले ही प्रचुर मात्रा में हैं और जो भारतीय कम्पनियों और लघु एककों द्वारा पहले से तैयार की जाती हैं को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को इनके उत्पादन की छूट दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इनके क्या कारण हैं;

(ग) क्या वेरालगन, केकोन, पायरेटल, कागोर, डाइलोक्साइड, डाइफेनोक्सीलेट आदि जैसी दवाओं का उत्पादन केवल बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा किया जाता है किन्तु फिर भी उन्हें लाइसेंस से मुक्त नहीं किया गया; और

(घ) इन दवाओं के उत्पादकों, पिछले तीन वर्षों के दौरान इनके उत्पादन और आयात का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) 1978 से प्रचलित नीति के अधीन, मांग/क्षमता संबंधी तथ्यों पर ध्यान दिए बिना, गैर फेरा गैर एम० आर० टी० पी० कम्पनियां उन औषधों के सम्बन्ध में डी० जी० टी० डी० के साथ पंजीकरण के लिए पात्र हैं जो लघु उद्योग क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं हैं। लाइसेंस मुक्त करने सम्बन्धी योजना लाइसेंस मुक्त की गई प्रपुंज औषधों तथा फार्मूलेशनों के सम्बन्ध में इन कम्पनियों के लिए प्रक्रिया को और सरल करती है।

(ग) और (घ) फाइजर ने अभी हाल ही में पिरेटल पामोएट का उत्पादन आरम्भ किया है। यद्यपि डाईफनोक्सीलेट का सर्ले द्वारा उत्पादन किया जा रहा है, इस पर इस मन्त्रालय द्वारा निगरानी नहीं रखी जा रही है। पिछले तीन वर्षों के वेरालगन कीटोन तथा डिलेक्सोनाइड फ्यूरोएट के उत्पादन के कम्पनीवार ब्यौरे अगले पृष्ठ पर दिए गए हैं :—

प्रपुंज औषध का नाम	कम्पनी का नाम	निम्नलिखित के दौरान उत्पादन		
		1982-83	1983-84	1984-85
बारालगन कीटोन	होचेस्ट	2.89 टन	3.91 टन	2.41 टन
डिलोक्सामाइड फ्यूरोएट	सिपला	4.99 "	4.61 "	8.81 " अन्तिम
	बूटस	9.96 "	10.68	13.12 "
	यूनीचैक	—	2.72 "	6.36 "

आयात के ब्यौरे मंथली स्टेटिस्टिक्स आफ फारेन ट्रेड, वाल्यूम 2 में, प्रकाशित किए जाते हैं, जिसकी प्रतियां संसद के ग्रंथागार में उपलब्ध हैं।

लाइसेंस मुक्त करने सम्बन्धी सरकार की नीति का सतत पुनरीक्षण किया जाता है।

टाइटेनियम डाइआक्साइड का उत्पादन

4164. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैसर्स ट्रावनकोर टाइटेनियम प्रोडक्ट्स लिमिटेड त्रिवेन्द्रम और केरल मिनरल्स एण्ड मैटल्स लिमिटेड, चावड़ा की टाईटेयिम डायआक्साईड के उत्पादन की प्रतिष्ठापित क्षमता क्या है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : टिटेनियम डाईआक्साइड के उत्पादन के लिए मैसर्स ट्रावनकोर टिटेनियम प्राडक्टस लि० त्रिवेन्द्रम तथा मैसर्स केरल मिनरल्स एण्ड मेटल्स लि०, केरल की वर्तमान वार्षिक स्थापित क्षमता क्रमशः 24,500 और 22,000 मी० टन है।

अन्य ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र०सं०	कम्पनी का नाम	स्थान	जारी होने की तारीख	विदेशी सहयोगी का नाम
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स ट्रावनकोर टिटेनियम प्राडक्ट्स लि०	त्रिवेन्द्रम	अक्तूबर, 1951	इस समय कोई सहयोगी नहीं।

1	2	3	4	5
2.	*मैसर्स केरल मिनरल्स एण्ड मेटल्स लि०	चावरा क्विलोन जिला	1.1.1985	1. सिन्थेटिक स्टाइल आदि के उत्पादन के लिए मैंसर्स बेनिलाइट कार्पोरेशन, यू०एस०ए०। 2. रिसाइकिलंग आफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आदि के लिए मैसर्स वूडाल ड्यूखम लि० यू० के०। 3. टिटेनियम डाइओक्साइड पिगमेन्ट आदि के उत्पादन के लिए मैंसर्स कैर-मेक गी कैमिकल्स कार्पोरेशन यू० एस० ए०।

औषधि उत्पादन के स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास

4165. श्री भोला नाथ सेन
श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 25 जुलाई, 1985 के "विजनेस स्टैंडर्ड" में "एम०एन०सी० आउट टू सेबोटेज ड्रग कम्पनीज इनोवेशन्स" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने केरल शास्त्र परिषद के निष्कर्षों की जांच की है या इन आरोपों की छानबीन की है कि बहुराष्ट्रीय निगम भारती फार्मास्युटिकल्स उद्योग में हो रहे नव परिवर्तनों को विफल बना रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकाले;

(घ) इस मामले में सरकार का रुख क्या है;

(ङ) केरल शास्त्र परिषद की रिपोर्ट में उल्लिखित मामलों के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) औषधि उत्पादन में स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

* कम्पनी की कुल लाइसेंस शुदा क्षमता 48,000 टन है। उन्होंने फिलहाल 22,000 टन की आंशिक क्षमता कार्यान्वित की है।

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) केरल शास्त्र परिषद की रिपोर्ट में उल्लिखित इंडियन इनोवेशन्स एक विक्टिम आफ सेबोटेज बाई मल्टीनेशनल कार्पोरेशन का विशिष्ट घटना में अधिकांशतः 1978 की औषध नीति से पूर्व की अवधि का हवाला दिया गया है। 1978 का औषध नीति में फैरा औषध कम्पनियों के लिए क्षेत्रों को विशेष रूप से अलग रखा गया है। बाद वाली कम्पनियों को केवल मूल अवस्था से उन औषधों का निर्माण करने की अनुमति है जो सार्वजनिक क्षेत्र अथवा भारतीय क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है और जिनकी प्रक्रिया में उच्च प्रौद्योगिकी निहित है।

औषधों और भेषजों के उत्पादन के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास को प्रोत्साहित करने हेतु कुछ प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं, जैसे कि :—

1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुमोदन से लाईसेंस समाप्त करना,

2. मान्यताप्राप्त प्रयोगशालाओं के लिए आयात नीति में उदार बर्ताव,

3. स्वदेशी आर०एण्ड डी० के माध्यम से देश में पहली बार विकसित की गई बल्क औषधों पर से मूल्य नियन्त्रण हटाना।

बिना लाइसेंस के चल रहे पेट्रोल पम्प

4166. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 जुलाई, 1985 के सांध्य टाइम्स में "32 पेट्रोल पम्प बिना लाइसेंस चल रहे हैं" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या नई दिल्ली क्षेत्र में वर्षों से बिना लाइसेंस के और अवैध रूप से पेट्रोल पम्प चलाये जा रहे हैं और उनमें से कुछ पेट्रोल पम्प चलाने के लिए दिए गए लाइसेंस की शर्तों के उपबन्धों के विरुद्ध अवैध रूप से पूर्ण स्तर की मरम्मत वर्कशाप चला रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इन पेट्रोल पम्पों का ब्यौरा क्या है ये कब से बिना लाइसेंस के और अवैध रूप से चल रहे हैं तथा कब से पूर्ण स्तर की ये वर्कशाप चलाई जा रही हैं और इस ओर ध्यान न दिए जाने के क्या कारण हैं तथा पेट्रोल पम्पों के लाइसेंस में निर्धारित शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या यह आम शिकायत है कि पेट्रोल पम्प पर हर समय निशुल्क हवा भरने की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समाचार पत्र में उल्लिखित खुदरा बिक्री केन्द्रों को तेल कम्पनी के पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई हेतु आवश्यक प्राधिकार हैं। इनमें से कुछ बिक्री केन्द्रों ने उपभोक्ताओं को उचित सेवा देने के उद्देश्य से मरम्मत कार्य या आपातकालीन खराबियों को दूर करने जैसे विदिक कार्यों के लिए सुविधाएं स्थापित कर ली हैं।

(घ) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में अधिकतर खुदरा बिक्री केन्द्रों पर निशुल्क हवा भरने की सुविधा उपलब्ध है। यह सुविधा कार्यकाल के दौरान उपलब्ध है। परन्तु, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में आजकल यह सुविधा कुछ खुदरा बिक्री केन्द्रों पर उपलब्ध नहीं है। इन खुदरा बिक्री केन्द्रों पर भी उपर्युक्त सुविधा उपलब्ध कराने के लिए तेल कम्पनियां तत्काल कदम उठा रही हैं।

[हिन्दी]

बिहार के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में शाखा डाकघर और तारघर खोलना

4167. **श्री काली प्रसाद पाण्डेय** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान बिहार में जिलावार कितने शाखा डाकघर और तारघर खोले जाने हैं और उनमें से कितने शाखा डाकघर, तारघर पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में खोले जाने हैं;

(ख) बिहार के विभिन्न बड़े नगरों में हरे रंग वाले कितने और अधिक लेटर बाक्स लगाए जाने हैं; और

(ग) इन नए डाक और तारघरों के खोलने पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 7वीं योजना के लिए अभी लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

(ख) बिहार के किसी भी शहर में हरे रंग की कोई भी पत्र पेटी नहीं लगाई जाएगी। बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, हैदराबाद, बेंगलूर और अहमदाबाद में प्रायोगिक आधार पर 3 महीने की अवधि के लिए हरे रंग की पत्र पेटियां लगाई गई हैं और अन्य शहरों में हरे रंग की पत्र पेटियां लगाने का निर्णय, इन प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के मूल्यांकन के बाद ही लिया जाएगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

रिगों के लिए किराया

4168. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय का ध्यान 2 जनवरी, 1985 के "नवभारत टाइम्स" में "देश की दौलत कौन लूट रहा है" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रिगों का 11 सितम्बर, 1983 तक का किराया 8 करोड़ 58 लाख 80 हजार डालर था जिसमें तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग 7 करोड़ 42 लाख 47 हजार डालर का पहले ही भुगतान कर चुका है;

(ग) क्या किराए के लिए इतनी बड़ी धनराशि का भुगतान करने के लिए किसी की जिम्मेदारी निर्धारित की गई है जबकि उस समय रिग की लागत केवल 2 करोड़ और 19 लाख डालर थी; और

(घ) अब तक देशवार कितनी रिगें किराए पर ली गईं, वे किन-किन तारीखों को किराए पर ली गईं और प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि का भुगतान किया गया ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी, नहीं। समाचार-पत्र में कोई ऐसी मद नहीं थी जिसका संदर्भ प्रश्न में दिया गया है।

(ख) से (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क—तटीय रिग

क्रम सं०	रिग का नाम	दैनिक आपरेटिंग दर	अवधि
1	2	3	4
यू० एस० ए०			
1.	डलमोह	यू० एस० डालर 25,000	सितम्बर 75 से अगस्त 77
2.	डिस्कवर्र III	यू० एस० डालर 13,550	अप्रैल 78 से 31 मई, 79
3.	फ्रेडरिकस्वर्ग	यू० एस० डालर 18,850	13.3.80 से 31.5.81
4.	सिडको 445	यू० एस० डलर 77,000	22.1.82 से 21.1.85
	—	(एन्कोर मोड़ के लिए)	
	—	यू० एस० डालर 87,000	
		(डी० पी० मोड़ के लिए)	

1	2	3	4
5.	मीत्तीसबर्ग	यू० एस० डालर 13,000	1.6.77 से 31.5.78
	—	यू० एस० डालर 13,400	1.6.78 से 31.5.79
	—	यू० एस० डालर 14,850	1.6.79 से 31.5.80
	—	यू० एस० डालर 25,000	1.6.80 से 31.5.81
	—	यू० एस० डालर 35,000	1.6.81 से 31.5.83
	—	यू० एस० डालर 21,732	27.10.83 से26. 10.84
	—	यू०ए स० डालर 19,800	27.10.84 से 31·12.85
	—	यू० एस० डालर 23,000	1.1.85 से 31. 12.85
6.	हेकन मेबनस	यू० एस० डालर 32,000	सितम्बर 75 से फरवरी 78
7.	ग्रीफीन एलेक्जेंडर	यू० एस० डालर 41,600	11.6.82 से 20.11.84
8.	विक्षिनाइन फिल्ड95	यू०एस० डालर 48,250	16.8.82 से 16.10.82
	—	यू० एस० डालर 35,000	17.10.82 से 16.10.83
	—	यू० एस० डालर 19,500	17.10.83 से 26.1.85
	—	(पलस) 65,000	
	—	यू० एस० डालर 20,500	27.1.85 से 26.1.86
	—	(पलस) रु० 40,000	
9.	शेनान्दोह	यू० एस० डालर 25,000	12.3.76 से 3.11.76
	—	यू० एस० डालर 21,000	4.11.76 से 11.3.77
	—	यू० एस० डालर 19,000	12.3.77 से 11.9.78
	—	यू० एस० डालर 26,200	12.9.78 से 11.9.79
	—	यू० एस० डालर 26,800	12.9.79 से 11.9.80
	—	यू० एस० डालर 35,000	12.9.80 से 11.9.81
	—	यू० एस० डालर 40,000	12.9.81 से 11. 9.83
	—	यू० एस० डालर 16,689	17.2.84 से 16.2.85
	—	यू० एस० डालर 16,689	17.2.85 से 16.2.86

1	2	3	4
10.	डब्ल्यू० टी० एडान्स	यू० एस० डालर 44,403	27.8.80 से 21.12.81
	—	यू० एस० डालर 45,550	1.1.82 से 30.6.82
	—	यू० एस० डालर 45,650	1.7.82 से 16.8.82
	—	यू० एस० डालर 47,643	17.8.82 से 16.8.83
	—	यू० एस० डालर 41,743	17.8.83 से 31.8.84
11.	बोनिटो	यू० एस० डालर 28,000	31.5.83 से 30.4.84
	—	यू० एस० डालर 20,450	1.5.84 से 30.4.85
	—	यू० एस० डालर 24,450	1.5.85 से 30.5.86
12.	ट्रिटोन	यू० एस० डालर 41,600	15.7.82 से 2.12.84
नार्वे			
1.	पीलीरीन डी०पी०	यू० एस० डालर 40,500	29.11.89 से 10.7 80
	—	यू० एस० डालर 74,000	25.11.80 से 10.6.81
ब्रिटिश वेस्टइंडीज			
1.	चिकेन इटना	यू० एस० डालर 46,000	22.5.82 से 21.5.84
	—	यू० एस० डालर 29,500	22.5.84 से 30.4.85
	—	यू० एस० डालर 23,500	1.5.85 से 30.4.86
2.	उक्समल	यू० एस० डालर 23,500	20.5.85 से 19.5.86
बी—अपतटीय रिगें			
पश्चिमी जर्मनी			
1.	डी०एस०टी०	डी० एम० 33600	30.11.84 से 29.11.86
इटली			
1.	सायपेम	(क) यू० एस० डालर 13594 (ख) यू० एस० डालर 12984	4.10.84 से 3.10.86

[अनुवाद]

आई० टी० सी० लिमिटेड की मद्राचलम पेपर मिल द्वारा निर्धारित क्षमता से अधिक क्षमता का उपयोग

4169. **श्री राम भगत पासवान :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड के मद्राचलम पेपर मिल सहित अधिकांश एककों में औद्योगिक लाइसेंस के अन्तर्गत निर्धारित क्षमता से अधिक क्षमता का उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड के प्रत्येक एकक का नाम क्या है और प्रत्येक की निर्धारित क्षमता कितनी है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) : सिगरेट के उत्पादन के लिए मैं० इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड के विभिन्न एककों की स्वीकृत क्षमताएं और उनका उत्पादन नीचे दिया गया है :—

क्रम सं०	नाम और स्थापना स्थल	वार्षिक लाइसेंस प्राप्त क्षमता	उत्पादन 1984	1985 (जनवरी-मई)
1.	इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड बम्बई	7,700	3223	1756
2.	इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता	4,800	3774	1616
3.	इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड, बंगलौर	19,000	14419	5541
4.	इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड, मुंगेर	6,800	7296	3383
5.	इंडियन टोबैको कंपनी लिमिटेड, सहारनपुर	13,700	7780	3636

पहले 5 वर्षों के दौरान मैं० मद्राचलम पेपर बोर्ड की लाइसेंस प्राप्त क्षमता और उनका

उत्पादन निम्न प्रकार है :—

लाइसेंस प्राप्त क्षमता	कागज और गत्ते का उत्पादन	
गत्ता और लपेटने का कागज— 61944 मी०टन	1980	29620 मी० टन
	1981	47001 मी० टन
	1982—	4[illegible]921 मी० टन
	1983	49374 मी० टन
	1984	52569 मी० टन

भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा निर्यात

4170. **श्री अनादि चरण दास :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा अन्य देशों को कौन-कौन सी प्रमुख वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है और गत तीन वर्षों के दौरान निर्यात से प्रति वर्ष कितनी धनराशि अर्जित की गई;

(ख) क्या बी० ई० एल० के माल की विश्व व्यापी मांग है और क्षमता कम होने के कारण यह उत्पादन में वृद्धि नहीं कर सकता; और

(ग) घरेलू और विदेशी—दोनों बाजारों के लिए बी० ई० एल० के निर्माण संबंधी क्षमता की कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है / किए जाने का विचार है ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) मैसर्स भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा पिछले तीन वर्षों में निर्यात की गई बड़ी मदें इस प्रकार हैं :—अग्नि नियन्त्रण राडार प्रणाली, उच्च तरंग संचार प्रणाली और मझोले चौकसी राडार। वर्षवार निर्यात मूल्य निम्न प्रकार है :—

	वर्ष	निर्यात का मूल्य लाख रुपयों में
(1)	1982-83	1305.00
(2)	1983-84	565.00
(3)	1984-85	42.50

(ख) भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड ने उत्पादन के कुछ क्षेत्रों में विशेषकर रक्षा से संबंधित मदों के निर्यात की अच्छी सम्भावनाएं हैं। यह सच है कि निर्माण क्षमता की कमी से भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड बड़े पैमानों पर निर्यात नहीं कर पाया है।

(ग) जब निर्माणाधीन कुछ नई निर्माणियां अगले कुछ वर्षों में चालू हो जाएंगी तो आशा है यहां निर्माण क्षमता बढ़ जाएगी।

मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड

4171. **श्री राम भगत पासवान :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड को कम्पनी अधिनियम और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अधीन मंजूरी लिए बिना अपनी पसन्द का कोई भी कारोबार करने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि नहीं, तो मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम और कम्पनी अधिनियम के अन्तर्गत जो कारोबार करने की अनुमति दी गई है और उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) कम्पनी अधिनियम के अनुसार मैं० आई० टी० सी० लिमिटेड केवल वही व्यापार कर सकती है जो उसके संस्था ज्ञापन में उल्लिखित उद्देश्यों के अनुसार हो। कम्पनी अधिनियम और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत जहां कहीं भी अनुमोदन आवश्यक होता है, दिया जाता है। व्यापारिक गतिविधियों में से कुछ में जहां अनुमोदन आवश्यक थे, वहां प्रदान किए गए थे और वे निम्नलिखित हैं :—

(1) सिगरेटों के विनिर्माण के लिए इंडिया टोबैको प्रभाग;

(2) मुद्रण प्रभाग;

(3) होटल प्रभाग में होटल की स्थापना करना; और

(4) माइक्रो कम्प्यूटर्स आदि के सम्बन्ध में सूचना प्रक्रिया प्रभाग।

चीन सीमा पर स्थित परियोजना के लिए दान देने वाली विदेशी एजेंसी द्वारा धनराशि दिया जाना

4172. **श्री पी० नामग्याल :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दान देने वाली एक विदेशी एजेंसी अर्थात "ब्रेड फार दी वर्ड" (पश्चिम जर्मनी) ने चीन सीमा पर स्थित स्वैच्छिक परियोजना के लिए धनराशि दी थी;

(ख) यदि हां, तो परियोजना के भाग के रूप में प्रतिबंधित क्षेत्रों के मानचित्रों का प्रकाशन किया गया था;

(ग) क्या दान देने वाली विदेशी एजेंसी केवल योजना को प्राप्त करने में ही इच्छुक थी अथवा उसके कार्यान्वयन में भी ; और

(घ) क्या योजना को कार्यान्वित किया गया था ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क), (ग) और घ) मामले की कुदाल जांच आयोग द्वारा जांच की जा रही है।

(ख) इस जांच आयोग ने एक स्वैच्छिक संगठन द्वारा उत्तर प्रदेश में जिला पौड़ी के कुछ ऐसे क्षेत्रों के मानचित्र प्रकाशित किए जाने की बात सरकार के ध्यान में लाई गई है जो कि मानचित्र प्रतिबन्ध नीति के अन्तर्गत "प्रतिबंधित" श्रेणी में आते हैं।

केरल और उड़ीसा के प्रतिबन्धित क्षेत्रों के मानचित्र का प्रकाशन

4173. **श्री पी० नामग्याल** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्वैच्छिक संगठनों द्वारा केरल और उड़ीसा के समुद्री तटीय प्रतिबन्धित क्षेत्रों के मानचित्र प्रकाशित किए गए हैं ;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में कुछ रक्षा प्रतिष्ठान भी हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उस संगठन तथा उसके पदाधिकारियों के नाम क्या हैं जिन्होंने मानचित्र प्रकाशित किए हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) कुदाल जांच आयोग ने कुछ स्वैच्छिक संगठनों द्वारा केरल और उड़ीसा के कुछ ऐसे क्षेत्रों जो कि मानचित्र प्रतिबंध नीति के अन्तर्गत "प्रतिबंधित" श्रेणी में आते हैं, के मानचित्र प्रकाशित किए जाने की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) इन संगठनों और उनके पदाधिकारियों के नाम नीचे दिए गए हैं :—

(i) **ग्रामीण विकास से संबंधित स्वैच्छिक एजेंसियों की एसोसिएशन**

अध्यक्ष	—श्री के० एस० राधाकृष्ण
उपाध्यक्ष और महासचिव	—श्री ए० सी० सेन
कोषाध्यक्ष	—श्री गोपी कृष्ण

(ii) नेहरू सेवा संघ बानपुर
मुख्य सचिव —श्री हरीहर राम

(iii) मित्र निकेतन
निदेशक —श्री के० विश्वनाथ

सुन्दरवन डेल्टा के प्रतिबंधित क्षेत्र के मानचित्र का प्रकाशन

4174. **श्री पी० नामग्याल : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या यह सच है कि रक्षा मन्त्रालय की अनुमति के बिना सुन्दरवन डेल्टा के प्रतिबंधित क्षेत्र के मानचित्र का प्रकाशन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो किसके द्वारा किया गया ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) सरकार का ध्यान मैसर्स कारोमंडल फर्टीलाइजर लिमिटेड द्वारा सुन्दरवन डेल्टा में एक ऐसे स्थान का मानचित्र प्रकाशित किए जाने की ओर दिलाया है जो कि मानचित्र प्रतिबंध नीति के अन्तर्गत "प्रतिबंधित" श्रेणी में आता है।

इस बात का कोई रिकार्ड नहीं है कि इसके प्रकाशन के लिए रक्षा मंत्रालय की अनुमति ली गई थी।

संविधान के 19वें अनुच्छेद का कम्पनियों पर विस्तारण

4176. **श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या संविधान के अनुच्छेद 19 के अधीन वाक-स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य के संबंध में विधि आयोग की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें की गई सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) विधि आयोग ने 28 मई, 1984 को "संविधान के अनुच्छेद 19 के अधीन वाक्-स्वातन्त्र्य और अभिव्यक्ति-स्वातंत्र्य : भारतीय निगमों पर इसके विस्तार के लिए सिफारिश" पर अपनी 101वीं रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है। उक्त रिपोर्ट की प्रतियां कंपनी कार्य विभाग तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय को, जो इस विषय से प्रशासनिक रूप से सम्बद्ध है, उनके विचारार्थ भेज दी गई हैं। रिपोर्ट में समाविष्ट सिफारिशों पर सरकार ने कोई विनिश्चय नहीं किया है।

हल्दिया में पेट्रो-रसायन उद्योग समूह

4177. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने पश्चिम बंगाल में हल्दिया में एक पेट्रो-रसायन उद्योग समूह स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) कब तक अपेक्षित औद्योगिक लाइसेंस जारी किए जाने की संभावना है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल इण्डस्ट्रीयल डिवलेपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को हल्दिया में एक पेंट्रो-केमिकल्स की कम्पलेक्स की स्थापना के लिए पहले ही एक आशप त्रय जारी किया गया है। अभी तक औद्योगिक लाइसेंस जारी करने का समय नहीं आया है।

"मिग" विमानों को नवीनतम बनाना

4178. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान की सैन्य तैयारियों से विशेषकर पाकिस्तान द्वारा अमरीका से एफ-16 विमानों की खरीद के संदर्भ में उत्पन्न खतरे का सामना करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ब्योरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार हमारी हवाई शक्ति को सुदृढ़ बनाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत देश में इस समय प्रयोग किए जा रहे मिग विमानों को नवीनतम बनाने पर विचार कर रही है ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) सरकार उन सभी गतिविधियों पर नजर रखती है जिनका हमारी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है और उपलब्ध साधनों के भीतर सदैव पर्याप्त रक्षा क्षमता एवं तैयारी सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाती है। इस संबंध में आगे और ब्योरे देना जनहित में नहीं होगा।

[हिन्दी]

जैसलमेर में गैस और पेट्रोल की खोज

4179. श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान जैसलमेर जिले में गैस और पेट्रोल की खोज करने में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की उपलब्धियां क्या रहीं तथा इस सम्बन्ध में अब तक हुई प्रगति का ब्योरा क्या है;

(ख) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने ड्रिलिंग कार्य में शिथिलता दिखाई और ड्रिलिंग मशीन का उपयोग किया गया;

(ग) यदि हां, तो इस शिथिलता के क्या कारण हैं; और

(घ) गैस और पेट्रोल की खोज का कार्य कब तक तेज किया जाएगा ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) घोतारू और साड़ेवाला संरचनाओं में अन्वेषी खुदाई की गई थी। घोतारू संरचना में गैस मिली थी।

(ख) जी, नहीं। खुदाई के लिए आरम्भ की जाने वाली कई सम्भावनाओं वाले क्षेत्रों के लिए एक ही खुदाई रिग पर्याप्त समझा गया था।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा ड्रिलिंग पम्पों का आयात

4180. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा क्रमशः 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान ड्रिलिंग पम्पों आदि जैसी वस्तुओं के भारत के लिए प्रगति पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई और किन-किन देशों से इसका आयात किया गया;

(ख) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की अपील पर कतिपय फर्मों द्वारा ऐसे पम्पों और प्रौद्योगिकी को भारत में बनाने के सफल प्रयास किये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या आयात से बचने के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने स्वदेश में बनाई गई उन वस्तुओं के लिए क्रयादेश दिये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने 1981-85 की अवधि के दौरान केवल ड्रिलिंग पम्पों का ही आयात नहीं किया है।

(ख) और (ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बी० ई० एल० के औद्योगिक एककों का विकेन्द्रीकरण

4181. श्री अनादि चरण दास : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड द्वारा किन-किन स्थानों पर उद्योग स्थापित किये गये हैं;

किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जा रहे हैं और किन-किन स्थानों पर निकट भविष्य में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है और बी० ई० एल० के एककों में तैयार किये जाने वाले उत्पादों का स्वरूप क्या है;

(ख) क्या नई इलेट्रोनिक नीति, घरेलू बाज़ार की मांग पर निर्यात क्षमता (बी० ई० एल० के निर्यात रिकार्डों के आधार पर) को देखते हुए क्या सरकार अधिक विकास सुनिश्चित करने के लिए बी० ई० एल० के वर्तमान औद्योगिक एककों का विकेन्द्रीकरण करके पूर्ण स्तर के निगम बनाने पर विचार कर रही है। ऐसा करने का उसका विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) इस समय कम्पनी की चार यूनिटें काम कर रही हैं जो बंगलौर, गाजियाबाद, पुणे और मछलीपट्टनम में हैं। तीन और यूनिटें, जो पंचकुला (हरियाणा), तलोजा (महाराष्ट्र), कोटद्वार (गढ़वाल, उत्तर प्रदेश) में हैं, अपनी स्थापना के विभिन्न चरणों में हैं। इनके अतिरिक्त भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड का मद्रास में एक टैंक इलेक्ट्रोनिक्स सहायक केन्द्र और हैदराबाद में इलेक्ट्रो मैगनेटिक डिवीजन है।

(ख) और (ग) इस समय भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के विद्यमान स्वरूप में जो,कि कंपनी अधिनियम के अधीन एक लिमिटेड कंपनी के रूप में संगठित है, परिवर्तन करने की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

रायपुर, मध्य प्रदेश में सीमेंट कारखाने की स्थापना

4182. श्री सुभाष यादव : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय सीमेंट निगम ने मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में एक सीमेंट कारखाना स्थापित करने की एक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कारखाने को चालू करने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि 19 लाख टन की क्षमता वाले प्रस्तावित कारखाने की अनुमानित लागत 2.60 करोड़ रुपये की गई है; और

(घ) यदि हां, तो रायपुर जिले के अतिरिक्त अन्य किन जिलों के लोगों को वहां रोजगार मिलने की सम्भावना है, तथा इससे कितने लोगों को लाभ होने की सम्भावना है?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड का एक सीमेंट एकक इस समय मंढ़र, जिला रायपुर, मध्य प्रदेश में चल रहा है। कारपोरेशन ने 36 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से

विस्तारोपरान्त 6 लाख मी० टन प्रतिवर्ष की क्षमता के लिए इस संयंत्र में परिवर्तन करने और इसका विस्तार करने हेतु एक सम्भाव्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट की जांचकारी अभिकरणों द्वारा जांच की जा रही है। चूंकि विद्यमान मांढर सीमेंट संयंत्र के श्रमिक परिवर्तन/विस्तार योजना के लिए पर्याप्त होंगे, अतः इसमें अतिरिक्त श्रमिकों के भर्ती किए जाने की सम्भावना नहीं है। विस्तार/परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव अभी तक सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड और मैसर्स हिन्दुस्तान एल्युमीनियम कारपोरेशन लिमिटेड के मामलों की जांच

4183. **श्री राम भगत पासवान** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड और मैसर्स हिन्दुस्तान एल्युमीनियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा उनके मंत्रालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले एककों में उनकी लाइसेंसशुदा क्षमता से अधिक उत्पादन करके उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए उनके मामलों की कोई विशेष जांच करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड के विभिन्न एककों द्वारा सिगरेटों और मैसर्स भद्राचलम पेपर बोर्ड्स लिमिटेड द्वारा कागज तथा गत्ते का उत्पादन उनकी लाइसेंस प्राप्त/मंजूरशुदा क्षमता के अन्दर ही किया जाता है अतः मैसर्स आई० टी० सी० लिमिटेड के विरुद्ध उद्योग (विकास तथा विनियमन) के अधीन किसी प्रकार की जांच करने के आदेश देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मैसर्स हिन्दुस्तान अल्युमीनियम कारपोरेशन लिमिटेड, इस्पात, खान एवं कोयला मन्त्रालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आती है तथा उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन उपक्रमों के कार्यों की जांच करने के लिए आदेश देने का उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अहमदनगर छावनी बोर्ड क्षेत्र में नागरिक सुविधाओं का अभाव

4184. **श्री यशवन्त राव गडाख पाटिल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदनगर छावनी बोर्ड क्षेत्र में स्कूलों के भवनों, पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय, सामुदायिक हाल तथा अस्पतालों में अधिक सुविधाओं आदि कुछ नागरिक सुविधाओं का अभाव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) अहमदनगर छावनी बोर्ड क्षेत्र में जल पूर्ति, शौचालय, स्कूलों के भवनों और अस्पतालों आदि जैसी नागरिक सुविधाएं विद्यमान हैं। हां, इन सुविधाओं में आगे और सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

(ख) और (ग) यहां समाज सदन, सब्जी मार्किट, पीने के पानी के लिए कुओं आदि के निर्माण के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। छावनी बोर्ड को इनकी जांच-पड़ताल करने और इस सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

छावनी बोर्डों के 1976 से पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेन्शन

4185. **श्री यशवंत राव गडाख पाटिल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 अप्रैल, 1976 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए छावनी बोर्ड के कर्मचारियों को पेन्शन नहीं मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या 1 अप्रैल, 1976 से पूर्व सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेन्शन मंजूर करने के सम्बन्ध में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) जी हां। पेन्शन लाभ 1 मई, 1976 से लागू हुआ था इसलिए छावनी बोर्ड के जो कर्मचारी इस तिथि से पहले सेवानिवृत्त हुए, वे इस पेन्शन के हकदार नहीं हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) जो कर्मचारी 1 अप्रैल, 1976 से पहले सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें पेन्शन देने के मामले पर सरकार सहमत नहीं हुई है।

अहमदनगर छावनी बोर्ड में स्वतन्त्रता सेनानियों को भूमि का आबंटन

4186. **श्री यशवंत राव गडाख पाटिल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अहमदनगर छावनी बोर्ड में स्वतन्त्रता सेनानियों को रियायती दर पर भूमि का आबंटन करने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) इस सम्बन्ध में बनी नीति के अनुसार रक्षा भूमि वर्तमान बाजार भाव अदा करने पर आबंटित की जाती है। तदनुसार उत्तर भेज दिया गया है।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पद

4187. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के 18 उच्च न्यायालयों में 1 जुलाई, 1985 को न्यायाधीशों के 67 पद रिक्त थे; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक पद किसी तारीख को रिक्त हुआ था और नई नियुक्ति में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी हां।

(ख) जिन तारीखों से न्यायाधीशों के 67 पद, 1-7-1985 को रिक्त थे, वे संलग्न विवरण में दी गई हैं।

इन पदों को भरने का प्रश्न सम्बन्धित सांविधानिक प्राधिकारियों के परामर्श से सरकार के विचाराधीन है। ऐसे परामर्श में समय तो लगता ही है।

विवरण

क्रम संख्या	उच्च न्यायालय का नाम	रिक्त पद		स्तम्भ और उसमें दर्शित रिक्ति किस तारीख से हुई है
		स्थायी	अपर	
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद	6	6	15-10-1984
				15-10-1984
				15-10-1984
				15-10-1984
				15-10-1984
				6-11-1984
				15-11-1984
				16-01-1985
				17-02-1985

1	2	3	4	5
				29-06-1985
				01-07-1985
				01-07-1985
2.	आन्ध्र प्रदेश	5	2	26-11-1982
				29-11-1982
				01-07-1983
				08-04-1984
				05-07-1984
				10-10-1984
				08-04-1985
3.	मुम्बई	4	3	28-11-1983
				29-11-1983
				20-01-1984
				24-05-1984
				08-07-1984
				03-10-1984
				18-03-1985
4.	कलकत्ता	4	—	06-09-1984
				01-10-1984
				01-11-1984
				01-07-1985
5.	दिल्ली	—	2	06-09-1984
				12-03-1985
6.	गौहाटी	2	1	21-11-1984
				15-11-1984
				14-05-1985
7	गुजरात	—	3	07-06-1984
				26-06-1984
				02-04-1985

1	2	3	4	5
8.	जम्मू-कश्मीर	1	—	10-09-1984
9.	कर्नाटक	1	—	जनवरी, 1985
10.	केरल	1	1	28-04-1984
				13-06-1984
11.	हिमाचल प्रदेश	—	—	—
12.	मध्य प्रदेश	1	1	02-11-1982
				15-06-1984
13.	मद्रास	7	—	29-12-1981
				09-02-1983
				12-09-1983
				15-09-1983
				22-10-1983
				25-01-1984
				01-06-1985
14.	उड़ीसा	1	—	16-07-1984
15.	पटना	3	—	09-09-1984
				28-11-1984
				12-01-1985
16.	पंजाब और हरियाणा	7	—	01-03-1983
				29-11-1983
				16-01-1984
				26-03-1984
				14-05-1984
				01-08-1984
				24-05-1985
17.	राजस्थान	4	—	20-10-1982
				23-10-1983

1	2	3	4	5
				17-12-1983
				08-03-1985
18.	सिक्किम	1	—	04-01-1985
	योग :	48	19	
	कुल योग :	67		

भारतीय वायुसेना के विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना

4188. श्री एम० रघुमा रेड्डी }
श्री धर्मपाल सिंह मलिक } : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिनांक 16 जुलाई, 1985 के "टाइम्स ऑफ इंडिया" में प्रकाशित इस समाचार को देखा है कि भारतीय वायुसेना का एक विमान 15 जुलाई, 1985 को पश्चिम क्षेत्र में किसी स्थान पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस बीच कोई जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) एक जांच अदालत दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा खोजे गए तेल के नये भंडार और उनसे तेल निकालना

4189. श्री काली प्रसाद पांडेय : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई हाई के बाद तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कोई महत्वपूर्ण क्षेत्र का पता नहीं लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो अन्य क्षेत्रों में पाये गये तेल का ब्यौरा क्या है; और

(घ) नये तेल भंडारों का पता लगाने और उनसे तेल प्राप्त करने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) 1974 के प्रारम्भ में बम्बई हाई की खोज के समय से तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने 1-1-1975 से 1-1-1985 के बीच विभिन्न आकारों की 47 नई खोजें की हैं परन्तु इनमें से कोई भी बम्बई हाई के आकार की नहीं थीं। इस अवधि के दौरान इस प्रारम्भिक भूगर्भीय भण्डार में कुल 2.5 बिलियन टन तेल और गैस का समतुल्य तेल जोड़ा गया है। कुल उल्लेखनीय तेल की खोजें निम्नलिखित थीं :—

तटीय

जताना, गंधार, दहेज } गुजरात

चमाईगांव असम

अपतटीय

पन्ना, बेसीन, हीरा, रत्ना, आर० 9, आर० 7, बी० 58, बी० 57, डी० सी० एस० (डी+1), बी० 178 और के० डी० (कच्छ अपतट)।

(घ) कुछ उपाय इस प्रकार हैं :—

(i) नई भूकम्पीय अन्वेषी प्रौद्योगिकी का आरम्भ करना।

(ii) गहन अन्वेषी प्रयास।

(iii) विकसित प्रौद्योगिकी का लगाया जाना और आंकड़ों के संसाधन के लिए कम्प्यूटरों के प्रयोग को बढ़ाना।

होशियारपुर में सैनिक अड्डा

4190. **श्री सुभाष यादव** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होशियारपुर में एक सैनिक अड्डा स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या अन्य सीमावर्ती राज्यों में भी सैनिक अड्डे स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) होशियारपुर, पंजाब में एक सैनिक स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार ने अनुमोदित कर दिया है।

(ग) और (घ) सीमावर्ती राज्यों में सैनिक स्टेशन स्थापित करने के कुछ प्रस्ताव विचाराधीन है।

इस सम्बन्ध में ब्यौरे प्रकट करना वांछनीय नहीं होगा।

केन्द्रीय अधिनियमों का हिन्दी अनुवाद

4191. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1985 तक केन्द्रीय अधिनियमों के हिन्दी और दूसरी भारतीय भाषाओं में अनुवाद किये जाने की दिशा में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जहां तक केन्द्रीय अधिनियमों के हिन्दी अनुवाद का सम्बन्ध है, यह कहा जा सकता है कि यह कार्य लगभग अद्यतन हो गया है। भारत संहिता में सम्मिलित लगभग सभी केन्द्रीय अधिनियमों के हिन्दी प्राधिकृत पाठ प्रकाशित किए जा चुके हैं। अन्य अधिनियमों के बारे में हुई प्रगति संलग्न विवरण में दर्शित की गई है।

(ख) केन्द्रीय अधिनियमों के अंग्रेजी से अन्य भाषाओं में अनुवाद से सम्बन्धित कार्य जटिल और श्रमसाध्य है। केवल भाषा में प्रवीणता पर्याप्त नहीं है क्योंकि नई विधिक पारिभाषिक शब्दावली और अर्थ पद्धतियां विकसित करनी होती हैं। यद्यपि विधायी विभाग के राजभाषा खंड ने अनेक बातों में विशेषज्ञता प्राप्त कर ली है, फिर भी केन्द्रीय अधिनियमों के विभिन्न भाषाओं में अनुवाद और मुद्रण के लिए, इस खंड को बहुत कुछ राज्य सरकारों पर निर्भर करना पड़ता है। कार्यान्वयन कार्यक्रम में गति लाने के लिए राज्यों से बार-बार अनुरोध किया जा रहा है। कुछ राज्यों ने पुनर्विलोकन समितियां गठित की हैं। मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को विचार-विमर्श आदि द्वारा दूर करने के लिए ज्येष्ठ अधिकारी भी कई बार राज्यों की राजधानियों में गए हैं। उक्त कार्यक्रम को अधिक गतिशील बनाने के लिए राजभाषा खंड की सामर्थ्य को बढ़ाने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है।

विवरण

31 मार्च, 1985 तक केन्द्रीय अधिनियमों का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद

क्रम संख्या	भाषा का नाम	अनुदित केन्द्रीय अधिनियमों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	असमिया	34
2.	बंगला	66
3.	गुजराती	513
4.	कन्नड़	104
5.	मलयालम	192
6.	मराठी	220
7.	उड़िया	193
8.	पंजाबी	175
9.	तमिल	92
10.	तेलुगू	63
11.	उर्दू	181

केन्द्रीय अधिनियमों का, संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं से भिन्न भाषाओं में, अनुवाद

4192. श्री एन० टोम्बी सिंह : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विधियों का ऐसी भारतीय भाषाओं में जो संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित नहीं है. किन्तु जिन्हें साहित्य अकादमी ने सम्भवत: मान्यता दी है अनुवाद कराने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का, मणिपुरी, खासी, मिजो, कोंकणी आदि जैसे भाषाई वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का कोई विचार है; और

(घ) क्या सम्बन्धित राज्य सरकारों से, इस विषय में प्रस्ताव भेजने के लिए कहा गया है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) प्रादेशिक भाषाओं के विकास की जिम्मेदारी सम्बद्ध राज्य सरकारों की है। अभी तक मणिपुरी, खासी, मिजो आदि जैसे भाषाई वर्गों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। यदि इस बाबत किसी राज्य से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त होता है तो विधायी विभाग का राजभाषा खंड इस सम्बन्ध में रचनात्मक रूप से सहायता करने का प्रयत्न करेगा।

इम्फाल से बाकी देश के साथ एस० टी० डी० सुविधा

4193. **श्री एन० टोम्बी सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि इम्फाल को और इम्फाल से बाकी देश के साथ एस० टी० डी० सेवा ने इसके प्रारम्भ किये जाने के शीघ्र पश्चात् ही काम करना बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और इस विषय में क्या वैकल्पित व्यवस्था मुहैया की गई है;

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी भी है कि नई दिल्ली और इम्फाल के बीच की ट्रंक लाइन अधिकतर खराब रहती है जिसके दोनों ओर के प्रयोक्ताओं को परेशानी होती है; और

(घ) यदि हां, तो इस सीमावर्ती राज्य और शेष भारत विशेषतया राष्ट्रीय राजधानी के बीच अच्छा टेलीफोन सम्पर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी नहीं। इम्फाल में एस० टी० डी० सुविधा चालू नहीं की गई है।

(ख) इम्फाल सीधे 11 स्टेशनों अर्थात् कलकत्ता, दीमापुर, जोरहाट, गुवाहटी, कोहिमा, लकटक, डिब्रूगढ़, दिल्ली, सिलचर, शिलांग और तिनसुकिया से जुड़ा हुआ है। इन स्टेशनों को इम्फाल के आपरेटर के जरिए सीधे ट्रंक कालें की जा सकती हैं। भारत के अन्य स्टेशनों की कालें इन ग्यारह स्टेशनों से ट्रांजिट कालों के बतौर की जाती हैं।

(ग) इम्फाल से नई दिल्ली तक के जावक ट्रंक सर्किट की कार्यक्षमता संतोषजनक रही है। नई दिल्ली से इम्फाल तक के ट्रंक सर्किट में सुधार लाने की आवश्यकता है।

(घ) इम्फाल को माइक्रोवेव तथा उपग्रह संचार प्रणाली जैसे संचारण माध्यम से पहले ही जोड़ा गया है। हाल ही में इम्फाल को स्वचल बना दिया गया है। अब पर्यवेक्षण कार्य भी सख्त बना दिया गया है।

शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्व: रोजगार योजना के अन्तर्गत लाभग्राहियों का चयन

4194. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार के पास शिक्षित बेरोजगारों के लिए "स्व: रोजगार" योजना के अन्तर्गत जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा लाभग्राहियों के अनुचित चयन के बारे में शिकायतें आई हैं तथा जिला उद्योग केन्द्रों के अधिकारी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार फैला रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो [इसे दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या सुधारात्मक उपाय करने का है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) कुछ शिकायतें मिली हैं और उन्हें जांच और आवश्यक कारंवाई के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों/बैंकिंग विभाग को भेज दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में बिगड़ती हुई टेलीफोन सेवा

4195. **श्री जितेंन्द्र प्रसाद** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सर्किल में टेलीफोन सेवा काफी बिगड़ गई है तथा बिजली की सप्लाई में काफी सुधार होने के बाद भी सरकार अथवा टेलीफोन विभाग को उपभोक्ताओं से बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो शिकायतों का ब्यौरा क्या है तथा सर्किल के प्रत्येक जिले में क्या कारंवाई की गई है; और

(ग) क्या शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत और हरदोई ज़िलों में टेलीफोन सेवा बहुत खराब स्थिति में है तथा विभाग द्वारा स्थिति में सुधार करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं। उत्तर प्रदेश सर्किल में टेलीफोन सेवाएं आमतौर पर संतोषजनक हैं और उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों की संख्या भी बहुत अधिक नहीं है।

(ख) गत 3 माह के दौरान प्राप्त जिलेवार टेलीफोन शिकायतों की संख्या तथा निपटाई गई शिकायतों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी नहीं। शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत तथा हरदोई में गत 3 महीनों के दौरान अर्थात् अप्रैल, 85, मई, 85 तथा जून, 85 में प्रति माह प्रति 100 टेलीफोनों के लिए प्राप्त शिकायतों की औसत संख्या क्रमश: 57.3, 60.3, 55 तथा 66.6 थी। फिर भी, इन प्रणालियों में और आगे सुधार लाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

विवरण

अनुबन्ध

जिलों के नाम	यूनिट का नाम (प्रणाली)	3 माह के दौरान (अप्रैल से जून, 85) प्राप्त शिकायतें	निपटाई गई (कार्रवाई की गई) शिकायतों की संख्या
1	2	3	4
लखनऊ शहर	लखनऊ टेलीफोन जिला	1807	1704
आगरा शहर	आगरा " "	752	408
इलाहाबाद शहर	इलाहाबाद " "	206	143
वाराणसी शहर	वाराणसी " "	186	134
आगरा, मथुरा	आगरा दूरसंचार डिवीजन	160	159
पीलीभीत, सुल्तानपुर, जौनपुर, बांदा	इलाहाबाद " "	31	18
एटा, अलीगढ़	अलीगढ़ " "	534	487
आजमगढ़, देवरिया, बलिया	आजमगढ़ " "	82	54
रामपुर, पीलीभीत, बदायूं,	बरेली " "	44	23
बरेली शहर	बरेली टेलीफोन डिवीजन	50	38
देहरादून	देहरादून दूरसंचार डिवीजन	647	620
गाजियाबाद, बुलंदशहर	गाजियाबाद " "	38	16
गोरखपुर, बहराइच, गोंडा, बस्ती	गोरखपुर " "	72	53
झांसी, ललितपुर, जालौन	झांसी " "	100	89
इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद	कानपुर " "	62	55

1		2	3	4
रायबरेली, फैजाबाद, बाराबंकी	लखनऊ	दूरसंचार डिवीजन	26	19
मुरादाबाद, बिजनौर	मुरादाबाद	" "	163	47
मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर	" "	158	118
नैनीताल, अल्मोड़ा पिथौरागढ़,	नैनीताल	" "	2	6
सहारनपुर	सहारनपुर	" "	220	157
सीतापुर, शाहजहांपुर लखीमपुर, हलद्वानी	सीतापुर	" "	68	28
मिर्जापुर, गाजीपुर	वाराणसी	" "	8	2
टिहरी, चमोली, उत्तर काशी, श्रीनगर, पौड़ी	श्रीनगर (गढ़वाल)	" "	8	2
मेरठ शहर	मेरठ टेलीफोन डिवीजन		651	511

शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित आयुध वस्त्र कारखाने में कम्बल एकक को पूरा करना

4196. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में आयुध कारखाने में कम्बल एकक का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और उसके किस तारीख तक पूरा हो जाने की सम्भावना है;

(ख) शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में आयुध वस्त्र कारखाने में और क्या परियोजनाएं आरम्भ की जा रही हैं, प्रत्येक योजना का ब्यौरा क्या है और परियोजनाओं के कार्यों के आरम्भ और पूरा होने की तारीख क्या है;

(ग) क्या सेना विभाग ने वस्त्रों के इतने अधिक क्रयादेश दिए हैं कि आयुध वस्त्र कारखाना उनको तैयार करने में असमर्थ है और सेना की आवश्यकता गैर-सरकारी क्षेत्र से पूरी की जा रही है, यदि हां, तो गैर-सरकारी क्षेत्र से खरीदे जा रहे वस्त्रों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उनकी मौजूदा क्षमताओं को बढ़ाकर और वर्तमान क्षमता का पूरा उपयोग करके तथा उनपर थोड़ी और पूंजी लगाने से ये कारखाने सेना की सभी आवश्यकताओं को पूरी कर सकते हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी नहीं। सिविल निर्माण कार्यों के विलम्ब से पूरा होने तथा आपूर्तिकर्ताओं से कुछ मशीनों के देर से प्राप्त होने के कारण इसमें विलम्ब हुआ है।

परियोजना 1986 के प्रारम्भ में ही पूरा हो जाने की आशा है।

(ख) उत्तर प्रदेश स्थित आयुध वस्त्र निर्माणी, शाहजहांपुर में जो दूसरी नई परियोजना शुरू की जा रही है उसका सम्बन्ध कुछ किस्म के कपड़े के उत्पादन की क्षमता 50 लाख मानव घण्टे तक बढ़ाने से है। परियोजना 1983 में स्वीकृत की गई थी। आशा है परियोजना का कार्य अक्तूबर 1987 तक पूरा हो जायेगा।

(ग) नई वर्दियों के शामिल किए जाने और कुछ नियत समय बाद उन्हें बदले जाने की आवश्यकता के कारण सेना ने एक ही समय में बहुत अधिक मांगें पेश की थी। आयुध उपस्कर समूह के कारखानों के लिए निर्धारित समय में ही इसकी सभी मांगों को पूरा करना सम्भव नहीं था। यदि इसकी क्षमता बढ़ाई भी जाती तो भी सप्लाई करने में 3 से 4 वर्ष का समय लग सकता था। अतः सेना की कुछ जरूरतों को पूरा करने के लिए वस्तुओं को बाजार से खरीदने का निर्णय लिया गया। बाजार से खरीदी जाने वाली वस्तुओं में दरियां, जुराबें, जांघिये, कम्बल, जरसियां, तौलिये, टोपियां, जूते और इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं शामिल हैं।

(घ) आयुध उपस्कर समूह की निर्माणियों में उपलब्ध क्षमता का भरपूर प्रयोग किया जा रहा है। जिन जरूरतों को बिना अतिरिक्त खर्च किए बाजार से पूरा किया जा सकता है। उन्हें आयुध निर्माणियों में तैयार करने के लिए और अधिक धन लगाकर उनकी क्षमता को बढ़ाना मितव्ययता नहीं होगी।

भारी उद्योग के लिए परिव्यय

4197. श्री बी० वी० देसाई : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी उद्योग के लिए सातवीं योजना के परिव्यय को छठी योजना के स्तर पर ही रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके प्रमुख कारण क्या हैं;

(ग) क्या योजना आयोग द्वारा उसके सम्बन्ध में कई सुझाव दिये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सातवीं योजना के दौरान भारी उद्योग के लिए परिव्यय में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है?

उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां):

(क) भारी उद्योग विभाग के लिए सातवीं योजना के परिव्यय को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

सीमेंट संयंत्रों को सहायता बन्द करना

4198. **श्री बी० वी० देसाई : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या वित्तीय संस्थाओं ने देश में नई सीमेंट परियोजनाओं के लिए और धन न देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इससे सीमेंट के उत्पादन में कितनी कमी आएगी; और

(ग) सीमेंट क्षमता को कम न होने देने के लिए सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) ने सूचित किया है कि वित्तीय संस्थान सीमेंट के लिए किसी भी बड़ी आधारिक परियोजना को वित्त प्रदान नहीं कर सकते हैं। किन्तु, ये संस्थान उसी स्थापना-स्थल पर विस्तार करने तथा प्रि-कैल्सिनेटरों की अधिष्ठापना, गीली/अर्ध-शुष्क प्रक्रिया का शुष्क प्रक्रिया में परिवर्तन करने जैसे कुछ प्रौद्योगिकीय सुधारों द्वारा क्षमता में वृद्धि करने सम्बन्धी प्रस्तावों पर चयनात्मक आधार पर विचार कर सकते हैं।

(ख) सीमेंट संयंत्रों की स्थापना में पनपने की अवधि लम्बी होने के कारण भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा लागाए गए विद्यमान प्रतिबन्धों से इस समय सीमेंट के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं हैं।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक और उसके बाद सीमेंट संयंत्रों की स्थापना के लिए पर्याप्त क्षमता पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का कार्य सम्बन्धी कार्यक्रम

4199. **श्री बी० वी० देसाई : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के अगले पांच वर्षों के कार्य सम्बन्धी कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं होगा;

(ख) यदि हां, तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यक्रम के लिए कितना मूल-योजना-परिव्यय रखने का निर्णय किया गया है;

(ग) क्या योजना आयोग ने पहले परिव्यय में कटौती करने का निर्णय किया था; और

(घ) यदि हां, तो आयोग द्वारा अगले पांच वर्षों में क्या-क्या कार्यक्रम चलाए जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (घ) पेट्रोलियम पर कार्यकारी दल ने सातवीं योजनावधि के दौरान हाइड्रो-कार्बनों की खोज तथा उपयोग हेतु तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के लिए 17609.06 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय का प्रस्ताव किया है। सातवीं योजना के परिव्यय तथा कार्यक्रमों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

लोहिया मशीन्स लिमिटेड द्वारा संपरिवर्तन ऋण पत्रों के जरिए धनराशि जमा करने का प्रस्ताव

4200. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने लोहिया मशीन्स द्वारा इटली के सहयोग के साथ दोपहिया वैस्पा स्कूटर बनाने की चालू परियोजना के लिए धनराशि जुटाने हेतु संपरिवर्तनीय ऋण पत्रों के जरिये जनता से 10 करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त संसाधन जुटाने के सम्बन्ध में इसके काफी समय से लम्बित प्रस्ताव को अन्ततः स्वीकृति दे दी है;

(ख) क्या नवीनतम निर्णय के अनुसार लोहिया मशीन्स लिमिटेड उद्योग को क्षमता के कारण उसे 10 करोड़ रुपये के अतिरिक्त संसाधनों को अनुमति दी गई है;

(ग) क्या लोहिया मशीन्स से उन लोगों को अभी तक दो पहिया वेस्पा स्कूटर नहीं दिए हैं जिन्होंने 1983 में उसके पास अपना पंजीकरण करा रखा है; और

(घ) यदि हां, तो और अग्रिम राशि जुटाने के इस प्रस्ताव से उसे उन लोगों को स्कूटर देने में कहां तक सहायता मिलेगी जिन्होंने अग्रिम रूप से अपना नाम पंजीकृत करा रखा है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) तथा (ख) वित्त मन्त्रालय जो इस सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकरण है, ने दुपहियों के लिए उत्पादन क्षमता का विस्तार करने हेतु धन राशि जुटाने के लिए 10 करोड़ रु० के प्रतिभूत आंशिक रूप से सम्परिवर्तनीय ऋण पत्रों को जारी करने के लिए मै० लोहिया मशीन्स के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

(ग) कम्पनी ने बताया है कि उन्होंने लगभग 21 लाख स्कूटरों के लिए की गई बुकिंगों पर पंजीकृत ग्राहकों को 31-7-1985 तक लगभग 32,000 स्कूटर प्रेषित किए हैं।

(घ) विस्तार परियोजना के कार्यान्वयन से कम्पनी की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी जिससे यह बकाया पड़ी मांग को अल्प समय में पूरा कर सकेगी।

कोचीन नौसेना अड्डे का विस्तार

4201. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन नौसेना अड्डे के विस्तार की प्रस्तावित योजनाएं क्या हैं;

(ख) योजनाओं के लिए कितनी धन राशि आबंटित की गई है; और

(ग) नौसेना कार्मिकों के लिए आवासीय परिसर के निर्माण की प्रस्तावित योजनाएं क्या हैं ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) कोचीन में नौसैनिक बेस के विकास के लिए नौसेना मुख्यालय द्वारा तैयार की गई भावी योजना में जिन मुख्य कार्यों को हाथ में लिया जाना है वे इस प्रकार हैं :—

(1) कोचीन में बेस मरम्मत संगठन का विस्तार।

(2) नौसेना के लिए एक मुख्य प्रशिक्षण बेस के रूप में इसका विकास करना।

1200 फीट की जेट्टी का निर्माण भी किया जा रहा है।

(ख) इन योजनाओं के लिए 1985-86 के दौरान लगभग 13 करोड़ रु० के खर्च की व्यवस्था की गई है।

(ग) 163 अफसरों और 902 नाविकों के लिए आवास निर्माणाधीन है। इसके अलावा 15 अफसरों और 240 नाविकों के लिए आवास निर्माण के और प्रस्तावों पर नौसेना मुख्यालय में विचार किया जा रहा है।

महाराष्ट्र में उद्योगहीन जिले

4202. श्री बालासाहेब विखे पाटिल }
श्री बनवारी लाल पुरोहित } : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र राज्य का बहुत बड़ा क्षेत्र औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा होने के बावजूद वहां के प्रत्येक जिले में कोई न कोई लघु अथवा मध्यम स्तर का उद्योग स्थित होने के कारण सम्पूर्ण राज्य का कोई भी क्षेत्र 'उद्योगहीन जिला' की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आता है;

(ख) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने "उद्योगहीन जिला" की परिभाषा को "उद्योग विहीन क्षेत्र" में बदलने के लिए केन्द्र सरकार से आग्रह किया है; और

(ग) क्या इस सुझाव पर विचार किया गया है और यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) महाराष्ट्र में गढ़चिरोली जिले को 1.4.1985 से उद्योगरहित जिला चुन लिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त सुझावों पर विचार करने के लिए एक अन्तर मन्त्रालयीय दल का गठन किया है।

टेलीफोन व्यवस्था खराब होना

4203. **श्री ए० जे० वी० वी० महेश्वर राव** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में टेलीफोन व्यवस्था दिन प्रतिदिन खराब हो रही है;

(ख) क्या सरकार आरम्भ में कम से कम दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जैसे महानगरों में व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के उपायों पर विचार कर रही है;

(ग) क्या सरकार ने इसको सुव्यवस्थित करने के लिए अपेक्षित धनराशि का अनुमान लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था सुधारने के लिए बांड आदि के माध्यम से धनराशि एकत्रित करने पर विचार कर रही है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) देश की टेलीफोन प्रणाली का कार्यकरण सामान्यतः संतोषजनक है और इसमें दिन प्रतिदिन गिरावट नहीं आ रही है। फिर भी इसमें और सुधार लाने की हमेशा गुंजाइश है।

(ख) से (घ) जी हां।

पेन्सिलिन का उत्पादन

4204. **श्री एन० डेनिस** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में पेन्सिलिन का निर्माण करने वाले एककों के क्या नाम हैं;

(ख) गत वर्ष के दौरान इन एककों में मास-वार कितना उत्पादन हुआ;

(ग) क्या यह सच है कि उनका अधिकांश उत्पादन एक ही एकक के माध्यम से आता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने मामले में क्या कार्यवाही की है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) पेन्सिलिन का निर्माण करने वाले एककों और गत एक वर्ष के दौरान बल्क पेन्सिलिन के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 1984-85 के लिए बल्क पेन्सिलिन्स का उत्पादन

निर्माणकर्ता एकक का नाम	गणना इकाई	अप्रैल 84	मई 84	जून 84	जुलाई 84	अगस्त 84	सितम्बर 84
1. आई०डी०पी०एल०	वायू	5600	6000	5900	1200	—	—
2. एच० ए० एल०	,,	4469	9560	6260	5320	4080	7350
3. एलम्बिक	,,	7132	6150	6930	8809	7238	7056
4. स्टेण्डर्ड फार्मा	,,	7816	3829	1079	1992	5592	3556
योग :		25008	25539	20169	17321	16910	17962

निर्माणकर्ता एकक का नाम	गणना इकाई	अक्टूबर 84	नवम्बर 84	दिसम्बर 84	जनवरी 85	फरवरी 85	मार्च 85	योग 1984-85
1. आई०डी०पी०एल०	वायू	—	100	2100	4500	4100	4700	34,200
2. एच० ए० एल०	,,	3120	10510	2890	4060	3900	8430	69,940
3. एलम्बिक	,,	2210	—	3366	269	555	2815	52,530
4. स्टेण्डर्ड फार्मा	,,	6472	8617	9675	8768	4840	2776	65.012
योग :		11802	19227	18031	17597	13395	18721	221,682

पेन्सिलिन से बने सेफालेक्सिन उत्पादों का वर्गीकरण

4205. **श्री एन० डेनिस** : क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेन्सिलिन से 6 ए० पी० ए०, 7 ए० डी० सी० ए० का निर्माण किया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सेफालेक्सिन का निर्माण 7 ए० डी० सी० ए० से किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं सरकार ने पेन्सिलिन से बनाये जाने वाले सेफालेक्सिन उत्पादों को अर्द्धसिंथेटिक पेन्सिलिन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) मार्टिन्डेल-एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, क्रिक-ओथमर-एनसाइक्लोपीडिया आफ केमिकल टेक्नोलाजी, यू० एस० डिसपैंसेट्री आदि जैसे प्रामाणिक प्रकाशनों के अनुसार सेफालेक्सिन को अर्द्ध-संस्लिष्ट पेन्सिलिन की श्रेणी में नहीं रखा गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र की एककों में पेन्सिलीन-जी की भण्डार सूची

4206. **श्री एन० डेनिस** : क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक क्षेत्र एककों के पास पेन्सिलिन-जी की भारी भण्डार-सूची है;

(ख) उनकी गत दो वर्षों के दौरान की मास-वार भण्डार सूची क्या है; और

(ग) इन भण्डारों को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ग) सरकारी क्षेत्र के एककों में पेन्सिलिन जी की भारी भण्डार-सूची नहीं है।

(ख) यह कम्पनियों के वाणिज्यिक हित में नहीं होगा कि उनकी महीना वार भण्डार-सूची को बताया जाए।

उद्योग विहीन ब्लाकों और तालुकों में नए उद्योगों की स्थापना

4207. **श्री मोहन भाई पटेल**
श्री अमर सिंह राठवा } : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रत्येक राज्य में उद्योग विहीन ब्लाकों या तालुकों का पता लगाने के लिए

एक सर्वेक्षण कराने के बारे में विचार करेगी, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने प्रत्येक राज्य सरकार को ऐसे ब्लाकों और तालुकों के नाम भेजने को कहा है जहां पर कोई उद्योग नहीं है यदि हां, तो प्रत्येक राज्य द्वारा क्या उत्तर दिया गया है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

साइचिन ग्लेशियर क्षेत्र में पाकिस्तानी और चीनी वायु सेना के विमानों द्वारा भूमि और आकाश में अतिक्रमण

4208. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेन्स डिफेंस वीकली के अनुसार पाकिस्तान और चीनी वायु सेना के अनेक विमानों ने 29 मई, को साइचिन ग्लेशियर और नुब्रा घाटी क्षेत्रों में सैन्य फोटो टोह मिशन पर उड़ानें भरी थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस क्षेत्र में भारतीय वायु और भूमि सीमा में अन्य कई अवसरों पर भी अतिक्रमण की घटनाएं हुई हैं; और

(ग) इस प्रकार के अतिक्रमण को रोकने के लिए उत्तर सेना कमांड और वायु सेना ने क्या कार्यवाही की है ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) 6 जुलाई, 1985 की "जेन्स डिफेंस वीकली" के अनुसार 29 मई, 1985 को "पाकिस्तानी वायु सेना के मिराज-111 ई० पी० और अनुसंधान तथा विकास टोह विमानों ने" साइचिन ग्लेशियर के ऊपर उड़ान भरी थी। इस पत्रिका ने तारीख बताए बिना यह भी लिखा है कि "चीन के युद्धक विमान ने भी इस क्षेत्र के ऊपर उड़ान की थी।"

(ख) पाकिस्तानी विमानों द्वारा इस क्षेत्र में भारतीय वायु सीमा का उल्लंघन करने की कुछ घटनाएं हुई हैं। पाकिस्तानी सैनिकों ने इस क्षेत्र में हमारी सैनिक टुकड़ियों को वहां से हटाने के प्रयास किए। इन प्रयासों को पूर्णतः नाकाम कर दिया गया।

(ग) हमारी रक्षा सेनाएं किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए बराबर सतर्क हैं।

टायरों की कीमतों में वृद्धि के बारे में औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो के निष्कर्ष और सिफारिशें

4209. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को औद्योगिकीय लागत तथा कीमत ब्यूरो (बी० आई० सी० पी०)

जिसके द्वारा नवम्बर 1983 में टायरों की कीमतों के ढांचे तथा जनवरी, 1984 में कीमतों में वृद्धि की जांच की गई थी की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो ब्यूरो के निष्कर्ष क्या हैं तथा इसने क्या सिफारिशें कीं; और

(ग) ब्यूरो की सिफारिशों को कार्यान्वित करने तथा/अथवा टायर निर्माताओं को कीमतों में वृद्धि न करने तथा कृत्रिम कमी न करने के लिए टायरों की सप्लाई नियंत्रित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो से अपना अध्ययन अद्यतन बनाने को कहा गया है जिससे कि निविष्टि लागतों पर 1985-86 के बजट का प्रभाव भी उसमें परिलक्षित हो और इस मामले में स्थिति का सिंहावलोकन किया जा सके।

पश्चिम बंगाल में उत्पादन "वैल्यू अडेड" रोजगार तथा कारखानों की संख्या का कम हो जाना

4210. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1976-77 से 1983-84 की अवधि के बीच भारत के कुल औद्योगिक उत्पादन में "वैल्यू अडेड" रोजगार तथा देश में कारखानों की संख्या में पश्चिम बंगाल के प्रतिशत हिस्से में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) इस कमी के क्या प्रमुख कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) वर्ष 1976-77 से 1981-82 के दौरान देश के कुल औद्योगिक उत्पादन जुड़े हुए मूल्य, रोजगार में पश्चिम बंगाल के अंश को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) औद्योगिक उत्पादन, जुड़ा-मूल्य, रोजगार और कारखानों की संख्या के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल के कार्यनिष्पादन में स्पष्ट सुधार दिखाई दिया है। किन्तु किसी राज्य का तुलनात्मक अंश अन्य राज्यों की अपेक्षा राज्य के समग्र कार्यनिष्पादन पर निर्भर करता है।

विवरण

देश के कुल औद्योगिक उत्पादन, जुड़े मूल्य, रोजगार तथा कारखानों की संख्या में पश्चिम बंगाल के अंश को दर्शाने वाला विवरण

वर्ष	कारखानों की संख्या			रोजगार (संख्या)			कुल उत्पादन (लाख रु० में)			जुड़ा-मूल्य (लाख रु० में)		
	अखिल भारत	पश्चिम बंगाल	प्रतिशतता	अखिल भारत	पश्चिम बंगाल	प्रतिशतता	अखिल भारत	पश्चिम बंगाल	प्रतिशतता	अखिल भारत	पश्चिम बंगाल	प्रतिशतता
1976-77	81277	6173	7.6	6649250	882100	13.3	3409065	372134	10.9	731070	88218	12.1
1977-78	84924	5950	7.0	7093382	934582	13.2	3886033	407813	10.5	812594	94220	11.6
1978-79	88077	5909	6.7	7248109	932720	12.9	4434379	433984	9.8	955396	106820	11.2
1979-80	95126	6264	6.6	7678271	970344	12.6	5225785	512595	9.8	1086450	119145	11.0
1980-81	96503	6359	6.6	7854274	958262	12.2	6108403	599252	9.8	1192877	137494	11.5
1981-82	105037	7281	6.9	7894254	929720	11.8	7367247	676449	9.2	1455457	144196	9.9

स्रोत :—फैक्टरी सेक्टर के० ए० एस० आई० संमरी रेजल्ट्स (तालिका 4)

निर्वाचन प्रयोजनों के लिए उपासना स्थलों के उपयोग पर पाबन्दी

4211. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग ने, प्रचार के लिए मंच के रूप में उपासना स्थलों के प्रयोग पर पाबन्दी लगाये जाने की दृष्टि से, लोक-प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने के बारे में सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस सुझाव के अनुरूप उक्त अधिनियम में संशोधन करने के लिए विधि बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) निर्वाचन आयोग पहले ही यह सिफारिश कर चुका है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अध्याय 3 में मंदिरों, गिरिजाघरों और अन्य उपासना स्थलों का, निर्वाचन प्रयोजन के लिए मंच के रूप में, उपयोग रोकने और उसके व्यतिक्रम के लिए उपयुक्त शास्ति विहित करने के लिए एक विशेष उपबंध किया जाए।

(ग) और (घ) आयोग द्वारा हाल ही में भेजे गए अन्य प्रस्तावों के साथ उक्त प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। यद्यपि सरकार निर्वाचन सुधार करने के लिए उत्सुक है, तथापि ऐसे सुधार, जिनके दूरगामी परिणाम होंगे, राजनैतिक दलों और अन्य प्रतिनिधि-निकायों से परामर्श करके, विनिश्चित किए जाएंगे।

[हिन्दी]

जसवन्त सिंह आयोग के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही

4212. **श्री के० एन० प्रधान** : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जसवन्त सिंह आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है; और

(ख) किन-किन और कितने राज्यों की राजधानियों में अभी तक उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की खण्ड पीठों की स्थापना नहीं हुई है।

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) जी, हां। सरकार रिपोर्ट की समीक्षा कर रही है।

(ख) गुजरात, केरल, मध्यप्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा और त्रिपुरा ऐसे

आठ राज्य हैं जिनकी राजधानियों में उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की न्यायपीठें अभी तक स्थापित नहीं की गई हैं।

भारतीय न्यायिक सेवा

4213. श्री के० एन० प्रधान
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय न्यायिक सेवा कब तक गठित किये जाने की सम्भावना है; और

(ख) उपर्युक्त सेवा में न्यायिक अधिकारियों की कौन-सी श्रेणी को शामिल करने की सम्भावना है ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है। यह बताना सम्भव नहीं है कि इस सेवा का गठन किस तारीख तक हो जाएगा।

(ख) इस बारे में ब्यौरा अभी तैयार किया जाना है।

[अनुवाद]

उर्वरकों का परिवहन

4214. श्री तुलसीराम : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरक कारखानों को उपभोक्ता केन्द्रों तक उर्वरकों के सड़क द्वारा परिवहन की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) उर्वरकों का सड़क द्वारा परिवहन रेल परिवहन की तुलना में कितना महंगा पड़ेगा और उपभोक्ताओं विशेषकर आंध्र प्रदेश के किसानों द्वारा वहन किए जाने वाले अतिरिक्त भार का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सड़क परिवहन के परिणामस्वरूप उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि न होने देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल): (क) और (ख) अन्दरूनी इलाकों में किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से उर्वरकों का परिवहन सड़क द्वारा भी किया जाता है, यद्यपि रेल परिवहन की तुलना में सड़क परिवहन का अंश काफी कम है।

(ग) और (घ) उर्वरकों के परिवहन पर निर्माताओं द्वारा वहन की गई लागत सरकार द्वारा

प्रत्येक एकक के लिए निर्धारित की जाती है और भाड़ा आर्थिक सहायता योजना के भाग के रूप में उसकी प्रतिपूर्ति निर्माताओं को की जाती है। परिवहन लागत का असर उर्वरकों के बिक्री मूल्यों, जो सरकार द्वारा कानूनी रूप से निर्धारित हैं, पर पड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

महबूब नगर आंध्र प्रदेश में उर्वरक संयंत्र स्थापित करना

4215. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में आंध्र प्रदेश सरकार से भी कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(घ) उक्त संयंत्र में कब तक उत्पादन शुरू होने की सम्भावना है और उसकी वार्षिक क्षमता कितनी होगी ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश में उर्वरक संयंत्र

4216. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय उर्वरक संयंत्रों की संख्या कितनी है और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) उनमें से कितने संयंत्र निर्माणाधीन हैं/पूरे होने वाले हैं और उनमें उत्पादन कब तक शुरू होने की आशा है;

(ग) आंध्र प्रदेश में ऐसे कितने संयंत्र हैं; और

(घ) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना में आंध्र प्रदेश में ऐसे कुछ संयंत्र स्थापित करने के कुछ प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में उर्वरक संयंत्रों की संख्या और स्थान, चालू तथा निर्माणाधीन/कार्यान्वयनाधीन सहित, दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। विवरण में दर्शाए गए सभी निर्माणाधीन/कार्यान्वयनाधीन संयंत्रों के सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान क्रमिक ढंग से पूर्ण होने की सम्भावना है।

(घ) सातवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान, आंध्र प्रदेश के काकिनाडा में दो नए उर्वरक संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, एक मैसर्स नागार्जुना फर्टिलाइजर्स लि० द्वारा तथा दूसरा मैसर्स गोदावरी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि० द्वारा।

विवरण

1. मुख्य उर्वरक संयंत्रों की राज्यवार संख्या तथा स्थान

क. सं० चालू संयंत्र	ख. निर्माणाधीन/कार्यान्वयनाधीन संयंत्र
1	2
आंध्र प्रदेश	
1. विजाग	1. काकीनाडा (नागार्जुन फर्टि०)
2. नामागुण्डम	2. काकीनाडा (गोदावरी फर्टि०)
आसाम	
1. नामरूप-1	1. नामरूप-3
2. नामरुप-2	
बिहार	
1. सिन्दरी	—
2, बरौनी	—
गोवा	
1. गोवा	—
गुजरात	
1. बड़ौदा	1. हाजिरा 1 और 2
2. भरोच	2. सिक्का
3. कलोल	
4. काण्डला	
हरियाणा	
1. पानीपत	—
कर्नाटक	
1. मंगलौर	1. मुंगलौर (एक्सपेंशन)

1	2
केरल	
1. उद्योग मण्डल	
2. कोचीन-1	—
3. कोचीन-2	—
महाराष्ट्र	
1. ट्राम्बे	—
2. ट्राम्बे 4	—
3. ट्राम्बे 5	—
4. थाल 1 और 2	—
मध्य प्रदेश	
1—	1. विजयपुर (गुन)
उड़ीसा	
1. राउरकेला	1. पारादीप
2. तालचर	
पंजाब	
1. नंगल 1 (नेशनल फर्टि० लि०)	—
2. नंगल 2	
3. भटिण्डा	
4. नंगल (पी० एन० एफ० सी०)	
राजस्थान	
1. कोटा	1. सवाई माधोपुर
2. खेतरी	
तमिलनाडु	
1. नवेली	1. तुतीकोरिन (डी० ए० पी०) (रिट्रोफिटिंग)
2. मद्रास (एम० एफ० एल०)	
3. मद्रास (ई० आई० डी० फौरा)	
4. तुतीकोरिन (एस० पी० आई० सी०)	

1	2
5. तुतीकोरिन (टी० ए० सी०)	
उत्तर प्रदेश	
1. गोरखपुर	1. जगदीशपुर (सुल्तानपुर)
2. फूलपुर	2. यांभला (बरेली)
3. कानपुर	3. ववराला (बदायूं)
4. वाराणसी	4. शाहजहांपुर
प० बंगाल	
1. दुर्गापुर	1. हाल्दिया (एच० एफ० सी०)
	2. हाल्दिया (एच० एल० एल०)

सिंगल सुपर फास्फेट उत्पादित करने वाले लघु संयंत्रों का राज्यवार संख्या तथा स्थान

(क) चालू संयंत्र	(ख) कार्यान्वयनाधीन संयंत्र (औद्योगिक लाइसेंस जारी)	(ग) अनुमोदित योजनाएं (आशय कार्यान्वयनाधीन)
1		2
	आन्ध्र प्रदेश	
1. टेडपाली	शून्य	शून्य
2. टानाकु		
3. माउला अली		
4. निडावोल		
5. विजाग		
	आसाम	
1. चन्द्रपुर	शून्य	शून्य
	बिहार	
1. सिन्दरी	शून्य	पूर्णिया
	दिल्ली	
1. दिल्ली	शून्य	शून्य

1		2
	गुजरात	
1. उधना		1. पंचमहल (एक्सपेंशन)
2. भावनगर	शून्य	
3. पंच महल		2. अमरेली
4. जूनागढ़		
5. अहमदाबाद		
6. वाधावन सिटी		
7. नन्दसारी (बड़ौदा)		
8. पंडसारा (सूरत)		
	हरियाणा	
1. महेन्द्रगढ़ (धारुहेरा कैमिकल्स)	शून्य	1. गुड़गांव
2. महेन्द्रगढ़ (मल्टीटेक इन्टरनेशनल)		
	कर्नाटक	
1. बेलागुड़ा	शून्य	शून्य
2· मुनीराबाद		
	केरल	
1. अलवाय	शून्य	शून्य
	मध्य प्रदेश	
1. कुमहारी	1. विलासपुर	1. रायसमा
		2. झबुआ
		3. इन्दौर
		4. रतलाम
	महाराष्ट्र	
1. पेनवेल	1. चन्द्रापुर	1. अकोला
2. अम्बरनाथ	2. कालभोर (एक्सपेशन)	2. वर्धा
	पूना	
3. लोनी कालभोर (पूना)	3. माळीवाड़ा (एक्सपेशन)	
4. माळीवाड़ा (वावा)		

1		2
5. बम्बई		
6. तालोजा		
	उड़ीसा	
1. शून्य	मयूरभंज	शून्य
	पंजाब	
1. होशियारपुर	1. संगरूर	1. जलन्धर
2. भटिण्डा	2. पंजाब सल्फर, होशियारपुर	2. श्री एस० एल० कैरोय अमृतसर
3. जालन्धर		3. पटियाला
4. अमृतसर		
	राजस्थान	
1. अलवर		
2. खेतरी उदयपुर	1. मधुवन एग्रो कैमिकल्स, उदयपुर	शून्य
	तमिलनाडु	
1. कोयम्बटूर	शून्य	1. छिंगलीपेट (एक्सपे०)
2. रानीपैठ		2. कमर कैमिकल्स एण्ड फर्टि० लि०
3. छिंगलीपेट		
4. कुडालोर		
5. अवादी		
	उत्तर प्रदेश	
1. मगरवारा (उरमौव)	1. रामगंगा फर्टि० लि० (मुरादाबाद)	1. झांसी
2. शिकोहाबाद	2. फारूखाबाद	2. रामपुर
3. रायबरेली		3. कानपुर देहात

1		2
4. फतेहगढ़		4. देहरादून
5. मुजफ्फर नगर		
6. (श्री एसिड एण्ड कैमिकल्स लि०) गजरौला, मुरादाबाद		
7. मोहन नगर, जिला, गाजियाबाद		
पश्चिम बंगाल		
1. खारदाह	शून्य	शून्य
2. रिसरा (जिला, हुगली)		

नवस्थापित उद्योगों की सुरक्षा के लिए निर्बन्धन

4217. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में नवस्थापित उद्योगों की सुरक्षा के लिए कुछ निर्बन्धन लगाने पर विचार कर रही है (1-7-85 का टाइम्स ऑफ इंडिया);

(ख) यदि हां, तो लगाए जाने वाले प्रस्तावित निर्बन्धनों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सुरक्षा प्रदान किये जाने वाले नवस्थापित उद्योगों का ब्यौरा क्या है तथा उसकी अवधि क्या होगी ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) सरकार की नीति लघु उद्योगों को बड़े एककों की प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने की है। इसे ध्यान में रखते हुए केवल लघु क्षेत्र के विकास के लिए अनेक उद्योग आरक्षित किए गए हैं और बड़े एककों को, जब तक वे कम से कम 75 प्रतिशत की पर्याप्त निर्यात अनिवार्यता का उत्तरदायित्व नहीं लेते, लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नही दी जाती। इसी प्रकार एम० आर० टी० पी०/फेरा कम्पनियों को केवल परिशिष्ट-1 में शामिल किए गए उद्योगों में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है और इनके द्वारा गैर-परिशिष्ट-1 उद्योगों में प्रवेश कम से कम 60 प्रतिशत की पर्याप्त निर्यात की शर्त के अधीन होता है। इस नीति से गैर-एम० आर० पी० टी०/गैर-फेरा कम्पनियों को गैर-परिशिष्ट-1 उद्योगों में संरक्षण मिलेगा। साथ ही, उन वस्तुओं से सम्बन्धित उद्योगों को जो लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है, गैर-एम० आर०टी० पी०/गैर-फेरा कम्पनियों के लिए हाल ही में लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया है। यह भी लघु एककों और मझौले एककों को बड़े एककों की प्रतिस्पर्धा से संरक्षण प्रदान करने के विचार से किया गया है।

रसोई गैस के सिलेंडरों का आयात

4218. श्री मूल चन्द डागा
श्रीमती जयंती पटनायक
श्री राजकुमार राय
} क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जुलाई, 1985 के "इकोनामिक टाइम्स" में "मैनी एल० पी० जी० सिलिण्डर यूनिट्स आन सिक लिस्ट" शीर्षक से तथा 22 जुलाई, 1985 के "जनसत्ता" में बड़े सिलेंडर बनाने आए" शीर्षक से प्रकाशित समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या आगामी तीन वर्षों की आवश्यकताओं के लिए सिलेंडरों की सप्लाई के लिए आर्डर पहले ही दे दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो रसोई गैस के सिलेंडरों की सप्लाई और इनका निर्माण करने वाले एककों की सही स्थिति क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान रसोई गैस के कितने सिलेंडरों का आयात किया गया तथा आयात के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) स्वदेशी प्राप्यता में आई कमी को पूरा करने के लिए, 1983-84 में 8 लाख एल०पी०जी० सिलिण्डरों के आयात का निर्णय लिया गया था जिसमें से 6.20 लाख सिलेंडरों का आयात किया जा चुका है।

प्रमुख बल्क औषधियों का आयात

4219. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में आधुनिक औषधियों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी है तथा पश्चिम के कुछ देशों में इसकी क्या स्थिति है;

(ख) क्या हमारा औषध उद्योग आयातित रसायनों तथा सक्रिय संघटकों पर निर्भर करता है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या एस०सी०पी०सी० और इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटीकल्स लिमिटेड द्वारा बनाई गई औषधियां महंगी हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उन प्रमुख बल्क औषधियों के आयात का क्या ब्यौरा है जिनका देश में भी निर्माण किया जाता है तथा प्रत्येक के हमारे स्वयं के उत्पादन का क्या ब्यौरा है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) 1982-83 में आधुनिक औषधों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगभग 28.50 रु० थी। पश्चिम के अन्य देशों से सम्बन्धित ऐसी जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ख) उन बल्क औषधों और रसायनों का आयात करने की अनुमति है जिनका देश में उत्पादन नहीं किया जाता अथवा अपर्याप्त मात्रा में उत्पादन किया जाता है।

(ग) मूल्य नियंत्रित बल्क औषधों के मूल्य औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के अधीन निर्धारित किये जाते हैं सरकार द्वारा निर्धारित किये गये मूल्य अधिकतम मामलों में समान हैं चाहे औषधों का उत्पादन निजी क्षेत्र में किया गया हो अथवा सार्वजनिक क्षेत्र में।

(घ) कुछ प्रमुख औषधों के सम्बन्ध में गत तीन वर्षों के दौरान आयात और स्वदेशी उत्पादन के ब्यौरे, उपलब्धि की सीमा तक, संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

	1981-82		1982-83		1983-84	
	आयात	स्वदेशी	आयात	स्वदेशी	आयात	स्वदेशी
क्लोरोक्वीन और इसके लवण मी०	166.27	58.96	196.25	82.29	19.48	123.46
प्रडिसोलोन कि०ग्रा०	746.15	1273.00	2161.00	824.00	2467.05	1846 00
एमोक्सीसिलीन ट्राइहाईड्रेट मी०	24.75	0.90	21.98	9.95	6.5551	22.33
एम्पिसिलीन ट्राइहाईड्रेट मी०	27.97	47.09	19.65	113.49	7.588	123.64
पाइराजिनामाइड मी०	19.81	—	18.70	—	24.55	[illegible]9.35
आक्सीटेट्रासाइक्लीन मी०	42.27	114.28	40.94	119.57	23.028	104.99
इफेड्राइन मी०	20.17	11.65	44.40	2.96	36.185	2.16
डेक्सामेथाजोन और इसके लवण कि०ग्रा०	299.09	96.52	337.00	157.67	259.24	149.54

सातवीं योजना अवधि के दौरान दूर संचार सेवाएं

4220. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्तमान दूरसंचार प्रणाली असंतोषजनक है, यदि हां, तो दूरसंचार सेवा में पाई जाने वाली त्रुटियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सातवीं योजना अवधि के दौरान देश में बेहतर दूरसंचार सेवा उपलब्ध कराने के लिए क्या व्यवस्था की गई है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) देश में दूरसंचार सुविधाएं आमतौर पर संतोषजनक हैं। फिर भी हो सकता है कि किसी स्थान पर उपभोक्ता इन सेवाओं से संतुष्ट न हों। सेवाओं में और आगे सुधार लाने के लिए सभी प्रयत्न किए जा रहे हैं।

(ख) देश में बेहतर दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए योजना आयोग को प्रस्तुत सातवीं योजना के मूल प्रस्ताव में 13768 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है।

गुजरात में खाना पकाने की गैस के घरेलू कनेक्शन जारी करना

4221. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाजिरा बीजापुर गैस पाइप लाइन से उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थापित किए जाने वाले गैस पर आधारित छः उर्वरक संयंत्रों की पूर्ति किए जाने की सम्भावना है;

(ख) क्या 1730 कि०मी० लम्बी एच०बी०जे० गैस पाइप लाइन पर जो खाना पकाने की गैस के संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है;

(ग) इन एल०पी०जी० संयंत्रों को कहां पर स्थापित किया जायेगा, इनकी क्षमता कितनी होगी, इसका परिव्यय कितना होगा और इन्हें अनुमानतः किस महीने तक स्थापित कर दिया जाएगा;

(घ) उनके चालू होने के पहले वर्ष में कितने घरेलू कनेक्शन दिये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) क्या उक्त एल०पी०जी० संयंत्रों से गुजरात के उपभोक्ताओं को घरेलू गैस कनेक्शन दिये जायेंगे ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) से (ङ) इन एल०पी०जी० संयंत्रों को बिजयपुर तथा औरिया में लगाने का प्रस्ताव है। अन्य ब्यौरे अभी तक नहीं बनाये गये हैं।

कोरापुट जिले में रायगड़ा और जैपोर में टेलीफोन भवनों और स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण

4222. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के कोरापुट जिले में जैपोर (के) कोरापुट और रायगड़ा में टेलीफोन भवनों और स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान भवनों के निर्माण को पूरा करने के लिए कितनी राशि उपलब्ध कराई गई और क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या जैपोर (के) कोरापुट और रायगड़ा स्थित मानव चालित एक्सचेंजों को विभागीय भवनों के अभाव में बदला नहीं जा सकता; और

(घ) यदि हां, तो इन स्थानों में इन भवनों के स्थान पर विभागीय भवन बनाने के बारे में उड़ीसा सर्किल द्वारा निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जैपोर में टेलीफ़ोन एक्सचेंज भवन का 95 प्रतिशत सिविल निर्माण कार्य पूरा हो चुका है तथा स्टाफ क्वार्टरों के भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। कोरापुट में टेलीफोन एक्सचेंज भवन और स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण के लिए टेंडर आमंत्रित किए जा रहे हैं। रायगड़ा में टेलीफोन एक्सचेंज और स्टाफ क्वार्टरों के लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है।

(ख) इन भवनों का निर्माण शुरू करने के लिए 1985-86 में पर्याप्त निधि की व्यवस्था की गई है। जैपोर में टेलीफोन एक्सचेंज भवन के निर्माण कार्य के शीघ्र ही पूरा हो जाने की सम्भावना है जबकि उपर्युक्त भाग (क) में उल्लिखित अन्य भवनों की 1986-87 में पूरा होने की संभावना है बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

(ग) जी हां।

(घ) उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत इन भवनों का निर्माण प्रारम्भ किया जा रहा है।

कोरापुट जिले में उप-डाकघर खोलना/दर्जा बढ़ाना

4223. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोस्टल सर्किल भुवनेश्वर द्वारा उड़ीसा के कोरापुट जिले में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल कितने उप-डाकघर तथा प्रधान डाकघर खोले गए तथा वे किन-किन स्थानों पर खोले गये;

(ख) उनके मन्त्रालय द्वारा प्रतिबन्ध आदेश हटाने के बाद वर्ष 1985-86 के दौरान नए डाकघर खोलने/दर्जा बढ़ाने के लिए किन स्थानों का चयन/पता लगाया गया; और

(ग) आदिम जाति तथा पिछड़े क्षेत्रों में उप-डाकघर खोलने के लिए स्थानों का चयन करते समय किन मानदण्डों का पालन किया गया ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) 1. छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले गए प्रधान डाकघर—शून्य

2. छठी पंचवर्षीय योजना में 13 उप-डाकघर खोले गए। उनके नामों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) 1985-86 के दौरान निम्नलिखित स्थानों के अतिरिक्त विभागीय डाकघरों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें विभागीय डाकघर बनाने के लिए चुना गया है।

1. रेलवे स्टेशन गुनुपुर, 2. कोरापुट बोरीगुमा रोड, 3. मल्कानगिरी बाजार, 4. गांधी चौक, 5. कोटापाड बाजार, 6. सदाशिवपुर।

(ग) अतिरिक्त विभागीय डाकघरों का विभागीय डाकघरों में दर्जा बढ़ाने के लिए निम्नलिखित मापदण्ड अपनाए जाते हैं।

(एक) यदि अतिरिक्त विभागीय डाकघर में प्रतिदिन 5 घंटे का कार्यभार हो।

(दो) दर्जा बढ़ाने से प्रतिवर्ष 1000/ से अधिक का घाटा न हो।

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले गए उप-डाकघरों का ब्यौरा।

1. गांधी गांव
2. इरिगेशन कालोनी-जैपुर
3. हरदी
4. कुण्डला
5. चटपा हंडी
6. खट्टी गुरा
7. शारदा पल्ली

8. मिरखान गुरा

9. दामन दुदी

10. जैय के पुर बाजार

11. लछीपुरा

12. कोशी गुमरा

13. जैनगर

उड़ीसा के जनजाति जिलों में उप-डाकघरों के भवनों का निर्माण

4224. **श्री गिरिधर गोमांगो : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) उड़ीसा डाक मंडल में छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक, जिला-वार कुल कितने उप-डाक घरों के पास विभागीय भवन हैं ;

(ख) वर्ष 1985-86 और सातवीं पंचवर्षीय योजना में कोरापुट जिले में उप-डाक घरों के भवनों के निर्माण के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं और उसके लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या उनके मन्त्रालय ने सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा के जनजाति जिलों में उप-डाकघरों के भवनों के निर्माण के लिए धनराशि और कार्यक्रम नियत किए हैं ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। उड़ीसा डाक सर्किल में, उप-डाकघरों की कुल संख्या जिलेवार 69 है। जहां छठी योजना के अन्त तक विभागीय भवन था, ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

कटक	24
बालासोर	4
पुरी	10
गंजाम	6
फुलवानी	3
बोलनगीर	2
कालाहांडी	5

ढेंकानाल	2
मयूरगंज	2
क्योंझार	2
कोरापुट	1
संबलपुर	5
सुन्दरगढ़	3
	69

(ख) कोरापुट जिले में 1985-86 के लिए उप-डाकघरों की कोई योजना नहीं बनाई गई है। अतः 1985-86 के लिए निधि का आबंटन नहीं किया गया है। यह प्रस्ताव है कि सातवीं योजन में पट्टांगी, मालाकांगड़ी और गुनुपुर में उप-डाकघरों के लिए भवन निर्माण करने का प्रस्ताव है।

(ग) जी हां।

डम्बोसोरा में उप-डाकघर खोलना

4225. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक सर्किल, उड़ीसा को कोरापुट जिले के गुनुपुर सब-डिवीजन के डम्बोसोरा क्षेत्र के लोगों और स्थानीय संसद सदस्य से डम्बोसोरा में एक उप-डाक घर खोलने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो डाक मण्डल, गुनुपुर कोरापुट ने उप-डाकघर खोलने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या डाक सर्किल को उक्त डाक मण्डल से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो सर्किल द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां। स्थानीय संसद सदस्य महोदय से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ख) प्रस्ताव की जांच करने पर डम्बोसोरा में उप-डाकघर खोलने का औचित्य नहीं पाया गया क्योंकि वहां केवल 1 घंटा 20 मिनट का ही कार्यभार पाया गया जबकि विभागीय उप-डाकघर

में दर्जा बढ़ाने के लिए कम से कम 5 घंटे का कार्यभार होना चाहिए।

(ग) और (घ) जी नहीं। (1) रेलवे स्टेशन गुनुपुर (2) कोरापुट बेगुमा (3) मल्कानगिरी बाजार (4) गांधी चौक (5) कोरापुट बाजार और (6) सदाशिवपुर बाजार में उप-डाकघर खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन उप-डाकघरों को खोलने का औचित्य बनता है। मितव्ययिता के लिए नए पदों के सृजन पर लगी पाबन्दी के हटाए जाने के बाद तथा निधि उपलब्ध हो जाने पर इन डाकघरों के खोलने के मामले पर विचार किया जाएगा।

गैर-सरकारी औद्योगिक एककों को सरकारी उपक्रमों के रूप में अनधिसूचित करने में मानदंड

4226. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा किसी गैर-सरकारी औद्योगिक एकक को सरकारी उपक्रम के रूप में लेने के क्या मानदंड हैं और उसे अनधिसूचित करने के क्या मानदंड हैं;

(ख) सरकार किसी एकक को अनधिसूचित करने के बाद उसके सरकारी उपक्रम के रूप में रहने की अवधि के दौरान उसमें सरकार द्वारा किये गये पूंजीनिवेश को कैसे उचित ठहराती है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 31 मार्च, 1985 तक कितने एककों को अनधिसूचित किया गया और इससे कितने श्रमिक बेरोजगार हुए; और

(घ) क्या सरकार उन एककों को आगे चलाने के लिए इस स्थिति की पुनरीक्षा करेगी।

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां): (क) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18-ए०, 18-एए और 18 एफ०ए० के उपबन्धों के अनुसार किसी भी औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध सरकार द्वारा अपने अधिकार में लिया जा सकता है। किसी औद्योगिक उपक्रम को अनधिसूचित करने के लिए मानदंड सरकार द्वारा अक्तूबर, 1981 में जारी किए गए रुग्ण उद्योगों सम्बन्धी नीति विषयक मार्गदर्शी सिद्धांतों में निर्धारित किया गया है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों की मुख्य बातें 23.1.1985 को लोक सभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 204 के उत्तर में दे दी गई थी।

(ख) सामान्यतया जब तक अधिकार में लिए गए एककों का राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय नहीं ले लिया जाता तब तक सरकार द्वारा ऐसे एककों में पूंजी निवेश नहीं किया जाता। मरम्मत और रख-रखाव के लिए जो थोड़ी पूंजी लगाई जाती है वह मुख्य रूप से इस प्रकार के एककों के कार्यों को चलाते रहने के लिए और उन्हें बन्द होने से बचाने के लिए होती है।

(ग) निम्नलिखित तीन औद्योगिक उपक्रमों को, जिसका प्रबन्ध उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किया जा रहा था, 31 मार्च, 1985 तक अनधिसूचित कर दिया गया है :—

उपक्रम का नाम	कामगरों की संख्या
1. कार्टर पीलर एंड कम्पनी, प्रा०लि० कलकत्ता	400
2. कन्टेनर्स एंड क्लोजर्स लिमिटेड, कलकत्ता	828
3. इंडियन रबर मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड, कलकत्ता	572

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

कानपुर टेलीफोन विभाग में हिन्दी का प्रयोग

4227. **श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी आदेशों के बावजूद कानपुर टेलीफोन विभाग में अधिकतर सरकारी कार्य अंग्रेजी में किया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि हाल ही में कानपुर में इलैक्ट्रानिक प्रणाली के उद्‌घाटन के समय बैठक की कार्यवाही और पुस्तिकाओं और भाषणों सहित सारा कार्य अंग्रेजी में किया गया था और यहां तक कि उसका हिन्दी अनुवाद भी उपलब्ध नहीं कराया गया था; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) यह सही नहीं है। वर्ष 1984-85 के दौरान कानपुर टेलीफोन जिले में हिन्दी में किए गए सरकारी कार्य की स्थिति इस प्रकार है :—

(एक) हिन्दी में 8640 पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 6995 पत्रों का जवाब हिन्दी में ही दिया गया तथा शेष पत्रों का जवाब देने की आवश्यकता ही नहीं थी।

(दो) इस कार्यालय से हिन्दी में 5681 पत्र भेजे गए।

(तीन) जो 250 फार्म केवल अंग्रेजी में ही थे, उनका हिन्दी में अनुवाद कर दिया गया है।

(ख) यह आंशिक रूप से सही है। पैम्फलेट हिन्दी में मुद्रित नहीं किए गऐ थे।

(ग) बैठक की कार्रवाई अंग्रेजी में की गई क्योंकि मुख्य अतिथि हिन्दी नहीं जानते थे। उनमें से एक सदस्य विदेशी भी थे।

लोहिया मशीन्स को दिए गए औद्योगिक लाइसेंस

4228. श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान लोहिया मशीन्स, कानपुर को कितने औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये और उसने कितने उद्योग स्थापित किये;

(ख) उनमें से कितने उद्योग बन्द हो गये हैं और कितने के लाइसेंस वापस कर दिये गये हैं;

(ग) क्या सरकार को इस सम्बन्ध में लोहिया मशीन्स के विरुद्ध कोई शिकायत मिली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई है?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) मैसर्स लोहिया मशीन्स लिमिटेड को पिछले तीन वर्षों में हाई विस्कोसिटी नायलान चिप्स/मोल्डिंग पाउडर, दुपहियों और स्पिनिंग फ्रेम के निर्माण के लिए तीन औद्योगिक लाइसेंस दिए गए हैं। कम्पनी ने बताया है कि उन्होंने हाई विस्कोसिटी नायलान चिप्स और दुपहियों के लिए लाइसेंसों को कार्यान्वित कर दिया है। यह कानपुर में अपने विद्यमान उपक्रम में स्पिनिंग फ्रेमों के लिए लाइसेंसों को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में है।

(ख) कोई नहीं।

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार को कोई विशिष्ट शिकायत नहीं मिली है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

एकाधिकार कम्पनियों के स्वीकृत/अस्वीकृत आवेदनों का ब्यौरा

4229. श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार अवरोध व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के प्रवृत्त होने के बाद से इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले देश भर के प्रतिष्ठानों से सरकार को उद्योग स्थापित करने हेतु कितने आवेदन मिले हैं; और

(ख) सरकार ने उनमें से कितने आवेदनों को स्वीकृत किया है और कितनों को अस्वीकृत किया है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) 1.6.1970 (जबसे एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम लागू हुआ) से 31.7.1985 की अवधि के दौरान एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार वाली कम्पनियों से एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 21 और 22 के अधीन 2,553 आवेदन प्राप्त हुए थे। इन आवेदनों के निपटान की स्थिति निम्न प्रकार थी :—

स्वीकृत	अस्वीकृत	वापस लिये गए/ बन्द हो गए	छूट दिये गए	अनिर्णीत
1203	584	400	228	138

उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों में आयकर, भारतीय दंड संहिता, विक्रय कर आदि की लंबित रिट याचिकाएं

4230. **श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी :** क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कितनी रिट याचिकाएं लंबित हैं और उनमें से कितनी याचिकाएं भारतीय दंड संहिता, आयकर, विक्रय कर और अन्य राजस्व मामलों के बारे में तथा कितने श्रमिकों और सेवा योजकों के विवादों के बारे में हैं;

(ख) उनमें से कितनी रिट याचिकाएं गत 10 वर्षों से, 20 वर्षों से और 30 वर्षों से लंबित हैं; और

(ग) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है कि लोगों को किसी भी मामले में निचले न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक दो अथवा तीन वर्षों के समय में न्याय मिल सके और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित कर दिया जाएगा।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच०आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की रजिस्ट्रियों द्वारा दी गई जानकारी संलग्न विवरण 1 और 2 में दी गई है।

(ग) सरकार को ज्ञात है कि न्यायालयों में अनेक मामले लंबित पड़े हुए हैं और वह इस समस्या के समाधान के लिए विचार कर रही है। न्यायिक प्रशासन में सुधार एक निरन्तर प्रक्रिया है और इसके लिए कोई निश्चित समय-सीमा बताना सम्भव नहीं है।

विवरण-I

न्यायालय का नाम	लंबित रिट अर्जियों की कुल संख्या	लंबित दांडिक रिट अर्जियों की संख्या
उच्चतम न्यायालय	(1.7.1985 को) 27,019	1617

(31.12.1984 को)

	उच्च न्यायालय का नाम	लंबित रिट अर्जियों की कुल संख्या	लंबित दांडिक रिट अर्जियों की संख्या	श्रम विधि से संबंधित लंबित रिट अर्जियों की संख्या	लंबित आय-कर निर्देशों और आवेदनों की संख्या	लंबित विक्रय-कर निर्देशों और आवेदनों की संख्या	लंबित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर निर्देशों और आवेदनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	इलाहाबाद	82003	—	1675	1776	446	512
2.	आंध्र प्रदेश	30748	—	916	570	—	100
3.	मुम्बई	24835	—	1548	4891	218	812
4.	दिल्ली	9201	101	885	3712	218	1750
5.	गुजरात	11262	302	1410	2307	74	318
6.	हिमाचल प्रदेश	1526	20	5	44	—	1

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	जम्मू-कश्मीर	5970	95	86	121	—	—
8.	कर्नाटक	68516	—	2381	949	—	340
9.	केरल	18961	33	601	1491	297	—
10.	मध्य प्रदेश	8010	164	505	436	274	122
11.	मद्रास	30029	134	959	5651	2172	—
12.	उड़ीसा	8520	—	220	208	310	60
13.	पटना	12200	7	471	911	262	1[illegible]0
14.	पंजाब और हरियाणा	7743	148	671	1124	172	296
15.	राजस्थान	21293	12	1070	709	339	213
16.	सिक्किम	18 (30.6.1984 को)	—	—	—	—	—
17.	कलकत्ता	1259 (31.12.1983 को)		91	2753	24	291
18.	गौहाटी	5402	29	67	122	10	29

विवरण-2

न्यायालय का नाम	लंबित रिट अर्जियों की संख्या		
	10 वर्ष से अधिक	20 वर्ष से अधिक	30 वर्ष से अधिक
		(1.7.85 को)	
उच्चतम न्यायालय	203	कोई नहीं	कोई नहीं

	उच्च न्यायालय का नाम	10 वर्ष से अधिक समय से लंबित रिट अर्जियों की संख्या
1	2	3
		(31.12.1984 को)
1.	इलाहाबाद	2394
2.	आंध्र प्रदेश	—
3.	मुम्बई	108
4.	दिल्ली	1118
5.	गुजरात	13
6.	हिमाचल प्रदेश	141
7.	जम्मू-कश्मीर	100
8.	कर्नाटक	12
9.	केरल	—
10.	मध्य प्रदेश	—
11.	मद्रास	—
12.	उड़ीसा	—
13.	पटना	1
14.	पंजाब और हरियाणा	32

1	2	
15.	राजस्थान	1
16.	सिक्किम	—
		(30.6.1984 को)
17.	कलकत्ता	3
		(31.12.1983 को)
18.	गोहाटी	7

बस्ती (उत्तर प्रदेश) में पेट्रोल पम्पों द्वारा पेट्रोल में मिलावट के बारे में शिकायतें

4231. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले में इस समय कितने पेट्रोल पम्प हैं और बस्ती में उनके स्वामियों का क्या ब्यौरा है;

(ख) क्या पेट्रोल में बड़े पैमाने पर मिलावट की शिकायतें हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसे रोकने के लिए कोई कदम उठाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उस जिले में उक्त पेट्रोल पम्प से कितनी बार परिक्षण हेतु नमूने लिए गए और उनके क्या परिणाम निकले ?

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) संलग्न विवरण में ब्यौरा दिया गया है।

(ख) से (घ) तेल कम्पनियों द्वारा उपर्युक्त डीलरों के संबंध में पेट्रोल में मिलावट के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ङ) मार्किटिंग डिसपिलिन गाइडलाइन्स के अनुसार तेल कम्पनियों द्वारा नियमित अनुदेशों का पालन किया जाता है। चूंकि फिल्टर पेपर टेस्ट के बाद पेट्रोल की किस्म ठीक पाई गई इसलिए 1985 में तेल कम्पनियों द्वारा और सैम्पल नहीं लिए गए।

विवरण

क्रम संख्या	खुदरा बिक्री केन्द्रों के नाम	मालिकों के नाम
1		3
1.	मैसर्स तुलस्यान आटोमोबाइल्स	श्री शक्ति तुलस्यान
2.	मैसर्स पांडे आटोमोबाइलस	श्री राम सेवक पांडे एण्ड श्रीमती पान कुमारी देवी
3.	मैसर्स उमर आटोमोबाइल्स	श्री मोहम्मद उमर
4.	मैसर्स जगदम्बा आटो सर्विस, नावगढ़	श्री चन्द्रा प्रकाश खेतान
5.	मैसर्स दिलीप फीलिंग स्टेशन, बंसी	श्री जगदीश प्रसाद नायक एण्ड श्री अनन्त प्रकाश नायक
6.	मैसर्स हिन्दुस्तान आटोमोबाइल्स, बस्ती	श्री सुइन्दर कुमार गुप्ता
7.	मैसर्स बस्ती आयल कम्पनी, बस्ती	श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता
8.	मैसर्स विजय आटोमोबाइल्स, वारहुंनी	श्री विजय खेदिया
9.	मैसर्स ओम प्रकाश, राम प्रकाश, बस्ती	श्री राम प्रकाश गिरोत्रा श्री नवल किशोर गिरोत्रा श्री प्रेम सागर गिरोत्रा श्री हर्ष सिद्ध गिरोत्रा
10.	मैसर्स मोहनराम रामनिवास	श्री अमरनाथ रंगता श्री किशन कुमार रंगता
11.	मैसर्स श्री श्याम आटो-सर्विस, इटावा बाजार	श्री गोपीराम चापरिया श्री राधेश्याम छाबिरिया
12.	मैसर्स अग्रवाल आटोमोबाइल्स, ईटवा	श्री कैलाश चन्द्र बनवारी लाल
13.	खेतान आयल कं० नौगढ़	श्री कैलाश चन्द्र खेतान
14.	इंडियन आटोमोबाइल्स, हरियाणा	श्री सतानन्द मसकरा

1	2	3
15.	मैसर्स इन्दिरा आटोमोबाइल्स, बाबनन	श्री राघव चन्द्रा
16	रिधौली फिलिंग स्टेशन, रिधौली	श्री रामबचन
17.	मैसर्स बूरा आटो, सौरातगढ़	श्री ब्रिज मोहन बूरा
18.	राधे श्याम एण्ड सन्स, मेधावल	श्री राधे श्याम
19.	मैसर्स हीरालाल शिवप्रसाद, खैलियाबाद	श्री कुरीलाल रंगता एण्ड रामगोपाल रंगता श्रीमती कलावती देवी
20.	मैसर्स किशन आटो, दुमरियागंज	श्री एस०एन, जलील अबासी, रामदेव
21.	मैसर्स प्रवती आटो, बस्ती	श्री प्रताब नारायण
22.	मैसर्स तेल विकास केन्द्र, बस्ती	श्री गयाप्रसाद अग्रवाल
23.	मैसर्स अलोक ट्रेडिंग कम्पनी, बस्ती	श्री अवराम अग्रवाल, श्री दयाकुमार, अग्रवाल श्री अलोक कुमार अग्रवाल, श्री देवनन्दन अग्रवाल
24.	मैसर्स राधाकिशन बिमल कुमार (पी०) लिमिटेड, बस्ती।	यह एक निजी कम्पनी है जो अधिनियम 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड हुई है। इसके ये 3 डायरैक्टर हैं : 1. श्रीमती विमला पोद्दार 2. श्री एस०के० न्योटिया 3. श्री बी०के० न्योटिया
25.	मैसर्स० राधाकिशन बिमल कुमार (पी०) लिमिटेड, म्यनोयी	——वही——

खलीलाबाद (बस्ती) में सीधी ट्रंक सेवा

4232. डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खलीलाबाद (बस्ती) में कानपुर के लिए सीधी ट्रंक सेवा शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) खलीलाबाद (बस्ती) से कानपुर सीधा ट्रंक सर्किट प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। खलीलाबाद और कानपुर के बीच इस समय 10 से 15 ट्रंक कालों का परियात है और इस मामूली ट्रंक परियात से इन स्टेशनों के बीच सीधा ट्रंक सर्किट प्रदान करने का औचित्य नहीं बनता है।

[अनुवाद]

नैफ्था की कमी

4233. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को यह जानकारी है कि संयुक्त उद्यम के रूप में हल्दिया में पेट्रो-रसायन कम्पलैक्स की स्थापना के बाद नैफ्था की कुछ कमी हो जाएगी;

(ख) क्या नैफ्था की यह कमी भारतीय तेल निगम के हल्दिया स्थित वर्तमान एकक का विस्तार करके अथवा किसी अन्य स्रोत से नैफ्था की सप्लाई करके पूरी की जाएगी; और

(ग) यदि हां, तो उक्त (क) और (ख) भाग का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) से (ग) नैफ्था की वर्तमान खपत की प्रवृत्तियों को देखते हुए हल्दिया पेट्रोल कैमिकल कम्पलैक्स की नैफ्था की आवश्यकता को देशी स्रोतों से पूरा करना सम्भव हो सकेगी और अगर आवश्यक हुआ तो आयात से पूरा किया जाएगा।

उच्चतम न्यायालय में भविष्य में रिक्त होने वाले न्यायाधीशों के पदों को भरने के लिए कार्रवाई

4234. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय में आगामी मासों में वर्तमान न्यायाधीशों के सेवा निवृत्त हो जाने पर काफी संख्या में न्यायाधीशों के पद रिक्त होंगे;

(ख) यदि हां, तो रिक्त पदों को भरने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ग) क्या सरकार की कोई योजना न्यायालय का विस्तार करने और उसकी न्यायापीठों में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) 14.8.1985 को भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की दो रिक्तियां थीं। चालू वर्ष के दौरान सेवा निवृत्ति के कारण तीन और रिक्तियां हो जाएंगी। इन रिक्तियों को भरने का प्रश्न भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से, सरकार के विचाराधीन है।

(ग) सरकार ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 18 से बढ़ाकर 25 कर देने का विनिश्चय किया है।

[हिन्दी]

उद्योगों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को जारी किए गए आशयपत्र

4235. **श्री हरीश रावत** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में बड़े और मझौले स्तर के उद्योग स्थापित करने के लिए 1982 से अब तक जारी किए गए आशयपत्रों की पृथक-पृथक संख्या कितनी है और उनमें से कितने आशयपत्र सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के नाम जारी किए गए;

(ख) प्रत्येक जिले में उनमें से कितने आशयपत्रों को औद्योगिक लाइसेंसों के रूप में परिवर्तित किया गया है और उनके आधार पर कितने उद्योग स्थापित किए गए हैं ?

(ग) क्या मन्त्रालय शेष आशयपत्रों को उपयोग में लाने के लिए कोई समयबद्ध योजना बना रहा है; और

(घ) यदि हां, तो शेष आशयपत्रों को कब तक निपटाये जाने की सम्भावना है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अधीन, उत्तर प्रदेश राज्य में उद्योगों की स्थापना करने के लिए वर्ष 1982 से 1985 (जून 1985 तक) कुल 485 आशयपत्र स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से, 86 आशय-पत्र सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को स्वीकृत किए गए थे, जिनमें राज्य औद्योगिक विकास तथा निवेश निगम भी शामिल हैं।

स्वीकृत किए गए कुल 485 आशय-पत्रों में से 31.5.85 तक 56 आशय-पत्रों को औद्योगिक लाइसेंसों में बदल दिया गया है और 64 आशय-पत्रों को व्ययगत मान लिया गया है।

वर्ष 1982 से 1985 (जून, 85 तक) की अवधि में स्वीकृत किए गए आशय-पत्रों का जिले-वार ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) एक आशय-पत्र प्रारम्भ में एक वर्ष की वैधता अवधि के लिए स्वीकृत किया

जाता है और पर्याप्त औचित्य होने पर बाद में इसकी वैधता अवधि बढ़ाने की स्वीकृति भी दे दी जाती है। उद्यमी द्वारा आशय-पत्रों की शर्तें पूरी कर लेने के पश्चात् आशय-पत्र को औद्योगिक लाइसेंस में बदल दिया जाता है। यदि आशय-पत्र धारी वैधता अवधि के अन्दर आशय-पत्र को कार्यान्वित करने में असमर्थ रहता है, तो इस आशय-पत्र को व्ययगत मान लिया जाता है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना करने के लिए 1982 से 1985 (जून, 1985 तक) मंजूर किए गए आशय-पत्रों का जिले-वार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

	जिला/प्रभाग	आशय-पत्रों की संख्या
1	2	3
1.	बांदा	4
2,	फतेहपुर	12
3.	हमीरपुर	4
4.	जालौन	3
5.	जौनपुर	4
6.	सुल्तानपुर	15
7.	कानपुर देहात	13
8.	चमोली	—
9.	पौड़ी गढ़वाल	3
10.	टिहरी गढ़वाल	6
11.	उत्तर काशी	2
12.	गढ़वाल प्रभाग	1
13.	अल्मोड़ा	2
14.	देहरादून	28
15.	नैनीताल	28

1	2	3
16.	पिथौरागढ़	2
17.	कुमाऊं प्रभाग	2
18.	बलिया	2
19.	बस्ती	2
20.	फैजाबाद	1
21.	झांसी	6
22.	रायबरेली	6
23.	आजमगढ़	1
24.	बदायूं	1
25.	बहराइच	—
26.	बाराबंकी	1
27.	बुलन्दशहर	17
28.	देवरिया	4
29.	एटा	5
30.	इटावा	1
31.	फरूखाबाद	—
32.	गाजीपुर	—
33.	गोण्डा	3
34.	हरदोई	2
35.	मैनपुरी	3
36.	मथुरा	5
37.	मुरादाबाद	10
38.	पीलीभीत	1

1	2	3
39.	प्रतापगढ़	—
40.	रामपुर	8
41.	शाहजहांपुर	1
42.	सीतापुर	4
43.	उन्नाव	2
44.	दादरी (गाजियाबाद)	22
45.	आगरा	1
46.	अलीगढ़	2
47.	इलाहाबाद	9
48.	बरेली	4
49.	बिजनौर	3
50.	गाजियाबाद	80
51.	गोरखपुर	4
52.	ललितपुर	—
53.	कानपुर	10
54.	लखीमपुर (खीरी)	3
55.	लखनऊ	17
56.	मेरठ	7
57.	मिर्जापुर	6
58.	मुजफ्फरनगर	1
59.	सहारनपुर	3

1	2	3
60.	वाराणसी	1
61.	एकधिक जिले/ जिला उल्लिखित नहीं	99
	योग :	485

उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में सार्वजनिक टेलीफोन लगाना]

4236. श्री हरीश रावत : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को उत्तर प्रदेश के पिथौरागढ़ जिले में विभिन्न स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोन लगाने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जिनके सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) इन स्थानों में से किन-किन स्थानों पर 1985-86 में सार्वजनिक टेलीफोन लगाए जाने की सम्भावना है;

(ग) क्या सार्वजनिक टेलीफोन लगाने की नई उदार नीति से शेष स्थानों को भी इसका लाभ मिलने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो इन शेष स्थानों पर कब तक सार्वजनिक टेलीफोन लगाए जाने की सम्भावना है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां। पिथौरागढ़ जिले के निम्नलिखित ग्रामों में लम्बी दूरी के पी० सी० ओ० खोलने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :—

क्रम संख्या	ग्राम का नाम
1	2
1	ध्रमी सौण
2	बम सौण
3	फुंगेर

1	2
4	मनपोखरी
5	बनलेख
6	कल्धी
7	तोतानौमा
8	चांद लोक
9	हुपैला
10	रमराढी

(ख) वर्ष 1985-86 में उपर्युक्त स्थानों पर लम्बी दूरी के पी० सी० ओ० खोलने की योजना हीं है।

(ग) उदार योजना के अन्तर्गत उपर्युक्त स्थानों में से कोई भी स्थान लम्बी दूरी के पी० सी० ओ० के योग्य नहीं पाया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में बागेश्वर टेलीफोन एक्सचेंज को हल्द्वानी टेलीफोन एक्सचेंज से जोड़ना

4237. **श्री हरीश रावत :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि उनके विभाग ने उत्तर प्रदेश में बागेश्वर टेलीफोन एक्सचेंज की सीधी लाइन द्वारा हल्द्वानी टेलीफोन एक्सचेंज से जोड़ने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी थी;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को स्वीकृति कब दी गई; और

(ग) क्या इस टेलीफोन एक्सचेंज को हल्द्वानी टेलीफोन एक्सचेंज से सीधी लाइन द्वारा जोड़ दिया गया है ?

संचार मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, नहीं। बागेश्वर टेलीफोन एक्सचेंज को हल्द्वानी के साथ सीधी लाइन से जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि इस कार्य के लिए मौजूदा ट्रंक-परिस्थिति पर्याप्त नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

खैरना, उत्तर प्रदेश में वृहत पेयजल योजना का निर्माण

4238. श्री हरीश रावत : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में रानीखेत छावनी की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से आरम्भ में खैरना नामक स्थान पर एक वृहत पेयजल योजना के निर्माण की मंजूरी दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो यह मंजूरी कब दी गई थी;

(ग) क्या इस प्रयोजन हेतु, आवश्यक अनुमान तैयार कर लिए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो विस्तृत अनुमान कब तक तैयार किया जाएगा और मंजूर किया जाएगा ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) से (घ) "कोसी नदी योजना" नामक एक स्वतन्त्र जलपूर्ति योजना है जिसमें भुजाण के पास खैरना में कोसी नदी पर इसके लिए बांध बांधा जाएगा। इस योजना के सम्बन्ध में आरम्भिक स्तर पर जांच चल रही है। उत्तर प्रदेश जल निगम से इस योजना के अनुमानित खर्च और व्यापक प्रस्ताव पेश करने का अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में डाकघर सुविधा

4239. श्री अनन्त प्रसाद सेठी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने सातवीं योजना के दौरान देश में डाकघर सुविधाएं प्रदान करने के लिए योजनाओं के साथ-साथ समुचित वित्त व्यवस्था भी की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार खोले जाने वाले नए डाकघरों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1984 के अन्त में उड़ीसा राज्य में डाकघरों की कुल संख्या के सम्बन्ध के बारे में ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी, हां।

(ख) देश में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघरों की कुल संख्या 6000 है। योजना आयोग द्वारा प्रतिवर्ष की वार्षिक योजनाओं की मंजूरी देने के बाद सर्किलवार लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे।

(ग) उड़ीसा राज्य में 31.12.84 की स्थिति के अनुसार डाकघरों की कुल संख्या 7539 थी।

उड़ीसा में अमरीका के सहयोग से उद्योगों की स्थापना

4240. **श्री राधाकांत डिगाल : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या उड़ीसा में अमरीकी सहयोग से कोई उद्योग स्थापित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के उद्योगों की संख्या कितनी है और उड़ीसा में इन उद्योगों की स्थापना कहां पर होगी ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) (नीति के अनुसार, सरकार के पास विचाराधीन पड़े हुए विदेशी सहयोग के प्रस्तावों के बारे में विशिष्ट जानकारी जनहित की दृष्टि से प्रकट नहीं की जाती।

उड़ीसा में गैर-सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र में सीमेंट का उत्पादन

4241. **श्री राधाकांत डिगाल: क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) उड़ीसा में सार्वजनिक क्षेत्र में कितने सीमेंट संयंत्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या उड़ीसा में गैर-सरकारी क्षेत्र में भी कुछ सीमेंट संयंत्र स्थापित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में उड़ीसा में स्थापित किए गए गैर-सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के सीमेंट संयंत्रों में वर्षवार कुल कितनो मात्रा में सीमेंट का उत्पादन हुआ है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) एक।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) सीमेंट संयंत्रों के नाम और स्थापना स्थल	उत्पादन लाख मी० टन में 1982	1983	1984
सरकारी क्षेत्र			
1. हीरा सीमेंट वर्क्स वारगढ़, जिला सम्बलपुर	4.38	4.15	3.78
गैर-सरकारी क्षेत्र			
1. उड़ीसा सीमेंट लि० राजगंजपुर, जिला सुंदरगढ़	4.08	4.26	4.66
2. कलिंग सीमेंट, बीरमित्रपुर	(हाल ही में उत्पादन शुरू हुआ है। इस समय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।		

विक्टोरिया वर्क्स का मैसर्स ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड के साथ विलय

4243. **श्री सैयद मसुदहु सैन** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा मैसर्स बी० बी० जे० कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड के विक्टोरिया वर्क्स का मैसर्स ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड के साथ विलय करने पर विचार किया जा रहा है अथवा ऐसा करने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इससे क्या लाभ होने की सम्भावना है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) इसके मालिकों द्वारा बी० बी०जे० कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेट के पुनर्गठन हेतु लिए गए निर्णय में विक्टोरिया कारखाने का मं० ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड को हस्तान्तरण करने की परिकल्पना है।

(ख) तथा (ग) प्रस्तावित हस्तान्तरण मैसर्स ब्रेथवेट की कार्यशाला भार की सम्यता में वृद्धि, मैसर्स ब्रेथवेट की ढांचा निर्माण की क्षमता में वृद्धि तथा इसके क्लाइव कारखाने में कुछ स्थान प्रदान करेगा जो इस समय निर्माण कार्य हेतु क्रम धान में कार्य कर रहा है।

नमक उत्पादन के लिए प्रकाशम जिले में भूमि का अर्जन

4244. **श्री सी० सम्बु** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रकाशम जिले के चीनागंजम गांव और आसपास के गांव के भूमिहीन लोगों के

संघों द्वारा 17 जुलाई, 1985 को 920 एकड़ "नमक बंजर" आवंटन हेतु मद्रास के नमक आयुक्त से निवेदन किया गया है;

(ख) क्या उनके मन्त्रालय द्वारा उक्त भूमि को नमक उत्पादन हेतु आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार से अर्जित किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो प्रकाशम जिले में चीनागंजम गांव के भूमिहीन निर्धनों को भूमि आबंटित करने के सम्बन्ध में मन्त्रालय की क्या स्थिति है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

वक्फ सम्पत्ति को किराया नियंत्रण अधिनियम से छूट

4245. **श्री अज़ीज़ कुरेशी** : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी राज्यों को वक्फ सम्पत्ति से संबंधित मामलों के निपटान के लिए 1977 से पहले निर्देश जारी किए थे;

(ख) क्या निर्देश जारी करने के बाद उनके मन्त्रालय ने सभी राज्यों को वक्फ संबंधी मामले न्यायालयों से बाहर निपटाने के लिए लिखा था;

(ग) क्या सरकार ने सभी राज्यों को वक्फ सम्पत्ति को किराया नियन्त्रण अधिनियम के उपबंधों से छूट देने के लिए लिखा था;

(घ) प्रत्येक राज्य द्वारा इन निर्देशों के आधार पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) प्रत्येक राज्य में वक्फ सम्पत्ति के मामले में वर्तमान स्थिति क्या है तथा उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां वक्फ सम्पत्ति को किराया नियन्त्रण अधिनियम के उपबंधों से छूट दी गई है।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार ने कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं। किन्तु 1961 से राज्य सरकारों से समय-समय पर अनुरोध किया जाता रहा है कि वे बातचीत, सहमति या इसी प्रकार की अन्य सौहार्दपूर्ण प्रशासनिक कार्रवाई द्वारा विवादग्रस्त सम्पत्तियों का निपटारा कर लें।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) एक विवरण संलग्न है जिसमें उन राज्यों के नाम दिए गए हैं जिन्होंने

अपने भाटक नियन्त्रण अधिनियमों की परिधि से वक्फ सम्पत्तियों को बाहर कर दिया है।

राज्यों को लिखे गए पत्रों के आधार पर की गई कार्रवाई के संबंध में, यह कहा जा सकता है कि मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, दमण और दीव ने सूचित किया है कि उनके राज्य क्षेत्रों में कोई वक्फ सम्पत्तियां नहीं हैं। सिक्किम और केरल सरकारों ने बताया है कि कोई भी वक्फ सम्पत्ति, उनकी सरकारों के किसी भी विभाग/स्थानीय निकाय के प्रतिकूल कब्जे में नहीं है। राजस्थान, पंजाब और हरियाणा राज्यों ने उन सम्पत्तियों की सूचियां संकलित की हैं, जो प्रतिकूल कब्जे में हैं। इस विषय में शेष राज्य सरकारों से उनके किसी भी विभाग/स्थानीय निकाय के प्रतिकूल कब्जे में की वक्फ सम्पत्तियों की सूचियां प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

1. आन्ध्र प्रदेश
2. बिहार
3. हरियाणा
4. पंजाब
5. राजस्थान
6. तमिलनाडु

*7. केरल

**8. कर्नाटक

***9. महाराष्ट्र

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलौर में नियुक्तियां

4246. श्री जी० एस० बसवराजू
श्री एच० एन० नन्जे गोडा } : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

* केरल वक्फ बोर्ड के पास वक्फ अधिनियम, 1954 के अधीन रजिस्ट्रीकृत और वक्फ द्वारा अपने अधिकार में लिए गए भवनों को छूट दी गई है।

** छूट प्राप्त सम्पत्तियां कर्नाटक वक्फ बोर्ड के प्रबंध के अधीन हैं।

*** मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड, औरंगाबाद की छूट-प्राप्त सम्पत्तियां।

(क) क्या उन्हें एच० एम० टी० बंगलौर द्वारा नई नियुक्तियां करने के मामले में की जा रही कतिपय अनियमितताओं के बारे में संसद सदस्यों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदन कब से सरकार के पास लम्बित पड़े हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) 30-7-85 को एक सांसद से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। सांसद द्वारा उठाए गए मुद्दों पर एच० एम० टी० से रिपोर्ट देने को कहा गया है।

हाफकिन्स इंस्टीट्यूट द्वारा पोलियो के टीकों का आयात

4247. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि हाफकिन्स इंस्टीट्यूट पोलियो के टीकों का बल्क आयात कर रहा है और उनमें पुन: दवाई भरने का कार्य अपने यहां ही कर रहा है;

(ख) हाफकिन्स इंस्टीट्यूट द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार इनकी कितनी मात्रा में आयात किया गया तथा लागत बीमा भाड़ा मूल्य प्रति खुराक प्रति खेप आयात स्रोत क्या हैं;

(ग) पोलियो के टीकों की एक खुराक के लिए कितनी कीमत निर्धारित की गई है;

(घ) क्या पोलियो के टीकों पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगता;

(ङ) क्या उनका मन्त्रालय आयातित टीकों का मूल्य बैच-वार निर्धारित कर रहा है;

(च) यदि हां, तो 1984-85 के दौरान प्रत्येक बैच के लिए कितना मूल्य निर्धारित किया गया;

(छ) क्या उनके मन्त्रालय ने क्रम बीजक और आयात बिल की जांच किए बिना ही पोलियो के टीकों का मूल्य निर्धारित कर दिया; और

(ज) मूल्यों के गत निर्धारण का ब्योरा क्या है और क्या यह सीमा शुल्क पर आधारित है अथवा नहीं और उनके मूल्य में कितनी वृद्धि करने की अनुमति दी गई है?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) मै० एच० वी० पी० सी० ने सूचित किया है कि गत तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित मात्राओं का आयात किया गया था :—

वर्ष	आपूर्ति का स्रोत	प्रेषण की सं०	खुराक	प्रति खुराक सी०आई० एफ० दर
1982-83	स्मिथ क्लीन रिट बेलजियम	7	35 मिलियन	0.51 बेलजियम फ्रांक
1983-84	स्मिथ क्लीन रिट बेलजियम	9	43 मिलियन	0.53 बेलजियम फ्रांक
1984-85	स्मिथ क्लीन रिट बेलजियम	6	45 मिलियन	0.00945 यू०एस० डालर

(ग) पोलियो वेलजियम वैक्सीन के लिए निर्धारित किया गया मूल्य रु० 0.461 प्रति खुराक अथवा रु० 9.22 प्रति 10 मि० लि० की शीशी (20 खुराक) है।

(घ) जी, हां।

(ङ) जी, नहीं।

(च) और (छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ज) औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश 1979 के प्रावधानों के अधीन 15 मार्च, 1979 को मूल्य निर्धारित किया गया था और मूल्य निर्धारण में सीमा शुल्क को हिसाब में नहीं लगाया गया था। कारखाने से बाहर लागत पर 75 प्रतिशत के मार्क अप की अनुमति थी। निर्धारित किये गये मूल्य में सीमा शुल्क शामिल नहीं था।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में उद्योगों के लिए जारी किए गए लाइसेंस

4248. श्री बलराम सिंह यादव : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

उत्तर प्रदेश में वर्ष 1982 से जून 1985 तक जिलावार उद्योगों के लिए कितने आशय-पत्र और लाइसेंस जारी किए गए हैं ?

उद्योग और कंपनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : एक विवरण संलग्न है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना करने के लिए 1982 से 1985 (जून 1985) तक मंजूर किए गए आशय पत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों का जिले-वार ब्यौरा

क्र०सं०	जिला	जारी किए गए आशय-पत्रों की संख्या	जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या
1	2	3	4
1.	बांदा	4	—
2.	फतहपुर	12	4
3.	हमीरपुर	4	—
4.	जालौन	3	—
5.	जौनपुर	4	2
6.	सुल्तानपुर	15	1
7.	कानपुर देहात	13	—
8.	चमोली	—	—
9.	पौड़ी गढ़वाल	3	—
10.	टिहरी गढ़वाल	6	1
11.	उत्तर काशी	2	—
12.	गढ़वाल प्रभाग	1	—
13.	अल्मोड़ा	2	1
14.	देहरादून	28	9
15.	नैनीताल	28	15

1	2	3	4
16.	पिथौरागढ़	2	—
17.	कुमाऊं प्रभाग	2	—
18.	बलिया	—	—
19.	बस्ती	2	4
20.	फैजाबाद	1	1
21.	झांसी	6	5
22.	रायबरेली	6	4
23.	आजमगढ़	1	1
24.	बदायूं	1	—
25.	बहराइच	—	1
26.	बाराबंकी	1	3
27.	बुलन्द शहर	17	14
28.	देवरिया	4	—
29.	एटा	5	—
30.	इटावा	1	—
31.	फरूखाबाद	—	2
32.	गाजीपुर	—	1
33.	गोण्डा	3	1
34.	हरदोई	2	—
35.	मैनपुरी	3	2
36.	मथुरा	5	3
37.	मुरादाबाद	10	6
38.	पीलीभीत	1	2

1	2	3	4
39.	प्रतापगढ़	—	—
40.	रामपुर	8	6
41.	शाहजहांपुर	1	—
42.	सीतापुर	4	1
43.	उन्नाव	2	3
44.	दादरी (गाजियाबाद)	22	9
45.	आगरा	1	2
46.	अलीगढ़	2	—
47.	इलाहाबाद	9	4
48.	बरेली	4	3
49.	बिजनौर	3	3
50.	गाजियाबाद	80	55
51.	गोरखपुर	4	3
52.	ललितपुर	—	—
53.	कानपुर	10	24
54.	लखीमपुर (खीरी)	3	1
55.	लखनऊ	17	8
56.	मेरठ	7	17
57.	मिर्जापुर	6	2
58.	मुजफ्फरनगर	1	17
59.	सहारनपुर	3	3

1	2	3	4
60.	वाराणसी	1	1
61·	एकाधिक जिले/जिला उल्लिखित नहीं	99	—
	योग :	485	245

[अनुवाद]

उद्योग में पूंजी/उत्पादन अनुपात

4249. श्री आनन्द गजपति राजू : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय उद्योगों में पूंजी/उत्पादन अनुपात क्या है;

(ख) भारतीय उद्योगों में वर्धित पूंजी/उत्पादन अनुपात क्या है; और

(ग) पूंजी/उत्पादन अनुपात को कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष 1978-79 से 1981-82 में भारतीय उद्योगों में लगी पूंजी अचल पूंजी और उत्पादन (मूल्य जोड़कर) का अनुपात निम्न प्रकार रहा :

वर्ष	पूंजीगत उत्पादन का अनुपात
1978-79	2.40
1979-80	2.47
1980-81	2.51
1981-82	2.38

(ख) योजना आयोग के अनुसार औद्योगिक क्षेत्र के पूंजीगत उत्पादन में हुई वृद्धि का

अनुमानित अनुपात 1971-81 की अवधि में निम्न प्रकार रहा :—

क्षेत्र	1971-81 के दौरान अनुमानित वृद्धिशील पूंजीगत उत्पादन अनुपात
खनन एवं उत्खनन	16.68
निर्माण कार्य में रत	8.33
विद्युत	22.46
योग (अन्य क्षेत्रों सहित)	5.85

(ग) सरकार द्वारा क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करके, प्रौद्योगिकी उन्नयन को बढ़ावा देकर, प्रबन्ध सम्बन्धी प्रक्रिया में सुधार करके, बेहतर औद्योगिक सम्बन्ध आदि स्थापित करके पूंजीगत उत्पादन अनुपात को कम करने के विभिन्न उपाय किए गए हैं। सातवीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास के साथ साथ प्रौद्योगिकी को उन्नत बनाने, आधुनिकीकरण परिसम्पत्तियों का बेहतर उपयोग करने और कार्यकुशलता को बढ़ाने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप औद्योगिक विकास की दर में और अधिक वृद्धि होगी।

तेल के मामले में आत्मनिर्भर होने की सम्भावनाएं

4250. **श्री वी० वी० स्वेल :** क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिकार्ड का अध्ययन करने से उन्हें पता चला है कि तेल के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना केवल एक स्वप्न मात्र है और निकट भविष्य में बम्बई हाई जैसा तेल क्षेत्र मिलने की कोई सम्भावना नहीं है ;

(ख) क्या उक्त परिस्थितियों में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा योजना परिव्यय में कटौती करना न्यायोचित है ; और

(ग) तेल उत्पादन में इस समय कितनी कमी हुई है और क्या उन्हें उम्मीद है कि यह कमी और बढ़ेगी ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : (क) इस समय कच्चे तेल के उत्पादन के मामले में लगभग 70 प्रतिशत तक आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली गई है। तेल के मामले में शीघ्र ही आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। चूंकि तेल का अन्वेषण एक बहुत ही जटिल सम्भावना मूलक कार्य है। इसलिए कब तक आत्मनिर्भरता प्राप्त हो जाएगी यह निश्चय पूर्वक कहना सम्भव नहीं है तथा यह भी नहीं कहा जा सकता है कि क्या बम्बई हाई जैसे क्षेत्र के भविष्य में मिलने की सम्भावना है।

(ख) और (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

राज्यों के बरगोवा, पट्टा आदि के समनुदेशितियों को दी गई विधिक सहायता

4251. **श्री गदाधर साहा :** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1979-84 के दौरान विभिन्न राज्यों में बरगोवा, पट्टा आदि के समनुदेशितियों को विधिक सहायता स्कीम के अधीन अब तक वर्ष-वार तथा राज्य-वार कितनी सहायता दी गई है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार तथा वर्ष-वार कितने लोग लाभान्वित हुए हैं ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) और (ख) सरकार द्वारा गठित विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वित समिति द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार, राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड, सम्बद्ध राज्यों में उपयुक्त विधिक सहायता और सलाह देने से सम्बद्ध हैं। समिति के पास 1979-84 के दौरान विधिक सहायता स्कीमों के अधीन बरगोवा, पट्टा समनुदेशितियों को अब तक दी गई विधिक सहायता की सीमा के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

बड़े लघु और कुटीर उद्योगों द्वारा वस्तुओं के निर्माण में असमान प्रतियोगिता

4252. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कुछ वस्तुओं का बड़े, लघु और कुटीर उद्योगों द्वारा निर्माण किया जाता है, लघु और कुटीर उद्योगों को असमान प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार चरणबद्ध रूप में कुछ वस्तुओं को बड़े, लघु अथवा कुटीर उद्योगों के लिए आरक्षित करेगी;

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) लघु क्षेत्र को पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने के लिए 800 से अधिक वस्तुएं केवल लघु क्षेत्र के विकास के लिए पहले ही आरक्षित की जा चुकी हैं। उन औद्योगिक उपक्रमों के मामले में जो आरक्षित वस्तुओं के निर्माण में पहले से लगे हैं, उनकी क्षमता को आरक्षण की तारीख से पहले उनके द्वारा प्राप्त किए गए उत्पादन के स्तर तक स्थिर कर दिया जाता है। मझोले और बड़े एककों को, जब तक वे अपने उत्पादन का कम से कम 75 प्रतिशत निर्यात करने का उत्तरदायित्व नहीं लेते, लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती। तथापि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अधीन कुटीर उद्योग क्षेत्र के एककों के लिए कोई

आरक्षण करना आवश्यक नहीं समझा गया है। लघु एककों को बड़े एककों की प्रतिस्पर्धा से पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने के लिए उन्हें वित्तीय संस्थाओं से रियायती वित्तीय सहायता, ऋण गारन्टी योजना कच्चे माल की पूर्ति, निर्यात संवर्धन सहायता, लघु एककों के आधुनिकीकरण आदि के अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, आय-कर आदि के मामले में अनेक राजकोषीय रियायतें दी जाती हैं।

तपेदिक रोधी औषधियों का उत्पादन

4253. **श्री सरफराज अहमद :** क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री तपेदिक रोधी टीकों की कमी के बारे में दिनांक 23 जुलाई, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या-105 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि थियासेटाजाइन, पी० ए० एस० और इसके लवण आई० एन० एच० और स्ट्रेपटोमाइसिन जैसी तपेदिक रोधी औषधियों के उत्पादन में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो 1982-83, 1983-84 और 1984-85 के दौरान इनका कितना उत्पादन हुआ;

(ग) उत्पादन में गिरावट आने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि देश में इन औषधियों की कमी है और रोगियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ङ) क्या वर्तमान औषध नीति के अनुसार प्रत्येक औषध निर्माता से अपने कुल औषध उत्पादन में 20 प्रतिशत उक्त औषधियों का उत्पादन करने की अपेक्षा की जाती है; और

(च) यदि हां, तो उनका मन्त्रालय स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठा रहा है?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ग) थियासिटाजोन और आई० एन० एच० नामक क्षयरोग निरोधी औषधों के उत्पादन में 1983-84 की तुलना में 1984-85 के दौरान वृद्धि हुई है जबकि स्ट्रेप्टोमाइसिन और पी० ए० एस० के उत्पादन में कुछ सीमा तक कमी हुई है। उत्पादन में कमी के लिए (I) रिफाम्पिसिन जैसी नई और पेटेन्ट औषधों की शुरूआत और (II) पी० ए० एस० और स्ट्रेप्टोमाइसिन का अप्रचलित होना, को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान संगठित क्षेत्र में क्षयरोग निरोधी औषधों के उत्पादन के वर्ष-वार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

उत्पादन (टन)

क्रम संख्या	औषध का नाम	1982-83	1983-84	1984-85
1	2	3	4	5
1.	थियासिटाजोन	21.08	12.40	20.39
2.	पी० ए० एस०	288.40	216.99	119.07

1	2	3	4	5
3.	आई० एन० एच०	125.43	105.72	127.70
4.	स्ट्रेप्टोमाइसिन	239.60	238.31	235.06

(घ) इन औषधों की किसी कमी की सूचना इस मन्त्रालय को नहीं दी गई है। सूचित की गई कमियां सामान्यत: स्थानीय प्रकृति की और ब्रांड उत्पादों की हैं जिनके लिए विकल्प तत्काल उपलब्ध है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

एनलजीन मेट्रनीडाजोल आदि का मूल्य

4254. श्री तारिक अनवर : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय ने एनलजिन, मैट्रनीडाजोल डोक्सीसाइक्लीन, जेन्टामाइसिन और एफरड्राइन एच० सी० एल० के क्या मूल्य निर्धारित किए गए थे, और कब निर्धारित किए गए थे;

(ख) उस औषधि पर आधारित प्रत्येक फारमुलेशन का मूल्य निर्धारित करते समय प्रत्येक औषधि का क्या मूल्य लिया गया था;

(ग) क्या यह सच है कि इन औषधियों के मूल्य लिए गए मूल्यों से बहुत कम हैं; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक औषधि का बाजार मूल्य तथा जहाज मूल्य क्या है और क्या ये मूल्य लिए गए मूल्यों से कम हैं ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य कम्पनी (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1979 के अधीन निर्दिष्ट औषधों के लिए निर्धारित मूल्य तथा उनके निर्धारण की तारीखें नीचे दी गई हैं :—

क्रमांक	औषध का नाम	निर्धारित मूल्य (रु० कि० ग्रा०)	निर्धारित की तारीख
1.	एनलजिन	224.00	20.5.1982
2.	मेट्रनीडाजोल	363.00	14.11.1984
3.	डोक्सी साइक्लीन	5458.00	2.1.1985
4.	जेन्टामाइसिन	23.50	22.9.1984
5.	इफड्रीन एच० सी० एल०	847.00	19.3.1984

(ख) और (ग) फार्मूलेशनों के मूल्य निर्धारित करने के लिए अधिसूचित मूल्यों को ध्यान में रखा गया है। सरकार को कुछ ऐसे मामलों की सूचना दी गई है जिनमें यह बताया गया है कि फार्मूलेटर निर्दिष्ट प्रपुंज औषधों को फार्मूलेशनों में स्वीकृत मूल्यों से कम मूल्य पर प्राप्त कर रहे हैं। ऊपर निर्दिष्ट अधिकांश औषधों के सम्बन्ध में वसूली के नोटिस औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1979 के पैरा 7 के अधीन जारी किए गए हैं वसूली की प्रक्रिया न्याय की उचित क्रिया विधि के अनुसार चल रही है।

(घ) औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1979 के अधीन निर्धारित मूल्य अधिकतम बिक्री मूल्य हैं और उत्पादक प्रपुंज औषधों को सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम बिक्री मूल्य से अनधिक मूल्य पर बेचने को स्वतन्त्र हैं।

बी० बी० जे० कन्सट्रक्शन कं० लि० का बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड में विलय

4255. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स बी० बी० जे० कन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड के कर्मचारी संघ ने मांग की है कि इस कम्पनी का पूर्णत: अथवा अंशत: मैसर्स बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड में विलय कर दिया जाए; और कम्पनी के कार्यालय का स्थानान्तरण न किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो इन मांगों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) बी० बी० जे० के कार्यालय का स्थानान्तरण नहीं हुआ है। फिर भी डिजाइन व ड्राइंग कार्यालय के कुछ व्यक्तियों को बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड के हावड़ा कारखाने में जाने को कहा गया है जिसमें उन्हें उत्तम तकनीकी कौशल उपलब्ध हो सके। कार्य-संचालनों में सम्पूर्ण रूप से सुधार करने हेतु बी० बी० जे० कन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड के मालिकों ने मामले के सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कम्पनी के पुनर्गठन का फैसला किया है। यह निर्णय लेने से पहले प्रबन्धकों ने संघ के विचारों को ध्यान में रखा है।

बी० बी० जे० निर्माण कम्पनी लिमिटेड का पुनर्गठन

4256. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई० आर० सी० आई० (अब आई० आर० बी० आई०) ने मैसर्स बी० बी० जे०

निर्माण कम्पनी लिमिटेड के पुनर्गठन के बारे में कोई सिफारिश की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं;

(ग) सरकार द्वारा जो सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं उनका सारांश क्या है; और

(घ) इस सिफारिश को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यक्रम तैयार किया गया है अथवा तैयार करने का विचार है; और

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) आई० आर० सी० आई० (अब आई० आर० बी० आई०) ने बी० बी० जे० कन्सट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड के पुनर्वास कार्यक्रम पर अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के अलावा 172 व्यक्तियों की छंटनी, रियायती दरों पर नई निधियों के लगाए जाने तथा किसी एक घटक कम्पनी के क्षेत्र में बी० बी० जे० को लाए जाने की सिफारिश की थी। चूंकि अतिरिक्त निधियों का प्रदान किया जाना सम्भव प्रतीत नहीं होता था इसलिए कम्पनी के पुनर्गठन हेतु अन्य विकल्पों पर विचार किया गया था। बी० बी० जे० के मालिकों ने अब निर्णय लिया है कि विक्टोरिया कारखाना मैसर्स ब्रेथवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड को हस्तान्तरित कर दिया जाएगा। बी० बी० जे० का विक्टोरिया कारखाने के बगैर पृथक अस्तित्व रहना चाहिए और जैसा आई० आर० सी० आई० द्वारा सिफारिश की गई है छंटनी सहित जनशक्ति को युक्तिसंगत बनाया जाना चाहिए। बी० बी० जे० के प्रबन्धकों द्वारा आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है।

मैसर्स भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लिमिटेड के शीर्षस्थ अधिकारियों पर मुकदमा

4257. **श्री सैयद मसुदल हुसैन** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ब्रेक्स एण्ड वाल्व्स लिमिटेड के कुछ शीर्षस्थ अधिकारियों के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोई जांच की गई है;

(ख) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कुछ अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है और यदि हां, तो ब्यूरो ने इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि मुकदमा चलाने के लिए अनुमति देने में कोई विलम्ब हुआ है तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी दी जाएगी।

पश्चिम बंगाल में उद्योगपतियों द्वारा नए उपक्रमों में पूंजी निवेश करने के प्रस्ताव

4258. **श्री भोला नाथ सेन** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कुछ उद्योगपतियों और कुछ बहुराष्ट्रीय, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम कम्पनियों द्वारा पश्चिम बंगाल के औद्योगिक पुनरुत्थान के लिए प्रमुख नये उपक्रमों में पूंजी निवेश करने के प्रस्तावों के बारे में जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो (एक) उनके द्वारा पश्चिम बंगाल के लिए प्रस्तावित प्रमुख औद्योगिक उपक्रमों का ब्यौरा क्या है, (दो) पिछले दो वर्षों के दौरान ऐसी परियोजनाओं के लिए औद्योगिक लाइसेंस/आशय-पत्रों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों का ब्यौरा क्या है और (तीन) उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनके पूंजी निवेश में हिस्सेदारी करने के लिए राज्य सरकार सहमत है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) वर्ष 1983 और 1984 में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अधीन पश्चिम बंगाल में उद्योगों की स्थापना करने के लिए एम० आर० टी० पी० और फैरा कम्पनियों सहित विभिन्न कम्पनियों तथा व्यक्तियों के आशय-पत्रों की स्वीकृति हेतु 74 तथा 109 औद्योगिक लाइसेंस आवेदन प्राप्त हुए थे। 13.8.1985 को उनकी निपटान स्थिति निम्न प्रकार थी :—

वर्ष	प्राप्त आवेदनों की संख्या	स्वीकृत किए गए आशय पत्र	रद्द आवेदन/ अन्य निपटान	लम्बित
1983	74	33	41	—
1984	109	42	62	5

उन परियोजनाओं जिनके मामले में राज्य सरकार निवेश में अंशदान करने के लिए सहमत है, के ब्यौरे औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

राज्यों को विधिक सहायता स्कीम के अधीन धन का आवंटन

4259. **श्री वासुदेव आचार्य**
श्री अनिल बसु } : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

निर्धन तथा मुकदमा लड़ने वाली जनता की सहायता के लिए वर्ष 1974-75 से 1984-85 तक सरकार द्वारा राज्यों को विधिक सहायता के रूप में वर्ष-वार कितना धन उपलब्ध किया गया है ?

विधि और न्याय मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : सरकार ने विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति की स्थापना सितम्बर, 1980 में की गई थी। 1980 या उसके पूर्व कोई सहायता अनुदान नहीं दिया गया था। विधिक सहायता स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए मार्च, 1981 से मार्च, 1985 तक, समिति की सिफारिश पर, राज्यों को सरकार द्वारा मंजूर किया गया सहायता अनुदान इस प्रकार है : —

वर्ष	अनुदान
	(रुपयों में)
1981 (मार्च, 1981 से)	2,30,500.00
1982	14,72,085.52
1983	14,22,280.09
1984	24,24,473.70
1985 (मार्च, 1985 तक)	19,19,469.05

पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम को आशय-पत्र/ औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करना

4261. **श्री पीयूष तिरकी**
श्री आशुतोष लाहा : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम की एकिलो नाइट्राइल एक्रिलिक फाइबर, नालीदार जस्ता चढ़ी इस्पात की चादरों, हाइड्रोजन पेरोक्साइड टाइटेनियम डायोक्साइड, स्पंज आयरन और लाइनियट एलकाइल बेंजीन के निर्माण के लिए आशय-पत्र जारी करने औद्योगिक लाइसेंस प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित आवेदन पत्रों की स्थिति क्या है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : पश्चिम बंगाल इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन से एक्रिलिक फाइबर, नालीदार गल्वानाइज्ड स्टील की चद्दरें हाईड्रोजन पेरोक्साइड, टिटेनियम डाईआक्साइड और लाइनियर अल्काइल बेन्जीन बनाने के लिए आशय-पत्र की स्वीकृति के लिए प्राप्त औद्योगिक लाइसेंस संबंधी आवेदनों को रद्द कर दिया गया है और आवेदनों को रद्द किये जाने के कारणों को बताते हुए कारपोरेशन को प्रथम दृष्टया आवेदन रद्द करने के लिये पत्र जारी कर दिए गये हैं। एक्रिलो नाइट्रील से संबंधित आवेदन-पत्र सरकार के विचारार्थ लम्बित है। स्पंज लोहे के लिये, कारपोरेशन को लाइसेंस मुक्त योजना के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया है।

श्रीराम ग्रुप द्वारा दिया गया दान

4262. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1983 के अन्त में श्रीराम ग्रुप की कुछ कम्पनियों द्वारा कुछ ट्रस्टों तथा धर्मार्थ संस्थानों को दिये गये दान के आरोप के बारे में जांच की गई थी;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित कम्पनियों के क्या नाम हैं;

(ग) क्या उनके विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) नहीं, श्रीमान जी। श्रीराम समूह से सम्बन्धित किसी भी कम्पनी का निरीक्षण नहीं किया गया है। तथापि, श्रीराम समूह से सम्बन्धित कही जाने वाली कतिपय कम्पनियों की लेखाबहियों और रिकार्ड का कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अन्तर्गत निरीक्षण के दौरान यह सूचना में आया कि उन कम्पनियों में से एक नामशः ऊषा इन्टर नेशनल लिमिटेड ने कुछ ट्रस्टों/धर्मार्थ संस्थाओं को कुछ दान किये थे।

(ग) और (घ) चूंकि मामला अभी तक विचाराधीन है इसलिए अभियोग प्रारम्भ करने का प्रश्न अभी तक उत्पन्न नहीं हुआ है।

उप-भोक्ताओं को अच्छे किस्म के औद्योगिक उत्पादों की सप्लाई सुनिश्चित करने की योजना

4263. **श्री सी० माधव रेड्डी :** क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह पता है कि देश में सभी औद्योगिक उत्पादों के "डुप्लीकेट" उपलब्ध हैं और भोले उपभोक्ता असली और नकली के बीच अन्तर नहीं कर पाते;

(ख) क्या सरकार उपभोक्ताओं को अच्छे किस्म के औद्योगिक उत्पादों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए एक योजना तैयार कर रही है;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी उद्यमियों को प्रशिक्षण देने का है जिससे कि वे न केवल अच्छे किस्म के उत्पादों का निर्माण करें बल्कि उनमें सुधार भी करें; और

(घ) यदि हां, तो उक्त योजना यदि कोई हो, तो ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) अनधिकृत रूप से बनाई गई डुप्लीकेट वस्तुओं की बिक्री के संबंध में समाचार-

पत्रों में कुछ खबरें छपी हैं।

(ख) भारतीय मानक संस्था (प्रमाणीकरण चिन्ह) अधिनियम, 1952 द्वारा नियंत्रित आई० एस० आई० प्रमाणीकरण चिन्हांकन योजना के अंतर्गत उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाती है। परन्तु यह योजना मुख्यतया स्वैच्छिक है। इसके अतिरिक्त व्यापार और पण्यवस्तु चिन्ह अधिनियम, 1958 में नकली व्यापार चिन्ह के लिए आवेदन करने और नकली ट्रेड मार्क का प्रयोग करके वस्तुएं बेचने के लिए पर्याप्त दण्ड देने के प्रावधान शामिल किए हैं। संशोधित प्रतिलिप्याधिकार (कापी-राइट) अधिनियम, 1957 और एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम, 1969 में भी इस प्रकार के व्यवहार से निपटने के लिए कुछ उपबंध शामिल किये हैं।

यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर असली औद्योगिक उत्पादन उपलब्ध हों, सरकार द्वारा लाइसेंस देने की कार्यविधियों को उदार बनाने और प्रौद्योगिकी को उन्नत करने सहित विभिन्न कदम उठाये गये हैं। लघु उद्योग विकास संगठन ने लघु एककों को उनके उत्पादों की कोटि में सुधार करने की दृष्टि से उनकी जांच कराने में सहायता करने के लिये देश के विभिन्न भागों में अनेक परीक्षण केन्द्र, विस्तार केन्द्र और क्षेत्रीय परीक्षण केन्द्र स्थापित किये हैं।

(ग) और (घ) लघु उद्योग विकास संगठन ने उद्यमियों के लाभार्थ उद्योगों को प्रशिक्षण देने के लिए अनेक प्रशिक्षण योजनाएं तैयार की हैं जिससे वे अपने उत्पादों की कोटि में सुधार करने के लिए अपने तकनीकी कौशल का स्तर बढ़ा सकें और लघु उद्योगों को प्रशिक्षण दे सकें। ये योजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

पश्चिम बंगाल को जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंस और आशयपत्र

4264. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में 1983-84 और 1984-85 के लिए कितने औद्योगिक लाइसेंस और आशयपत्र मंजूर किये गये और किन-किन जिलों के लिए;

(ख) एककों की स्थापना की दृष्टि से उनमें से कितनों को मूर्त्त रूप दिया गया; और

(ग) पश्चिम बंगाल में औद्योगिक रुग्णता के क्या कारण हैं?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) पश्चिम बंगाल में उद्योगों की स्थापना के लिए वर्ष 1983-84 और 1984-85 में 91 आशयपत्र और 169 औद्योगिक लाइसेंस (जिनमें 120 कार्यचालू रखने के लाइसेंस सम्मिलित हैं) मंजूर किये गये थे।

जारी किये गये सभी आशय पत्रों और औद्योगिक लाइसेंसों से सम्बन्धित ब्यौरे, जैसे उपक्रम

का नाम और पता, विनिर्माण की वस्तु, क्षमता तथा स्थापनास्थल का नाम भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने "मंथली न्यूजलैटर" में नियमित रूप से प्रकाशित किये जाते हैं। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद पुस्तकालय को नियमित रूप से भेजी जाती हैं।

(ख) एक आशयपत्र प्रारम्भ में एक वर्ष की वैधता अवधि के लिए जारी किया जाता है और पर्याप्त औचित्य होने पर इसकी वैधता अवधि और आगे बढ़ायी जा सकती है। उद्यमी द्वारा आशयपत्र की शर्तें पूरी कर दिये जाने के बाद आशयपत्र को औद्योगिक लाइसेंस में बदल दिया जाता है। एक औद्योगिक लाइसेंस की प्रारम्भिक वैधता अवधि 2 वर्ष होती है और औचित्यपूर्ण आधार होने पर इसकी वैधता अवधि और आगे भी बढ़ायी जा सकती है। एक औद्योगिक परियोजना के फलीभूत होने में सामान्यतः 3 से 4 वर्ष का समय लग जाता है। किन्तु, इसके पनपने की अवधि प्रत्येक परियोजना में अलग-अलग होती है। गत दो वर्षों में पश्चिम बंगाल के लिये जारी किये गये उपर्युक्त औद्योगिक लाइसेंसों में से किसी भी लाइसेंस के रद्द होने की सूचना नहीं मिली है।

(ग) पश्चिम बंगाल राज्य में औद्योगिक रुग्णता के कारणों का निर्धारण करने के लिये अलग से कोई अध्ययन नहीं किया गया है। किन्तु, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पहले से ही अखिल भारतीय आधार पर किये गये अध्ययनों के अनुसार, आंतरिक और बाह्य दोनों ही प्रकार के अनेक कारण, जो प्रायः साथ-साथ चलते हैं, देश में औद्योगिक रुग्णता के लिए जिम्मेदार हैं। कुछेक मुख्य कारण दोषपूर्ण योजना, प्रबन्ध सम्बन्धी खामियों, अक्षम वित्तीय नियंत्रण, संसाधनों का दिशान्तरण, अनुसंधान और विकास की ओर पर्याप्त ध्यान न देना, प्रौद्योगिकी और मशीनों का गलत प्रयोग हो जाना, खराब औद्योगिक सम्बन्ध, मांग की कमी होना, कच्चे माल तथा अन्य निविष्टियों की कमी तथा अवस्थापना सम्बन्धी रुकावटें हैं।

नकली फालतू आटोमोबाइल पुर्जों का निर्माण रोकने के लिए विधान

4265. श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बेचे जाने वाले फालतू आटोमोबाइल पुर्जे अधिकतर या तो घटिया स्तर के होते हैं अथवा नकली होते हैं;

(ख) क्या इन उत्पादों पर अधिक आकर्षक लाभ होने और उत्पाद शुल्क तथा बिक्री कर न दिये जाने के कारण बाजार में इनकी भरमार हो जाती है;

(ग) क्या इस समस्या का समाधान यह है कि एक कठोर विधान लाया जाये जिसके द्वारा नकली तथा घटिया किस्म की वस्तुओं के निर्माण को संज्ञेय अपराध बनाया जाये तथा कर ढांचे की पूर्णतः पुनरीक्षा की जाये जो इस समय नकली और घटिया किस्म की वस्तुएं बनाने वालों की लागत की दृष्टि से लाभप्रद है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) मोटर गाड़ियों के हिस्से-पुर्जों के निर्माता संघ ने बाजार में मोटर गाड़ियों के नकली व घटिया फालतू पुर्जों की बिक्री के बारे में सरकार को बताया है।

(ख) जी, हां।

(ग) तथा (घ) व्यापार चिन्हों इत्यादि के जालसाजी के अपराधों को संज्ञेय अपराध बनाने के प्रश्न की सरकार ने पहले ही जांच कर ली है। फिर भी, मोटरगाड़ी पुर्जों के सम्बन्ध में व्यापार चिन्होंने अतिलंघन के अपराध को संज्ञेय अपराध बनाया जाना जरूरी नहीं समझा जाता क्योंकि विद्यमान उपबन्धों को पर्याप्त समझा जाता है। इसके अलावा, मोटरगाड़ियों के नकली तथा घटिया पुर्जों के निर्माण व बिक्री को निरुत्साहित करने के विचार से सरकार ने इस क्षेत्र में उद्योग को लाइसेंस मुक्त करके तथा आधुनिकीकरण एवं नवीनतम प्रौद्योगिकी को शुरू करके बढ़िया हिस्से पुर्जों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाये हैं। बढ़िया पुर्जों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने कुछ वित्तीय रियायतें भी दी हैं।

ऊर्जा खपत का पता लगाने के लिए उद्योग का सर्वेक्षण

4266. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने ऊर्जा खपत तथा लेखा परीक्षा का पता लगाने के लिये उद्योग का कोई सर्वेक्षण किया है और यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं (न्यूज टुडे 22 जुलाई, 1985); और

(ख) क्या यह सच है कि कोयला खनन, इस्पात और एल्यूमीनियम के निर्माण तथा ट्रान्स-मिशन घाटे आदि के संबंध में, उद्योग की ऊर्जा खपत विश्व की तुलना में सबसे अधिक है और यदि हां, तो क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) ऊर्जा के उपयोग और संरक्षण संबंधी अंतर-मंत्रालयीय दल की ओर से राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने 12 क्षेत्रों के 200 उद्योगों का ऊर्जा अंकेक्षण अध्ययन किया था। अंतर-मंत्रालयीय दल ने अनुमान लगाया था कि ऊर्जा संरक्षण उपाय लागू करके प्रति वर्ष (1982 के आंकड़े) 1925 करोड़ रुपये की बचत करने की संभावना है।

(ख) जी, हां। भारत के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में ऊर्जा की खपत विकसित देशों की तुलना में काफी अधिक है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों का विस्तार

4267. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :** क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के तेजी से विस्तार के लिए एक योजना लागू करने के प्रयास कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या औद्योगिक लाइसेंस देने में अनावश्यक विलम्ब के कारण इस कार्य में कठिनाइयों का सामाना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो देश में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जहां अभी तक लाइसेंस नहीं दिये गये हैं;

(घ) क्या सरकार इन मामलों में लाइसेंस देने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) सरकार की औद्योगिक नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करना एवं उद्योगों के छितराव को प्रोत्साहित करना तथा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करना है। इस नीति के अनुसरण में पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण को प्राथमिकता दी जाती है। ग्रामीण तथा लघु उद्योगों में रोजगार उपलब्ध कराने की अधिक क्षमता होने तथा ग्रामीण व अर्धशहरी क्षेत्रों में उद्योगों के छितराव की अधिक संभावना होने और इसके लिए पूंजी की कम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा ग्रामीण तथा लघु उद्योगों को भी विशेष प्राथमिकता दी गई है।

(ख) से (ङ) सरकार का यह निरंतर प्रयास रहता है कि औद्योगिक लाइसेंस के लिए विचाराधीन सभी आवेदनों को यथाशीघ्र निपटाया जाए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाया गया है।

13.8.1935 को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबंधों के अधीन आशय-पत्रों की स्वीकृति के लिये प्राप्त 761 आवेदन सरकार के पास विचाराधीन हैं। इनमें से 129 आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना किये जाने के संबंध में हैं जिनमें 77 आवेदन पत्र पिछड़े क्षेत्रों में स्थापना करने के लिए भी सम्मिलित हैं।

[अनुवाद]

इत्रसाजी (परफ्यूमरी) उद्योग में कच्चे माल की अनुपलब्धता

4268. **श्री यशवन्तराव गडाख पाटिल :** क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि इत्रसाजी उद्योग कच्चे माल आदि की अनुपलब्धता के कारण विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) सुगंधि उद्योग के लिए आवश्यक औद्योगिक कच्चे माल की अनुपलब्धता के बारे में सरकार को उस उद्योग की ओर से कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम की पुनः परिभाषा करना

4269. **श्री अनिल बसु :** क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 की पुनः परिभाषा करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 में कुछ संशोधन परिकल्पित किये जा रहे हैं। किन्तु अभी ब्यौरे नहीं दिये जा सकते।

"उद्योग रहित" क्षेत्र में उद्योगों को कच्चे माल के वितरण के लिये दिशा निर्देश

4270. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "उद्योग रहित" क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों को कच्चे माल के वितरण के लिए कोई दिशा निर्देश निर्धारित किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो पूर्तिवार और कच्चे माल-वार विभिन्न उद्योगों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) उद्योग रहित जिलों में विभिन्न उद्योगों को कच्ची सामग्री का वितरण करने के लिए अलग से मार्गदर्शी सिद्धान्त नहीं हैं। किन्तु, लोहा और इस्पात सामग्री का वितरण यथानुपात उपलब्धता की पात्रता के आधार पर किया जाता है। पात्रता निर्धारित करते समय केन्द्रीय रूप से घोषित किये गये पिछड़े जिलों में स्थापित एककों को उनकी सामान्य पात्रता की अपेक्षा 10% अधिक कच्ची सामग्री दी जाती है।

राज्यों को औद्योगिक लाइसेंस

4271. **श्री टी० बशीर** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक लाइसेंस मंजूर करने के लिए विभिन्न राज्यों से गत तीन वर्षों में वर्ष-वार और राज्यवार कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) उक्त अवधि में विभिन्न राज्यों को कितने औद्योगिक लाइसेंस राज्य-वार और वर्ष-वार मंजूर किये गये ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) 1982, 1983 और 1984 (16.8.1985 तक) के दौरान प्राप्त आवेदनों और जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों/आशय-पत्रों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। प्राप्त आवेदनपत्रों पर जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों/आशय-पत्रों की संख्या उसी अवधि में प्राप्त आवेदनों की संख्या से आवश्यक रूप से समान नहीं होती है।

विवरण

वर्ष 1982, 1983 और 1984 के दौरान प्राप्त औद्योगिक लाइसेंस संबंधी आवेदनों और जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों और आशय-पत्रों का राज्यवार ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य	1982			1983			1984		
		प्राप्त औद्योगिक लाइसेंस संबंधी आवेदनों की कुल संख्या	आशयपत्र	औद्योगिक लाइसेंस	औद्योगिक लाइसेंस हेतु प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या	आशयपत्र	औद्योगिक लाइसेंस	औद्योगिक लाइसेंस हेतु प्राप्त आवेदनों की कुल संख्या	आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेंस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आन्ध्र प्रदेश	169	66	26	188	79	63	251	92	45
2.	अण्डमान और निकोबार	1	—	—	1	—	—	4	2	—
3.	अरुणाचल प्रदेश	3	1	—	5	7	2	8	2	3
4.	असम	13	5	1	19	3	22	54	14	8
5.	बिहार	51	22	9	29	30	29	49	21	26
6.	चंडीगढ़	5	4	3	1	1	3	7	3	1
7.	दादरा और नगर हवेली	18	4	—	6	3	—	7	—	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	दिल्ली	20	9	7	14	8	18	42	6	19
9.	गोवा, दमन और द्वीव	17	9	7	14	12	3	21	9	10
10.	गुजरात	230	121	69	202	116	115	258	107	82
11.	हरियाणा	161	66	21	132	68	59	177	53	46
12.	हिमाचल प्रदेश	53	15	6	46	20	5	48	18	5
13.	जम्मू और कश्मीर	27	8	3	33	17	10	45	9	8
14.	कर्नाटक	141	85	34	111	74	65	157	63	49
15.	केरल	51	29	9	37	35	22	32	7	21
16.	लक्षद्वीप द्वीप समूह		—	—	—	—	—	—	—	—
17.	मध्य प्रदेश	110	63	9	135	54	30	211	77	36
18.	महाराष्ट्र	311	148	95	308	155	171	419	194	140
19.	मणिपुर	1	—	—	1	1	—	1	—	—
20.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21.	मेघालय	7	4	—	4	4	—	4	2	—
22.	नागालैंड	2	1	—	10	3	2	1	1	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	उड़ीसा	74	43	10	43	25	14	63	20	15
24.	पांडिचेरी	10	2	1	15	10	3	39	11	3
25.	पंजाब	70	39	14	77	45	169	93	44	94
26.	राजस्थान	98	55	14	66	34	25	81	38	25
27.	सिक्किम	3	1	—	7	—	—	4	2	2
28.	तमिलनाडु	138	66	41	118	68	76	201	89	85
29.	त्रिपुरा	—	—	—	2	1	—	—	—	1
30.	उत्तर प्रदेश	263	111	22	248	128	98	382	132	80
31.	पश्चिम बंगाल	90	37	27	74	45	71	109	35	93
32.	अनिर्दिष्ट राज्य एक से अधिक राज्य	—	29	4	—	9	—	57	13	5
	कुल	2137	1043	432	1946	1055	1075	2825	1064	905

भरणपोषण, मोटर यान दुर्घटनाओं और कर्मकार प्रतिकर दावों संबंधी मामलों में महिलाओं को विधिक सहायता

4272. **श्रीमती गीता मुखर्जी**
श्री बसुदेव आचार्य : क्या विधि और न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

कि :

(क) गत तीन वर्षों में सरकार ने निर्धन महिलाओं को भरणपोषण तथा अन्य सामाजिक महत्व से सम्बन्धित अपने मुकदमे लड़ने के लिए कितने मामलों में विधिक सहायता दी है; और

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार की मोटर यान दुर्घटना दावों तथा कर्मकार प्रतिकर दावों के लिए निर्धन लोगों के मामले में प्रत्यक्ष रूप से अथवा राज्य स्तर की विधिक सहायता समितियों के माध्यम से सहायता करने की कोई स्कीम या योजना है।

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० आर० भारद्वाज) : (क) पिछले तीन वर्षों में विभिन्न राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों से जिन महिलाओं को लाभ प्राप्त हुआ है उनकी संख्या संलग्न विवरण में दर्शित की गई है। यह विवरण सरकार द्वारा गठित विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर आधारित है। इस समिति के पास भरणपोषण आदि जैसी विधिक सहायता की विभिन्न मदों की बाबत अलग-अलग कोई जानकारी नहीं है।

(ख) राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों के कृत्यों में मोटर यान दुर्घटनाओं संबंधी दावों और प्रतिकर दावों के मामलों में निर्धनों को सहायता देना सम्मिलित है। यह कार्य लोक अदालतें करती हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में विभिन्न राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों द्वारा लाभान्वित महिलाओं की संख्या

क्र० सं०	राज्य बोर्ड का नाम	1982	1983	1984
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	—	261*	61 (मई से नवम्बर)

* वित्तीय वर्ष के आंकड़े दर्शित करता है। ये आंकड़े 13.8.1985 को विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति के कार्यालय में उपलब्ध जानकारी पर आधारित है।

1	2	3	4	5
2.	गुजरात	66 (जुलाई से अगस्त)	—	—
3.	कर्नाटक	220	188	—
4.	मध्य प्रदेश	—	15,610 (1983-84 तक)	—
5.	उड़ीसा	262	844	2415
6.	पंजाब	38	65	55
7.	तमिलनाडु	—	5737	6548
8.	उत्तर प्रदेश	24	30 (मार्च)	—
9.	दिल्ली	20	92 (सितम्बर से आगे)	68

[हिन्दी]

आई० एन० एस० के "गार्ड बेस" से नौसेना के विमान का गायब होना

4273. **श्री सुभाष यादव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 जुलाई, 1985 के "दैनिक जनसत्ता" में एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि आई० एन० एस० के० गार्ड बेस से कर्मीदल सहित नौसेना का एक विमान गायब हो गया था;

(ख) यदि हां, तो कर्मीदल तथा विमान के गायब होने का ब्यौरा तथा कारण क्या है तथा इस बारे में अद्यतन स्थिति क्या है; और

(ग) इस एयर क्राफ्ट के गायब होने के कारणों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) जी हां ।

(ख) 17 मई, 1985 को 18.39 बजे आई० एन० 134 आईलैंडर विमान ने कोचीन से बिना रुके लम्बी उड़ान भरी जो एक नियमित उड़ान थी । विमान में दो पाइलट थे । विमान से सूचना

* वित्तीय वर्ष के आंकड़े दर्शित करता है । ये आंकड़े 13.8.85 को विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति के कार्यालय में उपलब्ध जानकारी पर आधारित है ।

मिली कि कोचीन से लगभग 75 मील दूर विमान को 19.18 बजे खराब मौसम के भारी झटके का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद विमान से सम्पर्क बन्द हो गया। घने जंगलों के बीच तथा विपरीत मौसम में बराबर खोज करने के बाद 24 मई, 1985 को हेलीकाप्टर ने विमान के मलबे का पता लगा लिया। यह दुर्गम क्षेत्र होने तथा मौसम बहुत खराब होने के कारण भूमि पर खोज करने वाला दल दुर्घटना के स्थान पर केवल 3 जून, 1985 को ही पहुंच सका। दोनों विमान चालकों के शव विमान के मलबे से निकाल लिए गए तथा उन्हें कोचीन लाया गया जहां 4 जून, 1985 को पूरे नौसैनिक सम्मान के साथ उनका अन्तिम संस्कार किया गया। दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए गठित जांच बोर्ड के निष्कर्षों की विशेषज्ञों द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) दुर्घटना के सही कारणों के संबंध में अन्तिम निर्णय लिए जाने के पश्चात् दुर्घटना के रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने पर विचार किया जाएगा। फिर भी, तत्काल की जाने वाली कार्यवाही के रूप में इस बात पर जोर दिया गया है कि सभी नौसैनिक वायुकर्मियों द्वारा अत्यन्त खराब मौसम से बचने के लिए मानक निर्देशों का पूर्णतया पालन किया जाए।

[अनुवाद]

रुग्ण औद्योगिक एककों में अवरुद्ध धन राशि

4274. श्रीमती पटेल रमाबेन
श्री रामजी भाई मावणी } : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रुग्ण औद्योगिक एककों में कितने कामगार बेरोजगार हो गये और विभिन्न बैंकों की कितनी धनराशि इन एककों में अवरुद्ध पड़ी है?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रुग्णता की स्वीकृत परिभाषा के अनुसार बैंकों द्वारा सहायता किये गए रुग्ण औद्योगिक एककों के आंकड़े वही एकत्र करता है। भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अद्यतन आंकड़ों के अनुसार जून, 1984 के अन्त में रुग्ण औद्योगिक एककों पर 3,273.91 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी। रुग्ण औद्योगिक एककों में प्रभावित कामगारों के आंकड़े न तो इस मन्त्रालय में केन्द्रीय रूप से रखे जाते हैं और न भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही एकत्र किए जाते हैं।

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण एककों के सम्बन्ध में सरकार की नीति

4275. श्री ए० जे० बी० बीय महेश्वर राव
श्री मोहन भाई पटेल } : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने यह देखने के लिए कोई अध्ययन किया है कि सरकारी क्षेत्र के कौन-

कौन से एकक अब रुग्ण हैं और उनके सक्षम बनाने की कोई उम्मीद नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे एककों का ब्यौरा क्या है और ऐसे एककों के संबंध में क्या नीति है, आयात क्या इन एककों को बन्द किया जाएगा अथवा किन्हीं इच्छुक उद्यमियों को बेच दिया जाएगा?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) सरकारी एककों के कार्य निष्पादन की समीक्षा सावधिक रूप से की जा रही है और उपयुक्त सुधार संबंधी कार्यवाही की जाती है। प्रत्येक मामले में गुणावगुण के आधार पर एकक को बन्द करने अथवा उसका समापन करने के बारे में विचार भी किया जा सकता है।

बाल तथा रोलर बीयरिंग का उत्पादन

4277. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना में देश में बाल तथा रोलर बीयरिंगों की कुल कितनी मांग थी;

(ख) उस योजना अवधि में बाल तथा बीयरिंग का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ग) क्या यह सच है कि आटोमोबाइलों के उत्पादन में वृद्धि के साथ सातवीं योजना के अन्त पर बाल और बीयरिंग की मांग में वृद्धि होने की सम्भावना है; और

(घ) यदि हां, तो सातवीं योजना के लिए बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बाल और बायरिंगों का स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) छठी योजना के अन्तिम वर्ष में बाल और रोलर बीयरिंगों की मांग अनुमानतः 800 लाख बायरिंग थी।

(ख) कैलेण्डर वर्ष 1984 में बाल और रोलर बीयरिंगों का वास्तविक उत्पादन 410 लाख बीयरिंग था। 1984-85 का अनुमानित उत्पादन 420 लाख बायरिंग था।

(ग) जी, हां।

(घ) विद्यमान एककों को विस्तार की स्वीकृति देने के अलावा 634 लाख बीयरिंगों की कुल क्षमता के लिए 14 फर्मों को भी आशय पत्र दिये गये हैं। उद्योग को लाइसेंस-मुक्त भी कर दिया गया है।

फसल की कटाई के बाद प्रौद्योगिकी के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की परियोजना

4278. **श्री चिन्तामणि जेना :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एन० पी० सी०) ने फसल की कटाई के बाद उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिक उन्नत के माध्यम से कृषि पर आधारित उद्योग लगाने के लिए एक परियोजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां,तो परियोजना का ब्यौरा क्या है और ग्रामीण लोगों के लिए यह कितनी लाभदायक होगी ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एन० पी० सी०) ने एक योजनागत परियोजना "फसल की कटाई के बाद के कार्यों, कृषि पर आधारित उद्योगों और औद्योगिक क्षेत्र में उत्पादकता सुधार हेतु केन्द्र" को सातवीं योजना में सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया है। इससे फसल कटाई के बाद के कार्यों, कृषि पर आधारित उद्योगों और अनौपचारिक क्षेत्र के विकास के सम्बन्ध में योजना और नीति बनाने में मदद मिलेगी। कार्यान्वित किए जाने पर यह परियोजना ग्रामीण लोगों के अभ्युत्थान हेतु लाभकारी होगी।

प्रसाधन तथा सौन्दर्य प्रसाधनों के निर्यात का मूल्य

4279. **श्री सोमजी भाई डामर**
श्री आनन्द पाठक : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 जून, 1985 के "इकानामिक टाइम्फ" में प्रकाशित समाचार "एलियन ब्रांड नेम यूज टू बी परमीटेड" शीर्षक की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उत्पादों के दुर्लभ मुद्रा क्षेत्र में विदेशी ब्रांड तथा भारतीय ब्रांड नामों से अलग-अलग निर्यात की गई प्रसाधन तथा सौन्दर्य प्रसाधन का मूल्य क्या है;

(ग) विदेशी ब्रांड नाम का प्रयोग करने से क्या लाभ प्राप्त होगा; और

(घ) विदेशी ब्रांड नामों के प्रयोग की अनुमति कितने वर्ष तक रहेगी ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क), (ग) और (घ) जी हां। लेकिन आन्तरिक बिक्री हेतु उत्पादों पर विदेशी-ब्रांड नामों

के प्रयोग की अनुमति न देने के बारे में सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है हालांकि निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर उनका प्रयोग होने पर कोई आपत्ति नहीं की जाती।

(ख) भारतीय ब्रांड नामों और विदेशी ब्रांड नामों की श्रृंगार सामग्री तथा प्रसाधनों के निर्यात संबंधी आंकड़े अलग-अलग नहीं रखे जाते।

इस्पात ट्यूबों का निर्माण और निर्यात

4279 क. श्री मोतीलाल सिंह : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में कौन-कौन सी कम्पनियां विभिन्न प्रकार की इस्पात ट्यूबों का निर्माण कर रही हैं;

(ख) क्या ये कम्पनियां इस्पात ट्यूबों का निर्यात भी कर रही हैं;

(ग) यदि हां, तो किन देशों को; और

(घ) क्या सरकार का विचार कुछ किस्मों के बड़े आकार की इस्पात ट्यूबों का निर्माण भारतीय इस्पात प्राधिकरण और सरकारी क्षेत्र के अन्य उद्यमों द्वारा, ही कराने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) विभिन्न प्रकार की इस्पात ट्यूबों का निर्माण करने वाली सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों तथा गैर सरकारी क्षेत्र की अधिकांश कम्पनियों की सूची संलग्न है।

(ख) और (ग) जी हां, श्रीमन्, कुछ कंपनियां अपने उत्पादों का निर्यात मुख्यतः ईरान, इराक, इथियोपिया, कुवैत, सऊदी अरब, यू० ए० ई०, वाई० ए० आर०, बांग्ला देश, इंडोनेशिया, यू० एस० ए० आदि को कर रही हैं।

(घ) जी नहीं, श्रीमन्।

विवरण

I सरकारी क्षेत्र की इकाइयां

	इकाई का नाम	निर्माण की मद
1	2	3
1.	मैसर्स भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड तिरुचिरापल्ली	सीमलैस स्टील ट्यूब
2.	आणविक ईंधन काम्पलैक्स हैदराबाद	,,

1	2	3
3.	राउरकेला स्टील प्लांट	बड़ी डाइ वाली स्टील पाइप
II	गैर-सरकारी क्षेत्र	
1.	श्री हनुमान इन्डस्ट्रीज, कलकत्ता	वेल्डेड पाइप और ट्यूब्स
2.	सैक्शी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन, हावड़ा, कलकत्ता	"
3.	जिंदल इंडिया लिमिटेड, हावड़ा	"
4.	लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी, कलकत्ता	"
5.	शेखर आयरन वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता	"
6.	ए० पी० जे० इंडिया, लिमिटेड, कलकत्ता	"
7.	शंकर ट्यूब्स लिमिटेड, कलकत्ता	"
8.	इंडियन पैन वर्क्स, कलकत्ता	"
9.	लालबाबा ट्यूब्स कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता	"
10.	भारत स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, बहादुरगढ़	"
11.	जिंदल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, हिसार	"
12.	जतीन्द्र स्टील ट्यूब्स, नई दिल्ली	वेल्डेड स्टील पाइप और ट्यूब्स
13.	प्रकाश ट्यूब्स लिमिटेड, नई दिल्ली	"
14.	रवीन्द्र ट्यूब्स लिमिटेड, हिसार	"
15.	स्टील क्राफ्ट्स, पानीपत	"
16.	जनक स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, हिसार	"
17.	हरियाणा ट्यूब्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, हिसार	"
18.	स्वास्तिक पाइप लिमिटेड, रोहतक	"
19.	भारत उद्योग लिमिटेड, बहादुरगढ़	"
20.	तिरुपति उद्योग लिमिटेड, नई दिल्ली	"

21.	ठाकुर स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, नई दिल्ली	वेल्डेड स्टील पाइप और ट्यूब्स
22.	स्वदेशी ट्यूब्स लिमिटेड, हिसार	,,
23.	नीरज ट्यूब्स लिमिटेड, हिसार	,,
24.	सैन्चुरी ट्यूब्स लिमिटेड, भिवानी	,,
25.	जैन ट्यूब्स कम्पनी लिमिटेड, नई दिल्ली	,,
26.	जिन्दल पाइप्स (प्राइवेट) लिमिटेड, नई दिल्ली	,,
27.	शेखर ट्यूब्स (प्राइवेट) लिमिटेड, गाजियाबाद	,,
28.	क्वालिटी स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, कानपुर	,,
29.	अजन्ता ट्यूब्स लिमिटेड, नई दिल्ली	,,
30.	हिन्दुस्तान पाइप उद्योग लिमिटेड, गाजियाबाद	,,
31.	एडवांस स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, गाजियाबाद	,,
32.	यू० पी० मेटल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, लखनऊ	,,
33.	स्पैन इन्डस्ट्रीज, गाजियाबाद	,,
34.	स्टील एण्ड मेटल ट्यूब्स आइ० पी० लिमिटेड, गाजियाबाद	,,
35.	जलाकाश एंटरप्राइज, गाजियाबाद	,,
36.	त्रिवेणी मेटल ट्यूब्स लिमिटेड, कानपुर	,,
37.	श्री श्याम ट्यूब्स (प्राइवेट) लिमिटेड, नई दिल्ली	,,
38.	रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड गाजियाबाद	,,
39.	गुजरात स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, अहमदाबाद	,,
40.	श्री अम्बिका ट्यूब्स लिमिटेड, अहमदाबाद	,,
41.	इंडियन मेटल एण्ड फैरो एलाय लिमिटेड, कलकत्ता	,,
42.	इंडियन ट्यूब कम्पनी लिमिटेड	,,
43.	जेनिथ स्ट्रील पाइप एण्ड इन्डस्ट्री लिमिटेड, बम्बई	,,

44.	खंडेलवाल ट्यूब्स, नागपुर	वेल्डेड स्टील पाइप्स और ट्यूब्स
45.	महाराष्ट्र स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, बम्बई	,,
46.	बसंत ट्यूब्स (प्राइवेट) लिमिटेड, नई दिल्ली	,,
47.	शिवमणि स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, बंगलोर	,,
48.	अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड, नई दिल्ली	,,
49.	सुरेन्द्र इण्डस्ट्रीज, बम्बई	,,
50.	तमिलनाडु स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, मद्रास	,,
51.	बिल्डवर्थ लिमिटेड, गोहाटी	,,
52.	मालवा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, मोहाली	,,
53.	आत्मा ट्यूब्स प्रोडक्ट्स लिमिटेड, पटियाला	,,
54.	दिवाकर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली	,,
55.	जिन्दल स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, हैदराबाद	,,
56.	असरानी ट्यूब्स लिमिटेड, सिकन्दराबाद	,,
57.	दिल्ली ट्यूब्स लिमिटेड, हैदराबाद	,,
58.	नागार्जुन कोटेड ट्यूब्स लिमिटेड, हैदराबाद	,,
59.	स्टील ट्यूब्स आफ इंडिया लिमिटेड, देवास	,,
60.	मेटलमैन पाइप मैन्यूफैक्चरिंग लिमिटेड, इन्दौर	
61.	दिनेश ट्यूब्स लिमिटेड	,,
62.	भूषण इन्डस्ट्रीज कम्पनी लिमिटेड	,,
63.	ट्रांसेशिया, जम्मू	,,
64.	बालाजी ट्यूब्स लिमिटेड, अहमदाबाद	,,
65.	प्रीमियर ट्यूब्स लिमिटेड	,,
66.	इंपैक्स ट्यूब्स मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड	,,
67.	राजेन्द्र मेकेनिकल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई	,,
68.	गोदरेज एण्ड बॉयी मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड	,,

69.	ट्यूब प्रोडक्ट्स आफ इंडिया लिमिटेड, अवडी, मद्रास	वेल्डेड स्टील पाइप और ट्यूब्स
70.	मैटल वैल्डिंग वर्क्स	,,
71.	निओजोन ट्यूब्स लिमिटेड, कलकत्ता	,,
72.	आलोक पाइप लिमिटेड	,,
73.	सुपर ट्यूब्स लिमिटेड	,,
74.	कालिंदी स्टील ट्यूब्स लिमिटेड	,,
75.	स्टील क्रेट (प्राइवेट) लिमिटेड, विशाखापत्तनम	,,
76.	नवराल ट्यूब्स (प्राइवेट) लिमिटेड, पानीपत	,,
77.	बंसल पाइप उद्योग लिमिटेड, अलवर	,,
78.	एम० एल० एस० स्टील ट्यूब्स (प्राइवेट) लिमिटेड, दिल्ली	,,
79.	ब्रिजराजका स्टील ट्यूब्स लिमिटेड	,,
80.	द इंडियन सीमलैस मेटल ट्यूब्स, अहमदनगर	सीमलैस स्टील ट्यूब्स
81.	चौकसी ट्यूब्स कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड	स्टेनलेस स्टील कैपीलरी ट्यूब्स स्टेनलेस स्टील वेल्डेड पाइप और ट्यूब्स
82.	राजेन्द्र मेकेनिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बम्बई	स्टेनलेस स्टील पाइप और ट्यूब्स
83.	नीका ट्यूब्स लिमिटेड, अहमदाबाद	,,
84.	बोम्बे ट्यूबिंग्स आफ इंडिया लिमिटेड, मद्रास	कापर कोटेड बंडी ट्यूब्स
85.	झावेर चन्द गायकवाड (प्राइवेट) लिमिटेड, बड़ौदा	फ्लैक्सिबल ट्यूब्स
86.	इंडोफ्लैक्स (प्राइवेट) लिमिटेड, जयपुर	,,
87.	इंजेक्टो (प्राइवेट) लिमिटेड, फरीदाबाद	,,
88.	ओम स्टील ट्यूब्स लिमिटेड, नई दिल्ली	एस० एस० कैपीलरी ट्यूब्स

सीमेंट उद्योग में लगे मजदूर

4279. श्री सुरेश कुरूप : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री और यह बताने की कृपा

करेंगे कि 31 मार्च 1985 को सीमेंट उद्योग में कुल कितने मजदूर लगे हुए थे ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने अनुमान लगाया है कि 31.3.1985 को सीमेंट उद्योग में लगभग एक लाख श्रमिक कार्यरत थे।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : आपको याद होगा कि आपने सदन और सदस्यों को उस समय यह आश्वासन दिया था जब अनेक सदस्यों ने यह मामला उठाया था कि इस माह कि 14 तारीख को जम्मू तथा कश्मीर-घाटी में पाकिस्तानी झंडे लहराए गए थे···

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में मैं पहले ही लिख चुका हूं और तथ्यों की प्रतीक्षा कर रहा हूं।

प्रो० के० के० तिवारी : ये समाज-विरोधी तत्व हर रोज जलूस निकालते हैं···

अध्यक्ष महोदय : मैं तथ्यों के लिए लिख चुका हूं और उनके प्राप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात नहीं सुन रहे। मैं जांच के परिणामों की प्रतीक्षा कर रहा हूं। आपको मैं उनके बारे में बता दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे ऐसे तथ्यों का पता लगाने के लिए गृह मंत्रालय से कहना पड़ता है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वह एक दफा हो गया है अब आप क्या कहना चाहते हैं ? अगर आप ज्यादा कहेंगें तो क्या कुछ फायदा होगा ?

(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। जो मुझे कहना

---

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

था वह मैंने कह दिया है। आप जो कह चुके हैं उसका मुझ पर अधिक असर नहीं होगा। मैं गृह मंत्रालय को सभा की भावनाओं से अवगत करा चुका हूं तथा तथ्यों के सम्बन्ध में उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा में हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें कह चुका हूं इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं यह पहले ही कर चुका हूं मेरे पास कोई जादुई छड़ी नहीं है।

प्रो० के० के० तिवारी : आप उन्हें अनुदेश दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह मैं कर चुका हूं।

प्रो० के० के० तिवारी : इसके बावजूद भी वे कुछ नहीं कर रहे हैं। यह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

अध्यक्ष महोदय : यह काम उन्हें करना चाहिए मुझे नहीं।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैं आपका ध्यान उस समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं जिसे लेकर सदन के दोनों पक्ष बहुत व्यथित हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इस पर हम कल चर्चा कर चुके हैं।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपको कुछ और बात बताने जा रहा हूं। कल मैंने स्वयं एक वीडियो फिल्म देखी हे जिसमें विज्ञापन के प्रयोजनार्थ एक ब्ल्यू फिल्म में महात्मा गांधी जी को एक मिनट 45 सेकेंड तक सुपरइम्पोज करके दिखाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : कल एक माननीय सदस्य ने इस बारे में पूरी जानकारी दे दी थी।

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : इस समय ही आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : ऐसे ही उल्लेख कर रहा हूं···

अध्यक्ष महोदय : इसका ऐसे ही उल्लेख नहीं किया गया था। मुझे इसकी जानकारी मिल चुकी है। कल महफूज अली खां जी ने इसका उल्लेख किया था।

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे अपनी बात तो पूरी करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : अगर आप अब भी कहना चाहते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं ?

प्रो० मधु दण्डवते : हमने आपस में विचार-विमर्श किया है। दोनों पक्षों के सदस्य इस मामले को उठाना चाहते हैं। हुआ यह है कि उस फिल्म मे दिखाया गया है महात्मा गांधी को…

अध्यक्ष महोदय : मुझे इसका पता है। मैंने इस बारे में सुना है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने कल ही फिल्म देखी है। उसमें उन्होंने दिखाया है कि गांधी जी अपना उपवास एक बीयर की बोतल से खोल रहे हैं…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप अब अपना स्थान ग्रहण करेंगे ?

प्रो० मधु दण्डवते : यह राष्ट्रपिता का भारी अपमान है…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको नियमों का पालन करना चाहिए। कृपया बैठ जाइए। मैं बोल रहा हूं। क्या आप यह नहीं समझते। मैं कल इस बारे में सुन चुका हूं मैंने मन्त्रालय को भी लिख दिया है। मैं स्थिति से अवगत हूं। इस बेहूदा हरकत के विरुद्ध मैं समस्त सदन की भावनाओं को समझता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : इसकी भर्त्सना कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : केवल भर्त्सना ही पर्याप्त नहीं है यह सरासर निन्दनीय है। मैं आपसे सहमत हूं मालूम नहीं इन लोगों को ऐसा क्यों करने दिया जा रहा है। मैं मन्त्रालय से कहूंगा कि वह इस सम्बन्ध में कुछ करें…

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : इससे ज्यादा बेइज्जती की और कोई बात नहीं हो सकती…(व्यवधान) भारत सरकार को सम्बद्ध दूतावास को लिखकर विरोध प्रकट करना चाहिए। आपको उस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश देने चाहिए…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल ठीक। मैं ऐसा कर चुका हूं। यही मैंने कहा है। मैं सदन और उसकी भावनाओं से सहमत हूं। इसका हमें कड़ा विरोध करना चाहिए। यह पूर्णतः गैर जिम्मेदाराना तथा निन्दनीय है। मैं इसकी निन्दा करता हूं और सारा सदन इसकी निन्दा करता है।

श्री एस० जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : वाशिंगटन स्थित हमारे राजदूत इस सम्बन्ध में क्या कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे करेंगे।

श्री पी० कुलनदईवेलू (गोबिचेट्टिपालयम) : कल माननीय मन्त्री जी ने इस सदन में कहा था कि सम्बन्धित मन्त्री श्रीलंका समस्या के संबंध में एक वक्तव्य देंगे। वहां नरसंहार जारी है। यहां तक कि आज भी…(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ समय इन्तजार करें। मैं चाहता हूं कि आप इन्तजार करें। मैं मन्त्रालय से विचार-विमर्श कर रहा हूं और चाहता हूं कि आप इंतजार करें। वह मैं कर चुका हूं। कुछ समय इन्तजार करें।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय मुझे एक निवेदन करने की अनुमति दें। असम समस्या के बारे में मैंने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है,··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, स्थगन प्रस्ताव का प्रश्न ही नहीं है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं अनुमति नहीं है··· (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : महोदय क्या आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव अस्वीकार नहीं किया है। मैं इस पर विचार करूंगा। मैं इसे देखूंगा। मैंने उनका स्थगन प्रस्ताव नामंजूर कर दिया है यदि कोई···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइए। अब बैठ जाइए।

कुमारी ममता बनर्जी (जादवपुर) : महोदय, मैं आपका ध्यान भारतीय प्रतिनिधि मंडल द्वारा मास्को में किए गए व्यवहार की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं। कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप नियम 377 के अन्तर्गत लिखकर दें मैं उस पर विचार करूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, क्या आप हमें ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं इस पर विचार करूंगा।

12.07 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

प्रादेशिक सेना (संशोधन) नियम, 1985

रक्षा मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : मैं प्रादेशिक सेना अधिनियम, 1984 की धारा 14 की उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रादेशिक सेना (संशोधन) नियम, 1985 की एक प्रति (हिन्दी

[श्री पी० वी० नरसिंह राव]

तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 22 जून, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 118 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1342/85]

भारतीय तार (दूसरा संशोधन) नियम, 1985

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम निवास मिर्धा) : मैं भारतीय तार अधिनियम, 1985 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार (दूसरा संशोधन) नियम, 1985 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 3 अगस्त, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 728 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1343/85]

मैसर्स सीबा गैगी आफ इंडिया लिमिटेड बम्बई तथा मैसर्स पीको इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, कलकत्ता के मामलों में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत प्रतिवेदन, आदि

उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : मैं एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण सभा, पटल पर रखता हूं :

(1) सान्ता, मोनिका, कोर्लिम, गोवा में गेहूं के एक हर्बीसाइड आइसोप्रोटुरोन के निर्माण के लिए मैसर्स सीबा गैगी आफ इंडिया लिमिटेड, बम्बई के मामले में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 21 के अन्तर्गत प्रतिवेदन और 7 जून, 1985 का केन्द्रीय सरकार का आदेश तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1344/85]

(2) पिम्परी पुणे (महाराष्ट्र) में मिनि कम्प्यूटर/माइक्रो प्रोसैसर बेस्ड सिस्टम्स के निर्माण के लिए मैसर्स पीको इलेक्ट्रानिक्स एन्ड इलैक्ट्रीकल्स, लिमिटेड, कलकत्ता के मामले में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 21 के अन्तर्गत प्रतिवेदन केन्द्राय सरकार का 26 जून, 1985 का आदेश तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1345/85]

आय कर (छठां संशोधन) नियम 1985 तथा सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आयकर छठां (संशोधन) नियम, 1985 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 12 अगस्त, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 602 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1346/85]

(2) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 645 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 12 अगस्त, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो स्विटजरलैंड के फ्रेंकों को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को स्विटजरलैंड के फ्रेंकों में बदलने की पुनरीक्षित दरों के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1347/85]

12.08 म० प०

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महा सचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है :

(i) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य तथा संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 19 अगस्त, 1985 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 7 अगस्त 1985 को पारित किए गए आंतकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण संशोधन) विधेयक, 1985 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(ii) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 19 अगस्त 1985 को हुई अपनी बैठक में पारित आरोविले (आपात उपबन्ध) संशोधन विधेयक 1985 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

आरोविले (आपात उपबंध) संशोधन विधेयक

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय मैं राज्य सभा द्वारा पारित आरोविले (आपात उपबंध) संशोधन विधेयक 1985 को सभा-पटल पर रखता हूं।

12.09 म० प०

प्राक्कलन समिति

नौवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : महोदय, मैं रेल मंत्रालय—रेल सुरक्षा के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति (सातवीं लोक सभा) के 56 वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में उक्त समिति का नौवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

तीसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री के० डी० सुलतानपुरी (शिमला) : महोदय मैं कृषि मंत्रालय (कृषि तथा सहकारिता विभाग)—सहकारी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिये गये लाभों के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के 52 वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में उक्त समिति का तीसरा प्रतिवेतन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12·10 म० प०

पंजाब में कपूरथला के निकट रेल के सवारी डिब्बे बनाने का एक कारखाना स्थापित करने के लिए भारत की आकस्मिक निधि से धनराशि निकालने के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : श्रीमान अध्यक्ष महोदय,

भारतीय रेलों पर सवारी डिब्बों की कमी को पूरा करने के लिए पंजाब में कपूरथला के निकट हुसैनपुर में एक दूसरा सवारी डिब्बा कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस कारखाने की वार्षिक निर्माण क्षमता 1000 सवारी डिब्बे होगी।

इस कार्य की तात्कालिकता को देखते हुए और चालू वर्ष के कार्य-मौसम का लाभ उठाने की दृष्टि से भी, यह कार्य चालू वर्ष में ही बिना बारी के शुरू करने का विचार है। चूंकि यह एक "नयी सेवा" है, अतः इसकी स्थापना के लिए "भारत की आकस्मिकता निधि" से रकम निकालने का प्रस्ताव है।

संसद पटल पर कागजात रखे जाने से संबंधित समिति की सिफारिश सं० 1.10 (छठी लोक सभा की चौथी रिपोर्ट के अनुसार, निम्नलिखित ब्यौरा सदन के समक्ष प्रस्तुत है :—

क्र० सं०	कार्य का विवरण	प्रत्याशित लागत	1985-86 के लिए संभावित परिव्यय	भारत की आकस्मिकता निधि से निकाली गयी राशि
1.	कपूरथला (पंजाब) में रेल सवारी डिब्बा कारखाने की स्थापना	पूंजी 180 करोड़ रुपये	5.0 करोड रुपये	0.05 करोड़ रुपये

भारत की आकस्मिकता निधि से निकाली गयी राशि की प्रतिपूर्ति अनुदान की पूरक मांगों के जरिये की जायेगी जो मैं संसद के समक्ष अगले सत्र में प्रस्तुत करूंगा।

———

12·11 म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

बिहार के जहानाबाद शहर में रक्षा उपकरणों के फालतू पुर्जों के बड़ी मात्रा में जब्त किए जाने का समाचार

[हिन्दी]

श्री राम बहादुर सिंह (छपरा) : अध्यक्ष महोदय, अविलम्बनीय लोक-महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर मैं माननीय रक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं तथा उन से अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दें :—

"बिहार के जहानाबाद शहर में रक्षा उपकरणों के फालतू पुर्जों के बड़ी मात्रा में जब्त किये जाने के समाचार तथा सरकार द्वारा इसके सम्बन्ध में की गई कार्यवाही।"

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री पी०वी० नरसिंह राव) : महोदय, उपलब्ध सूचना के अनुसार उप-महानिरीक्षक सी० आई० डी०, बिहार ने 31 जुलाई, 1985 को 17.45 बजे टेलीफोन पर बिहार और उड़ीसा सब-एरिया मुख्यालय, दानापुर को बताया कि पुलिस ने जहानाबाद में एक हल्की मशीन गन के कुछ हिस्से-पुर्जे, दो स्टेनगनों और 27 पिस्तौलों के हिस्से-पुर्जे बरामद किए हैं। साथ ही अनुरोध किया कि बरामद की गई इन मदों की पहचान के लिए सेना का एक प्रतिनिधि जहानाबाद भेजा जाए। 1 अगस्त, 1985 को एक आर्मरर सहित सेना का एक प्रतिनिधि उन हिस्से-पुर्जों को पहचानने के लिए जहानाबाद पुलिस स्टेशन भेजा गया।

बिहार सरकार ने यह भी सूचित किया है कि 28 और 29 जुलाई, 1985 की रात गया जिले के अधीन उपमंडलीय मुख्यालय, जहानाबाद बाजार में स्थानीय पुलिस ने दो रिक्शा चालकों को रोका जो रिक्शों में लकड़ी के कई बक्से ले जा रहे थे। उनमें से एक रिक्शाचालक तो भाग निकला लेकिन दूसरे को पुलिस ने पकड़ लिया। जहानाबाद में मोटर-गाड़ियों के पुर्जों की एक दुकान के मालिक को भी हिरासत में लिया गया क्योंकि ये बक्से उसकी दुकान में लाए गए थे। लेकिन दो संदिग्ध व्यक्ति भाग निकले। कुल मिलाकर लकड़ी के 11 बक्से पकड़े गए। ये बक्से केन्द्रीय आयुध डिपो, जबलपुर से जारी और रेल से प्रेषित करके दीमापुर, जोरहाट और बागडोगरा स्थित यूनिटों के लिए भेजे गए थे। उन बक्सों की पूरी छान-बीन करने से पता चला कि इनमें बन्दूकों, स्टेनगनों आदि के कुल मिलाकर 256 हिस्से-पुर्जे थे। इनमें कारबाइन की 25 बैरेल, एक हल्की मशीनगन बैरेल, 2 कारबाइन स्टैंड, हैंडिल ड्राइवर, ट्रिगर गार्ड, मिलिट्री पोंच आदि थे। बिहार सरकार का मत है कि ये बक्से या तो गया रेलवे जंक्शन से या जहानाबाद रेलवे स्टेशन से चुराए गए हैं। जहानाबाद पुलिस ने इसके लिए फौज-2दारी मामला दर्ज कर लिया है। और जांच-पड़ताल चल रही है।

सेना मुख्यालय ने सूचित किया है कि इन बक्सों में मिले हिस्से-पुर्जे किसी भी एक शस्त्र के पूरे भाग नहीं हैं और न ही इन्हें जोड़ने पर कोई सम्पूर्ण शस्त्र या अस्त्र बनाए जा सकते हैं। तथ्यात्मक जानकारी यह है। जांच चल रही है, परन्तु इसके साथ ही मैं सदन को विश्वास में लेना चाहूंगा ताकि भारतीय सेना द्वारा हथियारों और गोला-बारूद को एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने के लिए अपनाई गई प्रणाली के सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण दिए जा सकें।

माननीय सदस्यों को मैं यह भी बता देना चाहूंगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजे जा रहे शस्त्रों और गोला-बारूदों तथा विस्फोटकों की मार्ग में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कार्यप्रणाली लागू है :—

(क) विस्फोटक और हिस्से-पुर्जे जोड़कर तैयार किए गए शस्त्रों और गोलाबारूदों को एक नियम के रूप में, वैगनों में भेजा जाता है। भेजने वाली एजेंसी तब तक के लिए रुकी रहती है जब तक कि वैगन पूरी तरह भर न जाए। अगर वैगन ऐसे स्थानों को भेजे जा रहे हैं या ऐसी जगहों से होकर भेजे जाते हैं जो संवेदनशील हों तो उनके साथ सेना के जवान भेजे जाते हैं।

(ख) अगर उचित समय के भीतर वैगन के बराबर सामान नहीं हो पाता तो विस्फोटकों और हिस्से-पुर्जों को जोड़कर बनाए गए शस्त्रों तथा गोलाबारूद को जहां कन्टेनर सेवा उपलब्ध है वहां कन्टेनरों में बन्द करके भेजा जाता है।

(ग) जहां छोटी-छोटी खेपों में यह शस्त्रादि भेजने जरूरी हो जाते हैं वहां उन्हें सेना सुरक्षा व्यवस्था के अन्तर्गत जैसा कि ऊपर (क) में बताया गया है, सवारी गाड़ियों से भेजा जाता है।

(घ) 320 कि०मी० तक की दूरी वाले स्थानों को भेजे जाने वाले विस्फोटकों, शस्त्रों, गोला-बारूद आदि को सैनिक सुरक्षा के अन्तर्गत सड़क से भेजा जाता है।

(ङ) ऊपर (क) में बताई गई मदों के अलावा मोटरगाड़ियां और गुप्त/संवेद्य उपकरण भी सैनिक सुरक्षा के लिए अन्तर्गत भेजे जाते हैं।

(च) अन्य सभी मदें बिना सैनिक सुरक्षा व्यवस्था के भेजी जाती हैं।

जहां तक अतिरिक्त हिस्से-पुर्जों और अन्य मदों को भेजने का प्रश्न है, जैसा कि ऊपर पैरा 4 के भाग (च) में बताया गया है, रेलवे को सीलबन्द पैकेज दिए जाते हैं और उनसे उनकी रसीद ले ली जाती है। इसके बाद परेषिती तक इन पैकेजों को ले जाने की जिम्मेदारी रेलवे की है। भेजने वाला डिपो परेषिती के पास रेलवे रसीद और जारी किए गए वाउचर, जिसमें भेजे गए मदों की सूची होती है, रजिस्टर्ड डाक से परेषिती को भेज देता है। अगर उपयुक्त समय के भीतर माल नहीं मिलता तो परेषिती नजदीक वाले रेलवे स्टेशन में इसकी पूछताछ करता है तथा वहां शिकायत दर्ज कर देता है और साथ ही माल भेजने वाले डिपो को माल न मिलने की सूचना दे देता है। माल भेजने वाला डिपो अपनी ओर से भी रेलवे के साथ उसी तरह की कारंवाई करता है।

[श्री पी० वी० नरसिंह राव]

भेजे गए माल की जिस खेप में से ये चोरियां हुई हैं वह जबलपुर से मई से जुलाई, 1985 के महीनों में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र को भेजा गया था। ऐसे मौके आए हैं कि जब जबलपुर से भेजे गए छुटपुट माल को मार्ग में एक वाहन से दूसरे वाहन में चढ़ाने और संचालन संबंधी कठिनाइयों के कारण उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में पहुंचने में 4 महीने से अधिक समय लगा है।

[हिन्दी]

श्री राम बहादुर सिंह : महोदय, आये दिन इस तरह की राष्ट्र विरोधी हरकतों के बारे में सुनने को मिलता है। लेकिन सरकार की जो स्थिति है इसको देखने से ऐसा मालूम होता है कि सरकार ऐसी घटनाओं को बहुत हल्के-फुल्के ढंग से लेती है। कभी प्रधान मन्त्री सचिवालय से शराब की कीमत पर सूचिकाएं विदेश भेजी जाती हैं। कभी आयुध कारखानों से आग्नेयास्त्रों को चुराया जाता है, तो कभी उनके पार्ट्स और पुर्जों को चुराया जाता है, बेचा जाता है।

मेरे यहां 29 जुलाई की रात में जहानाबाद शहर में, 12 रिक्शाओं पर···

अध्यक्ष महोदय : यह सुनने के बाद, आपका जो प्रश्न है, उसको बनाइये।

श्री राम बहादुर सिंह : मैं यही कह रहा हूं कि 13 बक्से लाद कर ले जाये जा रहे थे। ड्यूटी पर तैनात सिपाही ने उनको थाने में दाखिल किया लेकिन दारोगा ने बक्सों की जांच नहीं की और जो व्यक्ति उनके साथ थे, उनकी भी जांच नहीं की। जिनके बारे में सरकार का जवाब है कि वे लोग भाग गये, उन लोगों से 40 हजार रुपया लेकर उस दारोगा ने छोड़ दिया···*···*···। यह भी चर्चा है कि बिहार के चीफ पुलिस डी० जी० से उसकी मिली-भगत है। दो माह पहले उसकी बदली हो गई थी, रांची के लिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं उसकी अनुमति नहीं दूंगा। इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री राम बहादुर सिंह : लेकिन आज भी वह जहानाबाद शहर में बना हुआ है। इतना ही नहीं जब बक्से खोले गये तो एक बक्से में 21 रिवाल्वर थे, जिनका आज तक कोई पता-ठिकाना नहीं है। इसके साथ-साथ जो सरकार ने जवाब दिया है कि डी०आई०जी०, सी०आई०डी० ने जाकर के जांच की और उसी के आधार पर, पहले उन्होंने दानापुर मिलिट्री छावनी में सूचना दी थी कि दो स्टेनगन और 27 पिस्तौलों के कल-पुर्जे थे। लेकिन फिर सरकार ने अपने जवाब में नीचे कहा है कि 256 हिस्से-

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

पुर्जे थे। इनमें कारबाइन की 25 बैरलें, एक हल्की मशीन गन बैरल, 2 कारबाइन स्टैंड, हैंडिल ड्राइवर, ट्रिगर गार्ड, मिलिट्री पोंच आदि थे। इससे यह साबित होता है कि बिहार की पुलिस ने इस काण्ड के बारे में पूरी तफसील में जा कर जांच नहीं की। इसका एक कारण जवाब में यह भी बताया गया है कि जहानाबाद और गया स्टेशनों में से किसी एक स्टेशन पर इस सामान को किसी ने चुरा लिया था।

इसको एक माह हो रहा है लेकिन सरकार ने अभी तक यह भी पता नहीं लगाया है कि किस स्टेशन से— गया स्टेशन से या जहानाबाद स्टेशन से— इस सामान को चुराया गया था। सरकार को यह पता लगाना चाहिए था।

जो लोग भाग गये हैं वे कौन लोग हैं? उनका पिछला इतिहास क्या है? क्या उनका संबंध किसी आतंकवादी पार्टी के साथ था जो देश में आतंक फैलाना चाहते हैं? क्या वे अपराधी तत्व थे जो देश के अन्य भागों में इस तरह के अपराध करते हैं। देश में जो इस तरह की घटनाएं होती हैं क्या उन घटनाओं से उनका सम्बन्ध है? क्या कोई विदेशी एजेन्सी उनके साथ काम कर रही है? इन तमाम बातों के बारे में कोई जानकारी दी जानी चाहिए थी।

अध्यक्ष महोदय : आप पूछिये न।

श्री राम बहादुर सिंह: इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या उनका सम्बन्ध किसी आतंकवादी दल के साथ, क्या उनका संबंध जो देश के अन्य भागों में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, उनके साथ था, क्या उनका सम्बन्ध किसी विदेशी एजेन्सी के साथ था? जहानाबाद या गया में से किसी स्टेशन पर सामानों की चोरी की गई? जो पुलिस अफसर···**···क्या उसकी बिहार के पुलिस डी०जी० से मिली-भगत होने के कारण इस काण्ड को दबाने की साजिश की जा रही है या नहीं की जा रही है?

इसके साथ मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जो दारोगा पिछले दो महीने से गया में, जहानाबाद में बैठा हुआ है, वह क्यों बैठा हुआ है? इन तमाम बिन्दुओं पर विचार करने के बाद क्या आप इस पूरे काण्ड की जांच सी०बी०आई० से कराना चाहते हैं? यह भी मैं जानना चाहूंगा।

श्री पी०वी० नरसिंह राव : श्रीमन्, मैंने जिन तथ्यों का जिक्र किया, उसके बाद इस समय और कुछ कहना शेष नहीं रह जाता। वहां तफतीश जारी है, इन्वेस्टीगेशन जारी है और बिहार सरकार की पुलिस ने खुद हमें पहली इत्तिला दी है, तो उन पर दोष लगाना मैं अनुचित मानता हूं। उनसे हमें पहले इत्तिला मिली और उसके बाद जो भी तथ्य आए, उनको मैंने सदन के सामने रख दिया है। अब इन्वेस्टीगेशन चल रहा है, हम उनकी पूरी मदद कर रहे हैं और रिपोर्ट मंगा रहे हैं, जब पूरी जांच होगी तो इन सारी बातों का खुलासा हो जाएगा।

[अनुवाद]

श्री सत्य नारायण सिंह (औरंगाबाद) : महोदय, मैं उस क्षेत्र में व्याप्त स्थिति का वर्णन करने

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री सत्य नारायण सिंह]

में सभा का अधिक समय नहीं लूंगा । परन्तु सम्भवतया यह सरकार को पता है कि जहानाबाद गया जिले का एक बहुत ही अशान्त क्षेत्र है और सभी ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी-छोटी फैक्ट्रियों की भरमार है जो कि असले का निर्माण करती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि वहां बन्दूकें, रिवोल्वर और पिस्टलें आदि बनाई जाती हैं, मैं सोचता हूं कि यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है 256 फालतू कल-पुर्जे चुरा लिये गये थे जिसमें से 25 कार्बाइन बैरल्स भी थे। मन्त्री महोदय द्वारा दिए गये विवरण में, मुझे कहना चाहिये, यह बड़े हल्के-फुल्के ढंग से कहा गया है या सेना मे बड़े ही हल्के-फुल्के ढंग से यह कहा है कि उन्हें जोड़ना सम्भव नहीं है। परन्तु इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि छोटी-छोटी फैक्ट्रियां हैं और स्थानीय कारीगर बन्दूकें, रिवोल्वर और पिस्टल आदि बना रहे हैं तो कार्बाइन बैरल्स और राइफल और पिस्टल बनाना सम्भव है। अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि सेना की आयुध कारखाने ने इन्हें सही तरीके से भेजने की सावधानी क्यों नहीं बरती और यदि वे केवल रेलवे पर ही निर्भर कर रहे थे तो फिर जैसा कि यहां बताया गया है रेलवे सुरक्षा बल स्टेशन से इन बक्सों की चोरी रोकने में क्यों असमर्थ रहा ? दूसरी बात मैं यह जानना चाहूंगा कि इस माल की, खेप को असम में दीमापुर के लिए वाया जहानाबाद क्यों भेजा जा रहा था ? सही मार्ग तो इसे पटना के मार्ग से भेजना था, परन्तु इसे गया और जहानाबाद के मार्ग से भेजा गया और मैं जानता हूं कि ये दोनों ही क्षेत्र बहुत ही संवेदनशील हैं और उस मार्ग से वैगनों से चोरी के मामले हुए हैं। हर किसी को यह पता है। अत:, इस खेप को गया और जहानाबाद के मार्ग से न भेज कर उन्हें पटना के मार्ग से भेजा जाना चाहिये था। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इसकी कोई जांच-पड़ताल की गई है या नहीं।

तीसरे, यह कहा गया है कि यह खेप गन्तव्य स्थान पर उचित समय के भीतर नहीं पहुंच पाती हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि इसका क्या कारण है, क्योंकि पैराग्राफ 6 में यह कहा गया है कि इसमें लगभग चार मास का समय लगा। यह बहुत ही लम्बा समय है और इस प्रकार की संवेदनशील वस्तुओं को बिना सुरक्षा कर्मियों के नहीं भेजा जाना चाहिये तथा उन्हें रेलवे सुरक्षा बल पर निर्भर नहीं करना चाहिये था। क्या मैं सरकार से पूछ सकता हूं कि इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि इन कल-पुर्जों से हथियार बनाने का उनके पास पर्याप्त ज्ञान है, क्या सरकार माल की इस खेप को सेना के मार्ग-रक्षियों के साथ भेजने के लिए आवश्यक कदम उठायेगी ? मैं यही जानना चाहता हूं।

श्री पी०वी० नरसिंह राव : महोदय, मेरे विवरण से यह अनुमान कदापि नहीं लगाया जा सकता है कि मामले को गम्भीरता से नहीं लिया गया है। मैंने सभा को विश्वास में लिया है और अपने पास उपलब्ध सभी तथ्यों को सभा के समक्ष कर दिया है। जैसा कि मैंने बताया है, जांच चल रही है और इसलिए बाद में और भी तथ्य प्रकाश में आयेंगे। माननीय सदस्यों ने जितने भी मुद्दे उठाये हैं, सम्भवतया सभी जांच का अंग होंगे और जांच पूरी हो जाने पर मैं, यदि आवश्यकता पड़ी, तो सभा के समक्ष सभी तथ्य रख सकूंगा या सदस्यों को उस बारे में बता सकूंगा यदि वे ऐसा चाहते हैं।

मैंने सभा को उस तरीके के बारे में भी सूचित कर दिया है, जिसका भारतीय सेना हथियार

गोला-बारूद, विस्फोटक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक, डिपो से एककों तक जहां कहीं भी उनकी आवश्यकता पड़ती है वहां भेजने के काम में आजकल अपना रही है। ऐसा मैंने यह सभा में स्पष्ट करने के लिए कहा है कि पूर्णतया तैयार शस्त्रों को न भेजा जाये इसके लिए सभी प्रकार की सावधानी और जागरूकता बरती जा रही है। ठीक हैं मैं जानता हूं कि जो बैंग्ल चुरा रहे हैं हो सकता है उनको और भी पुर्जे मिल जाएं या यह कि वे पुर्जों को बारी-बारी से चुराते और उनको जोड़ने से पहले पूरे वर्ष तक प्रतीक्षा करते हों। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया है, मुझे जहानाबाद के बारे में भी पता है और मैंने उनसे सूचना ली है। मेरे सन्देह का कोई कारण नहीं है कि जहानाबाद इस प्रकार के 'विशेषज्ञों' से भरा पड़ा है। मैं उनसे सहमत हूं। परन्तु, यहां पर यह मुद्दा है कि आमतौर से छोटी खेप न भेजी जाये। जहां तक सम्भव होता है, छोटी खेप न भेजने का प्रयास रहता है, परन्तु तब इससे नहीं बचा जा सकता है जब एकक छोटा हो और केवल छोटी ही खेप चाहिये। ऐसे सैकड़ों ही स्थान हैं जहां हमें माल भेजना पड़ता है और माननीय सदस्यों को पता है कि प्रत्येक छोटी खेप हेतु मार्गरक्षी की व्यवस्था करना सम्भव नहीं है। उसके लिए भारतीय सेना के एक तिहाई भाग की आवश्यकता पड़ेगी जो कि व्यवहार्य नहीं है। फिर भी मैं सभा से निवेदन करता हूं कि इस सूचना का लाभ उठाकर, दुर्भाग्य से जो दुर्घटना घट चुकी है, उसका लाभ उठाकर मैंने अब स्पष्ट निर्देश दे दिये हैं कि रेलवे अधिकारियों से सलाह करके 'क' से 'ह' तक माल भेजने की सम्पूर्ण प्रणाली की समीक्षा की जायेगी और उनको मैंने कल बुलाकर उस प्रक्रिया के बारे में जो वे पालन करते हैं सटीक प्रश्न किये थे। जो रेलवे की भी कुछ कठिनाइयां हैं और उनकी बात सुनकर मैं यह नहीं कहूंगा कि कठिनाइयां सही नहीं हैं। अतः, वे इकट्ठे बैठकर कुछ सप्ताह के बाद अपनाए जा रहे तरीकों में सुधार के प्रस्ताव लाने में सफल हो सकेंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती मनोरमा सिंह (बांका) : अध्यक्ष जी, यह घटना पन्द्रह दिन पहले की है। मालगाड़ी के डिब्बे से रक्षा विभाग का सामान जा रहा था जो अलग-अलग बक्सों में रखा हुआ था जिसमें स्टेनगन, राइफल्स और पिस्टल भरी हुई थीं। 13 बक्से उस मालगाड़ी के डिब्बे में से उतार लिए गए और दो बक्से बरामद हो गए। जहानाबाद स्टेशन के टेनीबिघा गांव में दो कथित अपराधी भी पकड़े गए। इस तरह की घटना के बाद भी जांच पड़ताल में स्थानीय पुलिस ने अभी तक आगे की कार्यवाही नहीं की है। आप लोगों के मन में तरह-तरह की आशंकाएं पैदा हो रही हैं। माननीय मन्त्री जी को मालूम होना चाहिए कि यह इलाका काफी अशांत हो चुका है। यहां के साधारण लोगों को यह चिन्ता हो गई है कि उनका जीवन काफी असुरक्षित हो गया है। इसका समाधान केवल आरोप-प्रत्यारोप से नहीं हो सकता। सभी विचारवान लोगों को मिलकर इस समस्या को हल करने में पहल करनी चाहिए और स्थिति का काफी कड़ाई से मुकाबला करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी प्रशासन की है। प्रशासन को चाहिए कि इस पर सख्ती से कार्यवाही करे और जो असामाजिक तत्व हैं उनको बढ़ने का मौका नहीं दे।

अत: मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगी कि इन घटनाओं की जांच जल्दी क्यों पूरी नहीं की जा रही है? क्या सरकार इस मामले को जांच के लिए किसी बड़े पदाधिकारी के सुपुर्द करने का विचार रखती है। इसके साथ ही उस इलाके में अवैध हथियारों का इस्तेमाल रोकने और जब्त करने

[श्रीमती मनोरमा सिंह]

के लिए सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : वैसे तो इन्होंने जवाब दे दिया है, और स्पष्ट कर दीजिए।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : महोदय, अभी तो इन्वैस्टीगेशन चल रही है और इस घटना को अभी एक महीना ही बीता है जिसको मैं कोई बहुत लम्बा समय नहीं समझता। फिर भी इसके मायने यह नहीं है कि हम इन्तजार ही करते रहेंगे। जैसा मैंने कहा हम समय-समय पर पूछताछ कर रहे हैं कि जांच का काम कहां तक आगे बढ़ा है। यदि किसी और कदम के उठाने की आवश्यकता महसूस की गई अथवा इस काम में किसी और एजेंसी की मदद लेने की जरूरत पड़ी, तो उसमें हम बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। आज हमें ऐसी कोई आवश्यकता नजर नहीं आती है।

दूसरा प्रश्न यह है कि इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, उसी सम्बन्ध में मैंने अर्ज किया कि रेलवे अथारिटीज और आर्मी हैडक्वार्टर्स दोनों एक दूसरे से सलाह-मशवरा करके, वर्तमान पद्धति को कैसे सुदृढ़ बनाया जा सकता है, प्रभावी बनाया जा सकता है, वर्तमान तरीके को कैसे कड़ा किया जा सकता है, इस सम्बन्ध में हमें सुझाव देंगे, ऐसा हमने उनसे कहा है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है और इस पर सरकार की ओर से जो कुछ कहा गया, सरकार की जो रिपोर्ट है, मैं आपके माध्यम से सरकार के ध्यान में कुछ तथ्य लाना चाहता हूं। जहां तक उस इलाके का प्रश्न है, वह मेरा इलाका है और मैं इस घटना के बारे में जानकारी मिलते ही वहां गया और मालूमात करने के बाद सरकार के ध्यान में कुछ तथ्य लाना चाहता हूं। इस घटना के बारे में जैसा यहां मन्त्री महोदय ने कहा कि एक महीना ही बीता है और उसे ज्यादा वक्त नहीं कहा जा सकता लेकिन अभी तक यह निश्चित ही नहीं हो पाया है कि इनका सामान कहां से चोरी हुआ। क्या वह गया से चोरी हुआ, जहानाबाद से चोरी हुआ अथवा जगदलपुर से चोरी हुआ। एक महीना बीत जाने पर भी इनको कोई पता नहीं चल सका कि सामान कहां से चोरी हुआ। यदि सरकार इतने महत्वपूर्ण मामले में भी इतना समय बीत जाने के बावजूद किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी, जब कि इसका सीधा सम्बन्ध हमारी सुरक्षा व्यवस्था से है, इसका साफ मतलब यह है कि हमारे आन्तरिक खतरे इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि वे देश के सामने विद्यमान बाहरी खतरों से भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय हमारे क्षेत्र में जिस तरह की स्थिति है, उसको आप अक्सर अखबारों में पढ़ते होंगे या सुनते होंगे कि आज उस इलाके के 200 गांवों में पुलिस चौकी बिठाई गई है। लेकिन यदि वह सामान जाता तो किस हाथ में जाता, कौन आदमी उस सामान को लेकर जा रहा था, कहां पर उसका इस्तेमाल किया जाता, मैं यह प्रश्न सरकार से जानना चाहता हूं। वह इस घटना के बारे में पूरी जानकारी दे। यदि गंगा-दामोदर ट्रेन से, गया से वह सामान आया और रात्रि में 3.00 बजे जहानाबाद में उतरा तो उस समय वहां गश्त कर रहे, अपनी ड्यूटी पर पहरा देते हुए चार सिपाहियों ने उसे

पकड़ा और सामान पकड़ करके उस थाना प्रभारी के सुपुर्द कर दिया सामान के साथ एक शक्तिशाली व्यक्ति जो प्रशासन का था को छोड़ दिया, जिसका नाम मैं यहां पर लेना नहीं चाहता। मुझे इलाके से जो जानकारी मिली है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि वह व्यक्ति स्टेशन से दो लड़कों को पकड़ कर ले गया और कहा कि चलो सामान पहुंचाने और जब वह सामान लेकर जा रहा था तो रास्ते में गश्त करते हुए पुलिस ने उसको पकड़ लिया। उन लोगों ने भी चोरी के ख्याल से माल नहीं पकड़ा बल्कि जिस रिक्शा में वह सामान ले जाया जा रहा था, उसमें रोशनी न होने के कारण सामान को पकड़ा। पकड़ते ही वे सब लोग इधर-उधर भाग गये। परन्तु दूसरा मजबूत और ताकतवर था और वह बैठा रह गया। जब एक सिपाही ने जाकर आउटपोस्ट को सूचना दी और थाने में खबर लगी तो वहां से और पुलिस लोग आ गए। उसके बाद थाने के आफिसर एन्चार्ज वहां पहुंचे और उन्होंने उस आदमी और सामान सब को हैंड-ओवर कर लिया लेकिन बाद में उस आदमी को छोड़ दिया गया। इसलिए कि अगर वह पकड़ा जाता तो उसके पीछे काम करने वाले सारे गिरोह का भण्डाफोड़ हो जाता कि इसमें कौन-कौन से लोग सम्मिलित हैं और ये हथियार कहां ले जाये जा रहे थे। यही नहीं उस केस में थाना प्रभारी मुद्दई भी बन गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चार पकड़ने वाले थे, उनको मुद्दई नहीं बनाया गया, क्योंकि अगर सिपाही मुद्दई बनते तो उसका नाम लेते, लेकिन उसको छोड़ दिया गया। प्राथमिकी में यह कहा गया है कि सिपाही के साथ हम गश्त पर थे जब कि वे सोए हुए थे। जब सिपाही ने आरक्षी अधीक्षक के समक्ष यह कबूल किया कि हमने पकड़ा है तो इस मामले को दबाने की बात हुई ताकि असलियत सामने न आने पावे कि कौन आदमी इसमें सम्मिलित है। वह बड़ा ताकतवर है। सरकार ने अपनी सारी शक्ति असलियत को छिपाने के लिए खर्च कर दी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह मामला सी० बी० आई० के सुपुर्द कर दिया जाए तो सही तथ्य सामने आ सकते हैं कि कौन व्यक्ति वास्तव में दोषी है।

अगर सी० बी० आई० को देते हैं, तो इनको सही तथ्य मिलेगा और कौन आदमी रामाश्रय का था और कौन इनका था वह पता चल जाता। क्योंकि वहां जो प्राइवेट ब्रह्मणी सेना बनाई गई और सेना के हाथ में ये सब औजार देकर के गांव और इलाके को बर्बाद करने के लिए ये सब साजिश हो रही है।

थाना प्रभारी कहते हैं कि दुकानदार के यहां पकड़ा है, दुकानदार के यहां जा रहा था और उस दुकानदार को इन्होंने गिरफ्तार किया है, इस बात को छिपाने का यह प्रयास किया जा रहा है। वह कहां जा रहा था ? तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि जो आफिसर उस समय पकड़ के समय नहीं था और अब वह ख्वामख्वाह कह रहा है कि हम पकड़ में थे, ये इस बात से साबित होता है कि ये साजिश है और इस साजिश को बेनकाब करने के लिए सरकार इसकी सी० बी० आई० द्वारा इन्क्वायरी कराए, तभी सही-सही तथ्य सामने आ सकेंगे। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि इस सबकी जांच सी० बी० आई० द्वारा कराई जाए।

श्री पी० बी० नरसिंह राव : श्रीमन्, माननीय सदस्य ने जिस पहलू पर प्रकाश डाला है, उसे मैं गलत नहीं कह सकता और न उसे अभी इसी समय मान सकता हूं। मैंने उसे नोट कर लिया है। उस पर भी हम विचार करेंगे और जल्दी करेंगे।

12.36 म० प्र०

सभा पटल पर रखा गया पत्र (—जारी)

[अनुवाद]

शिक्षा की चुनौती—नीति परिप्रेक्ष्य (परिशिष्टों सहित)

शिक्षा मंत्री (श्री के० सी० पंत) : मैं "शिक्षा की चुनौती—नीति परिप्रेक्ष्य (परिशिष्टों सहित)" की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 1350/85]

ऊपरी असम के राजगढ़ क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में तेल मिलने के बारे में वक्तव्य

[अनुवाद]

पेट्रोलियम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा) : महोदय, मुझे ऊपरी असम में राजगढ़ क्षेत्र में तेल की महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में वक्तव्य देते हुए खुशी हो रही है।

आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा इस क्षेत्र में खोदे गए पहले कुएं में तेल पाया गया, यह कुआं असम के डिब्रूगढ़ जिले के मोरन के पूर्व में लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आरम्भिक परीक्षण से पता चला है कि 6.5 मि० मी० सर्फेस चोके के माध्यम से 32° ए० पी० आई० ग्रेविटी के अच्छे किस्म के कच्चे तेल का बहाव 315 बैरल प्रतिदिन है। तेल स्तंभ (ऑयल कालम) की मोटाई 26 मीटर तथा यह संरचना 23 वर्ग किलो मीटर के क्षेत्र में फैली है। इस कुएं की खुदाई 21 मई 1985 को आरम्भ हुई थी तथा 3987 मीटर तक का अपेक्षित खुदाई कार्य 30 जून, 1985 को पहुंच गया।

यहां पर यह भी कहना उचित होगा कि यह ऑयल इंडिया का दूसरा तेल वादी कुआं है। पहला कुआं तिनाली में था जहां 5.00 मि० मी० चोक से लगभग 350 बैरल प्रतिदिन की गति से तेल निकला।

इस क्षेत्र में पहले 1963-64 में अन्वेषण किया गया था परन्तु सफलता नहीं मिली थी। उस समय इस अन्वेषण कार्य को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया। शूटिंग का आधुनिक कामन डिप्थ प्वाइंट मैथड का प्रयोग करके तथा डिजीटियल फील्ड रिकार्डिंग सिस्टम लगा कर 1983-84 में विस्तृत सर्वेक्षण किया गया। प्राप्त आंकड़ों को ओ० आई० एल० के अपने भू-वैज्ञानिकों द्वारा दुलियाजान स्थित कम्प्यूटर सेंटर में इसका संसाधन तथा प्रतिपादन किया गया। इस वर्ष के दौरान राजगढ़ क्षेत्र में दो और कुंए खोदने का प्रस्ताव है।

हालांकि इस क्षेत्र की पूरी सम्भाव्यता का अनुमान अन्य दो कुओं को खोदने के बाद ही लगाया जा सकता है फिर भी इस बात के संकेत मिले हैं कि महत्वपूर्ण सम्भाव्यता के नए तेल क्षेत्र का पता लग गया है।

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) मध्य प्रदेश के मण्डला नगर को प्रति वर्ष बाढ़ से होने वाले विनाश से बचाने के लिए केन्द्रीय बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड द्वारा 50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता

श्री एम० एल० झिकराम (मंडला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत निम्नलिखित विषय आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश का मण्डला शहर (जिला मण्डला) नर्मदा नदी से तीन तरफ से घिरा हुआ है तथा वहां बंजर नदी का संगम भी है तथा प्रति वर्ष इस नदी के बाढ़ से हमेशा खतरा रहता है। प्रमुख रूप से सन् 1926, 1946 व 1971 में भयंकर बाढ़ आई थी, जिसमें मण्डला शहर का अधिकांश हिस्सा डूब गया था। गत वर्ष 1984 में भी नर्मदा नदी के बाढ़ से मण्डला शहर के अधिकांश निचले भाग में पानी भर जाने से सैकड़ों घर बह गए थे। बरसात आने पर हमेशा इस शहर के लोग बाढ़ के डर से सशंकित रहते हैं।

मण्डला शहर पुराने गोंड राजाओं की राजधानी का स्थान रहा है, उन्होंने मण्डला को बाढ़ से बचाने के लिए दो खाइयों का निर्माण कराया या, जिससे शहर हमेशा बाढ़ से अप्रभावित रहता था; किन्तु जब से खाइयां कचड़ों से भरकर उथली हो गई हैं तब से ही बाढ़ का प्रभाव शहर में ज्यादा बढ़ रहा है। इसी कारण शहर भी दो-तीन बार बह चुका है। अत: बाढ़ से बचाने के लिए इन खाइयों को गहरा किया जाए ताकि बाढ़ का पानी इन खाइयों से बहकर निकल जाए। अत: मेरा निवेदन है कि मण्डला शहर को बाढ़ से बचाने के लिए केन्द्रीय बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड से 50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत करने की कृपा करें।

[अनुवाद]

(दो) उत्तर-प्रदेश के एटा और फर्रूखाबाद जिलों के लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए वहां एक कताई और बुनाई कारखाना तथा एक चीनी कारखाना स्थापित करने एवं तम्बाकू व्यापार का अधिग्रहण करने की व्यवहार्यता की जांच करने की आवश्यकता

श्री मोहम्मद महफूज अली खां (एटा) : महोदय, एटा उत्तर प्रदेश का एक पिछड़ा हुआ जिला है। इसको शिक्षित/अशिक्षित प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित लोगों की बेरोजगारी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जिले में कोई ऐसा उद्योग नहीं है जो बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या को हल कर सके

[श्री मोहम्मद महफूज अली खां]

और लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधार सके। बुनाई और अन्य क्षेत्रों में जो कुछेक कुटीर उद्योग चल रहे हैं उनमें पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा नहीं होते हैं जिसके परिणामस्वरूप बेरोजगार युवकों में अपराध की वृत्ति पनप रही है और जिले में अपराध दर में वृद्धि हो रही है। दूसरी ओर बुनाई और अन्य व्यवसायों में लगे हुए बुनकरों तथा अन्य कारीगरों को बहुत कम पारिश्रमिक दिया जाता है और उनके द्वारा अर्जित मजदूरी उनकी दैनिक आवश्यकताओं को भी पूरा करने में अपर्याप्त है।

एटा और फर्रुखाबाद जिले तम्बाकू की सर्वोत्तम किस्म की काम्पला तम्बाकू के सबसे बड़े उत्पादक हैं और देश भर के मुख्य पूतिकर्त्ता हैं। परन्तु दुर्भाग्य से तम्बाकू उत्पादकों को अपने उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है और उनके हिस्से का अच्छा लाभ दलाल। मध्यस्थ ले जाता है। तम्बाकू के अतिरिक्त, एटा उत्तर प्रदेश का एक बड़ा गन्ना उत्पादक जिला भी है और गन्ने के उत्पाद राज्य के अन्य भागों में और राज्य के बाहर भी भेजे जाते हैं। चूंकि एटा जिले में कोई केन्द्रीय योजना नहीं चल रही है तो सरकार से निवेदन है वह इस जिले में कुछ ऐसी परियोजनाएं चालू करने के प्रश्न पर विचार करे जो इस पिछड़े क्षेत्र के विकास को गति प्रदान करे, रोजगार के अवसर पैदा करे और लोगों की आर्थिक दशा में सुधार लाए। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह सरकारी क्षेत्र में एक कताई एवं बुनाई कारखाना स्थापित करने और एक चीनी मिल लगाने तथा दलालों को समाप्त करके तम्बाकू उत्पादकों का पर्याप्त लाभकारी मूल्य प्रदान करने हेतु सरकार अभिकरणों के माध्यम से तम्बाकू के व्यापार को अपने हाथ में लेने की सम्भावनाओं का पता लगाये।

(तीन) पुरी में प्रतिवर्ष आयोजित विश्व प्रसिद्ध रथयात्रा का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण करने की आवश्यकता

श्रीमती जयन्ती पटनायक (एटा) भगवान जगन्नाथ की रथयात्रा का महोत्सव इस वर्ष 20 जून, 1985 को मनाया गया। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि भगवान जगन्नाथ की पूजा विश्व भर में की जाती है और पुरी की ही तरह रथ की शोभायात्रा वाशिंगटन और लन्दन में भी निकाली जाती है। हर व्यक्ति को पुरी के त्योहार के महत्व का पता है।

यह अच्छी बात है कि गत दो वर्ष के दौरान भारत में दूरदर्शन का जाल बिछाने के कार्य में बड़ी द्रुतगति से प्रगति हुई है और टेनिस क्रिकेट तथा फुटबाल के अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों को कई दिनों तक लगातार दूरस्थ गांवों में जनता को दिखाया जाता है।

परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण कि विश्व प्रसिद्ध रथ-यात्रा महोत्सव को, जिसमें भाग लेने हेतु विश्व भर से लाखों भक्त पुरी में एकत्र हुए, दूरदर्शन पर प्रदर्शित नहीं किया गया। देश के विभिन्न भागों में बसने वाले उड़िया लोग और अन्य राज्यों की जनता, इस बात पर बहुत नाराज है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए, मैं सूचना और प्रसारण मंत्री से निवेदन करती हूं कि वह इस मामले पर गौर करें और सम्बद्ध अधिकारियों को प्रतिवर्ष पुरी में होने वाले विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा महोत्सव का सीधा प्रसारण, करने के लिए निदेश दें।

(चार) देश में "गरीबी हटाओ" और 'स्वनियोजन' कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए "मार्गदर्शी बैंक योजना" का सामुदायिक विकास खण्ड स्तर तक विस्तार

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : महोदय, छठी पंचवर्षीय योजना में जिला मार्गदर्शी बैंक योजना ने विभिन्न 'गरीबी हटाओ' तथा स्व-नियोजन योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। परन्तु जिले का बड़ा आकार तथा जनसंख्या वास्तव में उसमें मुख्य बाधक रही है अतः इस योजना का ब्लाक स्तर पर विकेन्द्रीकरण करना आवश्यक हो गया है। विभिन्न योजनाओं के उचित समन्वय और सफल कार्यान्वयन के लिये जिला मार्गदर्शी बैंकों के जिला मुख्यालयों में अपनी शाखायें होनी चाहिए। चूंकि भारतीय रिजर्व बैंक की अगले तीन वर्षों की शाखा विस्तार नीति तैयार हो रही है अतः यह अनिवार्य है कि मार्गदर्शी बैंक योजना का ब्लाक स्तर पर विकेन्द्रीकरण किया जाये तथा भारतीय रिजर्व बैंक की शाखा विस्तार योजना समुचित रूप से तैयार की जाये ताकि खण्ड मुख्यालयों के संबंधित जिलों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं प्राथमिकता के आधार पर खोली जा सकें।

मैं वित्त मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वह सुनिश्चित करें जहां कही खण्ड मुख्यालयों में जिला मार्गदर्शी बैंकों की कोई शाखायें नहीं है वहां प्रत्येक जिले के खण्ड मुख्यालय में मार्गदर्शी बैंकों की संबद्ध जिलों की शाखाएं सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर स्थापित की जाये।

(पांच) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता

कुमारी पुष्पा देवी (रायगढ़) : भारत सरकार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत 50 प्रतिशत के आधार पर सहायता देगी। यह आवश्यक समझा जाता है कि अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लड़कों के लिए भी पर्याप्त आवासीय सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी चाहिए क्योंकि उनकी साक्षरता का प्रतिशत अन्य राज्यों की औसत तुलना में कम चल रहा है। चूंकि मध्य प्रदेश राज्य सरकार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लड़कों के लिये रिहायशी आवास हेतु अपेक्षित संख्या में छात्रावासों का निर्माण संसाधनों की कमी के कारण नहीं कर सकती अतः मैं भारत सरकार से निवेदन करती हूं कि वह अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लड़कों के लिए छात्रावासों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करे जैसा कि लड़कियों के लिए प्रदान की जा रही हैं।

(छह) तेल टेंकरों के निर्माण हेतु अपेक्षित इस्पात आदि के लिए क्रयादेश देने की कोचीन शिपयार्ड को अनुमति प्रदान करने की आवश्यकता

श्री वी० एस० विजयराघवन (पालघाट) : कोचीन शिपयार्ड को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य समस्या यह है कि इसे दीर्घकालीन क्रयादेश प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

[श्री वी० एस० विजयराघवन]

लगभग चार महीने पूर्व भारतीय नौवहन निगम ने एक तेल टैंकर के निर्माण हेतु आशय-पत्र जारी किया था। यह परियोजना जापान के साथ सहयोग द्वारा शुरू की जाती है। नौवहन मंत्रालय तथा विदेशी पूंजी निवेश बोर्ड ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है, परन्तु सार्वजनिक पूंजी निवेश बोर्ड ने अभी तक उसे मजूरी नहीं दी है।

सार्वजनिक पूंजी निवेश बोर्ड से मंजूरी प्राप्त करने में अभी कम से कम तीन महीने लगेंगे। इस विलम्ब का शिपयार्ड पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

अत: वित्त मंत्रालय को शिपयार्ड को टैंकर के निर्माण के लिए अपेक्षित इस्पात आदि के क्रयादेश देने के लिए तुरन्त अनुमति देनी चाहिए। यदि इसमें विलम्ब होता है तो शिपयार्ड को करोड़ों रुपये की हानि वहन करनी पड़ेगी।

इन परिस्थितियों में मैं वित्त मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि इस बारे में शीघ्र कार्यवाही करे।

(सात) कॅगेरी-बंगलौर सवारी रेलगाड़ी को फिर से चालू करने की आवश्यकता

श्री वी०एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : कर्नाटक में कॅगेरी बंगलौर सवारी रेलगाड़ी दो महीने पहले बन्द कर दी गई थी। कॅगेरी के उपनगरीय यात्री तभी से उस रेलगाड़ी को फिर से चालू किये जाने के लिए आन्दोलन कर रहे हैं। मैंने सुबह कई बार अचानक जांच की है तथा रेलवे स्टेशन पर प्रति दिन लगभग 300 पास धारियों को मैसूर से आने वाली रेलगाड़ी के इन्तजार में पाया। यात्री जो कि सभी कार्यालयों में जाने वाले हैं तथा विशेषत: महिलाओं को भीड़-भाड़ वाली गाड़ियों में चढ़ने के लिए संघर्ष करते हुए देखा जा सकता है। चूंकि बंगलौर नगर में बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए आवासीय सुविधा नहीं है अतः हजारों दफ्तरों के कर्मचारी कॅगेरी रहते हैं।

कॅगेरी-बंगलौर सवारी गाड़ी को फिर से चालू करना अत्यन्त आवश्यक है जिससे इस गाड़ी के बन्द किये जाने से कानून और व्यवस्था की स्थिति और न बिगड़े।

[हिन्दी]

[आठ] कोटा और बूंदी में सिंचाई और कृषि विकास के लिए विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित योजना के दूसरे चरण के काम को पूरा करने के लिए राजस्थान को वित्तीय सहायता

श्री शांति धारीवाल (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान राजस्थान के कोटा एवं बूंदी जिले की 6 पंचायन समितियों में 229000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था, भू-सुधार कार्य एवं कृषि प्रसार व अनुसंधान के कार्य को सम्पन्न कराने के उद्देश्य से विश्व बैंक प्रदत्त परियोजना जून, 1974 से प्रारम्भ हुई थी जिसका पहला चरण पूरा हो चुका है एवं इसका दूसरा चरण राज्य सरकार के विचाराधीन है, की ओर दिलाना चाहता हूं :—

उपरोक्त योजना का द्वितीय चरण सप्तम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार के विचाराधीन है। प्रथम चरण के अवशिष्ट कार्यों के साथ निम्नांकित विकास कार्य सम्पादित किये जो द्वितीय चरण में प्रस्तावित हैं :—

1. जल क्षति को कम करते हुए सिंचाई में अधिकतम उपयोग करना, सिंचित क्षेत्रफल में वृद्धि तथा नहर पक्का करना, क्षमता में वृद्धि, तकनीकी ज्ञान प्रसार आदि।

2. जल के सदुपयोग द्वारा खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि तथा खेत सुधार कार्य, उत्पादन के नवीनतम तकनीकी प्रचार व प्रसार तथा कृषि प्रसार व अनुसंधान कार्य।

3. बाराबंदी योजना के अन्तर्गत जल समवितरण प्रणाली लागू करना तथा उपलब्ध जल से अधिक सिंचाई।

4. भूमि के कटाव को रोकने के लिए भू-संरक्षण कार्य एवं वृक्षारोपण तथा कटाव वाली भूमि, रेवाईन्स, मुख्य नहर व मुख्य ड्रेनों के सहारे वृक्षारोपण करना।

5. सिंचित क्षेत्र के आधार भूत आवश्यकताओं व सुविधाओं की वृद्धि तथा सड़क निर्माण, पुलियायें, पक्के आउटलेट आदि।

द्वितीय चरण के लिए 69.90 करोड़ का प्रावधान 5 वर्षों में रखा जाना प्रस्तावित है। योजना के द्वितीय चरण की पाण्डुलिपि यथाशीघ्र अनुमोदित होना प्राप्त उपलब्धियों के हक में आवश्यक है क्योंकि इतने बड़े आकार की योजना को पुनः नये सिरे से बनाया जाना अत्यन्त कठिन होगा।

अतः मेरा कृषि मन्त्री जी से निवेदन है कि वे कृपया उपरोक्त योजना का द्वितीय चरण पर तुरन्त कार्य प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को उचित सहयोग एवं आर्थिक सहायता मुहैया कराने की कृपा करें ताकि इस योजना पर कार्य प्रारम्भ कराया जा सके।

12.52 म०प०

सरकारी बचत विधि (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव रखता हूं :—

"कि सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 और सरकारी बचत प्रमाण-पत्र अधिनियम, 1959 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

[श्री जनार्दन पुजारी]

डाकघर बचत बैंक और राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र के जमाकर्त्ताओं को नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 की धारा 4 और सरकारी बचत प्रमाण-पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 6 में यह प्रावधान है कि जमाकर्त्ता/बचत प्रमाण-पत्र धारक की मृत्यु हो जाने की स्थिति में, उस समय लागू किसी विधि के अन्तर्गत और सभी अन्य व्यक्तियों को छोड़कर या जमाकर्त्ता/प्रमाणपत्र धारक द्वारा दिये गये किसी अधिकार पत्र या वसीयत या अन्य किसी बात के होने के बावजूद, नामांकित व्यक्ति बकाया राशि को पाने का अधिकारी होता है।

बचत बैंक अधिनियम की धारा 4क तथा बचत प्रमाण-पत्र अधिनियम की धारा 7 में भी यह प्रावधान है कि जमाकर्त्ता/प्रमाणपत्र धारक की मृत्यु हो जाने तथा कोई नामांकन न होने की स्थिति में उसका वसीयतनामा या उसकी सम्पदा का प्रबन्ध करने सम्बन्धी प्रशासनिक पत्र अथवा उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये बिना ही 5000 रुपये से अनधिक राशि का भुगतान उसके वैध उत्तराधिकारियों को किया जा सकता है।

ऐसा इसलिए किया गया जिससे कि मृतक जमाकर्त्ता के उत्तराधिकारियों को परेशानियों से बचाया जा सके क्योंकि उत्तराधिकार का वैध प्रमाण प्रस्तुत करने में पर्याप्त देरी होती है तथा पर्याप्त धन व्यय होता है। 5000 रुपये से अनधिक रुपयों के दावों के मामलों में डाक विभाग उस व्यक्ति से जो विधि के अन्तर्गत हकदार है, दावे का आवेदन पत्र तथा मृतक जमाकर्त्ता के नजदीकी रिश्तेदारों से सहमति के विवरण प्राप्त करके भुगतान कर रहा है। दावेदार को किसी न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या अन्य प्राधिकार प्राप्त अधिकारी के समक्ष यह शपथ घोषित करनी पड़ती है कि दावे के आवेदन पत्र में दिये गये विवरण सही हैं। तद्नन्तर डाक प्राधिकारियों की प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार भुगतान किया जा सकता है।

यदि मृतक जमाकर्त्ता/प्रमाणपत्र धारक की बकाया राशि 5000 रुपये से अधिक है; तो डाक विभाग के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं रह जाता कि वह दावेदारों को उत्तराधिकार का वैध प्रमाण प्रस्तुत करने पर जोर दे। न्यायालय से उत्तराधिकार प्रमाण प्राप्त करने में पर्याप्त देरी होती है तथा धन व्यय होता है। अतः दावेदारों को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है विशेषकर उन दावेदारों को, जिनके पास छोटी बचतों में जमा राशि के अलावा पर्याप्त सम्पत्ति नहीं होती है। वैध उत्तराधिकार प्रमाण प्रस्तुत किये बिना 5000 रुपये तक की राशि का भुगतान करने की सीमा 1959 में निर्धारित की गई थी जबकि आज की 3500 करोड़ रुपये की जमा राशि की तुलना में उस समय अल्प बचत जमा की कुल राशि 84 करोड़ रुपये मात्र हुआ करती थी। निवेश पर आयकर में छूट दिये जाने के कारण अब अनेक व्यक्ति 5000 रुपये से अधिक की राशि जमा करते हैं। इसके अलावा 5000 रुपये की सीमा बहुत समय पूर्व रुपये के उस समय मूल्य के आधार पर निर्धारित की गई थी।

डाक विभाग ने कहा है कि 5000 रुपयों से अधिक रुपयों के अनेक मामले उनके पास विचाराधीन पड़े हैं क्योंकि प्रत्येक मामले में दावेदारों ने ऐसे मामलों में वैध उत्तराधिकार प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है और इसके कारण मृतक जमाकर्त्ताओं के उत्तराधिकारियों को परेशानी उठानी पड़ रही है।

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने 5000 रुपये की सीमा को बढ़ाने की सिफारिश की है। डाक विभाग तथा प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के साथ परामर्श करके इस सिफारिश पर विचार किया गया था और यह महसूस किया गया कि वैध उत्तराधिकार प्रमाण प्रस्तुत किये बिना ही दावों का निपटारा करने की सीमा को बढ़ाकर 20,000 रुपये तक किया जा सकता है।

यह विधेयक मृतक जमाकर्त्ता के उत्तराधिकारियों की कठिनाइयां दूर करने के लिये लाया गया है। अधिनियम में दी गई 5000 रुपये की सीमा हटा दी जायेगी और केन्द्रीय सरकार को समय-समय पर नियम बनाकर समुचित सीमा निर्धारित करने का अधिकार प्रदान किया गया है जिससे कि उस सीमा तक वैध उत्तराधिकार प्रमाण के लिये जोर दिये बिना ही प्राधिकारियों द्वारा दावों का निपटारा किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1873 और सरकारी बचत प्रमाण-पत्र अधिनियम, 1959 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अब श्री रेणुपद दास बोल सकते हैं।

श्री रेणुपद दास (कृषनगर) : महोदय, मुझे एक या दो मुद्दों के बारे में और कहना है। मैं चाहता हूं कि ये मुद्दे विधेयक में शामिल कर लिये जायें। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि मन्त्री महोदय उसी सीमा को क्यों समाप्त करना चाहते हैं, जो सीमा सरकारी बचत बैंक अधिनियम की धारा 4 (क) के अन्तर्गत तथा सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत इसी प्रकार के उपबंध में निर्धारित की गई थी। दोनों अधिनियमों में, प्रमाणपत्र धारकों की मृत्यु हो जाने की स्थिति में वैध उत्तराधिकारियों के लिये 5,000 रुपये की सीमा निर्धारित की गई है। इस विधेयक में इस सीमा को समाप्त करने की मांग की गई है तथा इसमें यह भी इच्छा प्रकट की गई है कि समय-समय पर किसी भी सीमा तक नियम बनाने के लिये सरकार को अधिकार देकर इस सीमा को समाप्त किया जाये और किसी वैध उत्तराधिकार प्रमाण पर जोर दिये बिना ही अधिकारी दावों का निपटारा कर सकें।

सीमा समाप्त करने का प्रश्न दो कारणों से उठाया जा चुका है। उद्देश्य और कारणों के कथन में दो तर्क दिये गये हैं। पहला तो यह कि रुपये का मूल्य तेजी से गिर रहा है। 112 वर्ष पूर्व, 1873 में जो पहला अधिनियम बनाया गया था, उसमें यह प्रावधान किया गया था कि कोई सीमा निर्धारित की जानी चाहिये। पुनः दूसरे अधिनियम में, अर्थात् सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, 1959 में, जो 26 वर्ष पूर्व पारित किया गया था, कोई सीमा निर्धारित की गई थी। दोनों अधिनियमों में, विधायकों ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि कोई सीमा निर्धारित की जानी चाहिये। किन्तु इस विधेयक में, सरकार चाहती है कि कोई सीमा हो न रखी जाये और सीमा समाप्त कर दी जाये तथा किसी सुयोग्य प्राधिकारी को कुछ नियम बनाने का अधिकार दिया जाये जिनकी वस्तुतः संसद द्वारा संवीक्षा की जायेगी। किन्तु यह बात न तो पर्याप्त है और न ही ठोस। विवेक तो यही कहता है कि शक्ति की

[श्री रेणुपद दास]

सीमा होनी चाहिये चाहे वह शक्ति राजनैतिक हो अथवा आर्थिक। असीमित शक्ति का होना सदा ही बुरा है। यह किसी भी सीमा का उल्लंघन कर जाती है और कभी बहुत ही नुकसान पहुंचाती है।

अत: विधायकों का यह विचार था कि आर्थिक शक्ति के सम्बन्ध में भी कोई सीमा होनी चाहिये। यहां ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। प्रायः सभी मामलों में स्थिति को अधिक खराब होने से बचाने के लिये सीमा निर्धारित की जाती है।

इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि ये दोनों कारण ठोस नहीं हैं और शायद वैध भी नहीं हैं। वैध उत्तराधिकार के प्रमाण के बिना, चाहे वह उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या वसीयतनामे या सम्पदा संबंधी प्रशासनिक पत्रों के रूप में हो, कोई ऐसा उपबन्ध होना चाहिये जिसके द्वारा प्रतिभूतियों अथवा बचतों के बारे में सुनिश्चित किया जा सके। इसलिये, मेरा सुझाव है कि एक सीमा होनी चाहिये — इस विधेयक में ही सीमा निर्धारित की जा सकती है। ऐसी कोई शक्ति नहीं प्रदान की जानी चाहिये जिसके अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी कोई भी सीमा निर्धारित करने में सक्षम हो। सभा द्वारा इसकी संवीक्षा होनी चाहिये और जहां तक इस विधेयक का संबंध है, स्वयं इसी विधेयक में कोई सीमा निर्धारित कर देनी चाहिये। क्योंकि इस मामले से कुछ सामाजिक-आर्थिक तथ्य संबंधित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री दास, क्या आप और समय चाहते हैं ?

श्री रेणुपद दास : इसलिये, मेरा प्रस्ताव है कि किसी न किसी रूप में कोई सीमा होनी चाहिये, चाहे, धारा 4(क) के अन्तर्गत यह सीमा 20,000 रुपये तक क्यों न हो। इस प्रकार, मैं इस विधेयक का इस रूप में विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिये स्थगित होती है तथा 2.00 बजे म०प० पुन: समवेत होगी।

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2.00 म०प० तक के लिये स्थगित हुई।

2.04 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 4 मिनट पर पुनः समवेत हुई :

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सरकारी बचत विधि (संशोधन) विधेयक —[जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री महेश्वर राव बोलेंगे।

श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव (अमालापुरम) : मैं इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं।

नि:सन्देह, सरकार ने मृतक जमाकर्त्ता के उत्तराधिकारियों को बचत बैंक की जमा राशि की अदायगी के लिये वैध उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की औपचारिकता समाप्त करके एक समझदारी का प्रस्ताव रखा है। 5000 रुपये की पहली सीमा भी बहुत पुरानी हो चुकी है और नियमों द्वारा सरकार को समय-समय पर सीमा निर्धारित करने का अधिकार दिया जा रहा है·· जिस सीमा तक के दावे वैध उत्तराधिकार प्रमाणपत्र पर जोर दिये बिना ही प्राधिकारी दावों का निपटारा कर सकते हैं।

सर्वप्रथम, मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार द्वारा इस संशोधन के अन्तर्गत निर्धारित की जाने वाली राशि किसी भी हालत में 5,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिये क्योंकि निर्धारित राशि यदि 5000 रुपये से कम हुई तो उसका अर्थ होगा वर्तमान सुविधा से वंचित करना।

दूसरे, यह स्पष्ट नहीं है कि बाद की मुकदमेबाजी से छुटकारा पाने के लिये सरकार यह किस प्रकार निर्धारित करेगी कि कौन-सा विशिष्ट व्यक्ति वैध व्यक्ति है अथवा नहीं। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सीमा 5000 रुपये से बढ़ाकर 8000 रुपये या 10,000 हजार रुपये तक की जा सकती है। इसके अलावा, देहातों और पिछड़े इलाकों में लोग अनपढ़ हैं और अनेक समस्याएं उठ सकती हैं जिनके परिणामस्वरूप राशि के दावों के लिये परिवार में लड़ाई-झगड़ा हो सकता है। इसके लिये कोई सुरक्षात्मक उपाय आवश्यक है।

इसलिये, एक उपबंध होना चाहिये कि मृतक व्यक्ति की बचत बैंक में जमा राशि का भुगतान किये जाने के पश्चात् किसी प्राधिकारी द्वारा इसके बारे में कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा और यह कि इसके संबंध में किये गये अन्य किसी दावे पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा।

इसके अलावा, मृतक व्यक्ति की बचत बैंक में जमा राशि का दावेदारों को भुगतान करने वाला प्राधिकारी भी कोई विशिष्ट व्यक्ति होना चाहिये। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह प्राधिकारी काफी ऊंचे पद पर और उत्तरदायी अधिकारी होना चाहिये।

यह उपबंध अच्छा है किन्तु इस सीमा को बढ़ाकर इसमें सुधार किया जा सकता है। मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस परिवर्तन के बारे में विचार करें तथा समुचित संशोधन करें। धन्यवाद।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : मैं सरकारी बचत विधि (संशोधन) विधेयक, 1985 का समर्थन करता हूं जिसमें दोनों अधिनियमों अर्थात् सरकारी बचत बैंक अधिनियम, 1973 और सरकारी बचत प्रमाणपत्र, 1959 में संशोधन किया गया है। वास्तव में उन्होंने अपेक्षित व्यापक संशोधन नहीं

[श्री राम सिंह यादव]

रखा है क्योंकि वर्तमान धारा 4 (क) का पाठ निम्नलिखित है : -

"यदि जमाकर्त्ता की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के समय नामांकन उपलब्ध नहीं होता है और जमाकर्त्ता की मृत्यु होने के समय से तीन महीने के अन्दर, उस सरकारी बचत बैंक के सचिव के समक्ष जहां राशि जमा की गई है, उसकी वसीयता अथवा उसकी सम्पदा का कोई अधिकार पत्र या उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता; तो

(क) यदि जमा राशि पांच हजार से अधिक नहीं है; तो सचिव उस राशि का भुगतान किसी भी ऐसे व्यक्ति को कर सकता है; जो उसे पाने के अधिकारी के रूप में उपस्थित होता है; अथवा उस राशि को मृतक व्यक्ति की सम्पदा के अधीन कर सकता है।"

प्रावधान यह है कि सचिव किसी भी व्यक्ति को उस राशि का भुगतान कर सकता है; जो उसे पाने के अधिकारी के रूप में उसके समक्ष उपस्थित होता है; उसके समक्ष उपस्थिति होने का अर्थ है; कि भुगतान करने का विवेक उसे प्रदान किया गया है और इस स्वविवेक का प्रयोग 5000 रुपये तक के लिए किया जा रहा था। अब, आप यह शक्ति प्राप्त कर रहे हैं कि राशि का निर्धारण सरकार द्वारा अधीनस्थ विधेयक द्वारा नियम बनाने का अधिकार देकर किया जाएगा और वह राशि बढ़ाकर 10,000 रुपये या 15,000 रुपये अथवा 20,000 रुपये तक की जा सकती है। सरकार अपने विवेक से उसे निर्धारित करेगी। वह राशि बहुत अधिक भी हो सकती है। आप ऐसा प्रावधान नहीं कर रहे हैं कि सचिव उस व्यक्ति की छान-बीन करेगा। अथवा निर्धारण करेगा, जो विधि के अनुसार, उत्तराधिकार के अनुसार, उत्तराधिकार विधि के अनुसार, उस जमाकर्त्ता की राशि पाने का अधिकारी या उत्तराधिकारी है जिसके द्वारा जमाकर्त्ता नियन्त्रित होता है। हम आशा करते थे कि कोई ऐसा प्रावधान, जिसके तहत जमाकर्त्ता के वारिस की हकदारी का निश्चय किया जा सके इस अधिनियम में शामिल किया जाएगा, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अत:, मैं समझता हूं कि यह मूल आवश्यकता है।अब, जब आप सचिव, जमाकर्ता को अधिक शक्तियां, वित्तीय शक्तियां प्रदान कर रहे हैं तो उन्हें राज्य या कानून के प्रचलित नियमों से मार्ग निर्देशित होना चाहिए। अन्यथा, यह उसके साथ काफी भेदभाव होगा और अन्ततः वर्तमान संशोधन से जमाकर्त्ता को लाभ नहीं होगा।

दूसरे, एक स्थायी सीमा होनी चाहिए जैसा कि पहले 5,000 रुपये की स्थायी सीमा थी। हर कोई चाहे वह छोटे गांव में रहता है या बड़े शहर में वह जानता है कि अधिकतम सीमा 5,000 रुपये है और 5,000 रुपये तक के लिए वारिस की हकदारी के लिए उसे न्यायालय नहीं जाना पड़ेगा। अब भी यह आवश्यक है कि जो भी सीमा हो वह स्थायी हो। आज देश के अन्दर यह प्रचलन चल पड़ा है कि हम लचीले कानून बना रहे हैं जिससे आम जनता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आप 20, 30 या 40 वर्षों के लिए कानून बना सकते हैं, लेकिन इसमें लचीलापन नहीं होना चाहिए अन्यथा जनता कानूनी सलाहकार या ऐसे व्यक्ति के पास जो इन कानूनों को अच्छी प्रकार से जानता हो, जाए बिना इनको नहीं समझ पाएगी। अत: अधीनस्थ कानून बनाते समय, वित्त मन्त्री को इस बारे में ध्यान देना चाहिए।

जब ये शक्तियां उस प्राधिकारी को दी जाती हैं जो पैसा जमा करता है, चाहे वह बैंक प्राधिकारी है या डाकघर बचत बैंक प्राधिकारी, उन मामलों में जहां नामजदगी नहीं की गई है, हमें स्पष्ट निर्णय लेना चाहिए, ताकि वे प्राधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर न सके और इस स्थिति से लाभ न उठा सके, क्योंकि आजकल बैंकिंग संस्थान अनुचित बोर्ड भी सन्देह से परे भी नहीं है। बैंक प्राधिकारियों के विरुद्ध कई आरोप हैं। विशेषकर जब उन्हें 10,000 रुपये या 20,000 रुपये या 30,000 रुपये तक के भुगतान देने—न देने की शक्ति है उस व्यक्ति को है जिसे न तो मनोनीत किया गया है और न ही कोई वसीयतनामा या प्रशासनिक पत्र है और न ही उत्तराधिकार का प्रमाण-पत्र है। ऐसे मामले में मन्त्रालय क्या सावधानी बरतेगा और अधीनस्थ विधान के बारे में क्या दिशानिदेश अपनाए जायेंगे, ताकि वह अपनी स्थिति का दुरुपयोग न कर सके जिस व्यक्ति को यह शक्ति दी जानी है, उस पर कड़ा नियन्त्रण रखा जाना चाहिए, ताकि वह इस स्थिति का नाजायज लाभ न उठा सके।

माननीय मन्त्री द्वारा पेश किए गए संशोधनों का मैं स्वागत करता हूं। और उनका समर्थन करता हूं।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर दक्षिण) : यह एक सरल सा संशोधन है। लेकिन इसके साथ ही एक गम्भीर खतरा जुड़ा हुआ है, आरम्भ में मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि 5,000 रुपये तक की राशि के लिए कानूनी वसीयतनामा का उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह सीमा एक सौ वर्ष पूर्व निश्चित की गई थी। मैं उस समय और अब के 5,000 रुपये के मूल्य के अन्तर को जानता हूं। निश्चय ही इसमें वृद्धि की जानी चाहिए। लेकिन कितनी ? वह इस सभा पर छोड़ देनी चाहिए। वित्तीय मामलों में यह कोई अच्छा नियम नहीं है कि किसी को शक्तियां प्रदत्त कर दी जाएं, हालांकि बाद में इसे रिकार्ड के लिए संसद में पेश किया जाना है। हम जानते हैं कि ज्यादातर मामलों में जब कानून बनाने सम्बन्धी नियम अधीनस्थ विधान को दिए जाते हैं, तो इसे संसद के ध्यान में कभी नहीं लाया जाएगा। अतः मैं कार्यपालिका को अपार शक्ति दिए जाने में गम्भीर खतरा महसूस करता हूं। मैं माननीय सदस्यों श्री यादव और श्री दास के इस सुझाव से सहमत हूं कि धन की सीमा का उल्लेख किया जाना चाहिए। यह सीमा 50,000 रुपये या 60,000 रुपये कुछ भी हो सकती है, लेकिन कोई सीमा अवश्य होनी चाहिए। समिति ने भी 20,000 रुपये की सीमा की सिफारिश की थी। अतः 20,000 रुपये ही रहने दीजिए, लेकिन कोई सीमा होना आवश्यक है।

मैं अच्छी तरह महसूस करता हूं कि वर्तमान परिस्थितियों में बचत बैंक और राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र हमारे देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्यों और केन्द्र सरकार को इनसे बहुत लाभ पहुंचा है। मैं कहना चाहता हूं कि ये दोनों योजनाएं काफी लोकप्रिय हैं, लेकिन इन्हें और लोकप्रिय बनाना चाहिए। इन दोनों योजनाओं की कार्य प्रणाली में कुछ दोष हैं। मैं इस सन्दर्भ में एक या दो सुझाव देना चाहूंगा।

जहां तक बचत बैंकों का सम्बन्ध है, अब भी कई गांवों में कोई बैंक नहीं है। उन्हें केवल डाकघर बचत बैंक पर ही निर्भर रहना पड़ता है। लोगों का डाकघर में इतना भरोसा है कि जो बैंकों

[श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर]

में जमा करा सकते हैं, वे भी डाकघर में जमा कराते हैं। मैं यह सुझाव देना चाहता था कि हमारे वित्त मन्त्री को प्रचार के सभी साधनों—रेडियो, दूरदर्शन आदि का प्रयोग बचत बैंक और बचतपत्रों को लोकप्रिय बनाने के लिए करना चाहिए। मुझे यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि इस बारे में कर्नाटक ने काफी अच्छा कार्य किया है और पिछले वर्ष भारत सरकार ने कर्नाटक को पांच करोड़ रुपये बोनस दिया है। मुझे विश्वास है कि मन्त्री महोदय इन परियोजनाओं को और लोकप्रिय बनाने के लिए सभी सम्भव उपाय करेंगे। मैं केवल यही बात कहना चाहता हूं कि वित्त मन्त्री यह सुनिश्चित करें कि वे सभी राज्य सरकारों को परिपत्र जारी करें कि बचत बैंक अभियान के दौरान लोगों को किसी प्रकार बाध्य न किया जाए। हम जानते हैं कि कई दफा कैसे पैसा एकत्र किया जाता है। यह बिल्कुल स्वेच्छा से होना चाहिए। इसके साथ ही मैं चाहूंगा कि सरकार लोगों को प्रेरित करे और उन्हें बताये कि यह उनका कर्त्तव्य है कि वे देश के विकास में भागीदार बनें। उन्हें बताया जाना चाहिए कि वह जिस धन की बचत करेंगे उसका प्रयोग देश और राज्य की विकासात्मक कार्यवाहियों में किया जाएगा। अतः, लोगों को प्रेरित किया जाना चाहिए, ताकि वे स्वेच्छा से आगे आकर इनमें पैसा लगायें।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि युवा आयु में विशेषकर स्कूल स्तर पर, विद्यार्थियों को राष्ट्रीय बचत में पैसा जमा कराने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। यहां यह कहना असंगत न होगा कि कर्नाटक में जेल में रह रहे लोग भी राष्ट्रीय बचत में स्वेच्छा से पैसा जमा कराते हैं। अतः ये योजनाएं देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। लेकिन मैं पुनः एक दफा मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि अभी भी सीमा निश्चित करने में देरी नहीं हुई है। सरकार के पास असीमित शक्ति न रहने दें। सरकार कोई भी ऐसी सीमा निश्चित कर सकती है जिसे वह सही समझे।

मैं संशोधन के अन्य भाग का समर्थन करता हूं लेकिन मैं केवल यही संशोधन चाहता हूं कि मन्त्री महोदय जो भी सीमा सही समझें निश्चित कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो सेविंग्स लाज का अमेंडमेंट किया जा रहा है, खास तौर पर इस बात का कि जो पांच हजार रुपये से नीचे की रकम होगी, जिसके लिए कोई नोमिनेशन नहीं होगा तो उसको अधिकारी या सेक्रेटरी जिसको भी एनटाइटल्ड समझेगा उसको वह दे देगा। इस प्रकार का प्रावधान इस कानून में किया गया है।

आप जानते हैं कि इस प्रकार के पैसा लेने में या प्रोपर्टी के सक्सेशन के बारे में बहुत बड़ी दिक्कत आती है और बहुत समय लगता है। आपने पांच हजार रुपये की रकम को लेने के लिए इस प्रकार का प्रावधान किया है कि अगर कोई आदमी मर जाए और बिना नोमिनेशन किए मर जाए तो तीन महीने के अन्दर उसके वारिस को उसका सक्सेशन सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेना चाहिए।

आप सब जानते हैं कि यह तीन महीने का समय बहुत कम है। आजकल किसी भी कोर्ट से तीन महीने के अन्दर कोई भी नोमिनेशन या सक्सेशन सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं हो पाता है। कोर्टों में इस तरह की व्यवस्था है कि इसका इन्तजाम जल्दी से नहीं हो पाता है। इसलिए इसमें यह अमेंडमेंट भी होना चाहिए था, आपने इसमें यह अमेंडमेंट नहीं किया, थोड़ा समय और देना चाहिए था, ताकि सक्सेशन सर्टिफिकेट कोर्ट से लीगल हेयर के सम्बन्ध में प्राप्त किया जा सके।

दूसरा प्रावधान जो 5000 से कम के सम्बन्ध में किया गया है, यह निश्चित तरीके से स्वागत योग्य है, क्योंकि कोर्ट में यह व्यवस्था इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी और बहुत कठिनाई होती है और 5000 रुपये की रकम में एक-डेढ़ हजार रुपया सक्सेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने में लग जाता है। यह प्रावधान बहुत उचित है। माननीय रामसिंह जी ने जो बात कही है कि इसमें लोग गड़बड़ी करते हैं, इसके सम्बन्ध में कुछ न कुछ ऐसी व्यवस्था या ऐसे रूल्स बना दिए जाएं जिससे अधिकारी को ये अधिकार हो कि जिसको वह उचित अधिकारी समझे उसको पेमेंट कर दे। इसके बारे में कोई न कोई सबूत प्राप्त किए जाने चाहिए और उसके आधार पर वह पैसा चुकाया जाए, तब जाकर यह व्यवस्था ठीक हो सकती है, वरन् यह व्यवस्था ठीक नहीं हो पाएगी। इस तरह से लीगल प्रोसेस में जो पैसा खर्च होता है, वह बच जाएगा। इसलिए इस प्रकार का प्रावधान करना आवश्यक है। स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट एण्ड रीजन्स में आखिर में आता है—

[अनुवाद]

"अत: इस सीमा का लोप करने का और केन्द्रीय सरकार को, समय-समय पर, नियमों द्वारा ऐसी समुचित सीमा का उपबन्ध करने के लिए अधिकार देने का प्रस्ताव है जिस सीमा तक उत्तराधिकार सम्बन्धी विधिक सबूत की मांग किए बिना प्राधिकारियों द्वारा दावों का परिनिर्धारण किया जा सकता है।"

[हिन्दी]

ये आपने एक प्रावधान इसके सम्बन्ध में और किया है, इसमें गड़बड़ी की काफी गुंजाइश नजर आती है। अगर आप 5 हजार से ऊपर की राशि के बारे में किसी अधिकारी को अधिकार देते हैं तो निश्चित तरीके से उसमें गड़बड़ी होने की संभावना है। इसमें ऐसे रूल बनाएं, जिनकी वजह से कोर्ट में न जाना पड़े, लेकिन आपका अधिकारी भी सर्टिफिकेट देते वक्त या पैसा चुकाते वक्त हेयर के सम्बन्ध में या अधिकृत व्यक्ति के सम्बन्ध में कुछ न कुछ ऐसे प्रमाण प्राप्त कर ले जिससे किसी भी प्रकार के गलत आदमी को पैसा प्राप्त न हो। अभी इस तरह की गड़बड़ियां पाई जाती है जहां पर लोग आपस में मिल जाते हैं और गलत आदमी को पैसा मिल जाता है और जो असल आदमी है वह उससे महरूम रह जाता है, वैसे यह कानून बहुत फायदेमंद है।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, जैसा पहले भी कहा गया है कि सेविंग में जो भी पैसा इकट्ठा होता है, उसको उस स्टेट के डेवलपमेंट में लगाया जाना चाहिए, ताकि उस स्टेट में रहने वाले लोगों को यह लगे कि उनके द्वारा जो पैसा जमा किया जा रहा है वह उनके राज्य के विकास के

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

काम में लगाया जा रहा है, इससे वहां के लोगों का इस ओर प्रोत्साहन बढ़ेगा और इसमें ज्यादा पैसा जमा कराएंगे। उस स्टेट के लोगों को लगेगा कि जो पैसा डिपाजिट करेंगे, उसमें ब्याज थोड़ा कम मिलेगा लेकिन इसका उपयोग ऐसे प्रोजेक्ट के अन्दर होगा जिससे उन लोगों को आर्थिक तौर पर ऊपर उठने का मौका मिलेगा और उनकी तरक्की होगी। इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए।

इसके अलावा कई जगह देखा गया है कि इन्कम टैक्स अधिकारी, सेल्स टैक्स अधिकारी, एस० डी० ओ०, तहसीलदार, कलेक्टर, बी० डी० ओ०, इन लोगों का टारगेट फिक्स कर दिया जाता है कि इतना पैसा आपके जरिए से डिपाजिट होना चाहिए, अन्यथा आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। इस प्रकार के जो प्रावधान किए जाते हैं, उससे लोगों से जबरदस्ती पैसा वसूल किया जाता है। हमने देखा है कि ट्रांसपोर्ट अधिकारियों के लिए मुकर्रर कर दिया जाता है, टैक्स के मामलों में भी पैसा मुकर्रर कर दिया जाता है, इस तरह से टारगेट फिक्स कर दिए जाते हैं, जिससे लोगों के साथ जबरदस्ती होती है, ज्यादती होती है और गरीब लोगों को बहुत परेशानी होती है। इसलिए यह व्यवस्था अनुचित है। इसको वालेंटरी बनाया जाना चाहिए, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि जब तक यह व्यवस्था वालेंटरी नहीं होगी, इसमें जोर-जबरदस्ती अपनाई जाएगी तब तक लोगों को इससे तकलीफ होगी। इस प्रकार का अमेंडमेंट भी लाया जाना चाहिए। जो अमेंडमेंट लाया गया है वह निश्चित तरीके से स्वागत योग्य है और मैं इसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री जनार्दन पुजारी : श्रीमन्, विधेयक का स्वागत करने के लिए मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं। विधेयक को सभी वर्गों का समर्थन मिला है। वास्तव में माननीय सदस्यों ने कुछ सुझाव भी दिए हैं। मैंने इन सुझावों, विशेषकर माननीय सदस्य श्री गिरधारी लाल व्यास, श्री यादव जी, श्री रेणु पददास और श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर के सुझावों को नोट किया है।

यह संशोधन निवेश करने वाले लोगों की मुश्किलों को दूर करने के लिए हैं। यह सुधार के लिए प्रशासनिक उपाय भी है और निवेश करने वाले लोगों के लिए एक सुविधा भी प्रदान करता है। निवेश करने वाले लोगों द्वारा कठिनाइयों का सामना किया जा रहा था, अतः सरकार ने उनकी कठिनाइयों और समस्याओं को दूर करने के लिए यह संशोधन पेश किया है।

माननीय सदस्य श्री कृष्ण अय्यर और श्री यादव जी ने कहा है कि स्थायी सीमा होनी चाहिए। वास्तव में सीमा निर्धारित करने के लिए नियम बनाये जायेंगे। जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह सीमा 50,000 रु० हो सकती है। जैसा कि मैंने पहले कहा, यह प्रस्ताव किया गया है कि इस सीमा को 20,000 रु० ही रखा जाए। इन नियमों के बन जाने के बाद, इन्हें सभा पटल पर रखा जायेगा और अगर यह महसूस किया गया कि इस सीमा को बढ़ाकर 20, 30, या 50 हजार कर दिया जाए, तो उस समय इस पर विचार किया जा सकता है। 5,000 रु० की यह सीमा 1959 में निर्धारित की गई थी। पैसे की कीमत में गिरावट आई है; हमारे बचत संग्रह में वृद्धि हुई है और 1959

में 84 करोड़ रुपये से बढ़कर अब यह राशि 3,500 करोड़ रुपये हो गई है। अतः यह उपाय आवश्यक था।

मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है कि पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जायेगी। माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि निवेश करने वाले लोगों के हितों की रक्षा की जाए।

मैं माननीय सदस्य के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि 1983-84 में लक्ष्य 2400 करोड़ रुपये था। यह मूल अनुमान था। लेकिन हमने 2400 करोड़ रुपये की यह सीमा भी पार कर ली। वास्तव में 3467.93 करोड़ रुपए एकत्र किए गए। यह 1984-85 की समाप्ति की बात है। यह राशि बचत शीर्ष के अन्तर्गत एकत्र की गई। माननीय सदस्य श्री कृष्ण अय्यर जी ने भी कहा है कि इसका अधिक प्रचार किया जाना चाहिए। हम इस संबंध में कार्यवाही कर रहे हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि पैसा डाकघरों के माध्यम से इकट्ठा किया जाना चाहिए। यहां मैं बता दूं कि इस संबंध में ठोस उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन महोदय आप जानते ही हैं कि यह काम राज्य सरकारों का भी है। उन्हें इसका अधिक प्रचार करना चाहिए और अधिकाधिक धनराशि एकत्र करने के लिए उपाय करने चाहिए। श्री कृष्ण अय्यर जी ने यह भी बताया है कि पिछले साल कर्नाटक में अधिक धन एकत्र किया गया। अब नवीनतम स्थिति यह है। आशा के अनुरूप पैसा एकत्र नहीं किया जा सका। कर्नाटक में इसमें कमी आई। बेहतर होगा अगर माननीय सदस्य इस मामले को कर्नाटक में ही नहीं बल्कि केरल में भी उठाए। माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि वे अपने-अपने राज्यों में यह मामला उठाए।

जहां तक विकास कार्यों का संबंध है, आप जानते ही हैं कि वास्तविक बचत का दो तिहाई विकास कार्यों के लिए राज्यों को दिया जाएगा। हमने ब्याज की दर भी 10 प्रतिशत कर दी है तथा इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र निर्गम छह और निर्गम सात के लिए निवेशकों को 12 प्रतिशत ब्याज दे रही है। यही नहीं माननीय सदस्य ने कराधान के बारे में कुछ उल्लेख किया है। आयकर से होने वाली 85 प्रतिशत आय राज्य सरकारों को दी जाएगी। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से होने वाली 45 प्रतिशत आय भी राज्य सरकारों को दी जाएगी। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय बिक्री कर से होने वाली शत-प्रतिशत आय राज्य सरकारों को दी जाएगी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि संपदा शुल्क से होने वाली शत प्रतिशत आय भी उन्हें दी जाएगी। इस समय संपदा शुल्क की वसूली नहीं की जा रही है लेकिन कम से कम इस साल उन्हें पिछले साल का कोटा दिया जाएगा। विकास कार्यों के लिए राज्यों को शत-प्रतिशत दिया जाएगा। यह राज्यों को दी जा रही योजना सहायता राशि के अतिरिक्त होगा। विकास कार्यों के लिए धनराशि इन संसाधनों से मिलेगी। जैसा कि मैं बता चुका हूं केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को दी जाने वाली राशि में वृद्धि की गई है। जहां तक योजनाओं का संबंध है सहायता राशि को 13 प्रतिशत से बढ़ाकर 39 प्रतिशत कर दिया गया है। अतः विकास कार्यों में कोई कठिनाई पेश नहीं आएगी। रुकावटों को दूर करना होगा तथा इन्हें दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जैसा कि माननीय सदस्यों ने कहा, यह एक स्वागत योग्य कार्यवाही है। हमें देखना चाहिए कि इस संशोधन से कहां तक फायदा होता है। जहां तक 5,000 रुपये की सीमा का संबंध है इसमें कोई त्रुटि नहीं पाई गई है और यह व्यवस्था बहुत ही सुचारू ढंग से काम कर रही है।

[श्री जनार्दन पुजारी]

मेरे विचार से इस संशोधन से लोगों को कोई कठिनाई नहीं होगी। इसके विपरीत, यह संशोधन तो पूंजी निवेश करने वाले लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए लाया गया है। मैं आशा करता हूं कि इस संशोधन से पूंजी निवेश कर्त्ताओं को लाभ होगा।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि सरकारी बचत बैंक अधिनियम 1873 और सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम 1959 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया जाए।"

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप बोल सकते हैं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

श्री मूल चन्द डागा : मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि जब सरकार नियम बनाती है

तो उन्हें सभा-पटल पर रखा जाता है। संसद द्वारा स्वीकृति मिलने पर या राजपत्र में प्रकाशन के बाद ये नियम सांविधिक नियमों का रूप ले लेते हैं। यह एक बात है जिसे मैं स्पष्ट करना चाहता हूं।

दूसरी बात यह है कि मान लीजिए अधीनस्थ विधान संबंधी समिति नियमों को मंजूरी दे देती है लेकिन बाद में उसे महसूस होता है कि उसमें कुछ कमियां हैं और उन्हें पूरी तरह से जांच के बाद वह कुछ सुझाव देती है तो सांविधिक नियम उस समय प्रभावी होंगे जब राज्य सरकारें उन्हें पारित कर देंगी।

श्री जनार्दन पुजारी : माननीय सदस्य श्री डागा जी द्वारा दिए महत्वपूर्ण सुझाव नोट कर लिए गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

2.35 म० प्र०

आसूचना संगठन (अधिकार निर्बन्धन) विधेयक

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि आसूचना या प्रति-आसूचना के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित कुछ संगठनों के सदस्यों को लागू होने में संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकारों का निर्बन्धन करने का, जिससे कि उनके कर्त्तव्यों का उचित पालन और उनमें अनुशासन बनाए रखना सुनिश्चित रहे का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

महोदय, संविधान (5वां संशोधन) अधिनियम 11 सितंबर, 1984 को लागू हुआ था। इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 33 में संशोधन किया गया था ताकि इसे क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उन कर्मचारियों को लाया जाए जो आसूचना और प्रति आसूचना के उद्देश्य से सरकार द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठनों में काम करते हैं अथवा अनुच्छेद 33 में उल्लिखित किसी बल, ब्यूरो या संगठनों के लिए स्थापित दूर-संचार व्यवस्था में या उससे संबद्ध कार्य करते हों। अत: संसद को अब यह शक्ति प्राप्त हो गई है कि वह इस आशय का कानून बना सके कि आसूचना ब्यूरो और अनुसंधान तथा विश्लेषण स्कंध में काम करने वाले कर्मचारियों के संबंध में संविधान के भाग 3 में दिए अधिकारों को किस सीमा तक नियंत्रित या रद्द कर सकती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपने कर्त्तव्यों का उपयुक्त ढंग से पालन करें और उनमें अनुशासन बना रहे।

[श्री एस० बी० चव्हाण]

इस संशोधन से पूर्व अनुच्छेद 33 संसद को संविधान के भाग III में दिए मूल अधिकारों के संबंध में केवल सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों या कानून और व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित बलों के सदस्यों के अधिकारों को ही नियंत्रित या रद्द करने की शक्ति प्राप्त थी। इस शक्ति का प्रयोग करके संसद ने पुलिस बल (अधिकार निर्बन्धन) अधिनियम, 1966 बनाया। इस अधिनियम के अन्तर्गत कानून और व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित बलों के सदस्यों पर संघ बनाने वाक्-स्वतन्त्रता आदि पर नियंत्रण लगाने की व्यवस्था है। अन्य बातों के साथ यह अधिनियम केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, असम राइफल्स तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत गठित भारतीय-तिब्बत सीमा पुलिस पर भी लागू होता है। गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अन्य दो सशस्त्र बल अर्थात् सीमा सुरक्षा बल और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल पर विशिष्ट संसदीय विधान अर्थात् सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 लागू होते हैं। इन कानूनों में कुछ ऐसे उपबंध हैं जो पुलिस बल (अधिकार निर्बन्धन) अधिनियम, 1966 में दिए उपबंधों से मिलते जुलते हैं।

सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 33 में संशोधन इस आशय से किया था कि आसूचना ब्यूरो, अनुसंधान तथा विश्लेषण स्कंध तथा डी० सी० पी० डब्ल्यू० जो कि देश की सुरक्षा के संबंध में कार्य करने वाले अति संवेदनशील संगठन हैं, के कर्मचारियों पर उपयुक्त आवश्यक प्रतिबंध लगाए जा सकें। ऐसा इसलिए आवश्यक समझा गया क्योंकि इन संगठनों के कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों में अनुशासन-हीनता की भावना बढ़ रही थी और उनमें कार्मिक संघों के तरीके अपनाने की भावना बलवती होती जा रही थी। वास्तव में यह महसूस किया गया कि इन गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए अगर अविलम्ब कार्यवाही नहीं की गई तो न केवल इन संगठनों की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा बल्कि देश की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी।

अब क्योंकि संसद को संविधान के भाग III में, इस तरह के संगठनों के संबंध में अधिकारों को नियंत्रित या समाप्त करने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो गई है अतः आसूचना ब्यूरो और अनुसंधान तथा विश्लेषण स्कंध, जिन पर देश की सुरक्षा का दायित्व है, के संबंध में ऐसा एक कानून शीघ्र बनाना जरूरी समझा गया। हाल के वर्षों में इन संगठनों के कर्मचारियों के एक वर्ग द्वारा आन्दोलनकारी कार्यवाहियां किए जाने के कारण अनुशासनहीनता बढ़ी है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि इन संगठनों के कर्मचारी पूर्ण निष्ठा और अनुशासन से अपने कर्त्तव्यों का पालन करें। विधेयक का उद्देश्य आसूचना ब्यूरो और अनुसंधान तथा विश्लेषण स्कंध के कर्मचारियों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाकर इन उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

सरकार यह भी मानती है कि कर्मचारियों को अपनी वास्तविक शिकायतें दूर करने के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। आसूचना ब्यूरो में इस प्रयोजनार्थ मुख्यालय तथा संगठन की फील्ड यूनिटों में पहले ही व्यवस्था है तथा कर्मचारियों की उचित शिकायतों तथा आकांक्षाओं को कारगर ढंग से निपटाने के लिए इन्हें मजबूत बनाया जा रहा है। अनुसंधान तथा विश्लेषण स्कंध के कर्मचारियों की

शिकायतें दूर करने तथा उनके कल्याण के लिए मुख्यालय तथा संगठन के फील्ड यूनिटों में व्यवस्था है।

मैं विधेयक माननीय सदन को सौंपता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि आसूचना या प्रति-आसूचना के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित कुछ संगठनों के सदस्यों पर लागू होने में संविधान के भाग-3 द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकारों का निर्बन्धन करने का, जिससे कि उनके कर्त्तव्यों का उचित पालन और उनमें अनुशासन बनाए रखना सुनिश्चित रहे का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

माननीय सदस्यगण इस विधेयक के लिए बहुत कम समय निर्धारित किया गया है। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे संक्षेप में अपनी बात कहें। श्री एच० ए० डोरा। केवल पांच मिनट।

श्री एच० ए० डोरा : (श्री काकुलम) : महोदय, क्या यह पांच मिनट की समय सीमा उन सदस्यों के लिए है जो चर्चा आरम्भ करते हैं ? आप समय पर भी नियन्त्रण रख रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : समय-सीमा चर्चा शुरू करने वालों पर ही लागू नहीं होती बल्कि चर्चा समाप्त करने वाले पर भी लागू होती है।

श्री एच० ए० डोरा : महोदय, मुझे अधिक समय दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने बताया है कि केवल पांच मिनट मिलेंगे। कृपया संक्षेप में कहें।

प्रो० मधु दंडवते : समय दिया नहीं जाता, लिया जाता है।

श्री एच० ए० डोरा : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर बोलते हुए मुझे सम्मानीय सदन के समक्ष इसकी मूलभूत कमजोरियों के बारे में बताने की स्वीकृति दी जाए। विधेयक में कहा गया है, "कर्त्तव्यों का उचित पालन और उनमें अनुशासन बनाए रखना सुनिश्चित रहे"—से कोई और अर्थ नहीं निकल कर यही अर्थ निकलता है कि अब तक ये दो आसूचना संगठन अर्थात् आसूचना ब्यूरो तथा अनुसंधान और विश्लेषण स्कंध अपना कार्य अनुशासनहीनता तथा अनुचित ढंग से कर रहे थे ? इसका यही मतलब निकलता है। कर्त्तव्यों के उचित पालन के लिये, क्योंकि अब तक इन दो संगठनों में उचित पालन नहीं हो रहा था तथा इनमें अनुशासन नहीं था, यह विधेयक इस सम्मानीय सदन के समक्ष रखा गया है।

मुझे यह कहने की अनुमति दी जाए कि 'रा', जैसा कि मेरे सहयोगी प्रो० मधु दण्डवते जी ने कहा, वास्तव में 'रा' ही है। जब से इसका गठन हुआ है तब से यह पूर्णतः असफल रहा है। इसका गठन 1968 में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य देश के बाहर आसूचना का मूल्यांकन करना तथा उस पर निगरानी रखना था। किन्तु इसका प्रयोग सत्ताधारी दल में कुछ राजनीतिज्ञों की निजी सम्पत्ति के

[श्री एच० ए० डोरा]

रूप में किया गया है। अतः 'रा' इस देश में पूर्णतः असफल रहा है। मुझे इस सदन में यह कहने की अनुमति दी जाए कि हाल के दिनों में इसकी असफलता साफ जाहिर है। 'रा' यह पता लगाने में असफल रहा कि असम में क्या हो रहा है, पंजाब की क्या स्थिति है। यह तो राजधानी दिल्ली की स्थिति का भी पता लगाने में असफल रहा। गुजरात में भी यह असफल रहा।

इसलिए इस विशेष विधेयक की जरूरत है। पर क्या यह एक व्यापक विधान है? क्या इससे वास्तव में इस अति संवेदनशील संगठन को प्रेरणा मिलेगी? मेरा मतलब है कि क्या इससे इन अति संवेदनशील संगठनों को ऐसी प्रेरणा मिलेगी जिससे देश की आंतरिक तथा बाहरी स्थिति का मूल्यांकन किया जा सके।

हम बाहरी स्थिति का मूल्यांकन करने में पूर्णतः असफल रहे हैं। 1962 में जब चीन ने इस देश पर हमला किया तथा 1971 में भी जब पाकिस्तान ने इस देश पर हमला किया तो केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो इन विदेशी आक्रमणों के बारे में पूर्व जानकारी नहीं प्राप्त कर सका। अगर मुझे कहने की अनुमति दी जाए तो मैं कहूंगा कि यह पूर्णतः असफल रहा है।

मुझे यह निवेदन करने की अनुमति दी जाये कि संविधान का अनुच्छेद 33, एक साल पूर्व 1984 में संशोधन से पहले, इस प्रकार है :—

"संसद विधि द्वारा निर्धारण कर सकेगी कि इस भाग द्वारा दिए गये अधिकारों में से किसी को सशस्त्र बलों अथवा सार्वजनिक व्यवस्था भार वाले बलों के सदस्यों के लिए प्रयोग होने की अवस्था में किस मात्रा तक निर्बन्धित या निराकृत किया जाय ताकि उनके कर्तव्यों का उचित पालन तथा उनमें अनुशासन बना रहना सुनिश्चित रहे।"

1984 में हुए संशोधन द्वारा इसमें धारा (ग) जोड़ दी गई जो कहती है :

"आसूचना अथवा प्रतिआसूचना के उद्देश्य से देश द्वारा स्थापित किसी ब्यूरो या अन्य संगठन में कार्यरत व्यक्ति";

तथा धारा (घ) जो कहती है :

"किसी बल, ब्यूरो या संगठन के लिए स्थापित दूर संचार व्यवस्था में या उससे सम्बद्ध कार्यरत व्यक्ति।"

यह दो नई धाराएं लागू की गई हैं। ताकि संसद इन दो अति संवेदनशील संगठनों में काम करने वाले कर्मचारियों के अधिकारों को नियन्त्रित करने के लिए कानून पारित कर सके।

मेरा निवेदन है कि इस विधान को लाकर क्या इन दो अतिसंवेदनशील संगठनों में अनुशासन लाया जा सकेगा? मेरे विचार से इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। महज किसी राजनैतिक संगठन

कार्मिक संघ, श्रमिक संघ, या सार्वजनिक संघ में शामिल होने या उससे सम्बद्ध होने पर नियन्त्रण लगाने से अनुशासन नहीं लाया जा सकता। अतः मेरा विनम्र अनुरोध है कि, स्वयं विधेयक में उल्लिखित इसके उद्देश्यों और कारणों के अनुसार, यह ऐसा विधान नहीं है जिससे सामान्य स्थिति लाई आ सके। अनुशासन या अनुशासनहीनता नहीं है। इस विशेष विधान के माध्यम से अनुशासनहीनता पर रोक नहीं लगाई जा सकती। अतः मेरा अनुरोध है कि एक व्यापक विधेयक लाये जाने की आवश्यकता है जिससे अनुशासन सुनिश्चित किया जा सके और, जैसा कि कानून में उल्लिखित है, वे लोग देश के प्रति निष्ठावान बन सकें।

अतः मेरा निवेदन है कि इस विधेयक से इन दो संगठनों में विद्यमान खामियां कुछ हद तक दूर हो सकेगी। लेकिन यह इन दो संगठनों में विद्यमान अनुशासन में आमूल-चूल परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

धन्यवाद।

श्री श्याम लाल यादव (वाराणसी) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

मैं समझता हूं कि यह विधेयक हानिकारक और बहुत ही सरल है। दूसरी ओर से मेरे माननीय मित्र ने जो आपत्ति उठाई है, मैं नहीं समझता कि उसमें कुछ सार है। बल्कि वह कुछ टिप्पणियां कर रहे हैं कि इस कानून से अनुशासन नहीं लाया जा सकता। मेरे विचार से उन्होंने विधेयक की भावना को समझने में भूल की है।

हमारे संविधान के अंतर्गत, आप जानते हैं कि सबके लिए कुछ मूल अधिकार हैं। परन्तु अनुच्छेद 33 में कुछ अपवाद हैं तथा इसमें संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह राज्य के कुछ बलों जैसे विधि और व्यवस्था बनाये रखने या देश की सुरक्षा या आसूचना अथवा प्रतिआसूचना संगठनों अथवा दूरसंचार प्रणालियों में लगे व्यक्तियों के कुछ मामलों के संबंध में विधान बना सकती है। इन संगठनों में कार्यरत व्यक्तियों के कार्य की प्रकृति को देखते हुए उन पर कुछ पाबंदियां लगायी जानी चाहिए। वे अपनी गतिविधियों में राज्य अन्य विभागों के कर्मचारियों की भांति स्वतंत्र नहीं हो सकते। ये अत्यन्त संवेदनशील विभाग हैं तथा इनका काम भी बहुत ही नाजुक है। अतः यह आवश्यक है कि वह अन्य विभागों के कर्मचारियों की भांति बोलने, मिलने अथवा किसी भी तरह की स्वतन्त्रता न अपनाएं।

महोदय, माननीय मंत्री जी ने खुफिया एवं प्रति खुफिया एजेन्सियों में कार्यरत कर्मचारियों को उपलब्ध सुविधाओं के बारे में सदन में बताया। इससे हम संतुष्ट हैं कि इन संगठनों में कार्यरत कर्मचारियों को अपने रोजगार, पदोन्नति, वेतनमान आदि से संबंधित उचित शिकायतों के लिए आंदोलन करने के कुछ रास्ते हैं। अतः अन्य लोगों की भांति कार्मिक संघ की गति-विधियों में भाग लेने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है।

महोदय, हमारे देश में यह हर रोज की बात हो गई है कि केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों तथा सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी यूनियनें बनाते हैं तथा अपनी पगार बढ़ाने एवं पदोन्नति आदि

[श्री श्याम लाल यादव]

के बारे में आंदोलन करते हैं। अन्य कार्मिक संघ भी उनका समर्थन करते हैं। वास्तव में सरकार इन लोगों द्वारा चलाई जाती है। सरकार में कार्यरत लोग जोकि इन नीतियों को लागू करने के लिये उत्तरदायी हैं वे स्वयं ही कर्मचारी संघ बनाते हैं तथा अपनी शिकायतों के लिए आंदोलन करते हैं। वे आम लोगों की परवाह नहीं करते। परन्तु उनके लिए कतिपय नियम बनाये गये हैं। मुझे उनपर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु मैं समझता हूं कि वर्ष 1984 में अनुच्छेद 33 में सरकार की तरफ से जो संशोधन किया गया है वह उचित प्रयास था। ताकि संसद को कानून बनाने का अधिकार हो। अन्यथा इस संशोधन से पहले संविधान के इस अनुच्छेद से संसद को यह अधिकार नहीं मिल सकता था वह अनुच्छेद सिर्फ सशस्त्र बलों के सदस्यों अथवा सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने वाले बलों से संबंधित है। 1984 के संशोधन के अनुसार अनुच्छेद 33 को परिवर्द्धित कर दिया गया था तथा खुफिया अथवा प्रति खुफिया सेवाओं में लगे हुए कर्मचारियों एवं दूर-संचार प्रणाली से संबंधित व्यक्तियों को भी इसमें लाया गया था। खुफिया ब्यूरो अथवा 'रा' के कार्यों को सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। उनके कार्य इस प्रकार के हैं अगर उन्हें कार्मिक संघ गतिविधियों के विरुद्ध रहना न सिखाया जायें तो वे अपना कार्य निष्पक्ष रूप में अथवा विश्वास के साथ नहीं कर सकते।

महोदय, बहुत से लोकतांत्रिक देशों में खुफिया एजेन्सियां हैं जहां इन संगठनों पर अत्यधिक प्रतिबंध लगाये गये हैं। मैं नहीं जानता कि सरकार इस संबंध में क्या सोच रही है कि इन संगठनों में लोगों को रोजगार देने से पहले क्या किया जाना चाहिये या इन सेवाओं में आने से पहले उनके पूर्व-चरित, सामाजिक व्यवहार अथवा उनकी गतिविधियों की जांच करने का क्या तरीका होना चाहिए। दूसरे, विधेयक में यह प्रतिबंध लगाया गया है कि ये लोग खुफिया विभाग के मुख्य कार्यालय की इजाजत के बिना प्रेस वालों से बात-चीत नहीं कर सकते तथा कोई भी पुस्तिका, पैम्फलेट अथवा इश्तिहार आदि नहीं छपवा सकते हैं। मैं नहीं जानता कि सरकार की मर्जी क्या है और क्या ये लोग मर्जी से सेवानिवृत होने अथवा सेवानिवृत होने के पश्चात यह सब कुछ करने के लिए मुक्त हैं। कोई समय-सीमा निश्चित होनी चाहिए ताकि वे सेवा निवृत होने के तुरन्त बाद कोई भी खुफिया एवं गोपनीय बातें प्रकट न कर दें जिससे वे अपने सेवाकाल में उनका सम्बन्ध था तथा जिससे देश के हित, संगठन अथवा देश की सुरक्षा संकट में पड़ सकती हो। इसके लिये क्या किया जा रहा है? विधेयक को तैयार करते समय इस मुद्दे को ध्यान में रखा जाना चाहिये था। परन्तु मैं समझता हूं कि गृह मंत्री के पास कुछ सुझाव हो सकते हैं अथवा विधेयक में कुछ ऐसे प्रावधान हो सकते हैं, जिनके बारे में मुझे मालूम नहीं है, जोकि उनकी सेवा निवृति के पश्चात भी अनुशासन सुनिश्चित करेंगे। हम जानते हैं कि बहुत से राष्ट्रों में जो लोग खुफिया विभाग में कार्य करते हैं वे लेख आदि नहीं लिख सकते और न ही उन्हें छपवा सकते हैं तथा उन देशों की सरकारों ने इन बातों पर प्रतिबन्ध लगाया हुआ है। मेरे विचार से ये गतिविधियां जोकि विधेयक के खण्ड 3 में प्रतिबद्ध कर दी गई हैं, वे कर्मचारियों के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं। एक बार जब उन्हें रोजगार दिया जाता है, तो उन्हें पारिश्रमिक दिया जाता है तथा उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए उन्हें अवसर मिलता है, मैं नहीं समझता कि उन्हें कर्मचारी संघ की गतिविधियों में भाग लेने की जरूरत है।

पूर्व में, आसूचना विभाग में एक आन्दोलन चलाया गया था तथा 'रा' में भी एक आन्दोलन चलाया गया था। उस समय भी मेरे विचार से अधिकांश लोगों ने इस संगठन की गतिविधियों को पसन्द नहीं किया था। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि सूची में सिर्फ आसूचना विभाग एवं 'रा' को शामिल किया गया है तथा केन्द्र सरकार को अधिकार दिये गये हैं कि वह किसी भी अन्य संगठन को उसमें शामिल करे अथवा निकाले। मैं जानना चाहूंगा कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के बारे में सरकार की क्या राय है। मुझे पता है कि यह एजेन्सी अधिकांश मामलों की जांच-पड़ताल से संबंधित है। परन्तु ऐसे भी मामले हैं जोकि रक्षा कर्मियों से सम्बद्ध हैं तथा हाल ही में कुछ ऐसे मामले आये थे जिनमें अंतर्राष्ट्रीय अपराधी बैंककारी प्रणाली या आर्थिक प्रणाली और निर्यात व्यापार में धोखाधड़ी केकार्यों में शामिल थे। अतः मैं जानना चाहूंगा कि क्या सी०बी० आई० में संवेदनशील गतिविधियों से संबंधित कुछ व्यक्तियों पर कतिपय पाबंदियां लगायी जानी चाहिए तथा उनकी भी जांच की जानी चाहिए। एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अन्य रक्षा संगठन जिनका कार्य व्यवस्था बनाये रखना है तथा जो गृह मंत्रालय द्वारा गठित किये गये हैं, उन्होंने भी इसी प्रकार के कुछ प्रावधान बनाये हैं। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया था कि सी० आर० पी० एफ०, बी० एस० एफ०, भारत तिब्बत बल, केन्द्रीय सुरक्षा बल आदि में भी कतिपय प्रतिबंध हैं। अतः मैं समझता हूं कि यह एकदम उचित है कि सरकार इस विधेयक को लाई है।

समाप्त करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा क्या किसी भी दस्तावेज, पत्र आदि को छपवाने की इजाजत लेने का कार्य आसूचना विभाग के प्रमुख को सौंप दिया गया है। इस प्रकार के संगठनों को पारिभाषित करने के काम में अगर कोई विवाद है चाहे यह किसी सोसाइटी में हो या संघ में अथवा किसी अन्य उद्योग में तो इस बात का फैसला करना केन्द्र सरकार का कार्य है। अतः क्या यह अच्छा नहीं होगा अगर वक्तव्य पत्र, प्रकाशन आदि को जारी करने का अधिकार भी केन्द्र सरकार को दिया जाये ताकि एकमत से निर्णय लिया जा सके? धर्मनिरपेक्ष सरकार को दृष्टिगत रखते हुए यह एकदम उचित है। कुछ ऐसे भी संगठन हैं, जिनमें जातिवाद है तथा कुछ ऐसे भी संगठन हैं जो कि गैर-धर्म निरपेक्ष हैं। इन्हें भी बाहर निकाल देना चाहिए तथा बलों के सदस्यों को इनमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए अथवा उन्हें ऐसे संस्थाओं, एसोसिएशनों अथवा संगठनों में सम्मिलित होने से निरुत्साहित करना चाहिए जोकि समाज में अथवा विभिन्न वर्गों के लोगों में बैर उत्पन्न करते हैं।

3.00 म० प०

इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

एक बात और है। जैसा कि श्री बागा ने एक अन्य विधेयक के संबंध में कहा था मैं भी कहना चाहूंगा कि इस विधेयक के तहत सरकार द्वारा बनाये गये सभी नियम सभा पटल पर रखे जाने चाहिए और जब तक सभा असहमत न हो तो सरकार द्वारा बनाये गये तथा सभा पटल पर रखे गये नियम, एक समय-सीमा की समाप्ति के पश्चात अन्तिम रूप से ग्राह्य हो जाते हैं। वे प्रावधान एकदम सही हैं। अतः मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राज हंस (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। इस बिल में सिवाय समर्थन करने के कुछ है ही नहीं, क्योंकि इन्टैलिजेंस ब्यूरो और रॉ के रोल के बारे में सभी को पता है, लेकिन हम सब इस बात से दुःखी हैं कि इन्टेलिजेंस एजेंसी को जितनी एफिसियेंटली काम करना चाहिए उतनी एफिसियेंटली काम नहीं कर रहे हैं। मैं किसी बात को दोहराना नहीं चाहता हूं, परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं है कि इनके काम में बहुत ही नुक्स है। अभी जो इन्टैलिजेंटस एजेंसी है और भविष्य में जो होगी, वे सारी इस बिल के द्वारा कवर होंगी। इस सिलसिले में मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताना चाहता हूं। मैं तो माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे एक कम्प्रिहैंसिव बिल लाएं, जिसमें इस तरह के सारे लोगों को शामिल किया जा सके।

3.02 म० प०

(श्रीमती बसव राजेश्वरी पीठासीन हुईं)

आपने सुना होगा मैं राज्य का नाम तो नहीं लूंगा, वहां के चीफ मिनिस्टर ने अभी हाल में कुछ इन्जीनियर्स को ससपैंड कर दिया, क्योंकि वे दोषी थे। वजह यह कि एक बहुत बड़े बान्ध में घपला हुआ था और जिसके कारण बहुत से लोग डूब गए थे। जब उस सीनियर इन्जीनियर को ससपैंड कर दिया गया तो जितने भी इन्जीनियर और जूनियर इन्जीनियर थे, उन्होंने हड़ताल की धमकी दे दी। नतीजा यह हुआ कि वहां के मुख्य मन्त्री जी को अपना आदेश वापिस लेना पड़ा और उन्होंने इन्क्वायरी करने के लिए दूसरी कमेटी बना दी।

श्री राम प्यारे पनिका : यह तो आपकी ही स्टेट थी।

श्री गौरी शंकर राजहंस : मैंने कब कहा।

श्री राम प्यारे पनिका : आप नाम न भी बतायें, हम तब भी जान जायेंगे।

डा० गौरी शंकर राजहंस : अभी एक क्राइम के मातहत कुछ इन्सपैक्टर्स को डी० एस० पी० दूसरी जगह ट्रांसफर करना चाहता था। इन सारे लोगों ने वहां एक एसोसिएशन बना ली और कहा कि हम नहीं जायेंगे तथा इस एस०पी० को निकालो। आप सोच सकते हैं कि पुलिस के लोग इस प्रकार की बात कैसे कर सकते हैं। इसको मन्त्री जी जानते होंगे। ये वेस्टेड इन्टरैस्ट वाले लोग कहते हैं कि हम वहां से नहीं जायेंगे। इस विषय पर इस देश के बड़े-बड़े अखबारों ने एडिटोरियल लिखा। यह तो हद हो गई कि वैस्टेन्ड इन्टरैस्ट वाले कहते हैं कि ईमानदार एस० पी० को निकालो और हम दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होंगे। इस प्रकार की बातें आगे चलकर एक भयानक रूप धारण कर लेंगी। मैं आपको अपने एक्सपीरियेंस की बात कहता हूं। मुझे पता नहीं यह कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए।

श्री नारायण चौबे : बोल दो, बोल दो।

डा० गौरी शंकर राजहंस : मैं जब अखबार में था तो आई० बी० के लोग मेरे पास आते थे,

यह कहने के लिए हमारे आफिसर्स के बारे में यह अखबार में निकलवा दीजिए। लेकिन मैंने उसको नहीं निकाला। इस बात को सुनकर मुझे हैरानी होती थी कि आई० बी० के लोग मेरे पास आते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आइ० बी० के लोग अभी भी इस काम में लगे हुए हैं, सरकार को बदनाम करने-कराने पर लगे हुए हैं। मैं तो यह कहूंगा कि इस इन्टैलिजेंस एजेंसी के खिलाफ काउन्टर इन्टेलीजेंस एजेंसी होनी चाहिए। ... (व्यवधान) ... इस वक्त क्या हो रहा है, यह एक बड़ी सैन्सिटिव चीज है और इसको बहुत ही धीरे से नहीं लेना चाहिए।

प्राईवेट कम्पनियों में बड़े-बड़े अफसर होते हैं, उनकी छुट्टी 24 घन्टे में हो जाती है, क्योंकि वहां डिस्प्लिन है। उनको डर होता है कि हम कोई एसोसियेशन फार्म नहीं कर सकते हैं। इस देश को यदि कोई चीज ले डूबी है तो बड़े लोगों की एसोसियेशनें ले डूबी हैं। पांच हजार रुपये तनख्वाह पाने वाले बैंक अफसर एसोसियेशन बनायें और कहें कि हम काम नहीं होने देंगे तो यह देश कैसे आगे बढ़ेगा। यदि देश को आगे बढ़ाना है तो जो लोग ऊपर बैठे हैं, जो एसोसियेशन बनाना चाहते हैं, कानून बनाकर इसे बन्द कर देना चाहिए, यह देश के इन्टरेस्ट में नहीं है। मैं छोटे लोगों की बात नहीं करता हूं, वे ट्रेड यूनियन बनायें, लेकिन जो बड़े इन्जीनियर हैं, आफिसर हैं, पुलिस के अफसर हैं, अगर ट्रेड यूनियन बनाना चाहें, यदि ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज में भाग लेना चाहें तो उनको ऐसी इजाजत नहीं देनी चाहिए।

यही चीज पब्लिक सेक्टर में भी होनी चाहिए। आज वहां पर जो आदमी काम करता है, वह समझता है कि वह सिक्योर हो गया है, उसको कोई निकाल नहीं सकता और यही वजह है कि हमारा पब्लिक सेक्टर आज लास में जा रहा है। थोड़ी सेन्स आफ इन-सिक्योरिटी ला दीजिए, आप देखेंगे कि उनकी एफिसियेन्सी बढ़ जायेगी। आज सेन्स आफ इनसिक्योरिटी के कारण ही प्राइवेट सैक्टर की एफिशियेंसी ज्यादा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप कोई काम्प्रिहैंसिव बिल लाएं, जिसमें केवल आई० बी०, 'रॉ' टेलिकाम्यूनिकेशन के लोग ही शामिल न हों, बल्कि दूसरे महकमों के लोग भी शामिल हों।

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : इस विधेयक के उद्देश्य में यह बताया गया है :—

> "इन अत्यन्त संवेदनशील संगठनों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता की प्रवृत्ति को रोकने की दृष्टि से एक विधि को अधिनियमित करने का प्रस्ताव है।"

जब कभी सरकार लोगों के, चाहे वे किसी भी वर्ग से सम्बन्धित हो, अधिकारों को छीनना चाहती है तो वह हमेशा यही सिद्धांत प्रस्तुत करती है। यहां मेरी आपत्ति है क्योंकि यह तर्क सरकार किस वर्ग के लोगों की बनी है उसका है और प्रश्न यह है कि क्या वह किसी कानून द्वारा अनुशासनहीनता रोक सकेगी। मैं माननीय मन्त्री से कुछ आत्मनिरीक्षण करने और यह देखने कि क्या ये कड़े नियम तथा सरकार द्वारा अपनाई गई नीति जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अनुशासनहीनता पैदा कर रहे हैं और क्या लोगों के एक वर्ग के अधिकारों को समाप्त करने से प्रयोजन सिद्ध होगा या नहीं, का अनुरोध करता हूं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि विभिन्न राज्यों में, हालांकि पुलिस संगठनों के कोई

[श्री हन्नान मोल्लाह]

अधिकार नहीं है फिर भी उनमें पुलिस विद्रोह, आदि की तरह विभिन्न प्रकार की अनुशासनहीनता है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या अधिकारों को छीन लेने से प्रयोजन सिद्ध होगा। अधिकारों को दिया जाना चाहिए और इसी के साथ अनुशासन को भी बनाये रखा जाना होगा।

खण्ड 2 (ख) में बताया गया है; "किसी भी आ-सूचना संगठन का सदस्य" का मतलब है कि किसी भी आ-सूचना संगठन में नियुक्त या नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति। मैं नहीं जानता कि क्या चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी और साधारण चपरासियों को भी इसके अन्तर्गत शामिल किया जाएगा या इसमें कुछ अन्तर है। इसके बाद खण्ड 3 (ख) में उन्होंने इन शब्दों का उल्लेख किया है कि :—

"······पूर्ण रूप से सामाजिक, मनोरंजक या धार्मिक प्रकृति की नहीं है।"

सरकार उन्हें उन संगठनों में शामिल होने की अनुमति देगी। ऐसे संगठनों में जिनका उद्देश्य राजनैतिक है, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जमाइत-ए-इस्लामी, आनन्द मार्गी, आदि के बारे में, मैं सरकार के निर्णय के बारे में नहीं जानता हूं।

माननीय मन्त्री ने जिस एक दूसरी बात का उल्लेख किया है वह यह है कि कर्मचारियों को अपनी शिकायतों को दूर करने की गुंजाइश है। लेकिन कानून में इसकी व्यवस्था नहीं की गई है। और विधेयक के उपबन्धों में इस बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। श्री यादव ने भी इस बारे में बताया है। मैं माननीय मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि हमने उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए कानून क्यों नहीं बनाया है। अधिनियम में इसका उल्लेख होना चाहिए। बहुत से आश्वासन दिए गए हैं। और इस सदन में भी बहुत से आश्वासन दिए गए हैं, परन्तु इन सबको उचित रूप से संहिताबद्ध किया जाना चाहिए जैसा कि सेना के मामलों में किया गया है। खण्ड 6 (क) में शक्तियों के प्रत्यायोजन के बारे में, दो संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। हम नहीं जानते हैं कि कब तथा कितनी और संस्थाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए इस अधिनियम में संशोधन किया जा सकता है। अन्यथा यह लोगों के हित में नहीं होगा।

मैं उन संगठनों के, जो इस अधिनियम के क्षेत्राधिकार में भी हैं, कार्यनिष्पादन के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। इन संगठनों में क्या हो रहा है ? इन संगठनों की कुछ असफलताओं का उल्लेख किया गया है। हाल ही में, मैंने सरकार को चेतावनी दी है कि कुछ विदेशी एजेन्सियों द्वारा जीवन के सभी क्षेत्रों में चाहे सरकारी विभाग या खुफिया संगठन या अनुसंधान संस्थानों, विश्वविद्यालय या शिक्षा संस्थाएं और विशेषरूप से स्वयंसेवी संगठन हों, घुसपैठ करने के गम्भीर प्रयास किए जा रहे हैं। विदेशों से करोड़ों रुपया आ रहा है और वे हमारे देश के हित के विरुद्ध उन संगठनों के लोगों में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने केन्द्रीय सरकार से गत वर्ष पूछा था कि स्वयंसेवी संगठनों में विदेशों से कितना विदेशी धन आ रहा है। मन्त्री जी ने उत्तर दिया था कि यह 210 करोड़ रुपये है। और इसका अनुसंधान तथा लोक कल्याण के नाम पर स्वयंसेवी संगठनों को वितरण किया जा रहा है। लेकिन इन स्वयंसेवी संगठनों में विदेशी एजेंट हैं जो देश के हित के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं तथा मैं इसका भी यहां उल्लेख करना चाहता हूं।

बहुराष्ट्रीय एजेंसियां भी यहां बहुत सक्रिय हैं। और वे राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध कार्य कर रही हैं। इसलिए इन सभी कमियों को ध्यान में रखना चाहिए तथा उचित रूप से इन्हें दूर करना चाहिए। हमारी आ-सूचना एजेंसियां स्वर्ण मन्दिर में हथियार जमा होने, जासूसों द्वारा रक्षा सम्बन्धी गुप्त कागजातों की चोरी होने, हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री की हत्या का षड़यंत्र रचने, देश के विभिन्न भागों में दंगों, साम्प्रदायिक दंगों, जातीय दंगों, आदि के बारे में जानने में असफल रही हैं। वे इन सब बातों को जानने में असफल रही हैं। हमारी खुफिया एजेंसियों को बेहतर ढंग से काम करना चाहिए और इसको सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर इन बातों को देखने के लिए संसदीय समिति की तरह कोई वैधानिक सतर्कता व्यवस्था होनी चाहिए। हमें केवल नौकरशाही के हाथों में इसे नहीं छोड़ना चाहिए। अतः मैं माननीय मन्त्री को सुझाव देता हूं कि सख्ती से आप अनुशासन नहीं ला सकते हैं। इससे प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (हावड़ा) : सभापति महोदया, निस्सन्देह राष्ट्र में इस समय यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि इस देश में आ-सूचना संगठन सब कुछ कर रहा है — मैं कह सकता हूं कि इस संगठन में केवल एक बात की ही कमी है और वह आसूचना की है।

बुद्धिमत्ता की संकल्पना मूर्खता की संकल्पना के ठीक विपरीत है। परन्तु कभी-कभी इस देश में आ-सूचना संगठन और प्रति-आसूचना संगठन इस तरह से काम करते हैं जिससे यह धारणा बनती है, "एक बच्चा अपने बचपन में जासूसी किताब के साथ खेल रहा है और अपराधियों का पता लगाने की कोशिश कर रहा है। यह अन्त में कहता है : मम्मी, मुझे नींद आ रही है। मुझे खाना दो। मैं किताब समाप्त नहीं करना चाहता हूं।"

यदि सतवंत सिंह और बेअंत सिंह के अलावा अन्यथा कोई और श्रीमती इंदिरा गांधी की निर्मम हत्या के लिए जिम्मेदार है तो यह देश की प्रति-आसूचना व्यवस्था है। अब आयोग अपना काम कर रहा है। यह बहुत आश्चर्य की बात है कि उस दिन पुलिस के हाथ में कार्यभार था और उस दिन उपायुक्त प्रभारी अधिकारी था। पंडित नेहरू के समय से लेकर इंदिरा गांधी के समय तक अधिकृत पुस्तक (ब्लू बुक) और 'लाग' बुक में यह लिखा है कि प्रधान मन्त्री के निवास स्थान पर स्टेनगनें हमेशा आउट हाउस में रखी जाती हैं। आउट हाउस में 7 स्टेनगनें रखी जाती हैं जिसे विशेष रूप से बिलकुल निकट की लड़ाई के लिए पुलिस के अन्य अधिकारियों या पुलिस आयुक्त या किसी और के अनुदेश के बिना प्रयोग नहीं किया जा सकता। हैरानी इस बात की है कि उस दिन प्रातः 7 बजे से ही यह व्यक्ति स्टेनगन लिए हुए लान में घूमता रहा और आ-सूचना तथा प्रति-आसूचना के लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। परिणामस्वरूप क्या हुआ ?

मैं चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री के सभी भूतपूर्व मुख्य सुरक्षा अधिकारियों को जो प्रधान मन्त्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के साथ रहे थे उन सबको आयोग के सामने पेश किया जाए। वह मेरे विचारों को सही साबित करेगा कि ये स्टेनगनें किस प्रकार बाहर आईं। आउट हाउस से जहां 7 स्टेनगनें हैं जब तक वहां से कोई स्टेनगन नहीं आती तब तक प्रधान मन्त्री के निवास में कभी भी स्टेनगन नहीं होती है। मुझे आशा है कि मन्त्री जी इसको साबित करेंगे। आउट हाउस में केवल 7

[श्री प्रिय रंजन दास मुंशी]

स्टेनगनें रखी जा सकती हैं। इनमें से एक को सुबह लाया गया था और यह व्यक्ति लान में घूम रहा था। किसी ने भी उसे नहीं रोका। आप किसको दोष देते हैं? यह आ-सूचना और प्रति आ-सूचना व्यवस्था है और जैसाकि श्री हन्नान मोल्लाह ने सही बताया है कि विदेशियों का प्रभाव रोज बढ़ता जा रहा है। क्या आपने इस पहलू पर विचार किया है अर्थात् उनकी सेवानिवृत्ति के बाद वे क्या करते हैं? उनके पास दिल्ली के डिफेंस कालोनी या बम्बई या कलकत्ता के साल्ट लेक में आलीशान मकान हैं। वो किस प्रकार से पैसा प्राप्त करते हैं? क्या आप समझ नहीं सकते?

मैं उनकी सदाशयता पर किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं करता हूं क्योंकि उनमें से कई देश-भक्त हैं। लेकिन उनमें से कई लोग इस देश को खत्म कर रहे हैं और इस देश को बदनाम कर रहे हैं। राजधानी में क्या हो रहा है?

जब में 1971 में इस सदन में आया था तो मैं युवा कांग्रेस का अध्यक्ष था। मैं बीसों बार चिल्लाया; और मैं अभी भी इसे यहां पाता हूं अर्थात् सी०आई०ए० द्वारा वित्त पोषित युवा केंद्र सभा, चाणक्यपुरी में विश्व युवक केन्द्र में, जिसका प्रबन्ध एक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है तथा जिसे अभी भी पश्चिम जर्मनी संगठनों के 'इजेडी' द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है, में चोरी छिपे काम हो रहा है। वे जो कुछ चाहते हैं वे राजधानी में कर रहे हैं। और सरकार कहती है कि इसका आसूचना विभाग कार्य कर रहा है और प्रति आसूचना व्यवस्था कार्य कर रही है। आप जाइए और ट्रस्ट से पता लगाइए कि उन्होंने 'इजेडी' से कितना धन प्राप्त किया है और उन्होंने किस प्रयोजन के लिए इसे खर्च किया है। यह लगातार हो रहा है और इस पर कोई रोक नहीं है। गांधी शांति प्रतिष्ठान में पैसा प्रति वर्ष बाहर से वहां आता है। हमारे पास कुदाल आयोग है। गुप्तचर विभाग जानता है कि पैसा कहां जाता है और वे इससे क्या करते हैं। जी हां, गुप्तचर विभाग की गतिविधि जांच आयोग को स्थापित करने के अलावा कुछ नहीं है। यह हमारा गुप्तचर विभाग किस प्रकार से कार्य कर रहा है।

मैं श्री हन्नान मोल्लाह से केवल एक बात पर असहमति प्रकट करता हूं। विश्व के किसी भी देश में चाहे यह सोवियत रूस हो, अमरीका या चीन हो, गुप्तचर संगठनों को मजदूर संघ बनाने की अनुमति नहीं होती है। विश्व के किसी भी देश में यह अनुमति नहीं है। मैं इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हूं यदि वह कोई उदाहरण दे सके। कभी नहीं। इसका कार्य इस तरह से किया जाता है कि मुश्किल से लोगों को इसका पता चले। सुधार करने के उपाय हम लोगों को नहीं बताए जाते हैं। यह इस प्रकार का संगठन है। लेकिन यहां, हम इसकी अनुमति दे रहे हैं और कई वर्षों से इसको प्रोत्साहन दे रहे हैं तथा हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। इस तरह की गतिविधियों को रोकने में आपको बहुत निष्ठुर होना चाहिए।

इन लोगो के साथ मेरी हर प्रकार की सहानुभूति है, लेकिन देश में कुछ कार्य व्यापार इस प्रकार के हैं, जहां ऐसी बातों को उदारता से बढ़ावा नहीं दिया जाता है।

अतः इस व्यवस्था के काम करने की बात है। आप किस प्रकार से काम कर रहे हैं? क्या देश में आपके पास अलग से आ-सूचना संवर्ग है? नहीं।

आपके पास आसूचना ब्यूरो है। आपके पास सहायक आसूचना शाखा है। आपके पास विभिन्न

राज्यों की राजधानियों तथा महानगरों में जासूसी विभाग हैं। आपके पास अनुसंधान तथा विश्लेषण स्कंध तथा केन्द्रीय गुप्तचर विभाग है। वे किस प्रकार से कार्य करते हैं? कलकत्ता के एक पुलिस आयुक्त को, जो यातायात व्यवस्था को देखता है, भला सी०बी०आई० शाखा में काम देखने के लिए भेज दिया जाता है या उसे 'रा' द्वारा संयुक्त निदेशक बनने के लिए बुलाया जाता है। क्या आसूचना विभाग का काम इस प्रकार का है? आप वास्तविक रूप से उनमें आसूचना की संकल्पना को कैसे लाते हो? हम देश में अलग से आसूचना संवर्ग चाहते हैं। सामान्यतः एक पुलिस अधिकारी केवल आई०पी०एस० की परीक्षा पास करने के बाद आसूचना कार्य नहीं कर सकता है। विभिन्न राज्यों में अत्यधिक राजनैतिक दबाव हैं या अन्य बहुत प्रभाव है तथा वे पूरी तरह से समर्पण की भावना से काम नहीं कर सकते। आसूचना केवल कार्य ही नहीं है; यह विज्ञान है; यह कला है। यदि आप अन्य देशों की आसूचना व्यवस्था के इतिहास को देखें तो आप पाएंगे कि विश्व के किसी भी अन्य भाग में वे चीजें नहीं हो रही हैं जैसा कि यहां हो रहा है। कलकत्ता शहर में आज यातायात के पुलिस आयुक्त को कल 'रा' में संयुक्त निदेशक बनने के लिए कहा जाता है। आज नागरिक सुरक्षा के काम को देखने वाले अधिकारी को कल सी०बी० आई० में काम करने के लिए कहा जाएगा। क्या आसूचना विभाग का यह काम है? मैं समूची प्रणाली को समझ नहीं पाया हूं। मैं आशा करता हूं कि गृह मन्त्री संसद के आगामी सत्र में एक कानून लाएंगे। आपको देश में आसूचना व्यवस्था के लिए नया संवर्ग बनाना चाहिए जिसमें प्रतिभाशाली व्यक्ति हों। आसूचना ब्यूरो में लोग हैं मैं उनकी सदाशयता पर आपत्ति नहीं कर रहा हूं। लेकिन कभी-कभी मुझे अपने देश पर दया आती है।

आसूचना के लिए शिक्षित और प्रतिभाशाली होना आवश्यक है। इसमें मात्र चौकीदारी ही नहीं करनी होती। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आसूचना क्या है। कई बार वे गांवों में जाते हैं, कुछ बातें नोट करते हैं और रिपोर्ट दे देते हैं। क्या आसूचना कार्य इस तरह किया जाता है?

'रा' में कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े होने का दावा करते हैं, वे दूतावास में किसी पार्टी के साथ संपर्क करने का प्रयास करते हैं, कुछ बातचीत करते हैं और विदेश यात्रा के लिए जाते हैं अथवा किसी होटल में ऐश करते हैं, टेलीफोन पर बातचीत करते हैं और अपनी रिपोर्ट दे देते हैं। मैं यह जानता हूं कि कोई व्यक्ति केवल अपनी विदेश यात्रा के लिए किस प्रकार कार्य करते हैं। मैं पुनः कहता हूं आसूचना स्वयं में एक समर्पण की भावना से किया जाने वाला काम है, यह मात्र व्यावसायिक काम नहीं है और आवश्यकता इस बात की है कि आप इस पूरी प्रणाली में पुनः नवीनता लाएं। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कम से कम श्रीमती गांधी की मृत्यु के पश्चात् अब अगले सत्र में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करें।

उस दिन हमारे युवा सहयोगी श्री ललित माकन की मृत्यु हो गई। आपने वक्तव्य दिया होगा किन्तु आप इसे न्याय संगत कैसे ठहराते है कि युवा संसद सदस्य को उसके नये निवास स्थान पर सुरक्षा दी जा रही थी? यद्यपि उनके निवास स्थान पर सुरक्षा कर्मी नियुक्त किए गए थे, किन्तु जब वह बाहर आए तो किसी ने परवाह नहीं की।

मैंने कभी भी पुलिस सुरक्षा के लिए नहीं कहा। एक दिन सुबह एक एस० एच० ओ० मेरे घर

[श्री प्रिय रंजन दास मुंशी]

आए और मुझे कहा कि उसे ऊपर से आदेश मिले हैं कि आपके लिये एक गार्ड नियुक्त किया जाए। मैंने कहा कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। उसने कहा, नहीं, नहीं हमें आपके लिए एक गार्ड की नियुक्ति करनी ही है। फिर मैंने कहा कि ठीक है, आप मुझे एक गार्ड दे दीजिये। फिर उन्होंने शाम सात बजे से सुबह 10 बजे तक के लिए वहां एक गार्ड नियुक्त कर दिया। जिसे एक लाठी दी गई थी, ताकि सबको पता चले कि मुझे खतरा है। उस कांस्टेबल को बन्दूक नहीं दी गई थी। फिर मैंने उसे वहां से जाने के लिए कहा और साथ ही कहा कि मैं अपनी रक्षा स्वयं करूंगा क्योंकि यदि हमला हुआ तो वह गार्ड मर जाएगा क्योंकि उसके पास केवल लाठी थी। यह हंसने की बात नहीं है अपितु इससे स्पष्ट है कि आसूचना विभाग राजधानी में किस तरह काम कर रहा है। अतः मैं मांग करता हूं कि आप विभिन्न राज्यों में 'रा' तथा अन्य प्रणाली दोनों में ही उच्चतम स्तर तक आसूचना संवर्ग में सर्वथा नई प्रणाली लागू करें और उसके लिए चयन पुलिस के नियमित कर्मचारियों में से नहीं किया जाना चाहिए। उस व्यवस्था में कृपया आप देखें कि शिक्षित प्रतिभावान लोगों का ही चयन किया जाए। आसूचना विभाग से अभिप्राय प्रतिभावान है, प्रतिभा का अर्थ केवल चालाकी नहीं है। उन्हें केवल पदोन्नति और अन्य कारणों से नहीं अपितु योग्यता के आधार पर इस सेवा में भेजा जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे मुस्लिम, हिन्दू और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सहयोगी उसे गलत समझें। गुप्तचर विभाग में भर्ती तथा इसमें पदोन्नति के लिए धर्म, जाति और समुदाय को ध्यान में न रखकर प्रतिभा तथा दक्षता के आधार पर नियुक्तियां की जाएं। इस प्रणाली में इसी की जरूरत है। यदि आप ऐसा कर सकें तो इस प्रणाली में सुधार आएगा। धन्यवाद।

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : मैं माननीय गृह मंत्री द्वारा पुरःस्थापित किए गए विधेयक का समर्थन करता हूं।

मैं मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। जब 11 सितम्बर, 1985 को संविधान का 50वां संशोधन पारित किया गया था और सरकार को इस सम्बन्ध में उपयुक्त विधान बनाने का अधिकार सौंपा गया था, तो सरकार ने अब तक संगत विधान बनाने की पहल क्यों नहीं की ? यह एक मुख्य कारण है जिस पर सरकार को वहीं पर विचार करना चाहिए था। किंतु इस विधेयक में भी विलम्ब का कोई कारण नहीं बताया गया है।

यह सच है कि गुप्तचर एजेंसियों के विरुद्ध आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं और लगाए गए थे। किंतु हमें इन एजेंसियों के काम की ओर ध्यान देना चाहिये तथा देखना चाहिए कि उन्हें किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

1967 तक केवल एक एजेंसी आसूचना ब्यूरो (आई० बी०) देश के भीतर तथा बाहर गुप्तचर एजेंसी के रूप में काम करती थी। उस समय तक पूरी जानकारी एकत्र की जा रही थी और यह विभाग देश में भली-भांति काम कर रहा था। 1967 में पहली बार दूसरे विभाग अर्थात् 'रा' की स्थापना की गई। भारत के इतिहास में वह बहुत खराब दिन था जब जनता पार्टी और इसके प्रधान मंत्री ने इस एजेंसी की निंदा की। उस शासन काल के दौरान ही वास्तव में इस एजेंसी का मनोबल गिर गया और लोगों की दृष्टि में इसका महत्त्व कम हो गया। जनता पार्टी के शासन काल के दौरान ही इसमें अदक्षता आई। जब श्री मोरार जी देसाई वित्त मंत्री थे तो उन्होंने 'रा' की स्थापना की स्वीकृति दी थी। किंतु उन्होंने अपनी आत्मकथा में इस एजेंसी की इन शब्दों में निंदा की :

"तब तक मैं श्रीमती गांधी की ठीक मंशा नहीं समझ पाया था और इस प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी। मैंने उसे सीधी सी कार्यवाही समझते हुए उसकी संभावित कठिनाइयों की कल्पना नहीं की थी और इस बेवकूफी के लिए मैं स्वयं को कभी क्षमा नहीं कर सकता। यह बल प्रयोग करने का हथियार था जिसका प्रयोग उन्होंने इन सभी के विरुद्ध किया जिन पर वह नजर रखे हुये थीं, इसमें उनके मंत्रिमंडल के सदस्य भी शामिल थे।"

अतः जनता पार्टी सरकार ने ही गुप्तचर ब्यूरो और 'रा' का नैतिक पतन किया और श्री मोरार जी देसाई ने इन एजेंसियों की निंदा की थी। यहां तक कि आज भी माननीय गृह मन्त्री, जो बहुत गतिशील और बुद्धिमान हैं, भी इस बारे में उपयुक्त कार्यवाही कर सकते हैं। मैं इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहूंगा।

यह एक स्वतंत्र कैडर होना चाहिये। इस समय कई लोगों की प्रतिनियुक्तियां की जाती हैं। वास्तव में विभिन्न राज्यों में जहां जिस व्यक्ति को पसंद नहीं किया जाता कई बार उसकी प्रतिनियुक्ति कर दी जाती है। किंतु उनकी यहां काम करने में अधिक रुचि नहीं होती। एक नियमित कैडर बनाया जाना चाहिए।

दूसरे गुप्तचर विभाग के कार्मिकों को निरंतर नियमित रूप से प्रशिक्षण मिलता रहना चाहिये। इन लोगों को इस समय जो वेतन दिया जा रहा है वह भी कम है। इनका वेतन अन्य सेवाओं में दिए जा रहे वेतन से बहुत अधिक होना चाहिये। जब आप यह अपेक्षा करते हैं कि ये गुप्तचर एजेंसियां 24 घंटे सक्रियता और योग्यता से काम करें तो राष्ट्र का, इस संसद का, प्रतिनिधियों का यह कर्त्तव्य है कि वे गुप्तचर विभाग के कर्मचारियों को सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराएं।

मैं माननीय गृह मंत्री जी को यह सुझाव भी दूंगा कि उन्हें निर्धारक नियुक्त करने चाहिये, ये निर्धारक वरिष्ठ सदस्य, पत्रकार या ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जिन्हें कुछ विशेष क्षेत्रों, व्यापार, अर्थशास्त्र या वाणिज्य का विशेष ज्ञान हो, ताकि वे गुप्तचर विभाग के कार्मिकों की फील्ड रिपोर्टों का मूल्यांकन कर सके और सही निष्कर्ष पर पहुंच सकें। वह इस तथ्य की भी जांच कर सकते हैं कि फील्ड रिपोर्ट का मूल्यांकन करते समय उसी एजेंसी के उच्चाधिकारियों को बारीकी से छानबीन करनी होती है। केवल ऐसा करने से ही गुप्तचर एजेंसियों में उत्कृष्टता आ सकती है।

मेरा यह भी निवेदन है कि माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक में प्रावधान रखा है कि इन एजेंसियो के कार्मिक धार्मिक, सामाजिक कार्यों और एजेंसियों के मनोरंजन के लिये चन्दा इकट्ठा कर सकते हैं किंतु राष्ट्र गवाह है कि धर्म के नाम पर इकट्ठे किये जाने वाले चन्दे का भी दुरुपयोग किया जाता है। अतः गृह मंत्री को इस पर दोबारा विचार करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिये कि क्या धारा 3 उपधारा (ख) में 'धार्मिक' शब्द रखा जाना चाहिए या हटा देना चाहिये। हमें ये शब्द मात्र इस तर्क अथवा आधार पर समाविष्ट नहीं करने चाहिए कि देश के अधिकांश लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं।

मैं गृह मंत्री जी से यह अनुरोध भी करना चाहता हूं कि वह खंड सात पर निजी रूप से नजर डालें जिसमें यह प्रावधान रखा गया है कि जो भी नियम बनाये जाएं उन्हें अन्य सभा की अनुमति से ही निष्प्रभावी बनाया जा सकता है। मेरे विचार से यह शक्ति केवल इस सभा को ही दी जानी चाहिए।

[श्री राम सिंह यादव]

यदि यह सभा किसी नियम का अनुमोदन या निरानुमोदन करना चाहती है तो स्वयं सदन को इस कार्य में सक्षम होना चाहिये तथा इसमें राज्य सभा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं होना चाहिए। अतः इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि मैंने जो सुझाव दिये हैं गृह मंत्री जी उन पर विचार करेंगे।

श्री थम्पन थामस (मवेलिकारा) : सभापति महोदया, श्री मुंशी ने जो कुछ कहा मैं उसमें कुछ और जोड़ना चाहता हूं। वास्तव में यह भाषण विधेयक के विरोध में था न कि इसका समर्थन किया गया है। उन्होंने देश में हमारी गुप्तचर एजेंसियों के असंतोषजनक कार्य का वर्णन किया है। लेकिन इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? मैं चाहता हूं कि गृह मन्त्री महोदय इसका स्पष्ट उत्तर दें कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। क्या सरकारी तंत्र और राजनीतिक शक्ति स्वयं इस अधिकार का प्रयोग नहीं करती ? इस देश में आप सबने अपने राजनैतिक कार्यों के लिए इन गुप्तचर अधिकारियों का लाभ उठाया है। जब आप आपातकाल की घोषणा करना चाहते थे तो आप 'रा' की सलाह लेना चाहते थे, चुनाव की तिथि निर्धारित करने के लिए आपको 'रा' की रिपोर्ट की जरूरत पड़ी। विभिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों में उम्मीदवार खड़े करने के लिए आपको 'रा' की रिपोर्ट की आवश्यकता पड़ी, आपने गुप्त रूप से 'रा' से सलाह-मशविरा किया और फिर आपने अपने उम्मीदवारों के बारे में निर्णय लिया। आपने चुनाव नीति 'रा' के सलाह-मशविरे से बनाई। मैं जानता हूं मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में चुनाव अभियान किस तरह हुए। मैं जानता हूं कि हर बार खुफिया रिपोर्ट सत्तारूढ़ राजनैतिक पार्टी के पास जाती है, वे अपनी इच्छानुसार अपनी नीति में परिवर्तन लाते हैं। यदि वे मेरे राज्य में कोई डी० आई० जी० नियुक्त करना चाहते हैं, तो खुफिया रिपोर्ट पहले कांग्रेस के शीर्षस्थ नेता के पास जाएगी और फिर उसकी नियुक्ति होगी। इसी तरह यदि आप चाहते हैं कि कोई साम्प्रदायिक नेता राजनीति में आये और विशेष क्षेत्र में अभियान चलाए तो खुफिया पुलिस ही सत्तारूढ़ राजनैतिक दल के पास रिपोर्ट भेजती है। आपने उनका लाभ उठाया है और उनका दुरुपयोग किया है। अब आपकी शिकायत है कि देश संकट में है। इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। मैं कहता हूं लोगों का मुंह बन्द करके यह सब नहीं किया जा सकता। जो लोग इस देश के लिए काम कर रहे हैं उन पर अंकुश लगाकर आप हमे स्वतंत्रता नहीं दे सकते। आप हम पर इस तरह अंकुश नहीं लगा सकते। कल ही आपने आवश्यक सेवा अधिनियम पेश किया। इसके माध्यम से आप इस देश के श्रमिक वर्ग पर अंकुश लगाना चाहते हैं। आप अपने लाभ के लिए उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि आप इसे पारित कर सकते थे और आप वही करने जा रहे हैं। आज आप गुप्तचर बलों पर अंकुश लगाने और अपनी सुविधानुसार उनका उपयोग करने के लिए अपने अधीन रखने के लिए यह कानून पेश कर रहे हैं। हम इसका विरोध करते हैं। हम उससे सहमत नहीं हो सकते। हम सब यह देखना चाहते हैं कि भारत एक स्वतंत्र देश है जहां सबको अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। चाहे पुलिस बल हो या औद्योगिक, श्रमिक अथवा आम आदमी, उसे अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार होना चाहिए। हम ऐसी स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं जो हमने 15 अगस्त, 1947 को प्राप्त की थी। हम अपनी जनता को ऐसी स्वतंत्रता देना चाहते थे किन्तु चूंकि आपके हाथ में सत्ता इसलिए आप सोचते हैं कि हमेशा आप ही सत्ता में रहेंगे और इसलिए आप उन नीतियों में परिवर्तन ला सकते हैं और देश पर नियंत्रण कर

सकते हैं। किन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी अपने लाभ की बात सोच रहे हैं। कल कोई और पार्टी सत्ता में आ सकती है। यदि कानून लागू हुआ, तो क्या यह देश के लिए अच्छा होगा ? इसे अधिनियम बनाने से पहले इसे परीक्षण के तौर पर लागू किया जाना चाहिए। मान लीजिए कल कोई अन्य पार्टी सत्ता में आ जाती है और यह कानून लागू है, तो क्या यह आपके विरुद्ध नहीं हो जाएगा ? क्या उस तरह से आपने सोचा है ? उस तरह विचार किये बिना यदि आप यह विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं तो यह देश के लिए बहुत खतरनाक होगा। हम स्वतंत्रता चाहते हैं और स्वतंत्र समाज और स्वतंत्र संगठन चाहते हैं। श्री दास मुंशी ने पूछा है कि क्या पुलिस संगठन में भी श्रमिक गतिविधियां चल रही हैं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : गुप्तचर विभाग के लिए।

श्री थम्पन थामस : मैंने जेनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सम्मेलन में मलेशिया के पुलिस संगठन के साथ बातचीत की। मैं आपको बता दूं कि विश्व के विभिन्न भागों में हर जगह पुलिस अधिकारियों को श्रमिक संघ बनाने की अनुमति दी जाती है। अतः यह मत सोचिए कि इसकी अनुमति नहीं दी जाती। इसको अनुमति दी जाती है। लेकिन यहां आपने इस देश में जो प्रणाली बनाई है उससे आप लोग अपनी सुविधा के लिए उसका लाभ उठाना चाहते हैं। इसी कारण स्थिति बिगड़ी है। सरकार इन कठोर कानूनों के माध्यम से लोगों को और विशेषकर श्रमिक वर्ग की स्वतंत्रता कम करना चाहती है। इसीलिए मैं इसका पूर्णतः विरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदया, मैं इंटेलिजेंस आर्गेनाइजेशन (रिस्टिक्शन आफ राइट्स) बिल 1985 का समर्थन करता हूं। अभी एक माननीय सदस्य बोल रहे थे कि यह सरकार इंटेलिजेंस ब्यूरो को समय-समय पर सारे हालात को अपने पक्ष में इकट्ठा करने में मदद करती है। मैं उनसे कहूंगा कि हम खुद ही दुखी हैं, आप हमें शिकायत कर रहे हैं कि सरकार इसकी मदद लेती है।

मैंने थोड़े दिन पहले भी कहा था कि वहां पर एक ऐसी संस्था बनी हुई है, जिसमें हिन्दुस्तान के बड़े-बड़े निकम्मे व बोगस लोग शामिल हैं जो कि इंटेलिजेंस के काम के नहीं हैं। हमारे साथी श्री मुंशी ने जो सुझाव दिया है, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। आप इंटेलिजेंस ब्यूरो और 'रा' को ऐसी ट्रेनिंग दीजिए जिससे वह आपको सही खबरें दे सकें। देश के और विदेश के। जितनी बातें हुई हैं अब तक, हमारी प्रिय प्रधान मन्त्री जिन्होंने इस देश को शक्तिशाली और महान बनाने में बड़ा योगदान दिया उनकी हत्या हो गई और आपका इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्यों का त्यों बैठा रहा। आपके ये इंटेलिजेंस ब्यूरो और 'रा' कुछ भी नहीं कर पाए। ऐसी निकम्मी संस्था जो अब तक यहां बनी हुई है उनको आपको बदलना चाहिए और उस कैडर को ठीक करना चाहिए। मैंने बी० एस० एफ० के बारे में गृह मन्त्री महोदय से कहा था कि आपके जितने डिसकार्डेड आफिसर्स हैं पुलिस के उनको इन मिलिट्री फोर्सेज में भेज दिया जाता है जिसकी वजह से वह खुद भी वहां जाने से नाराज रहते हैं और कोई काम नहीं करते। इस तरीके की हालत आपके तमाम आर्म्ड फोर्सेज की है। मिलिट्री को छोड़ दीजिए। आपकी मिलिट्री की इंटेलिजेंस फिर भी आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो और 'रा' से अच्छी है

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

क्योंकि वह सारी इन्फार्मेशन तो रखती है। आपके यहां तो कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। इस प्रकार की संस्थाएं आपने इकट्ठी की हैं जिसकी वजह से देश की हालत में जिस प्रकार का सुधार होना चाहिए और आपको समय-समय पर जो सूचना मिलनी चाहिए वह मिलती नहीं है बल्कि वह गलत सूचना दे देते हैं। सही सूचना देना तो उनका काम ही नहीं है।

मैं एक बात का समर्थन करता हूं कि या तो आप इस प्रकार की व्यवस्था कीजिए कि इनका एक अलग कैडर बनाकर उनको पूरी ट्रेनिंग दीजिए और ऐसी व्यवस्था बनाइए जिससे कि सही सूचना उनको मिले और या आप सारी व्यवस्था को छोड़ दीजिए और इन कम्युनिस्टों की डिसिप्लिन को अख्त्यार कर लीजिए ताकि सबके ऊपर डिसिप्लिन लागू हो जाय जिससे कि सही जानकारी आपको मिल सके। कुछ न कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करना नितान्त आवश्यक है।

आपने इसमें कुछ तब्दीलियां करने की बात की। आपने स्वयं इसके एम्स ऐंड आबजेक्ट्स में यह कहा है कि इनमें डिसिप्लिन नहीं है और इन्होंने कुछ दिन पहले स्ट्राइक और प्रदर्शन किए जिसकी वजह से आपको यह बिल लाना पड़ा वरना तो अभी तक आप इस बिल को भी नहीं लाते। तो उनके प्रदर्शन ने तो आपको चेतावनी दी कि आपकी ये संस्थाएं किस प्रकार काम कर रही हैं। मैं निवेदन करूंगा कि डिसिप्लिन की आवश्यकता केवल इन्हीं में नहीं है बल्कि हर संस्थां में है। इस संस्था में तो डिसिप्लिन होनी ही चाहिए क्योंकि आपकी सही इन्फार्मेशन के लिए यह बहुत ही आवश्यक है। मगर डिसिप्लिन तो आज हर क्षेत्र में अत्यन्त आवश्यक है। आज आपके अधिकारियों और कर्मचारियों में इसका नितान्त अभाव है और इस व्यवस्था को इस प्रकार से कंट्रोल किया जाना चाहिए जिससे देश में एक अच्छी व्यवस्था चल सके। आपकी सरकार जिस मंशा से और जिस भावना से काम कर रही है और हमारे प्रधान मन्त्री जिस प्रकार की व्यवस्था इस देश के अन्दर चाहते हैं, इस देश से गरीबी का इरेडिकेशन और उनको सब प्रकार की सुख-सुविधाएं दिलाना, वह क्या आपकी इस व्यवस्था के जरिए से हो सकेगा ? मैं समझता हूं कि उसके लिए इसमें बहुत बड़े चेंज की आवश्यकता है और यह चेंज केवल इंटेलिजेंस ब्यूरो और आपके 'रा' में ही नहीं बल्कि तमाम और संस्थाओं में भी बहुत बड़ी तब्दीली की आवश्यकता है। इसलिए आप सारी व्यवस्थाओं को एक साथ सोचिए। आपने कुछ पाबन्दियां इनके ऊपर लगा दीं कि आप यह नहीं कर पाएंगे। लेकिन इन पाबन्दियों से कोई रुकने वाला नहीं है। आपने देखा नहीं कि जहां पर पुलिस फोर्सेज के अन्दर इस प्रकार की पाबन्दियां लगाईं, वहां उन्होंने हड़ताल की, यूनियन बनाई और सब कुछ किया। कई प्रान्तों के अन्दर पुलिस की यूनियन बनी हुई हैं। जितना ज्यादा आप दबाएंगे उतना ही ज्यादा लोग उठने की कोशिश करते हैं। आपने मिलिट्री के अन्दर जैसी व्यवस्था की है उसकी वजह से मिलिट्री की व्यवस्था ठीक प्रकार से चल रही है। वहां कोई ट्रेड यूनियन की आवश्यकता नहीं है। मगर इन ब्रांचेज के अन्दर आपने कोई व्यवस्था नहीं की, इनको सारी अव्यवस्था के अन्दर शामिल होने का मौका दिया जिससे ये ट्रेड यूनियन और दूसरी बातों की मांग करते हैं। अगर आप इनकी व्यवस्था ही बिलकुल अलग करते, अलग तरीके से इनकी व्यवस्था का संचालन करते तो इन बातों की आवश्यकता ही नहीं रहती और आज हिन्दुस्तान को समय-समय पर जो नीचा देखना पड़ा है इन एजेंसीज की निष्क्रियता और लापरवाही की वजह से उस प्रकार का मौका नहीं देखना पड़ता। इसलिए

मेरा सुझाव है कि अगर हम वास्तव में उनको डिसिप्लिन्ड बनाना चाहते हैं तो सारे कैडर्स से निकाल कर एक अलग व्यवस्था की जाए और वह इस प्रकार की व्यवस्था की जाए जिसमें डिसिप्लिन भी आए, उनको सन्तोष भी हो और उनकी जो भी कठिनाइयां हों उनको सुनने और रिड्रेस करने का भी मौका मिल सके।

इस शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभापति महोदया, मैं इंटेलिजेंस आर्गेनाइजेशन्स (रेस्ट्रिक्शन आफ राइट्स) बिल, 1985 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरे मित्रों ने इस पर अपने काफी विचार व्यक्त किए हैं, और बहुत सारे प्वाइन्ट्स कवर कर लिए हैं। हमारा जो संविधान है उसकी आर्टिकल 33 में जो अमेन्डमेन्ट 1984 में किया गया, यद्यपि उसके बाद एक साल से अधिक हो चुका है लेकिन फिर भी मैं समझता हूं समय पर ही यह बिल यहां पर प्रस्तुत किया गया है और यह बिल कांप्रिहेंसिव भी है तथा इसमें कोई कमी नहीं मालूम होती है।

प्रश्न यह उठता है कि आई० बी० में या रा (Raw) में जो व्यक्ति सर्विसेज से लिए जाते हैं उनके ऐंटिसिडेन्ट्स के बारे में अवश्य ही ध्यान रखा जाना चाहिए। यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण है क्योंकि हमारी जो इन्टेलिजेंस है वह ठीक ढंग से फंक्शन नहीं कर रही है। हमें कैडर भी देखना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट कैडर बनाया जायेगा तो उसमें भी ऐंटिसिडेंट्स देखने की आवश्यकता पड़ेगी। जैसा कि व्यास जी कह रहे थे कि बड़े-बड़े लोगों के लड़कों को इसमें भर्ती किया गया है लेकिन मैं समझता हूं यह बात सही नहीं है। हो सकता है कुछ ऐसे भी हों और यदि उनके लड़के योग्य हैं तो वे भी उसमें जा सकते हैं लेकिन इस प्रकार का चार्ज लगाना मैं समझता हूं ठीक नहीं होगा।

ऐसी जो भी सेंसिटिव सर्विसेज हैं, जिन पर देश की सुरक्षा की भारी जिम्मेदारी है, उनके लिए आवश्यक है कि उसमें जिनको भी रखा जाए उनके ऐंटिसिडेन्ट्स की अच्छी तरह से छान-बीन कर ली जाए। यदि हमें उनके ऐंटिसिडेन्ट्स के बारे में जानकारी रही होती तो श्रीमती इन्दिरा गांधी का काण्ड नहीं हुआ होता। वहां पर जो दो व्यक्ति थे, ठीक है उनमें से एक तो उनके साथ चलता था लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था उसके ऐंटिसिडेन्ट्स के बारे में जानकारी नहीं की गई। वैसे ही उसको भर्ती कर लिया गया और बहुत जल्दी उस पद पर उसको पहुंचा दिया गया। इसलिए बिना पूरी जानकारी प्राप्त किए हुए किसी को ऐसे महत्त्वपूर्ण स्थानों पर लगाना उचित नहीं है। मेरे कहने का मतलब यही है कि इन सेवाओं में नितान्त आवश्यक है कि ऐंटिसिडेन्ट्स के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जाए।

दूसरी बात यह है कि इन सेवाओं में रिटायरमेन्ट के बाद, जो इन्फार्मेशन उनके पास रहती है, उसका वे कोई नाजायज फायदा न उठा सकें - इसके लिए रेस्ट्रिक्शन होने चाहिए। कोई रेस्ट्रिक्शन न होने की वजह से ऐसी टेन्डेन्सी देखी गई है कि रिटायरमेन्ट के बाद इन सर्विसेज के लोगों से उद्योगपतियों एवं औद्योगिक कन्सर्न्स द्वारा दुरुपयोग किया जाता है। लारकिन्स का केस उसका एक उदाहरण है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है और इसके लिए यदि संविधान में भी संशोधन करने की आवश्यकता हो तो वह भी करके इसकी व्यवस्था की जानी चाहिए।

[श्री वृद्धि चन्द्र जैन]

जैसा कि दास मुंशी जी ने भी कहा है अभी भी यह स्थिति है कि इन्टेलिजेंस ब्रांच में वही लोग जाते हैं जिनको डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर का चार्ज नहीं मिल पाता है। इन्टेलिजेन्स ब्रांचेज से जो लोग डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़कर कोई भी आफिसर इन्टेलिजेन्स में जाना नहीं चाहता। क्योंकि इन सर्विसेज को महत्त्वपूर्ण नहीं समझते हैं। उनकी सर्विसेस को महत्त्वपूर्ण बनाना चाहिए। उनके सेलेरी, एलाउन्स को बढ़ाकर, उनके कैडर को ऊंचा उठाना चाहिए, ताकि वे इस देश की सुरक्षा और हिफाजत के काम आ सकें।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : सभापति महोदय, मेरे तरुण मित्र श्री प्रिय रंजन दास मुंशी ने बहुत अच्छा भाषण दिया है, सिवाय इसके कि उन्होंने चीन और सोवियत संघ को एक साथ लिया है। वह प्रतिभावान तरुण हैं, सोवियत संघ तथा चीन में पूरा राज्य शोषकों के विरुद्ध है तथा जनता के लिए है। जो लोग ऐसे संगठनों में हैं वे इस बात से प्रेरित हैं कि वे साम्राज्यवाद को रोकने के लिये राज्य की सेवा कर रहे हैं। उसमें ऐसी बातें हैं। मैं नहीं समझता कि यह सही है, जैसा कि श्री प्रिय रंजन दास मुंशी समझते हैं कि हमारा राज्य गरीब जनता की और श्रमशील लोगों की सेवा करता है। इसके विपरीत राज्य शोषकों की सहायता करता है। अतः सोवियत संघ और भारत के बीच कोई तुलना नहीं की जा सकती। उनके भाषण में बातों को मिला देने के अलावा, उसमें कुछ नहीं है। उनके भाषण को अमृतम् बाल भाषितम् कहा जा सकता है और कुछ नहीं।

महोदया, भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या से 'रा' तथा गुप्तचर मशीनरी की भारी विफलता सिद्ध हो गई है। ऐसी घटनाएं कैसे हो गईं। इसके लिये 'रा' के गरीब कर्मचारी जो कभी-कभी अपना रोष व्यक्त कर लेते हैं उत्तरदायी नहीं है। इसके लिए 5000, 6000, 10000 पाने वाले व्यक्ति उत्तरदायी हैं। गुप्तचर विभाग की विफलता निरन्तर बनी हुई है। शस्त्रास्त्रों की तस्करी जारी है। 'रा' तथा गुप्तचर एजेंसियां विद्यमान हैं। तब भी यह सब चल रहा है। पंजाब में दुर्व्यवस्था वर्षों से चल रही है, और हम बहुत सी बातों का पता नहीं लगा सके। असम, गुजरात तथा अन्य राज्यों में आसूचना प्रणाली अति दोष पूर्ण रही है। तथा जिन व्यक्तियों के लिये आप यह विधेयक लाये हैं, वे जिम्मेदार नहीं हैं। ऐसी बातों के लिये अन्य ही व्यक्ति उत्तरदायी हैं। मुझे पता नहीं है जो स्पष्ट सुझाव दिया गया है क्या आप उसके अनुसार उनका विशेष संवर्ग बनाएंगे अथवा उन्हें विशेष भत्ता देंगे। परन्तु सच्चाई यह है कि यदि मैं किसी महत्त्वपूर्ण थाने के कार्यभारी अधिकारी बन जाता हूं तो मेरी दैनिक आय 2000-3000 से कम नहीं होगी।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : यह उससे कहीं ज्यादा ही होगी।

श्री नारायण चौबे : वह जानते हैं कि कितनी राशि है।

श्री एस० बी० चव्हाण : आप ठोस सही जानकारी देंगे।

श्री नारायण चौबे : वह अधिक सही जानकारी देते हैं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : हम अपनी जानकारी एक दूसरे को देंगे।

श्री नारायण चौबे : एक "बुद्धिमान" गुप्तचर निरीक्षक को 1500 से 2000 रु० मासिक मिलते हैं। स्वाभाविक रूप से कोई समझदार व्यक्ति गुप्तचर एजेंसी में क्यों जायेगा ? फिर उसमें कोई प्रेरणा भी नहीं है। सबसे पहले मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वहां पर सेवा कर रहे लोगों को उत्प्रेरित करें। हमारा देश गरीब है और उसकी रक्षा की जानी चाहिये। अतः हमारे लोगों को विदेशी धनी लोगों द्वारा प्रलोभित नहीं होना चाहिए जो कि हमारी गुप्तचर एजेंसियों में घुसना चाहते हैं, उनमें से कुछ पहले से ही घुस चुके हैं।

आपने कहा है कि आप उन्हें अनुशासित करना चाहते हैं। मैं तो इससे सहमत हूं। मैं इसे बुरा नहीं समझता। क्या आप उन्हें संतुष्ट भी रखना चाहते हैं ? उनकी शिकायतों के निवारण के लिये कौन सा ढंग प्रयोग कर रहे हैं ? जैसा कि कामरेड हन्नान मोल्लाह ने सुझाव दिया है, क्या आपने उसे संहिताबद्ध किया है। इसके विपरीत आपके आसूचना व्यक्तियों द्वारा विदेशों को संहिताबद्ध जानकारी भेजी जाती है। जानकारी अमरीका जा रही है, फ्रांस जा रही है, कनाडा और ब्रिटेन जा रही है। स्वाभाविक रूप से आपको इस ओर भी देखना है कि उनकी शिकायतों पर ध्यान दिया जाये अन्यथा केवल सचेतकों के माध्यम से आप उन पर नियंत्रण नहीं कर सकते। सभापति महोदया तथा आप भी जानते हैं कि पुलिस स्टेशनों पर आम सिपाहियों को तथा आसूचना कर्मचारियों से भी नैमित्तिक श्रमिक के रूप में कार्य लिया जाता है। उन्हें पुलिस अधीक्षकों के बच्चों को स्कूल ले जाने तथा वापस लाने को कहा जाता है। क्या वे आदमी नहीं हैं ? उनके साथ गुलामों का सा व्यवहार किया जाता उन्हें है। उनकी कोई आवाज नहीं होती। आप आसूचना विभाग के इन गरीब कर्मचारियों की समस्या का समाधान कैसे करते है। जिन्हें आसूचना विभाग में बड़े अधिकारियों द्वारा गुलाम समझा जाता है। आप उन्हें संरक्षण कैसे देते हैं। उनकी शिकायतों को अधिकारियों के समक्ष कैसे रखते हैं ?

मान लीजिये मैं किसी बड़े अधिकारी का कर्मचारी हूं। यदि मैं उचित माध्यम से किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई रिपोर्ट करता हूं तो मुझे हटा दिया जाता है, दण्ड दिया जाता है अथवा स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके विरुद्ध उन्हें भी कुछ संरक्षण मिलना चाहिए।

इन संरक्षणों के बिना वहां पर अनुशासन नहीं हो सकता। आपको उन्हें उत्प्रेरित करना चाहिये, उन्हें अनुशासित रखना चाहिए और उन्हें सन्तुष्ट रखना चाहिए। ये तीनों बातें साथ-साथ चलनी चाहिये।

कभी-कभी ऐसा होता है कि 'रा' के ये लड़के विदेशों में जाते हैं। मान लें 'रा' के किसी अधिकारी को स्पेन भेजा जाता है। आप स्पेनिश पढ़ने के लिए उसे किसी स्कूल में भेजते हैं। उसके बाद उसे चिली अथवा इंडोनेशिया भेजते हैं। वह तो बेकार हो जाता है। आपको एक नीति बनानी चाहिए। जिस व्यक्ति को किसी विशेष देश के लिये उपयुक्त प्रशिक्षण दिया है। उसे उसी देश में भेजा जाना चाहिए। अन्यथा आपका व्यय किया गया धन व्यर्थ चला जाता है।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का न तो समर्थन करता हूं न विरोध ही।

सभापति महोदया : तब आप क्या करते हैं ?

श्री नारायण चौबे : गरीब कर्मचारियों में अनुशासन तथा सन्तोष होना चाहिए। तथा

[श्री नारायण चौबे]

उसके साथ ही उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया जाए कि हमारे देश को और राष्ट्र को बचाया जाना है। हमें अपना कर्त्तव्य करना है। कुछ उत्प्रेरणा होनी चाहिए। वे समाजवाद आदि की बातें करते हैं। परन्तु सुरक्षा कर्मचारी भूखे मर रहे हैं। धनी लोग कारों में घूमते हैं तथा समृद्ध जीवन बिताते हैं। परन्तु उनके बालक भूखे मरते हैं। ऐसी स्थिति उन्हें कभी उत्प्रेरित नहीं कर सकती। उनको उत्प्रेरित करके ही आप सफलता पा सकते हैं। अन्यथा आप कितने भी दृढ़ हों आपको सफलता नहीं मिल सकती।

श्री शान्ता राम नायक (पणजी) : महोदया, मुझे दो-तीन निवेदन करने हैं। 'रा' तथा आसूचना विभाग हमारे देश के बड़े नाजुक अंग तथा इन आसूचना विभागों को मैं महत्त्व देता हूं।

मैंने इस विधेयक को देखा है जिसके खण्ड 3 द्वारा कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। बेशक ये प्रतिबन्ध अत्यन्त अनिवार्य हैं फिर भी मैं समझता हूं कि संविधान के भाग तीन में निहित उपबन्धों के कारण,पूर्ण प्रतिबन्ध नहीं लगाये जा सके। इन दो संगठनों के कार्मिकों के बारे में मैं समझता हूं कि कुछ समस्याएं होंगी। उदाहरण के तौर पर यदि खण्ड 3 के अन्तर्गत कोई कार्यवाही की जाती है तो वे अनुच्छेद 226 और 32 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। निःसन्देह भाग तीन में कहा गया है कि जब तक भाग तीन को पूर्णतः हटा नहीं दिया जाता तब तक न्यायालय जाने से किसी कर्मचारी को कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि इन दो संगठनों के कर्मचारियों पर पूरी रोक नहीं लगाई गई है अतः उन्हें अनुच्छेद 226 और 32 उपलब्ध रहेगा। यदि कोई व्यक्ति उच्च अथवा उच्चतम न्यायालय जाता है तो खण्ड 3 के उपबन्धों के अनुसार उसकी याचिका रद्द की जा सकती है। फिर भी यदि न्यायालय अनुभव करता है कि प्रत्यक्षतः मामला बनता है तो वे कम से कम दो-तीन महीने के लिए रोकादेश जारी कर सकते हैं और यदि आवांछित व्यक्ति के पक्ष में रोकादेश जारी हो जाता है तो कुछ समस्याएं रहेंगी।

अतः मैं चाहता हूं कि गृह मन्त्री महोदय इस पर ध्यान दें कि इन संगठनों के कार्मिकों के मामले में मौलिक अधिकारों सम्बन्धी पूरा अध्याय किया जाये क्योंकि मेरे अनुसार यह अनिवार्य है।

4.00 म० प०

दूसरे केन्द्रीय सिविल कर्मचारियों के लिए आचरण संहिता है। उसमें कुछ उपबन्ध विधेयक के खण्ड 3 में निहित उपबन्धों के समान ही लगते हैं। इसके अतिरिक्त शासकीय गुप्त बात अधिनियम में निहित उपबन्ध भी विधेयक के खण्ड 3 में निहित उपबन्धों के समान हैं। खण्ड 3 में इस अधिनियम के बारे में कोई उल्लेख नहीं है कि क्या खण्ड 3 शासकीय गुप्त बात अधिनियम तथा आचरण संहिता के उपबन्धों के होते हुए भी वैध होगा। इसके अतिरिक्त खण्ड 3, उप खण्ड (घ) में निहित है :

> "पदीय कर्त्तव्य के प्रयोजनों के सिवाय ऐसे आसूचना संगठन का जिसका वह सदस्य है, कार्यकरण, ढांचे, कार्मिक या संगठनात्मक क्रियाकलापों में उपबंधित किसी विषय पर किसी व्यक्ति से सम्पर्क या पत्राचार नहीं करेगा।"

यह उप-खण्ड जिसके बारे में है, मेरे विचार से आचरण संहिता में कुछ उपबन्ध हैं।

इसके अलावा, अन्ततः यदि कोई व्यक्ति, इन उपबन्धों का अधिलंघन करता है, तो इसके लिए क्या दण्ड है ? इसमें कहा गया है :

> "कोई व्यक्ति जो धारा 3 के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा तो इस बात का ध्यान किये बगैर कि उसके विरुद्ध अन्य कार्यवाही भी जा सकती है, वह कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा या जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक किया जा सकेगा, या दोनों प्रकार से दण्डनीय होगा।"

अब कोई भी न्यायालय पहले अपराध के लिए कारावास की सजा नहीं देगा। सामान्यतः न्यायालय जुर्माना करते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी न्यायालय पहले अपराध के लिए अधिकतम जुर्माना नहीं करेगा। इसका अर्थ है खण्ड 3(घ) में उल्लिखित जैसे गम्भीर अपराध के लिए व्यक्ति 500 रुपये या 1,000 रुपये जुर्माना देकर बरी हो सकता है।

जब तक कारावास का दण्ड अनिवार्य नहीं किया जाता और जुर्माना करने का विकल्प खत्म नहीं किया जाता तब तक यह विधेयक प्रभावी नहीं होगा क्योंकि ये गम्भीर अपराध हैं और इसलिए मैं सोचता हूं कि कारावास का दण्ड अनिवार्य खण्ड बनाया जाना चाहिए।

महोदय, जहां तक अनुसंधान तथा विश्लेषण स्कन्ध और आसूचना ब्यूरो दोनों का सम्बन्ध है, मैं अनुरोध करता हूं कि इन दोनों को समाप्त किया जाना चाहिए और केवल एक संगठन बनाया जाना चाहिए। देश के लिए और विदेश के लिए दो पृथक्-पृथक् आसूचना स्कन्ध हो सकते हैं। अनुसंधान तथा विश्लेषण स्कन्ध और आसूचना ब्यूरो की बजाए एक प्रमुख अधिकारी के अधीन एक ही संगठन होना चाहिए जिसकी विभिन्न कार्यों के लिए शाखाएं होनी चाहिए।

अन्त में, अनुसंधान तथा विश्लेषण स्कन्ध और आसूचना ब्यूरो में भुगतान शर्तों, वेतन आदि से सम्बन्धित जो भी कार्मिक समस्याएं हैं, वे हल की जाएं। मुझे पता चला है कि सेना कार्मिकों और अनुसंधान तथा विश्लेषण स्कन्ध में काम करने वाले भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों में बहुत अन्तर है। इस कारण उनमें फूट पड़ती है और अनुसंधान तथा विश्लेषण स्कन्ध के कार्यकरण पर प्रभाव पड़ता है। इस पहलू पर भी विचार किया जाए।

डा० दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : महोदया, यह अत्यन्त आश्चर्य की बात है कि राष्ट्र के ऐसे आसूचना विभाग के सम्बन्ध में सरकार को इस प्रकार का विधेयक लाना पड़ा है। मेरे विचार में आसूचना विभाग के समक्ष समस्याएं हैं और वह ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। मेरे विचार में, जैसा कि मेरे कुछ माननीय मित्रों ने ठीक ही कहा है कि हम उच्च स्थानों पर बैठे राजनीतिज्ञ इसके लिए उत्तरदायी हैं। मेरे विचार में आसूचना विभाग प्रमुख का अध्ययन करने में बहुत होशियार है और वह उसे प्रसन्न रखने के लिए काम करता है। जब प्रमुख असन्तुष्ट अथवा क्षुब्ध हो जाता है तो वह कहता है, "आप समझदार नहीं हैं, आप ये सब कर रहे हैं।"

पंजाब, असम और गुजरात में जो कुछ हुआ है उसके लिये हम आसूचना विभाग को दोषी नहीं ठहरा सकते। मैं इससे सहमत हूं कि वे ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। सरकार की जिम्मेदारी गरीबी, बेरोजगारी, आदि विभिन्न समस्याओं से निपटने की होनी चाहिए, जो अब बढ़ती जा रही हैं। हम श्रमिक समस्या से चिन्तित नहीं हैं। और जब कुछ होता है वह श्रमिकों का दमन आरम्भ कर

[डा० दत्ता सामन्त]

देते हैं। पुलिस को यूनियन नहीं बनानी चाहिए, सी० आर० पी० को यूनियन नहीं बनानी चाहिए। अन्ततः आपका यही विचार है कि यूनियनों के कारण ही सब कुछ हो रहा है। महोदय खण्ड (3) उप खण्ड (क) इस प्रकार है :

"किसी व्यवसाय संघ, श्रमिक संघ, राजनीतिक संगम या व्यवसाय संघों, श्रमिक संघों या राजनीतिक संगमों के किसी वर्ग का सदस्य नहीं होगा या उनसे किसी भी रूप में सहयुक्त नहीं होगा; या

सरकार के विचार में यूनियन आसूचना को नुकसान पहुंचा रही हैं। कहीं कोई गलत बात तो है। माननीय मन्त्री महोदय ने कहा है कि वह इस संबंध में पता लगाएंगे। कल ही आवश्यक सेवा अधिनियम पारित किया गया है। इसमे यह कहा गया है कि वारन्ट के बिना किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। आर्थिक अपराधियों को हाथ नहीं लगाया गया। यूनियन में यदि कोई हड़ताल करता है तो आप उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। मैं कहता हूं कुछ अच्छी यूनियन भी हैं। आप बम्बई के मुख्य मन्त्री रहे हैं आप मेरे साथ बम्बई आइये मैं आपको दो-तीन सौ फैक्ट्रियां दिखाऊंगा जहां मेरी सशक्त यूनियन काम कर रही है और वहां उत्पादन में वृद्धि हुई है और अनुशासन भी है। प्रीमियर आटोमोबाइल्स कारों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। श्रमिक अच्छा काम कर रहे हैं। आरम्भ में ही उन्हें 800 रुपये या 900 रुपये वेतन मिलता है। कुछ सफाई कर्मचारी 2,000 रुपये के लगभग प्रतिमास पा रहे हैं। वहां एक बार भी हड़ताल नहीं हुई है। मझगांव डाक शिपयार्ड में, जहां मेरी यूनियन के आदमी काम कर रहे हैं, उत्पादन दो गुना से भी अधिक बढ़ा है। वहां पनडुब्बियां बनती हैं। वहां मजदूरों को हड़ताल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि प्रबन्धक थोड़े समझदार हैं और श्रमिकों को सुविधाएं देते हैं तो मेरे विचार में श्रमिक अवश्य ही प्रबन्धकों को सहयोग करेंगे। मेरे विचार में हमारी आर्थिक असफलताएं और अन्य असफलताएं मजदूर संघों के कारण नहीं हैं। वे इन तथ्यों को छिपा रहे हैं और मैं यह नहीं कहता कि यह बड़े अधिकारियों के कारण है। विधेयक में इन शब्दों को रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक विधेयक की भाषा का सम्बन्ध है, सरकार का दृष्टिकोण श्रमिक वर्ग का धीरे-धीरे दमन करते रहने और सभा में उनकी निन्दा करते रहने का नहीं होना चाहिए और यदि सरकार का ऐसा दृष्टिकोण होगा तो मेरे विचार में एक ऐसा समय आएगा जब श्रमिक वर्ग के लिए कोई भी कार्य करना कठिन होगा। फिर कल आप कहेंगे कि विभाग का सचिव अपने विभाग में सरकारी कर्मचारियों पर नियन्त्रण कर रहा है और यदि वे ठीक ढंग से काम नहीं करेंगे तो आप कहेंगे यह एक आवश्यक सेवा है और आप उन्हें संगठित होने की अनुमति नहीं देंगे। कल सभा में जब आवश्यक सेवा अधिनियम पर चर्चा की गई तब आपने कहा था कि एसोसिएशन बनाना सबका मूल अधिकार है और यह एक बुनियादी बात है।

इसमें प्रयोग किये गये शब्द वास्तव में नुकसानदेह हैं और श्रमिक वर्ग के हित में नहीं हैं। राजनीतिक संगठनों की बात तो मैं समझ सकता हूं कि वे इस देश की किसी भी राजनीतिक संगठन की किसी भी गतिविधियों में भाग नहीं ले सकते हैं और यदि वे किसी राजनीतिक संगठन के सदस्य बनना चाहते हैं तो उसको अनुमति नहीं दी जाती। परन्तु आप कह रहे हैं कि मजदूर संघों की वजह से आप लोग देश में ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहे हैं मैं इसकी निन्दा करता हूं। अतः यह उनसे

ठीक ढंग से काम कराने का तरीका नहीं है। अथवा इस प्रकार के दमन से विपरीत प्रभाव पड़ेगा। आसूचना विभाग में आप उन्हें उनका अधिकार नहीं देते और इसलिए वे आपसे कभी सहयोग नहीं करेंगे।

महोदय, पुलिस विभाग में यही स्थिति है। पुलिस कर्मचारी दिन में 12, 13, या 14 घंटे काम करते हैं। लगभग 25 प्रतिशत कान्सटेबल बम्बई मे नहीं रहते। उन्हें गुलामों की भांति काम करना पड़ता है। कान्सटेबल का वेतन 600 से 700 रुपये महीना है। इन पुलिस वालों के कल्याण के लिए क्या प्रावधान किया गया है ? अब आप जिस तन्त्र का जिक्र कर रहे हैं वह पूर्णतया वरिष्ठ अधिकारियों के हाथों में होगा। अन्य विकल्प क्या है ? अन्य कोई तरीका नहीं है ? मैं सुझाव देता हूं कि पुलिस कर्मचारियों का सरकार में एक कर्मचारी के रूप में समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश उनकी ओर से हो। कम से कम इन लोगों की शिकायतों पर विचार करना होगा और उन्हें हल करना होगा। इस प्रकार का प्रावधान यदि सरकार देती है तो किसी हद तक इन लोगों के हितों का ध्यान रखा जा सकेगा। आपके पास उन्हें क्रियान्वित करने का कोई नियम नहीं है। इसके अनुसार आप उन्हें क्रियान्वित करने जा रहे हैं। आवश्यकता इस बात की है कि यदि कुछ वर्ग ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं तो आप स्पष्ट रूप से बताइये कि आसूचना स्कन्ध के ये अनुभाग और विभाग ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। हम इस सम्बन्ध में नहीं जानते। परन्तु अन्ततः यह निर्णय लिया जाएगा कि किस अनुभाग या विभाग को रखा जाए और किसको छोड़ा जाए। आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। अन्यथा यह काम करने का गलत तरीका होगा। यह सभा देश में सर्वोपरि है और सरकार को इस सभा में अधिनियमित करने हेतु कोई भी विधान प्रस्तुत करना चाहिए। आप इस धारा को सम्मिलित करने के कारणों को स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं ? वर्तमान विधेयक में मुझे तीन या चार स्थानों पर त्रुटियां नजर आई हैं। परन्तु आप उनके सम्बन्ध में कुछ नहीं कर रहे हैं। अतः मैं चाहता हूं कि इस पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। आप इसे खुला छोड़ रहे हैं। हम इसके बाद कुछ भी जोड़ सकते हैं और हटा सकते हैं। तत्पश्चात आप कह सकते है कि ये स्वतन्त्र विभाग हैं।

नियमों के संबंध में आपने ठीक ही कहा है कि नियम बनाये और क्रियान्वित किए जा सकते हैं और कानून की लड़ाई की यही जड़ हैं। परन्तु साथ ही आप कहते हैं कि ये नियम संसद द्वारा संसोधित किये जा सकते हैं और यदि संसद उन्हें स्वीकार नहीं करती तो इसमें परिवर्तन किया जाएगा। अतः इसमें जो त्रुटियां हैं वे सब वास्तव में अत्यंत गंभीर हैं। मुझे गृह मंत्री से आशा नहीं है कि वे इन त्रुटियों को चलने देंगे और सरकारी कर्मचारियों की गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाएंगे और फिर धीरे-धीरे निजी क्षेत्र के कर्मचारियों पर भी प्रतिबन्ध लगाएंगे। कल आपने कहा था कि औद्योगिक विवाद अधिनियम इन सभी मामलों में प्रयोग में लाया जाएगा और उनके विरुद्ध आवश्यक सेवा अधिनियम के अधीन कार्यवाही की जाएगी। परन्तु कानून में कोई प्रावधान नहीं है। इसे संशोधित करना होगा और उसके बाद ही कार्यवाही होगी। मेरे विचार में सरकारी नीतियां देश की आर्थिक नीतियां इसका प्रमुख कारण हैं और इसलिए वे ठीक ढंग से काम नहीं कर सकते। अतः इस नियम को क्रियान्वित करने के विचार में किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। इन कारणों से मैं विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री विजय एन० पाटिल (इरन्दोल) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[श्री विजय एन० पाटिल]

हमारे जैसे लोकतांत्रिक समाज में आसूचना विभाग सरकार के अन्य विभागों की अपेक्षा बाहरी शक्तियों से अधिक असुरक्षित है। विश्व आसूचना के उपग्रह युग में प्रवेश कर चुका है परन्तु हमारा देश इतना समृद्ध नहीं है कि वह आसूचना अभिकरणों के लिए अपेक्षित जानकारी उपग्रह से एकत्र कर सके। परन्तु इसके साथ ही हमारे लिए यह लज्जा की बात है कि इस देश का प्रधान मन्त्री उन लोगों की गोली का शिकार हुआ जिनसे उनकी रक्षा की अपेक्षा की जाती थी। विश्व में ऐसी मिसाल हमें कहीं नहीं मिलती। केवल एक राष्ट्राध्यक्ष गार्ड आफ आनर के समय गोली का शिकार बना है, वह भी अपने सुरक्षा करने वालों की गोली का नहीं। जैसा कि श्री मुंशी ने कहा है कि हमारे आसूचना विभाग का पुनर्गठन किया जाना चाहिये और इस पर समुचित नियन्त्रण रखा जाना चाहिए। हम देखते हैं कि निचले स्तर पर पुलिस सेवा के लिए जो लोग अवांछित हैं उन्हें सी० आई० डी० में रखा जाता है।

पिछले वर्ष कई खतरनाक मामलों का पता चला है। इनसे स्पष्ट होता है कि आसूचना विभाग पूर्णतया असफल रहा है। जासूसी कांड हुये हैं जिसमें कुमार नारायण जैसे लोगों का हाथ था और बेल्लारी बंदूक कांड है। बेल्लारी बंदूक कांड में श्री जी० लक्ष्मणन की पहुंच गृह मन्त्रालय की फाइलों तक थी। यह एक अत्यन्त गम्भीर मामला है।

मैं मंत्री महोदय से, जो पहले महाराष्ट्र के मुख्य मन्त्री रहे हैं और वित्त मंत्री तथा रक्षा मंत्री रहे हैं और विभिन्न महत्त्वपूर्ण मंत्रालयों के प्रभारी मंत्री रहे हैं और जिन्हें अच्छा अनुभव है, आसूचना संगठन का पुनर्गठन करने का अनुरोध करता हूं केवल इस विधेयक को लाना ही काफी नहीं है। इसका कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण है।

4.12 म० प०

(श्री जैनुल बशर पीठासीन हुए)

मेरे मित्र श्री सामन्त ने आसूचना विभाग के अधिकारियों द्वारा मजदूर संघों की गतिविधियों में भाग न लेने पर आपत्ति प्रकट की है। यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। आसूचना ब्यूरो अथवा अनुसंधान तथा विश्लेषण स्कंध में मजदूर संघों की कोई आवश्यकता नहीं है। श्री सामन्त तो संसद सदस्यों की भी यूनियन बना सकते हैं और जासूसों की भी यूनियन बना सकते हैं और इसका तो वह समर्थन भी करते हैं। इसके विपरीत अन्य विकासशील देशों में जासूसों की और आसूचना कार्मिकों के लिए भर्ती कैसे की जाती है। अभिकरण का नाम लिए बिना मैं उल्लेख करता हूं कि जासूसों की भर्ती कैसे की जाती है। निदेश है :

> "जाओ और ऐसे लोगों की तलाश करो जो भाग्य या प्रकृति की चोट खाए हैं, जो कुरूप हैं, जो हीन भावना से ग्रस्त हैं, सत्ता और प्रभाव की कामना करते हैं परन्तु प्रतिकूल परिस्थितियों से पराजित हैं।"

ऐसे लोगों को अधिकार दिये जाते हैं और वे आसूचना संगठनों में नियुक्त किये जाते हैं। वे श्रेष्ठता की भावना रखते हैं। वे स्वयं को अपने गिर्द सुन्दर और समृद्ध लोगों से श्रेष्ठ समझते हैं। वे

ऐसी आसूचना एजेंसियों के लिए और भी बेहतर काम करते हैं। अन्य एजेंसियों में भी सम्भावित जासूसों, सम्भावित खुफिया एजेंटों और विभागीय कर्मचारियों की जीवनी का अध्ययन किया जाता है। अपने विभाग में लेने से पहले उनका काफी गहराई से अध्ययन किया जाता है। दूसरे देशों में नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों के मामले में तो सजीव परीक्षण भी किए जाते हैं। इन परिस्थितियों में मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे शराब पीने के विरुद्ध भी एक खण्ड जोड़ें। हिटलर ने द्वितीय महायुद्ध से पहले रूस की सैन्य शक्ति का पता लगाने के लिए सुरा, सुन्दरी और धन का उपयोग किया था। सुरा, सुन्दरी और धन अत्यन्त प्रभावी हैं क्योंकि ये मनुष्य की कमजोरी हैं। आपने धन की व्यवस्था कर दी है किन्तु मैं महसूस करता हूं कि इस विधेयक में सुरा अर्थात् शराब का भी उल्लेख होना चाहिए और इस खण्ड को तदनुसार संशोधित किया जाना चाहिए।

विकसित देशों में भी खुफिया जानकारी एकत्र करने में इतना अधिक धन लगाये जाने के बाद भी एक एजेंसी इस प्रकार की जानकारी एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अनेक एजेंसियां बनाना जरूरी है। किंतु अंतः-विभागीय और अंतः एजेंसीय समन्वय बहुत आवश्यक है। अन्तः-विभागीय और अन्तः एजेंसीय ईर्ष्या बाधक बन जाती है और कम से कम इस क्षेत्र में तो लोगों को इस तरह से चुना जाना चाहिए और इस तरह के नियम बनाये जाने चाहिए कि जानकारी को उचित तरीके से एकत्र किया जा सके और उसका मूल्यांकन बेहतर ढंग से हो सके ताकि कानून और व्यवस्था बनाये रखने, में गृह मंत्रालय के कार्यचालन और विभिन्न देशों के बीच जानकारी के आदान-प्रदान के लिए अपेक्षित उचित खुफिया जानकारी हो। इससे उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का पूरा समर्थन करता हूं और मुझे बोलने का अवसर देने के लिये आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अयूब खां (झुन्झुनू) : जनाबे सदरे मोहतरिम, हमारे होम मिनिस्टर द्वारा जो बिल यहां लाया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं मैं इसके लिए अपनी तरफ से चन्द सजेशन्स पेश करता हूं। सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आर्मी की इंटेलिजेंस काम करती है, उसका सिलेक्शन जिस तरह से किया जाता है और जिस तरह की ट्रेनिंग उनको दी जाती है, क्या वैसी ही ट्रेनिंग हमारी इंटेलिजेंस को नही दी जा सकती है। हमारी सेना की इंटेलिजेंस ऐसी है कि यदि उसके किसी आदमी को दुश्मन पकड़ ले और उसके जिस्म के अगर टुकड़े-टुकड़े वह कर दे, तो भी हमारे आदमी की जबान नहीं खुल सकती है। अगर दुश्मन उसको कहे कि हैंड्स-अप, तो वह गोली खा सकता है, लेकिन हैंड्स-अप नहीं कर सकता है। ऐसी ही ट्रेनिंग क्या हम अपने खुफिया विभाग के लोगों को नहीं दे सकते हैं। ऐजुकेशन के हिसाब से सिलेक्शन हमारे इंटेलिजेंट की हो जैसे आर्मी में होती है। इसी प्रकार से उसकी मेडीकली सिलेक्शन हो ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसके अन्दर दिल है या नहीं क्योंकि केवल हथियार देने से ही काम नहीं चलेगा उसके अन्दर हथियार चलाने का दिल भी होना चाहिये। ऐसी भावना भी होनी चाहिए कि वह हथियार चला सके। हम जब मैदाने जंग में जाते हैं, तो मादरे वतन की मुकद्दस जमीन और उसके एक-एक टुकड़े की खातिर अपनी कुर्बानी देने से कभी गुरेज नहीं करेंगे। यही आदत यही काम होना चाहिए हमारे इंटेलिजेंट का, हमारे इंटेलिजेंट वालों का। जब हम कभी किसी आपरेशन में जाते हैं, तो हमें दुश्मन के एक-

[श्री मोहम्मद अयूब खां]

एक सिपाही का और कमांडर का नाम तक मालूम होता है और यह ताज्जुब की बात है कि इतने बड़े-बड़े कांड यहां हो जाते हैं और हमें पता तक नहीं चलता है। इससे ऐसा लगता है कि यहां पर एस०पी० से लेकर सिपाही तक किस तरह से पैसे का रेला चला हुआ है। एक सिपाही और थानेदार और एक ट्रैफिक के जवान का किस तरह से आपस में मुलाव्वेस है। अब हमारा सजैशन यह होगा कि जो इंटेलीजेंस के लोग हैं, उनके लिये अच्छा पे-कमीशन होना चाहिए, उनकी रिहाइश के लिए अलग बन्दोबस्त होना चाहिये। उनकी इस तरह ट्रेनिंग हो कि उनको पैसे का लालच अपने फर्ज से गुमराह न कर सके। उनको तमाम फैसिलिटीज हों और आला दर्जे की ट्रेनिंग हो ताकि मादरे-वतन की खिदमत की खातिर वह बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए भी गुरेज न करें।

मेरा यही सुझाव है और इसको मद्देनजर रखते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं धन्यवाद।

श्री सी० जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : माननीय सभापति जी, इस बिल में जो इंटेलिजेंस को राज्यों में अन्य एसोसियेशन्ज से दूर रखने के लिए कहा गया है, ठीक है। हमारे सामने कांग्रेस के लोगों ने जो बातचीत की, और कुछ बड़े-बड़े अफसरों को इसमें शामिल करके एक कंप्रीहैंसिव बिल लाने के लिए कहा तो यह अच्छा है, मैं उनकी राय से सहमत हूं।

जैसा कि मुंशी साहब ने बताया कि हमारी 'रा' इंटेलिजेंस रहने के बावजूद भी इंदिरा जी की हत्या हुई, ललित माकन की हत्या हुई। यही नहीं हमारे स्टेट में 3 तरह की इंटेलिजेंस हैं। एक स्टेट इंटेलिजेंस का स्पेशल ब्रांच होता है, आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है और 'रा' डिपार्टमेंट होता है। 'रा' डिपार्टमेंट और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में कोई सम्बन्ध नहीं रहता है।

मेरे पहले वक्ता ने बातचीत करते हुए बताया कि 'रा' इंटेलिजेंस यह काम करता है कि कांग्रेस के टिकटों को किन-किन को देना है, किन व्यक्तियों को टिकट देने से चुनाव में जीत हो सकती है।

एक माननीय सदस्य : जीतने के बाद नजर भी रखते हैं।

श्री सी० जंगा रेड्डी : ऐसी बातों में रा-डिपार्टमेंट को लगाना, इतना तो कह सकते हैं कि 'रा' और इंटेलिजेंस के लोग अपनी जगह पर बैठकर कुछ लोगों को पैसा देकर बातचीत करते हैं और स्टेट इंटेलिजेंस वाले तो 5, 7 के साथ होटलों में बैठते हैं और जो बातचीत होती है, उसके आधार पर लिखते हैं और आप उसके आधार पर एक्शन लेते हैं।

आपको मालूम होगा कि 1977 में जिस वक्त चुनाव घोषित किया गया तो 'रा' डिपार्टमेंट ने इन्दिरा जी को यह बता दिया कि कांग्रेस जीतने वाली है।

(व्यवधान)

यह बात आप सही मान लीजिए कि इतने दिनों से इन्टेलिजैंस और रा-डिपार्टमेंट कांग्रेस की जेब की संस्था, घरेलू संस्था और किचन की संस्था बन गई थी और कांग्रेस पार्टी के बारे में जितनी

इन्टेलिजेंस वह रखते थे, उतनी देश के बारे में नहीं रखना चाहते थे। इसलिए 1977 में उनकी खिलाफ राय के कारण चुनाव घोषित किये गये और चुनाव में कांग्रेस पराजित हो गई। इसी के कारण रा डिपार्टमेंट को दोषी बनाया गया कि तुमने गलत सलाह दी, गलत इन्फार्मेशन दी। इस तरह से मेरा कहने का मतलब यह है कि रा डिपार्टमेंट, जो पोलिटिकल पार्टी से दूर रहना चाहिए, वह उनके साथ रहने के कारण ऐसा हो रहा है। इसलिए उनको अलग रखना चाहिए, उनका अलग कैडर रखना चाहिए।

हम देखते हैं, कभी-कभी होता है कि सी० आई० ए० और के० पी० जी० ने किया। हम दूसरी एजेन्सीज को बदनाम करते हैं। अपने को सुधारने के लिए हम तैयार नहीं। हम दिखाना चाहते हैं कि अमेरिका और रशिया के रा डिपार्टमेंट की वजह से यह हुआ। हम अपनी असफलता को दूर करने के लिए उसे बाहर न आने देने के लिए दूसरी एजेन्सी को बदनाम करते हैं। उनकी इन्टेलिजेंस है, उनको खत्म करना चाहिए, उनको देखना चाहिए, उनको नजर में रखना चाहिए। अपनी इन्टेलि-जेंस को बढ़ाने के लिए क्या-क्या करना चाहिए।

1947 में आन्ध्र प्रदेश सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जिस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी वाले कहते थे कि वहां भूमि सुधार होना चाहिए, बंटवारा नहीं होना चाहिए, निजाम के खिलाफ हथियारों की लड़ाई उन्होंने की।

कुछ इन्टेलिजेंस वालों ने उस मूवमेंट में अपनी जान कुर्बान की, उसमें रहकर पूरी बात सरकार को पहुंचा दी, उनको आपकी तरफ से कोई इनाम वगैरह देना चाहिए।

जैसा कि राजस्थान के मित्र ने बताया कि जो मिलिट्री में एक जवान होता है, उसका कम-पैरिजन एक सिपाही से नहीं कर सकते। वह सिपाही पैसे के लालच में रहता है, लेकिन जवान पैसे के लालच में कभी नहीं रहता। उसके अन्दर देशभक्ति की भावना होने के कारण ही वह अपनी जान कुर्बान करने को तैयार रहता है। इस कारण इस इन्टेलिजेंस और रा को राजनीति से दूर रखना चाहिए और इसके साथ-साथ उनका एक अलग कैडर होना चाहिए।

हमने अखबारों में पढ़ा है कि हम इन्टेलिजेंस दूसरे देशों को भेजते हैं। सिलोन में क्या हो रहा है इण्डियन गवर्नमेंट ही तमिलों को उकसा रही है और पैसा व हथियार दे रही है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए।

महोदय, आपको मालूम ही होगा कि एशिया में जो इन्टेलिजेंस है, वह एक दूसरे पर निगाह रखती है। वह ऐसे निगाह रखती है जिसमे पता ही नहीं चलता है कि फलां आदमी उसके ऊपर निगाह रख रहा है। ऐसी इन्टेलिजेंस आपको भी बनानी होगी।

[अनुवाद]

गृह मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने चर्चा में भाग लिया। उन्होंने आसूचना एजेंसियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अपने मूल्यवान सुझाव दिये हैं।

[श्री एस० बी० चव्हाण]

मुझे 1980 की याद आती है जब मैं मंत्रिमण्डल में शामिल होने से पहले संसद सदस्य था। 'रा' और आसूचना ब्यूरो के कुछ सदस्य मेरे पास आये थे। उन्होंने अपनी शिकायतें मुझे बताई थीं। मैंने यहां माननीय सदस्यों के भाषण भी सुने हैं। अधिकांश माननीय सदस्यों ने एक जैसे मुद्दों को दोहराया है जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इस प्रकार का कानून बनाना कितना जरूरी है।

ठीक है, सबको शिकायतें होंगी। मैं इससे इन्कार नहीं कर सकता कि प्रत्येक व्यक्ति को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। वह चाहे पुलिस थाने में काम करता हो या आसूचना ब्यूरो में अन्ततः बात व्यक्ति के अपने चरित्र पर निर्भर करती है। पुलिस थाने में ऐसे ईमानदार लोग हो सकते हैं जो कभी भ्रष्ट न हों लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो किसी विशेष पुलिस थाने में जाने में ही विश्वास रखते हैं ताकि वे पर्याप्त धन कमा सकें।

अतः, मैं किसी की ओर से यह नहीं कह सकता कि पूरा संगठन ईमानदार है या पूरी तरह से भ्रष्ट है। सभी जगह सभी प्रकार के लोग रहते हैं।

श्री एच० ए० डोरा (श्रीकाकुलम) : अनुपात क्या है ?

श्री एस० बी० चव्हाण : अनुपात निर्भर करता है कि उनकी निगरानी कौन करता है। चूंकि मैं देश के एक बड़े राज्य का प्रशासन सम्भाल चुका हूं इसलिए मैं जानता हूं कि कुछ लोगों ने किसी विशेष स्थान पर जाने के लिए क्या प्रयत्न किये थे; और जब उन्हें वहां नियुक्त नहीं किया गया तो उन्होंने क्या-क्या झूठी अफवाहें फैलाई थीं।

ये लोग जो किन्हीं चीजों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, पहले ही सर्वोच्च न्यायालय में अपना मामला ले जा चुके हैं। वे सभी प्रकार की झूठी अफवाहें फैला रहे हैं। वे आधी सच्चाई बता रहे हैं ताकि आप सरकार को गालियां निकाल सकें कि सरकार यह नहीं कर सकी, वह नहीं कर सकी। यह अर्ध सत्य अनेक लोगों द्वारा फैलाया जा रहा है, जिसमें बाहरी एजेंसियां भी शामिल हैं। यह बहुत खतरनाक प्रवृत्ति है और यदि ये चीजें जारी रहीं तो मैं सोचता हूं कि इसके काफी खतरनाक परिणाम निकलेंगे। इसलिए हमने आवश्यक समझा कि इस प्रकार का विधेयक लाया जाये। ऐसा अनुच्छेद 33 में संशोधन करके किया जा सकता था। 1984 में हम ऐसा कानून नहीं बना सके क्योंकि वह कानून सशस्त्र दलों, पुलिस कांस्टेबलरी और अन्य लोगों तक सीमित था। इस प्रकार का विधेयक के लिए कोई उपबन्ध नहीं था इसीलिए सितम्बर 84 में अनुच्छेद 33 में संशोधन किया गया जिससे संसद को इस प्रकार का कानून बनाने की शक्ति मिल गई।

मैं दो-तीन बातों को स्पष्ट करना चाहता हूं। वास्तव में, मैं राज्य सभा में जल्दी जाना चाहता हूं। मेरे दो विधेयक विचाराधीन हैं। मुझे नहीं पता कि मैं उनसे क्या कहूंगा। बस, माफी मांग लूंगा। श्री श्याम लाल यादव के सुझाव से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि सरकारी सेवाओं में नई भरती के समय और विशेषकर आसूचना ब्यूरो और 'रा' में भरती किये जाने के समय कर्मचारियों के पूर्ववृत्त की जांच की जानी चाहिए। मैं मानता हूं कि जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, उससे यह बात साफ हो जाती है कि लोगों के पूर्ववृत्त का पता भी ठीक से नहीं लगाया जा रहा है। इस प्रकार के लोग भरती किये

गये हैं, जो अपने संगठन को सर्वोच्च न्यायालय तक घसीट ले जा सकते हैं और सभी जगह उसकी निंदा कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि बुनियादी तौर पर कुछ गलत है, और गलत लोगों को भरती किया गया है। वे सब प्रकार की बातें फैला रहे हैं। मैं उन सबके विस्तार में नहीं जाना चाहता हू और मेरे लिए किसी संगठन का बचाव करना उचित नहीं होगा, हालांकि आपने मुझे कुछ करने के लिए उकसाया है। लेकिन मैं समझता हूं मुझे शांत रहना चाहिए और आप जिन मुद्दों पर मेरी प्रतिक्रिया चाहते हैं, उन पर चुप रहूं।

एक बात यह उठाई गई थी कि यह सही है कि कुछ रोक लगाई गई है किन्तु सेवानिवृत्त होने के बाद उन पर क्या कोई रोक है ? सेवानिवृत्ति के बाद भी शासकीय गुप्त बात अधिनियम लागू रहता है और मैं नहीं समझता कि जो लोग गुप्त बातों से भिज्ञ हैं, वे उन बातों को प्रकट कर सकते हैं। उन्हें ऐसा करने की मनाही है। यदि कोई ऐसा करता है तो हम निश्चय ही ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। केन्द्रीय आसूचना ब्यूरो को इससे बाहर क्यों रखा गया है ? मेरे विचार से 1966 के अधिनियम में पुलिस की सभी जांच एजेंसियां आ जाती हैं और इसीलिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो के लिए अलग से उपबन्ध नहीं बनाया गया है।

मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया किन्तु शायद नियमों तथा सरकार द्वारा ली गई समर्थनकारी शक्तियों के बारे में कुछ कहा गया था। ऐसा इसलिए किया गया है कि इस समय तो कुछ आसूचना शाखाएं हैं—एक तो आंतरिक और दूसरी बाह्य आसूचना के लिए—किन्तु भविष्य में हो सकता है इस प्रकार के आसूचना कार्य के लिए और अधिक शाखाएं जोड़ी जाएं। इस समर्थकारी उपबन्ध की व्यवस्था इसलिए की गई है कि यदि बाद में कोई एजेंसी बनाई जाए तो वह भी इसके अन्तर्गत आ जाए।

श्री डागा ने यह बात उठाई थी कि यदि अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति कोई विशेष निर्णय लेती है तो इस अधिनियम का क्या होगा ? मैं समझता हूं कि मामले के अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के समक्ष जाने से पहले नियम बनाने होंगे। हम अधिनियम को निलम्बित नहीं रख सकते हैं और नियमों को स्वीकृति के लिए सभा के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। यदि सभा चाहे तो उन नियमों का अनुमोदन कर सकती है या सभा उन नियमों में संशोधन कर सकती है। यदि सभा कोई संशोधन करती है तो संशोधित नियम लागू हो जाएंगे। अतः इन सभी नियमों को अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के समक्ष विचारार्थ रखने का काम काफी देर बाद होगा। तब तक हम इस प्रकार से जारी नहीं रख सकते हैं। बाद में भी अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति यह सिफारिश करेगी कि इसके लिए सांविधिक उपबन्ध की आवश्यकता है या नहीं और क्या जो नियम बनाये गए हैं, हम उन्हें अधिनियम के अन्तर्गत बना सकते थे ? केवल इसी मुद्दे पर समिति विचार कर सकती है। यदि हम तब तक प्रतीक्षा करते रहे तो जिस प्रयोजन के लिए इस अधिनियम को लाया गया है, वह ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए हम अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति द्वारा अधिनियम के ब्यौरे पर विचार करने तक प्रतीक्षा नहीं करते रह सकते।

माननीय सदस्यों ने मुख्यतया इन्हीं मुद्दों को उठाया था। एक-दो सदस्यों का विचार था कि संघ बनाने, विचारों की अभिव्यक्ति और अन्य बातों की पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए। श्री थामस काफी आलोचना कर रहे थे। वह कह रहे थे कि इन अधिकारों को दबाने के कारण ही ये सब बातें

[श्री एस० बी० चव्हाण]

हो रही हैं। किन्तु तथ्यों से यह साबित नहीं होता है। 1979 से 1985 तक आप जानते हैं किस प्रकार स्थिति रही है। राजनीतिक कारणों से अनुशासनहीनता बढ़ी है। मैं उन सब बातों में नहीं जाना चाहता। जिस प्रकार का प्रोत्साहन दिया गया, उससे स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि वे लोग न्यायालय में चले गए हैं। लेकिन यह ऐसा मामला है जिसका मुकाबला सर्वोच्च न्यायालय स्तर पर किया जा सकता है।

प्रो० एन० जी० रंगा : समन्वय के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री एस० बी० चव्हाण : समन्वय की निश्चय ही आवश्यकता है किन्तु अनेक ऐसी चीजें हैं, जिनके बारे में हालांकि मैं बता सकता हूं कि क्या किया जा रहा है। लेकिन मैं नहीं समझता कि उन्हें भी सभा में प्रकट किया जाना चाहिए।

उनकी सेवा में सुधार की आवश्यकता है। मैंने अधिकारियों को इस बारे में ध्यान देने को कहा है। यदि आप उन्हें संघ बनाने से रोकते हैं तो कोई ऐसा वैकल्पिक मंच होना चाहिए जिसके माध्यम से उनकी उचित शिकायतों को दूर किया जा सके। शीर्ष और क्षेत्रीय स्तर पर ऐसा कोई संगठन होना चाहिए जिसके माध्यम से वे अपनी शिकायतें प्रस्तुत कर सकें और अधिकारी भी ऐसे हों जो उन शिकायतों को दूर कर सकें। हो सकता है कुछ मामलों में वित्तीय आवश्यकताएं हों। वे ऐसे मामले निदेशकों को भेज सकते हैं तथा निदेशक उन मामलों को सरकार के ध्यान में ला सकते हैं ताकि उन शिकायतों को दूर किया जा सके। मेरे विचार से इन लोगों की शिकायतों की जांच करने के लिए नियुक्त किये जाने वाले तंत्र को संहिताबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि आसूचना या प्रति-आसूचना के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित कुछ संगठनों के सदस्यों पर लागू होने में संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकारों का निर्बन्धन करने का, जिससे कि उनके कर्त्तव्यों का उचित पालन और उनमें अनुशासन बनाए रखना सुनिश्चित रहे, का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब हम खण्डों को लेते हैं।

प्रश्न यह है :

> "कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : खण्ड 3, श्री मुंशी क्या आप अपना संशोधन पेश कर रहे हैं ?

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : जी नहीं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

प्रस्ताव 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 4 से 7 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

4.40. म० प०

तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम अगली मद संख्या 14 पर विचार करेंगे। श्री पी० ए० संगमा।

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : महोदय मैं प्रस्ताव* करता हूं :

"कि तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के अधीन तम्बाकू बोर्ड की स्थापना 1976 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है तम्बाकू उद्योग का विकास तथा उत्पादन का विनियमन और भारत तथा विदेशों में मांग को देखते हुए वर्जीनिया तम्बाकू का संसाधन तथा तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यात का

* राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

[श्री पी० ए० संगमा]

संवर्धन। तम्बाकू बोर्ड के कार्यकरण, अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों की कार्यकुशलता और खामियों पर, उत्पादकों, संसाधकों, व्यापारियों, निर्यातकों तथा कच्चे तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों से सम्बद्ध अन्य मामलों की समस्याओं पर सरकार निरन्तर जांच करती रही है। तम्बाकू के उत्पादन, विकास, विपणन और निर्यात में बोर्ड द्वारा अधिक प्रभावी भूमिका निभाने के विचार से, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के उपबन्धों में उपयुक्त संशोधन करना आवश्यक पाया गया है। तदनुसार, निम्नांकित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, अधिनियम में संशोधन करने का विचार किया गया है।

(एक) बोर्ड में अधिक सहभागिता के लिए उगाने वालों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि की जाए;

(दो) अन्य बातों के साथ, देश के विभिन्न ऐसे प्रदेशों में जहां वर्जीनिया तम्बाकू उगाया जाता है, मृदा की विशिष्टताओं और कृषि जलवायु सम्बन्धी बातों के विभेद के तथा उन प्रदेशों में उत्पादित वर्जीनिया तम्बाकू की क्वालिटी और मात्रा पर उसके प्रभाव के आधार पर उत्पादन को विनियमित करने के लिए तम्बाकू बोर्ड को सशक्त किया जाये;

(तीन) वर्जीनिया तम्बाकू के प्रसंस्कर्ताओं से और उससे बनाए गए उत्पादों के विनिर्माताओं से अपने को तम्बाकू बोर्ड के साथ रजिस्ट्रीकृत बनाने की अपेक्षा की जाए। उससे बोर्ड को ऐसे सिगरेट विनिर्माताओं, जो वर्जीनिया तम्बाकू के प्रमुख क्रेता हैं, पर नियन्त्रण करने और उत्पादकों से निर्माताओं द्वारा इस तम्बाकू की नियमित खरीद की निगरानी करने में सहायता मिलेगी;

(चार) वाणिज्यिक श्रेणीकरण के लिए श्रेणीकर्ताओं को अनुज्ञापन देना। इससे किसानों को नीलामी प्लेटफार्मों में उचित श्रेणीकृत वर्जीनिया तम्बाकू लाने में सहायता मिलेगी जिससे उन्हें नीलामी में लाभप्रद मूल्य प्राप्त होंगे;

(पांच) खत्तियों के निर्माण और संचालन हेतु लाइसेंस प्रदान करना, जो कि खत्ती की क्षमता को विनियमित करेगा, और इस प्रकार उत्पादन नियन्त्रण को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगा;

(छः) तम्बाकू व्यापार में कुछ अनुचित कार्यों को प्रतिषिद्ध किया जाए;

(सात) केवल अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उल्लंघन के लिए ही नहीं अपितु अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अधीन भी अभियोजन के लिए उपबन्ध किया जाए और उसके उल्लंघन के लिए वर्धित शास्तियों का उपबन्ध किया जाए।

इस अवसर का लाभ उठाया जा रहा है जिससे अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की सिफारिशों के अनुसार, तम्बाकू बोर्ड की हानियों को बट्टेखाते में डालने की शक्ति से सम्बद्ध उपबन्ध को इस अधिनियम में सम्मिलित किया जा सके। इस अवसर का इसलिए भी लाभ उठाया जा रहा है जिससे विनियमों को संसद के समक्ष रखे जाने के लिए उपबन्ध किया जा सके।

इन कुछेक शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अब श्री पेंचालैया।

श्री पी० पेंचालैया (नैल्लोर) : सभापति महोदय, तम्बाकू भारत से निर्यातित वस्तुओं में सर्वप्रमुख परम्परागत मद है। तम्बाकू एक ऐसी मद है जिसे विश्व में कहीं भी तैयार मण्डी मिल सकती है। तम्बाकू के निर्यात में भारत का तृतीय स्थान है। फिर भी यह देखकर हैरानी होती है कि सरकार और अधिक तम्बाकू का उत्पादन करने तथा अधिक निर्यात करने का कोई प्रयास नहीं कर रही है। हाल के वर्षों में हमारे सर्वाधिक निर्यातों के बावजूद हमें इंजीनियरी सामान जैसी गैर-परम्परागत मदों के निर्यात में कठोर संघर्ष करना पड़ रहा है। हम अपने लक्ष्य से बहुत पीछे हैं।

यदि थोड़ा-सा भी प्रयास किया जाए तो हम और अधिक तम्बाकू पैदा कर सकते हैं। थोड़े प्रयास से हम अपने पैदा किए गये तम्बाकू का बहुत आसानी से निर्यात कर सकते हैं और इस प्रकार कहीं अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं। उत्तरी अफ्रीका के देश, मिस्र, अल्जीरिया और सोवियत संघ और अधिक तम्बाकू के लिए बारम्बार हमारे द्वार खटखटा रहे हैं। अतः, देश में अधिक तम्बाकू उत्पादित करने के प्रयास किये जाने चाहिए। आन्ध्र प्रदेश जैसे राज्यों को जहां पर बढ़िया किस्म का तम्बाकू पैदा किया जाता है, अधिक तम्बाकू पैदा करने के लिए प्रोत्साहन, दिया जाना चाहिये।

मैं आन्ध्र प्रदेश में तम्बाकू बोर्ड द्वारा खोले गये नीलामी केन्द्रों के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। खोले गये 21 केन्द्रों में से, सात को खराब मौसम का सामना करना पड़ा। इन सात केन्द्रों के व्यापारियों ने एक गुट सिंडीकेट बना लिया और बढ़िया किस्म के एफ-I ग्रेड तम्बाकू की कीमत 1,250/-रुपये प्रति क्विंटल रखने का प्रयास किया। उत्पादकों को धोखा देने के व्यापारियों के इस घोर निन्दनीय रवैये के कारण हिंसा भड़क गई थी। परन्तु चूंकि विदेशी खरीददार आगे आ रहे थे और तम्बाकू बोर्ड ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया था तो तनाव समाप्त हो गया था और उत्पादकों को 1450/-रुपये से लेकर 1,600/-रुपये प्रति क्विंटल तक मूल्य प्राप्त हुआ। अतः, नीलामी केन्द्र प्रणाली को नष्ट करने की व्यापारियों की चालाकीपूर्ण कार्यवाहियों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। सरकार को किसानों के हितों के सुरक्षार्थ हर प्रयास करना चाहिये।

तम्बाकू की पैदावार बढ़ाने के लिए कच्चे माल की लागत बड़ी तेजी से बढ़ी है। कच्चे माल और खेती की लागत में तीस प्रतिशत की वृद्धि हुई है। प्रकृति की मौज के कारण किसानों को और दस प्रतिशत खर्च करना पड़ता है। जैसे कि यह बढ़ोतरी पर्याप्त नहीं है, खत्तियों में संसाधन के काम आने

[श्री पी० पेंचालैया]

वाले कोयले की कीमतें तीस प्रतिशत बढ़ गई हैं। इन परिस्थितियों के अधीन, लाभ कमाने की बात तो जाने दीजिए; तम्बाकू उत्पादकों को आज जो कुछ मिल रहा है, उससे मुश्किल से ही उनकी लागत पूरी हो सकती है। किसानों को मिलने वाली कीमतें लाभप्रद होनी चाहिए। अन्यथा मुझे आशंका है कि आने वाले वर्षों में उत्पादन में भारी गिरावट आ सकती है जैसा कि चीनी के मामले में हुआ था।

तम्बाकू बोर्ड को उन कारणों का पता लगाने के लिए एक अध्ययन कराना चाहिये कि आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में वी० एफ० सी० तम्बाकू का उत्पादन कम क्यों है, और उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपयुक्त उपायों की सिफारिश करनी चाहिए।

छोटे और सीमान्त किसानों को केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता मिलती है। आजकल छोटे और सीमान्त तम्बाकू उत्पादक किसानों को इन लाभों से वंचित रखा जा रहा है। मेरा केन्द्रीय सरकार से निवेदन है कि केन्द्र द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सभी प्रकार के लाभ छोटे और सीमान्त किसानों को भी मिलने चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं और आपको अवसर प्रदान करने हेतु धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री राम स्वरूप राम (गया) : सभापति महोदय, भारत दुनिया का दूसरा देश है जो प्रति वर्ष साढ़े तीन सौ मिलियन के० जी० तम्बाकू पैदा करता है और तम्बाकू एक्सपोर्ट करने वाले देशों में इसकी छठी पोजीशन है और यह विरजीनिया तम्बाकू प्रति वर्ष 55 मिलियन के० जी० दूसरे देशों को निर्यात करता है। जो बिल हमारे माननीय मंत्री जी तम्बाकू उद्योग का माड्रेनाइजेशन करने के लिए लाए हैं, उसका मैं हार्दिक रूप से समर्थन करता हूं।

तम्बाकू का उद्योग और तम्बाकू की खेती हमारे देश में बड़ी उपेक्षित रही है। इसके लिए कोई स्ट्रांग लेजिसलेशन नहीं लाया गया है, जिसकी वजह से टोबाकू ग्रोअर्स को उत्पादन में जो एन्करेजमेंट मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला और इसका उत्पादन बढ़ नहीं रहा है और इसकी उपेक्षा होती रही है। इस बिल के अन्तर्गत सरकार ने ध्यान दिया है और इन्होंने इस बिल में यह प्रोविजन रखा है कि जो टोबाकू बोर्ड है, उसका पुनर्गठन करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि प्राइवेट कम्पनियां टोबाकू ग्रोअर्स से तम्बाकू खरीदती रही हैं और सरकार ने इसकी खरीद और बिक्री पर अपना ध्यान नहीं दिया। प्राइवेट कम्पनी और प्राइवेट डीलर्स किसानों से वहां जाकर कम दामों में तम्बाकू खरीदते रहे हैं और जितना इन्सेंटिव किसानों को देना चाहिए था उतना नहीं दिया गया और कोई मानीटरिंग भी नहीं की गई। कोई स्ट्रांग लेजिसलेशन भी नहीं बनाया, जो उनकी रक्षा करता। इसलिए ये हमेशा उपेक्षित रहे हैं। आज स्थिति यह है कि विदेशों में तम्बाकू की और खासकर विरजीनिया तम्बाकू की काफी मांग है। हम इन्टेंसिव केअर में अगर इसकी खेती करें और उत्पादन को बढ़ाएं, तो अच्छी खासी विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकेगी और जो तम्बाकू के ग्रोअर्स हैं, उनको भी काफी सहायता मिल सकेगी।

मैं किसी वाद-विवाद में नहीं जाना चाहता। आन्ध्र प्रदेश में वहां पर एस० टी० सी० ने कुछ

खरीद बिक्री के लिए वहां के लोगों को आथेराइज किया । 6 नवम्बर 1984 को जो वहां पर तम्बाकू की खरीद-बिक्री के लिए एजेन्सी नियुक्त की गई थी, उसके बारे में 'स्टेट्समेन' में यह खबर आई है। उसे मैं कोट कर रहा हूं :

[अनुवाद]

यू० एन० आई० (यूनाईटिड न्यूज आफ इण्डिया) के समाचार के अनुसार केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने, जिसने आन्ध्र प्रदेश में हाल ही में तम्बाकू घोटाले की जांच की थी, विशेष पुलिस संगठन के मामलों की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश के समक्ष चार आरोप-पत्र दाखिल किए हैं, जिसमें बारह तम्बाकू कम्पनियां और राज्य व्यापार निगम के छह अधिकारी संलिप्त हैं।

आरोप-पत्रों के अनुसार, राज्य व्यापार निगम के अधिकारियों ने कम्पनियों के साथ मिली भगत करके केन्द्रीय सरकार को कुल 27 लाख रुपये के राजस्व से प्रवंचित किया था।

[हिन्दी]

ये प्राइवेट कम्पनियां हैं ये हमारे तम्बाकू उत्पादकों को एक उपनिवेश समझती हैं। हमारे बिहार राज्य में वर्जीनिया तम्बाकू ज्यादा पैदा नहीं होता है लेकिन हम तम्बाकू जरूर पैदा करते हैं। इस खेती को वहां भी उपनिवेश के रूप में लेते हैं। जो भाव ग्रोअर्स को तम्बाकू का मिलना चाहिए, वह भाव उनको नहीं मिलता है।

मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप एक बहुत स्ट्रांग लेजिस्लेशन लाये हैं। लेकिन आपने इसमें हैवी पनिशमेंट की व्यवस्था नहीं की है। इसमें साधारण पनिशमेंट की काफी गुंजाइश है। नहीं तो आपके जो प्राइवेट कम्पनी वाले लोग हैं, प्राइवेट डीलर्स हैं, खासतौर पर जो सिग्रेट बनाने वाली कम्पनियां हैं ये आपके नेक इरादों को पूरा नहीं होने देंगे। उनको वे सेबोटेज करेंगे।

पिछले सत्र में इस सदन में एक बिल आया था जिसमें आई० टी० सी० कम्पनी को टेक ओवर करने की बात कही गई थी। इस कम्पनी में मजदूरों का बहुत शोषण होता है। उन्हें कांट्रेक्ट पर रखा जाता है, परमानेंट नहीं किया जाता है। उस कम्पनी की परफोरमेंस भी बहुत खराब है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आई०टी० सी० कम्पनी के लिए लेजिस्लेशन लाकर उसे टेक ओवर करें। जिससे उसमें जो तमाम खराबियां हैं वे दूर हो सकें।

मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप तम्बाकू बोर्ड को पुनर्गठित कर रहे हैं। आपने इसमें प्रोविजन रखा है कि इसमें आठ या दस मेम्बर होंगे जो कि आप नोमिनेट करेंगे। इसमें आप तम्बाकू ग्रोअर्स के प्रतिनिधि भी रखेंगे। मैं यहां कहना चाहूंगा कि तम्बाकू उत्पादकों के साथ काम करने वाले जो मजदूर हैं उनको आप किसानों की परिभाषा से अलग रखें। किसानों की परिभाषा में मजदूरों को एसोसियेट नहीं करना चाहिए। मजदूर किसानों की परिभाषा में नहीं आते हैं। जब आप तम्बाकू बोर्ड को गठित करें तो उसमें सही मायनों में मजदूरों के प्रतिनिधि भी रखें। उसमें तम्बाकू ग्रोअर्स का प्रतिनिधि हो

[श्री राम स्वरूप राम]

और मजदूरों का प्रतिनिधि भी हो। तभी हम किसानों और मजदूरों के हित में इस व्यवस्था को कारगर ढंग से कर सकेंगे। इस क्षेत्र को हम महत्व दे रहे हैं, यह अच्छी बात है। हमें इस क्षेत्र से अधिक से अधिक एक्सपोर्ट करना चाहिए।

सिग्रेट पर लिखा रहता है कि "इन्जूरियस टू हेल्थ"। हमने सिग्रेट पीने वाली जनता को वार-निंग दी है कि सिग्रेट पीने से लंग्स, हार्ट और बहुत सी दूसरी चीजें अफेक्ट होती हैं। हमने कुबूल किया है कि सिग्रेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैं चाहता हूं कि जो रद्दी किस्म की सिग्रेटें बनती हैं उन पर हमें बैन लगाना चाहिए। मैं देखता हूं कि हमारे मास मीडिया पर सिग्रेटों का प्रचार किया जाता है।

पब्लिक प्लेसेज पर इस तरह के पोस्टर्स लगाये जाते हैं कि यह वर्जीनिया का बहुत अच्छा सिगरेट है और पीने के लिए उत्तम है। उसके साथ-साथ नीचे की तरफ लिखा होता है—इन्जूरियस टू हेल्थ—इसका पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है···

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : बहुत छोटे अक्षरों में लिखा होता है···

श्री राम स्वरूप राम : जी हां, बहुत छोटे अक्षरों में लिखा होता है। मैं तो चाहता हूं कि इसे आप एक्सपोर्ट ओरियेन्टिड बनाईये ताकि टोबैको ग्रोअर्स को ज्यादा से ज्यादा इन्सैन्टिव मिले और इसकी खेती को प्रोत्साहन मिले।

दूसरी बात यह है कि हर स्टेट में इसकी खेती नहीं होती, जैसा हम देखते हैं, हर स्टेट में तम्बाकू पैदा नहीं किया जाता। मैं चाहता हूं कि पूरे देश में एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट की तरफ से एक सर्वे किया जाना चाहिए जिससे यह पता लगाया जा सके कि किन-किन राज्यों में ऐसा क्लाइमेट उपलब्ध है, जिसमें तम्बाकू की खेती की जा सके, तम्बाकू पैदा हो सके। उसके लिए आप एक मौनिटरिंग कीजिए। हम समझते हैं कि बहुत से स्टेट आपके छूट जाते हैं। मैं चाहता हूं कि हर स्टेट के क्लाइमेट की जांच के लिए आप आवश्यक कदम उठायें। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और सभापति जी के प्रति धन्यवाद प्रकट करता हुआ अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

***श्री एस० एम० गुरड्डी** (बीजापुर) : सभापति महोदय, तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1985 पर की जा रही चर्चा में भाग लेते हुए मैं कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों का उल्लेख करना चाहता हूं।

मैं इस विधेयक की धारा 4 का स्वागत करता हूं जिसमें लिखा है कि··· (i) "आठ सदस्य" शब्द के स्थान पर "दस सदस्य" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए। लेकिन विधेयक के उस अंश से मैं

* कन्नड़ में दिए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

संतुष्ट नहीं हूं जो इस प्रकार है "बशर्ते कि इस खंड के अन्तर्गत नियुक्त तम्बाकू उत्पादकों की संख्या छह से अधिक नहीं होगी।"

पूरे विधेयक में कहीं भी वर्जीनिया तम्बाकू के अलावा अन्य किस्मों के तम्बाकू का उल्लेख नहीं है। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि तम्बाकू की अनेक किस्में हैं जैसे चबाने वाला तम्बाकू, बीड़ी तम्बाकू, सुंघनी तम्बाकू आदि। तम्बाकू की इन किस्मों को भी विधेयक में शामिल किया जाना चाहिए। मेरा राज्य कर्नाटक तथा पड़ोसी राज्य आन्ध्र प्रदेश में बीड़ी-तम्बाकू की फसल बहुतायत में होती है जैसा कि आप जानते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में मंगलौर गणेश तम्बाकू और नम्बर 30 बीड़ी की भारी मांग है। बीड़ी तम्बाकू जिन स्थानों में उगाया जाता है वह भूमि उपजाऊ नहीं है। सारी फलस वर्षा पर निर्भर रहती है। इस किस्म का तम्बाकू उगाने वाले किसान अमीर किसान नहीं हैं। वे गरीब और सीमान्त किसान हैं। अतः मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बोर्ड ने इन सीमान्त किसानों की किस तरह सहायता की है। आन्ध्र और कर्नाटक के तम्बाकू उत्पादकों ने अनेक बार संकट का सामना किया है। कई बार तम्बाकू खरीदने वाले ही नहीं होते थे और इसकी भारी मात्रा खाद में परिवर्तित हो जाती थी। कर्नाटक और आंध्र की सरकारों ने केन्द्र सरकार से सहायता के लिए कहा था। अन्ततः किसान 100 रुपये प्रति क्विंटल प्राप्त करने में सफल हुए। एक ओर तो किसान स्थायी ऋण से दबे पड़े हैं तो दूसरी ओर वे लोग जो तम्बाकू से सिगरेट, बीड़ी आदि तैयार करते हैं, अमीर बनते जा रहे हैं। वे पैसा कमा रहे हैं और ऐश्वर्यपूर्ण जिन्दगी जी रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि तम्बाकू उत्पादकों और तम्बाकू व्यवसाइयों के बीच बहुत अन्तर है।

इस विधेयक में अनेक नियन्त्रण लगाए गए हैं। उदाहरण के लिए श्रेणीकरण कार्य और खत्तियों आदि के निर्माण के लिए लाइसेंस लेना होगा। फिर भी तम्बाकू बोर्ड को सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार में बढ़िया किस्म का तम्बाकू आये। इस प्रयोजनार्थ सरकार और बोर्ड को तम्बाकू उत्पादकों की सहायता करनी चाहिए तभी हम विदेशी मुद्रा की आय को बढ़ा सकते हैं। अतः मेरा विचार है कि इतने नियन्त्रण लगाए जाने चाहिएं। उत्पादकों से तम्बाकू खरीदने का काम बोर्ड को अपने हाथों में ले लेना चाहिए। अगर यह कदम सख्ती से नहीं उठाया गया तो सीमान्त किसानों के तम्बाकू को कूड़े-कचड़े में फेंकना पड़ेगा। बोर्ड को सीमान्त किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक उपाय करने चाहिए।

बोर्ड ने यात्रा व्यय, प्रशासनिक व्यय आदि विभिन्न मदों पर बहुत अधिक व्यय दिखाया है। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री अपने उत्तर में इनके बारे में स्पष्ट रूप से बताएं।

मैं, बोर्ड द्वारा तम्बाकू व्यापार में होने वाले कुछ अनुचित कार्यों को रोकने के लिए किए गए उपायों का स्वागत करता हूं। कई बार सिगरेट के लिए बीड़ी-तम्बाकू इस्तेमाल किया जाता है। वर्जीनिया तम्बाकू का इस्तेमाल बीड़ी बनाने तथा चर्वण तम्बाकू के लिए किया जा सकता है। इस तरह के गलत कार्यों पर हमेशा-हमेशा के लिए रोक लगाई जानी चाहिए। सरकार को इस संबंध में कड़े उपाय करने चाहिए।

मैं एक बार फिर तम्बाकू उत्पादकों की सदस्यता पर लगी रोक के बारे में अपने विचार व्यक्त

[श्री एस० एम० गुरड्डी]

करना चाहता हूं। इस तरह की कोई रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। उत्पादकों की सदस्य संख्या छह से अधिक होनी चाहिए। वैसे भी बोर्ड का गठन उत्पादकों के कल्याण के लिए किया गया है। बोर्ड में फैक्ट्री मालिक शामिल नहीं किए जाने चाहिए क्योंकि वे अपने विचार अन्य मंचों से भी व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन उत्पादकों के लिए तो बोर्ड ही ऐसा स्थान है जहां वे अपनी शिकायतें रख सकते हैं। व्यापारियों और व्यावसायियों को भी अधिक सदस्यता नहीं दी जानी चाहिए। केवल उत्पादकों की सदस्यता में वृद्धि की जानी चाहिए। तभी बोर्ड किसानों की उपयुक्त ढंग से सहायता कर सकता है। बोर्ड किसानों की सभी स्तरों पर जैसे खेती, संसाधन, श्रेणीकरण, विपणन आदि मे सहायता करनी चाहिए। तभी तम्बाकू उत्पादकों की समस्याएं हल हो सकती हैं। बोर्ड का काम केवल सदस्यों को नामित करना नहीं है बल्कि उसे किसानों के पास जाना चाहिए। तभी तम्बाकू की खेती प्रगति और सम्पन्नता के एक नए युग में प्रवेश पा सकती है।

मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे विचार व्यक्त करने का अवसर दिया और इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

* **श्री वी० कृष्ण राव** (चिकबल्लापुर) : सभापति महोदय, हमारे माननीय मन्त्री महोदय ने इस सम्माननीय सदन में एक प्रगतिशील विधेयक प्रस्तुत किया है। मैं इस तम्बाकू बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1985 का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा देश तम्बाकू उत्पादन के मामले में चीन और संयुक्त राज्य अमरीका के बाद शिखर पर है। एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक फसल होने के नाते विश्व बाजार में तम्बाकू की बहुत मांग है। तम्बाकू निर्यात के माध्यम से हम काफी विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं। 1983-84 के दौरान 204.63 करोड़ रुपये लागत के तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पादों का निर्यात किया गया था। अप्रैल, दिसम्बर-1984 के दौरान लगभग 164.61 करोड़ रुपये लागत की इन वस्तुओं का निर्यात् किया गया है। इस वर्ष विदेशों से तम्बाकू की कम मांग किए जाने के कारण अनुमान है कि 1984-85 के दौरान तम्बाकू का निर्यात 220 करोड़ रुपये से अधिक का नहीं होगा।

तम्बाकू बोर्ड की सदस्य संख्या में वृद्धि करने के संबंध में धारा 4 में किए गए संशोधन का मैं स्वागत करता हूं। यह भी खुशी की बात है कि बोर्ड में छह तम्बाकू उत्पादक होंगे। लेकिन मैं तम्बाकू बोर्ड के कार्य से संतुष्ट नहीं हूं। इस बोर्ड की स्थापना एक जनवरी, 1976 में की गई थी। बोर्ड का गठन हुए 9 वर्ष हो गए। फिर भी यह अपना लक्ष्य आशा के अनुरूप प्राप्त नहीं कर सका है। इस बोर्ड की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह तम्बाकू उत्पादकों को तकनीकी मार्गदर्शन करने में असफल रहा है। वस्तुत: तकनीकी मार्गदर्शन सभी स्तरों पर, जैसे नर्सरी स्तर, संसाधन, भंडारण, श्रेणीकरण, पैकिंग तथा विपणन स्तर पर जरूरी है। अत: तम्बाकू बोर्ड को पर्याप्त संख्या में तकनीकी विशेषज्ञों की व्यवस्था करनी चाहिए। जरूरत के अनुसार प्रशासनिक कर्मचारियों की संख्या में भी वृद्धि की जानी चाहिए। तभी हम अधिकाधिक तम्बाकू का उत्पादन कर सकते हैं तथा उसका निर्यात करके अधिक राशि की विदेशी मुद्रा अर्जित कर सकते हैं।

* कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

उदाहरण के लिए आन्ध्र प्रदेश में 1984 में 1,00,000 हेक्टेयर भूमि पर तम्बाकू की खेती की जाती थी जबकि 1985 में यह घटकर 90,000 हेक्टेयर ही रह गई। यह बहुत खेद की बात है। इस वाणिज्यिक फसल की बहुत मांग है। मुझे समझ नहीं आता कि फिर भी उस क्षेत्र को नियंत्रित क्यों किया जा रहा है। तथा उसमें कमी क्यों की जा रही है। जिस पर तम्बाकू की खेती की जाती है। कर्नाटक में भी इसे नियन्त्रित किया गया है। हम जितना वर्जीनिया तम्बाकू उगा सकते हैं उसका आधा भी नहीं उगा रहे हैं।

मेरे निर्वाचन-क्षेत्र चिकबल्लापुर के गौरीबिदनूर तालुक में 2000 से अधिक तम्बाकू-खत्ते हैं। मैं भी किसान हूं। में तम्बाकू उगाता हूं और मुझे इन मामलों का प्रत्यक्ष अनुभव है। मैंने खत्ते भी बनाए हैं। ये खत्ते लाखों रुपये लगाकर 1958-59 में बनाए गए थे। लेकिन आज इन खत्तों की क्या हालत है ? इन्हें गोदामों में बदल दिया गया है। उनका प्रयोग गौशाला के रूप में किया जा रहा है। माननीय मन्त्री महोदय के ध्यान में यह सूचना लाते हुए मुझे खेद है। गौरीबिदनूर तालुक में ही 6000 एकड़ से अधिक भूमि पर तम्बाकू बोया जाता था लेकिन अब 100 एकड़ पर भी नहीं बोया जाता। मालूम नहीं तम्बाकू की खेती को क्या होता जा रहा है। कुछ सालों पहले हम भारी मात्रा में बढ़िया तम्बाकू उगाते थे। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा अधिकांश तम्बाकू गोदामों में डाल दिया गया क्योंकि उसका कोई खरीददार नहीं था। किसानों ने तम्बाकू की खेती में बहुत पैसा लगाया था। बहुत से किसानों ने पैसा नहीं होने के कारण अपनी पत्नियों के गहने गिरवी रखकर शाहूकार से पैसा उधार लिया था लेकिन आज वे दर-दर भटक रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश के कुछ लाइसेंस धारकों ने वहां आकर तम्बाकू खरीदा लेकिन अभी भी किसानों को इसका पूरा भुगतान नहीं किया गया है। इस असहाय स्थिति में तम्बाकू उत्पादकों ने जलूस निकाला। उन्होंने आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक के मुख्य मंत्रियों को भी प्रतिवेदन दिए। लेकिन कोई उपयुक्त हल नहीं निकला। अतः माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह गम्भीरतापूर्वक इस मामले पर विचार करके तम्बाकू उत्पादकों को संकट से बचाने के लिए उपयुक्त उपाय करें। सर्वप्रथम तम्बाकू बोर्ड को पूरी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए ताकि वह स्वतंत्रता तथा कुशलता से काम कर सके।

अन्त में मैं यह कहूंगा कि यह एक अच्छा कदम है कि तम्बाकू बोर्ड में तम्बाकू उत्पादकों के छह प्रतिनिधि हैं। उत्पादकों को हर संभव तकनीकी सहायता दी जानी चाहिए। तम्बाकू के मौजूदा उत्पादन को बढ़ाकर दो गुना किया जाना चाहिए क्योंकि विश्व बाजार में इसकी बहुत मांग है। इसके अलावा तम्बाकू उत्पादकों को विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। आशा है माननीय मन्त्री तथा तम्बाकू बोर्ड उन सभी सुझावों पर विचार करेगा जिनका मैंने उल्लेख किया है और तम्बाकू उत्पादकों को, विश्व में तम्बाकू उत्पादन के क्षेत्र में भारत को तीसरे स्थान से उठाकर प्रथम स्थान पर लाने में, सहायता करेगा। महोदय, इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव (विजयवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं प्रस्तावित संशोधनों का स्वागत करता हूं। वास्तव में मेरा विचार है कि इनमें कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिए तथा सरकार द्वारा कुछ और संशोधन लाये जाने चाहिए ताकि भविष्य में तम्बाकू उत्पादकों के हितों की

[श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव]

पर्याप्त सुरक्षा की जा सके और बोर्ड कारगर ढंग से काम कर सके।

महोदय, सर्वप्रथम मैं सरकार को उस वायदे को निभाने के लिए बधाई देता हूं जो उसने इस सदन में उस समय दिया था जब प्रो० रंगा और कुछ मित्रों ने मांग की थी कि तम्बाकू उत्पादकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। अब इनकी संख्या, आठ से बढ़ाकर दस कर दी गई है लेकिन उत्पादक, व्यापारी, निर्यातक निर्माता तथा तम्बाकू के बारे में गहन जानकारी रखने वाले व्यक्तियों को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। हम शुरू से मांग कर रहे थे कि इनमें अधिकांश सदस्य तम्बाकू उत्पादक होने चाहिए। आप सदस्य संख्या को बढ़ाकर दस कर रहे हैं तो स्वभावत: उत्पादकों के प्रतिनिधियों की संख्या छह से कम नहीं होनी चाहिए। अब जहां तक प्रस्तावित मौजूदा संशोधन का संबंध है ऐसा भी हो सकता है कि सदस्य संख्या तो छह ही रहती है लेकिन कभी आप मनोनीत केवल दो, तीन या चार सदस्यों को ही कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यह छह सदस्य ही हों। मैं सरकार की नेकनीयती पर अविश्वास नहीं कर रहा लेकिन दुर्भाग्य से जो व्यक्ति नाम प्रस्तावित करते हैं उनके व्यापारियों, निर्यातकों आदि से अधिक संपर्क होते हैं क्योंकि वे लोग दिल्ली आ सकते हैं और उनसे दोस्ती गांठ सकते हैं और परिचय कर सकते हैं। लेकिन गरीब किसानों का क्या होगा। आन्ध्रप्रदेश और कर्नाटक में हजारों किसान हैं। उनमें से किसी में भी इतनी सामर्थ्य नही है कि दिल्ली आ सके। अत: मेरा प्रस्ताव है कि इनकी सदस्य संख्या छह से कम नहीं होनी चाहिए। अत: मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर गम्भीरता से विचार करें और प्रस्तावित संशोधन को इस संशोधन में स्वीकार किया जाए।

महोदय यह बहुत महत्वपूर्ण फसल है जो केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के रूप में सैकड़ों करोड़ रुपए प्राप्त कर रही है। गत वर्ष सरकार को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से 906 करोड़ रुपये की आय हुई। इससे बहुत विदेशी मुद्रा की भी आय होती है। वास्तव में इससे बहुत लाभ होता है। अत: सरकार को सभी सावधानियां बरतनी चाहिए। इसको लाभप्रद मूल्य दिलाना चाहिए तथा तम्बाकू उत्पादकों को समुचित सुरक्षा मिलनी चाहिए और ऐसे अन्य उपाय भी किए जाने चाहिए जो इस फसल की नियमित विकास में सहायता देगा। जबकि इसी समय यह हमारी घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में भारी विदेशी मुद्रा की आय देने का शक्तिशाली साधन है। कर्नाटक से माननीय सदस्यों ने कर्नाटक में अपने अनुभव के बारे में उल्लेख किया है। चूंकि बहुत वर्षों से उत्पादकों को नुकसान हुआ है और उन्हें भारी घाटा हुआ है परन्तु व्यापारियों तथा कम्पनियों ने हर समय लाभ उठाया। वे किसानों को वास्तविक देय राशि नहीं देते हैं। यह उनको दिया जाना चाहिए। हालांकि तम्बाकू बोर्ड के गठन होने के बावजूद और इस अधिनियम के प्रावधानों तथा नियमों के होते हुए भी दूसरे दिन तक जबकि नीलामी, प्लेटफार्म नीलामी आदि की पद्धति को शुरू किया गया था उस समय भी व्यापारियों और कंपनी के लोगों की इतनी अधिक संख्या थी जो किसानों को उनकी उचित देय राशि को जो करोड़ों रुपयों में थी नहीं दे सके थे। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह ऐसे व्यापारियों के विरुद्ध कदम उठाये जिन्होंने किसानों की उचित बकाया राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया है। और जब तक वे अपने वास्तविक देय राशि को न दे दें तब तक उन्हें उत्पादकों से तम्बाकू खरीदने के प्लेटफार्म या नीलामी

में आने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उनके लाइसेंस रद्द किए जाने चाहिए। उनके लिए यह कुछ नहीं हो सकता परन्तु किसानों के लिए यदि वे 10,000 रुपये या इसी तरह की राशि की हानि उठाते हैं तो इस हानि को पूरा करने के लिए 4 या 5 साल लगेंगे।

महोदय, वर्जीनिया तम्बाकू के अलावा, जिसका बोर्ड के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत प्रस्ताव किया गया है। धूप-उपचारित 'नट्टू' तम्बाकू जिसे मुख्यतया सिगार और नसवार के उत्पादन में प्रयुक्त किया जाता है, उसे भी बोर्ड के क्षेत्राधिकार में लाना चाहिए। वास्तव में तम्बाकू उत्पादकों को व्यापारियों तथा खरीददारों की दया पर छोड़ दिया जाता है। सरकार को कदम उठाने चाहिए और तम्बाकू की खेती की लागत को वैज्ञानिक ढंग से निर्णय करना चाहिए तथा उत्पादकों को दिए जाने वाले निम्नतम समर्थन मूल्य का निर्णय लेना चाहिए। मैं इस अधिनियम में महत्वपूर्ण संशोधन का प्रस्ताव करता हूं।

तम्बाकू बोर्ड जिसको संसद के अधिनियम के द्वारा 1975 में गठित किया गया था वह इन सभी वर्षों में कार्य कर रहा है। यह निर्यातकों को दिए जाने के लिए निम्नतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कर रहा है। लेकिन यह तम्बाकू उत्पादकों को दिए जाने के लिए निम्नतम समर्थन मूल्य की सिफारिश नहीं कर रहा है। तम्बाकू बोर्ड जिसका गठन 1975 में किया गया था, को उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए लाया गया था या यह निर्यातकों के हितों की रक्षा करने हेतु लाया गया था ? यह मेरा प्रश्न है। जब तम्बाकू बोर्ड के पास इसकी विशेषज्ञता मशीनरी केन्द्रीय सरकार तथा, राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, उत्पादक तथा व्यापार के कई वर्गों के प्रतिनिधि हैं तो मैं समझता हूं कि तम्बाकू के लिए सरकार का निम्नतम समर्थन मूल्य की सिफारिश के लिए यह सही संस्था है। रबड़ के मामले में वास्तव में रबड़ बोर्ड मूल्य को निर्धारित करता है। इसी तरह चाय के मामले में चाय बोर्ड मूल्यों को निर्धारित करता है। अतः मैं सरकार से अपना संशोधन स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं जो इस प्रकार है :

"(घ) केन्द्रीय सरकार को विभिन्न वर्गों के वर्जीनिया तम्बाकू के न्यूनतम समर्थन मूल्यों की सिफारिश करना, जो तम्बाकू बोर्ड द्वारा नीलामी प्लेटफार्मों पर खरीद के प्रयोजनार्थ निर्धारित किए जायें, यदि उस वर्ग के तम्बाकू के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वहां कोई खरीददार न हो।"

सभापति महोदय : श्री राव आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं। अब हम आधे घंटे की चर्चा लेंगे।

आधे घंटे की चर्चा

सरकारी कारखानों में निम्न स्तर की औषधियों का बनाया जाना

[हिन्दी]

डा० गौरी शंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति महोदय, आधे घंटे की चर्चा कई बार

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

पोस्टपोन हो चुकी है और संयोग से आज आई है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से कहूंगा कि वे थोड़ा धीरज रखेंगे, क्योंकि यह एक बहुत ही दिलचस्प वाक्या है। मैं यह साबित करूंगा, मन्त्री महोदय की गलती नहीं है, कि इनके डिपार्टमेंट के लोगों ने इनको किस तरह से बाध्य किया है, क्वैश्चन को इवेड करके। मैं थोड़ा सिस्टैमेटिकली चलूंगा।

[अनुवाद]

लोक सभा में 23 जुलाई, 1985 को अतारांकित प्रश्न संख्या 194 का उत्तर। प्रश्न था :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कारखानों द्वारा निर्मित घटिया औषधियों की सप्लाई की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में की गई शिकायतों के बारे में कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो जांच के दौरान कौन-कौन से तथ्य सामने आये; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

उत्तर यह था :

(क) से (घ) सरकार का ध्यान दिनांक 10 मार्च, 1985 के नवभारत टाइम्स में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसका शीर्षक था "सरकारी कारखानें से घटिया दवा की आपूर्ति।" इस सम्बन्ध में सूचना पहले ही लोक सभा को अ० प्र० 2223 के उत्तर में 9 अप्रैल, 1985 को दी जा चुकी है।

[हिन्दी]

महोदय, कोई जवाब नहीं दिया गया कि इन्क्वायरी हुई या नहीं हुई। 9 अप्रैल, 1985 को अनस्टार्ड प्रश्न संख्या-2223, में पूछा गया---

[अनुवाद]

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स द्वारा 1977 में आयात की गई टेट्रासाइक्लीन घटिया किस्म की थी और उसी दवा को लोगों को सप्लाई किया गया है;

(ख) क्या उनका ध्यान 10 मार्च, 1985 के 'नवभारत टाइम्स' में सरकारी कारखाने से घटिया दवा की सप्लाई शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसका पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उत्तर यह था :

(क) से (घ) दिनांक 10 मार्च, 1985 के "नवभारत टाइम्स" में "सरकारी कारखाने से घटिया दवा की सप्लाई" शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है।

हिन्दुस्तान एन्टीवायोटिक्स लि० ने मई, 1977 में इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० से आयातित टेट्रासाइक्लीन बल्क ड्रग्स के 8 बैच खरीदे थे और तत्काल आवश्यकता के कारण जांच किए बगैर ही सुपुर्दगी ले ली थी। हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० द्वारा माल की जांच अपनी गुण नियन्त्रण प्रयोगशाला में दी गई थी और उसे सही पाया गया था। इसके आधार पर बल्क औषध का एक भाग प्रोसेसिंग के लिए ले लिया गया था और तैयार किए गए कैप्सूलों की सप्लाई सेना को की गई थी। सेना द्वारा इन्हें वापस कर दिया गया था क्योंकि ये रंग छोडते थे। इसी दौरान, इण्डियन ड्रग्स फार्मास्यूटिकल्स लि० को औषध नियंत्रक की रिपोर्ट प्राप्त हो गई थी जिसमें यह दर्शाया गया था कि 4 बैच घटिया किस्म के थे। माल का एक भाग इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० को लौटा दिया गया था और बाद में एच० ए० एल० द्वारा उसके बदले और माल प्राप्त किया गया था। दूसरे भाग को इण्डियन फार्मा को विपुल (आई० पी०) मानदण्डों के अनुरूप पुनः प्रोसेस करके मानव और पशु सम्बन्धी फार्मूलेशन बनाने के लिए प्रयोग किया था। सेना द्वारा वापस किए गए कैप्सूलों को भी आई० पी० मानदण्डों के अनुरूप पुनः प्रोसेस करके निपटान किया गया था। इस सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई थी।"

[हिन्दी]

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि दोनों प्रश्नों के जवाब में यह नहीं कहा गया कि इन्क्वायरी हुई या नहीं और यदि हुई तो इसके लिए दोषी कौन है। मैं जानता हूं, मुझे अखबार नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन चूंकि नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट से सारी बात निकली है, इसलिये मैं इस रिपोर्ट को आपके सामने रख रहा हूं। मैं कुछ भाग पढ़कर सुनाता हूं। उसके बाद आप निर्णय करेंगे कि सरकार ने क्या जवाब दिया है।

"क्या सरकारी क्षेत्र के दो प्रतिष्ठानों हिन्दुस्तान एन्टी-बायटिक्स लिमिटेड और इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के कारण देश में टेट्रासाइक्लीन दवा के लाखों घटिया कैप्सूल्स देश के मरीजों को खिला दिए गए ?

हिन्दुस्तान एन्टी-बायटिक्स लिमिटेड ने 29 अप्रैल, 1977 को आई० डी० पी० एल० से एक करोड़ 17 लाख मूल्य का 18 टन टेट्रासाइक्लीन खरीदने का आर्डर दिया। एच० ए० एल० ने 14 लाख से कुछ अधिक रुपया अग्रिम के रूप में चुकाया। आई० डी० पी० एल० ने विदेशों से

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

मंगाई गई दवा में से 2100 किलो एच० ए० एल० को भेज दी। एच० ए० एल० को सप्लाई किए जाने के पहले इस आयातित दवा की ड्रग्स कट्रोल द्वारा जांच रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई थी।

ड्रग्स एण्ड कास्मैटिक एक्ट, 1940 और इसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत कोई भी आयातक देश में ऐसी किसी भी दवा का आयात नहीं कर सकता, जो निर्धारित क्वालिटी की न हो, इसलिए एच० ए० एल० को बिना जांच रिपोर्ट के इस दवा की सप्लाई नहीं की जानी चाहिए थी। इसके बाद एच० ए० एल० ने 31 मई, 1977 को आई० डी० पी० एल० से सप्लाई किए गए माल की जांच रिपोर्ट मांगी। क्योंकि इस रिपोर्ट के बिना इसकी जांच नहीं हो सकती थी। इस बीच एच० ए० एल० ने प्राप्त दवा की जांच की और उसे 26 मई, 1977 को ठीक घोषित किया। ऐसा कैसे हुआ, यह अभी तक रहस्य बना हुआ है। अपनी प्रयोगशाला द्वारा दवा को ठीक बताए जाने के बाद जून, 1977 में 1525 किलो टेट्रासाइक्लीन कैपसूल्स बनाने के लिए भेज दिया गया।

इस बीच ड्रग्स कट्रोल ने नमूनों की जांच के बाद अपनी रिपोर्ट में कहा कि आई० डी० पी० एल० द्वारा सप्लाई किए गए आठ बैचों में से चार घटिया किस्म के हैं। आई० डी० पी०. एल० ने एच० ए० एल० से कहा कि घटिया किस्म वाले बैचों का माल वापिस कर दिया जाए, लेकिन इस बीच इतना समय गुजर गया था कि आठ में से छः बैचों के कैपसूल्स या तो बन चुके थे, या बनने के अन्तिम चरण में थे। एल० ए० एल० ने उक्त दो बैच आई० डी० पी० एल० को वापिस कर दिए।

सभापति महोदय : राजहंस जी, सारा अखबार पढ़ेंगे तो समय बहुत लगेगा। आप जरूरी पोर्शन पढ़ दीजिए।

डा० गौरी शंकर राजहंस : मैं जरूरी पोर्शन ही पढ़ रहा हूं, सिर्फ एक दो पैराग्राफ ही पढ़ूंगा।

"इस बीच ड्रग्स कंट्रोलर ने मामले की पूरी जांच करने के बाद एच० ए० एल० से कहा कि घटिया दवा से बने कैपसूल्स बाजार में बेचे जायें और उन्हें नष्ट कर दिया जाए। लेकिन एच० ए० एल० ने कहा कि दवा को दोषमुक्त कर दिया गया है और अब कैपसूल्स सही हैं, इसलिए इन्हें बाजार में बेचने की इजाजत दी जाए। ड्रग्स कट्रोलर ने कहा, दोबारा तैयार किए गए कैपसूलों के जांच के बाद ही बिक्री की इजाजत दी जा सकती है। ड्रग्स कंट्रोल ने पुनर्शोधित किए गए माल की जांच की। इस प्रकार से पुनर्शोधित के बाद आठ लाख 68 हजार कैपसूल्स बनाए गए। इनमें से एक बड़ा हिस्सा सेना को सप्लाई किया गया, लेकिन सेना के अधिकारियों द्वारा की गई जांच के बाद लगभग एक लाख 30 हजार कैपसूल्स सेना ने वापिस कर दिए। सेना की राय में पुनर्शोधत के बावजूद ये कैपसूल्स स्वीकार करने योग्य नहीं थे।"

महोदय, मैंने जो बैकग्राउन्ड दी है, वह इसलिए दी है क्योंकि यह विषय सारे देश से सम्बन्धित है। यदि पब्लिक सैक्टर पर से लोगों का विश्वास उठ गया तो उसका क्या परिणाम निकलेगा। अब

मैं दो तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं । पहला तो यह कि इन्क्वायरी क्यों नहीं हुई ? यदि इन्क्वायरी हुई तो कौन-कौन दोषी पाए । उसके बाद दोषी पाए गये, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया ? जब इम्पोर्ट किया गया और यह पाया गया यह माल इन्फिरीयर है, तो क्या उस देश के खिलाफ मुकदमा हुआ ? यदि नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ ?

सरकार बतावे कि इस सारे मामले में कहीं कोई गड़बड़ है अथवा नहीं है । सरकार यह भी बताए कि आधे कैप्सूल, जिन्हें खराब घोषित किया गया था उन्हें एग्रीकल्चरल परपजेज के लिए यूज किया गया या वैटेरीनरी के लिए क्योंकि सरकार की रिपोर्ट में फर्क है और अखबारों की रिपोर्ट में फर्क है । सरकार यह भी बताए कि क्या आर्मी द्वारा 1 लाख 30 हजार कैप्सूल वापस किए गए और इस विषय पर जब मैं बोल रहा हूं, तो "ट्रिब्यून" की 7 अगस्त 1985 की रिपोर्ट में बताऊंगा, जिसमें कहा गया है कि आई० डी० पी० एल० और प्राइवेट ड्रग मैन्युफैक्चरर्स के बीच मिली भगत है । होता क्या है कि लोन लाइसेंस बेसिस पर आई० डी० पी० एल० की जो कैपेसिटी है, वह भी प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स को दे दी जाती हैं दवाई बनाने के लिए और प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स उस पर दुनिया भर का फायदा करते हैं और आई० डी० पी० एल० को उससे कोई फायदा नहीं पहुंचता है । आई० डी० पी० एल० को अभी तक 143 करोड़ रुपये का लास हुआ है । टोटल मार्केट में उसका शेयर 1.7 परसेन्ट है या 24 करोड़ रुपये है जबकि रिटेल सेल देश में 1,660 करोड़ रुपए है । यह 1983-84 का फीगर है तो क्या सरकार बताएगी कि ऐसा क्यों है ? टोटल सेल का केवल 1.7 प्रतिशत ही आई० डी० पी० एल० को मिल पाया है ।

फिर मैं यह कहूंगा कि क्या माननीय मन्त्री महोदय इस बात के लिए राजी होंगे कि आई० डी० पी० एल० के बारे में दोनों हाऊसेज को ज्वाइन्ट कमेटी इन्क्वायरी करे क्योंकि यह एक बहुत गम्भीर मामला है । मैंने जो अध्ययन किया है, उससे पता चलता है कि स्टेट गवर्नमेंट्स भी आई० डी० पी० एल० की बजाए प्राइवेट कम्पनीज से दवाई खरीदना चाहती हैं । ऐसा क्यों है ? क्या आई० डी० पी० एल० की साख खत्म हो गई है कि स्टेट गवर्नमेंट्स भी सरकारी कारखाने के बदले प्राइवेट कम्पनीज से दवाई खरीदना चाहती हैं ?

इतने बड़े देश में चार ही ड्रग्स की लेबोरेटरीज हैं । अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि बिहार में बहुत स्पूरियस ड्रग्स बिक रही हैं और इसका कारण यह है कि बिहार के लोगों को गाजियाबाद या कलकत्ता जाकर अपनी ड्रग्स की जांच करानी होती है ।

सबसे अन्त में मैं यह कहूंगा कि इस देश को मल्टी-नेशनल दवाई की कम्पनियां लूट रही हैं । मेक्साफार्म एक दवाई है, जो 1970 में जापान में बैन कर दी गई थी लेकिन इस देश में 31 मार्च, 1985 तक वह चलती रही । जापान में 30 लाख लोगों को पेरेलिसिस हो गया था और करोड़ों रुपया उनको कम्पेंसेशन देना पड़ा था लेकिन यहां पर सरकार और कुछ डाक्टरों ने कहा कि मेक्साफार्म ठीक-ठाक है । अभी जो उसको विदड्रा किया गया है, वह चुपचाप विदड्रा किया गया है । मार्केट में अभी भी मेक्साफार्म मिल रही है । यह एन्टी-डायरिया ड्रग है । ट्रेंड्रिल एक दर्द की दवा है । यह मल्टी नेशनल कम्पनी सीवा-गेगी की तरफ से है । सीवा-गेगी ने लोगों को इतना बेवकूफ बनाया है, जिसका

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

कोई हिसाब नहीं है। ट्रेंड्रिल से लोगों को बहुत नुकसान हुआ है। इससे खून खराब हो गया, ब्लाइंडनेस हो गई और पेरेलिसिस हो गया लेकिन मजे की बात यह है कि सीवा-गेगी ने लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ट्रेंड्रिल का नाम बदल कर सुगारनिल कर दिया, उसको शूगर कोटेड बना दिया और वह मार्केट में बिक रही है। सबसे बड़ी बात मैं यह कहूं कि पिछले 5-6 महीने में सरकार ने दवाई कम्पनियों को यह हुक्म दे दिया कि दवाई के साथ जो इंडीकेशन रहता है, वह मत दीजिए और उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप देखते होंगे कि बहुत सी दवाइयों में यह लिखा रहता है कि चार डोज के बाद यदि फायदा न हो या री-एक्शन हो, तो दवाई छोड़ दीजिए अब किसी दवाई में यह नहीं लिखा जाता है। आपको याद होगा कि बहुत पहले दवाई पर हिन्दी और उर्दू में यह लिखा जाता था। आप हिन्दी, उर्दू में न लिखिए, मगर अंग्रेजी में तो इसको लिखिए। लोग कहते हैं कि एकोनामी के लिए इंडीकेशन नहीं लिखी जाती। यह एकोनामी नहीं है बल्कि चार सौ बीसी है। ये दवाई कम्पनियां लोगों को बेवकूफ बनाना चाहती हैं और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पश्चिमी देशों में जो दवाइयां रिजेक्ट हो जाती हैं, हिन्दुस्तान में वे दवाइयां चलाई जाती हैं।

श्रीमन्, इन सारे प्रश्नों का उत्तर मैं माननीय मन्त्री जी से चाहूंगा।

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : महोदय, माननीय सदस्य ने निम्न स्तर की औषधि के बारे में जो 1977 में बनी थी, एक शिकायत का उल्लेख किया है। यह हाल की शिकायत नहीं है; यह 1977 की शिकायत है। माननीय सदस्य ने सरकारी कारखानों द्वारा निम्न स्तर की औषधियों के उत्पादन और सप्लाई के बारे में उल्लेख किया है और उन्होंने अतारांकित प्रश्न संख्या 194 का उल्लेख किया है। इस प्रश्न में सदस्य ने पूछा था कि क्या यह सच है कि सरकारी कारखानों द्वारा निर्मित घटिया औषधियों की सप्लाई की जा रही है और उन्होंने उत्तर भी पढ़ा था। मैं उस उत्तर को दुबारा से पढ़ना नहीं चाहता हूं जिसको उन्होंने सदन में पहले से ही पढ़ा है।

मैं इस शिकायत के ब्यौरे देना चाहता हूं जो 1977 में की गई थी। 1977 में, मई 1977 में एच० ए० एल० को आई० डी० पी० एल० द्वारा भारी मात्रा में सप्लाई की गई टेट्रासाइक्लीन के बारे में एक शिकायत थी आई० डी० पी० एल० द्वारा एच० ए० एल० को जिस औषधि की भारी मात्रा में सप्लाई की गई थी। वह आयातित टेट्रासाइक्लीन 'बल्क' औषधि थी। इसका उत्पादन यहां नहीं हुआ था; इसे आयातित किया गया था। एच०ए० एल० को सप्लाई करने के बाद उन्होंने परीक्षण करने से पहले भी इस औषधि की सुपुर्दगी ली थी क्योंकि उसकी तात्कालिक आवश्यकता थी। लेकिन एच० ए० एल० द्वारा अपनी किस्म नियंत्रण प्रयोगशाला में इसकी जांच की गई थी और इसको सन्तोषजनक पाया गया था। इस पर आधारित कैप्सूल तैयार करने के लिए भारी मात्रा में

औषधि का एक भाग लिया गया था जिसे सेना को सप्लाई किया गया था।

महोदय भारी मात्रा की औषधि बाहर से आई थी इसको आयतित किया गया था इसका उत्पादन यहां नहीं किया गया था; और उस भारी मात्रा की औषधि में से 'फार्मूलेशन' तैयार किए गए थे जब सेना को इन फार्मूलेशनों की सप्लाई की गई थी तो सेना में इनके पास अपनी प्रयोगशाला है और वे इसकी समय-समय पर जांच करते हैं तथा जब उन्होंने यह पाया कि वे अपेक्षित स्तर के नहीं थे और उन्होंने पाया कि उनमें से 4 बैच निम्न स्तर की किस्म के थे उन्होंने ये वापिस कर दिए। तथा इसका इण्डियन फार्मासीफेया स्टैंडर्ड में संसाधित किया गया था और मानव तथा पशु रोग औषधि बनाने के लिए उपयोग किया गया था।

जहां तक औषधि का दुबारा से संसाधित करने जिसे वापिस कर दिया गया था का सम्बन्ध है उसे दुबारा से तैयार किया गया था और महाराष्ट्र के औषधि नियन्त्रक ने उसे देखा था और मैं सदन तथा माननीय सदस्य को बता सकता हूं कि एच० ए० एल० द्वारा कोई भी निम्न स्तर का माल नहीं बेचा गया था इसमें विवाद नहीं है कि एच० ए० एल० के किस्म नियंत्रण के कर्मचारियों द्वारा जांच में गलती हुई थी जैसे ही औषधि नियंत्रक की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी वैसे ही तैयार करने की कार्रवाई बन्द कर दी गई तथा उपचारात्मक कदम उठाए गए थे।

1977 में केवल यही घटना हुई थी। मैंने इस घटना के बारे में ब्यौरे बताए हैं। यह जानबूझ-कर नहीं हुआ था। कभी-कभी यह होता है परन्तु निम्न स्तर की इन औषधियों को जानबूझ कर नहीं बनाया गया है। यदि वे विशिष्ट के अनुसार नहीं होते हैं तो तैयार करने के समय उन्हें निम्न स्तर का कहा जाता है। यदि वे अपेक्षित स्तर के अनुसार नहीं है तो उन्हें निम्न स्तर का कहा जाता है। कभी-कभी हमें इस तरह की शिकायतें प्राप्त होती हैं। लेकिन ये निम्न स्तर की औषधियां जानबूझ कर उपभोक्ताओं या किसी पार्टी को धोखा देने के लिए निर्मित नहीं की जाती है। परन्तु कभी-कभी यह होता है। और जब कभी यह होता है तथा जब कभी यह निर्माता के ध्यान में लाई जाती है तो तात्कालिक उपचारात्मक कदम उठाए जाते हैं।

जहां तक नकली औषधियों का सम्बन्ध है, वे नकली मुद्रा की तरह नकली होती हैं, वे चोरी-छिपे निर्मित होती हैं। इस बारे में मैं माननीय सदस्य को केवल यह बता सकता हूं कि किसी भी सरकारी कारखाने में नकली औषधि तैयार नहीं होती है। नकली दवाइयों का उत्पादन केवल इस तरह के लोगों द्वारा किया जाता है जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं होते हैं। वे इसे चोरी-छिपे निर्मित करते हैं और यह नकली मुद्रा की तरह होती है; यह नकल की तरह है। नकली दवाइयों के उत्पादन को रोकने के लिए गुप्तचर तंत्र की आवश्यकता है।

जहां तक औषधि नियन्त्रण एवं इसको गुणवता का सम्बन्ध है, यह बात मैं सम्मानीय सदन में कहूंगा कि औषध एवं प्रशाधन-सामग्री अधिनियम देश में औषधि के निर्माण, वितरण एवं बिक्री का नियन्त्रण करती है। तथा यह अधिनियम स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। जहां तक औषधियों की गुणवत्ता के नियन्त्रण का सम्बन्ध है, अगर इसका उत्पादन देशी तौर पर किया जाता

[श्री वीरेन्द्र पाटिल]

है तो इसकी किस्म स्तर की जांच करने का कार्य, देशी उत्पादकों की औषधि की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। जहां तक आयातित औषधियों का सम्बन्ध है। आयातित औषधियों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना भी औषध नियंत्रक का उत्तरदायित्व है। जोकि स्वास्थ्य मन्त्रालय के अन्तर्गत है। उनके अधीन कतिपय क्षेत्र एवं कुछ हवाई अड्डे हैं। जब कभी भी 'बल्क' औषधियों, फार्मूलेशनों का आयात किया जाता है, तो इनमें से नमूनों को लिया जाता है एवं उनका परीक्षण किया जाता है। उनके पास परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं और अगर ये औषधियां निम्न स्तर की पाई जाती हैं तो तुरन्त ही निर्यातक को इन्हें वापस मंगवाने के लिए कहा जाता है और अगर वे इसे वापस नहीं लेना चाहते तो इन्हें नष्ट कर दिया जाता है। जहां तक देशी औषधियों की किस्म का सम्बन्ध है तो यह राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। प्रत्येक राज्य सरकार के अधीन औषध नियंत्रक है तथा उनके यहां परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। मैं सम्माननीय सदन का बता सकता हूं कि प्रत्येक वर्ष राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं में 18,000 नमूनों का परीक्षण किया जाता है। इन पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। मैं जानता हूं कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं परन्तु कुछ राज्य हैं जहां पर पर्याप्त परीक्षण सुविधाएं हैं तथा वहां पर खुफिया स्कंध भी हैं ताकि वे सुनिश्चित कर सकें कि इस तरह की घटिया अथवा नकली औषधियां न बनाई जाएं। जब कभी भी उन्हें इस बात की सूचना मिलती है तो तुरन्त ही कार्यवाही की जाती है। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि जहां तक आई० डी० पी० एल० का सम्बन्ध है। तो मेरे पास आंकड़े मौजूद हैं कि दुर्भाग्य से केवल 1977 में ऐसा हुआ था, क्योंकि आयातित औषधि घटिया पाई गई थी परन्तु बाद में तुरन्त ही उसे संशोधित अथवा सही कर दिया गया था। जहां तक आई० डी० पी० एल० का सम्बन्ध है, स्वास्थ्य सेवा महा निदेशक का कहना है कि हाल ही में सरकारी क्षेत्र की औषधि निर्माण कम्पनी में उत्पादित औषधि की गुणवत्ता के संबंध में उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली है। दुर्भाग्य से 1977 में ऐसा हुआ था। इसी प्रकार से सरकारी क्षेत्र की अन्य औषध उत्पादन कम्पनी, हिन्दुस्तान एन्टी बायोटिक्स, द्वारा निर्मित औषधियों के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। एक और औषध उत्पादन कम्पनी, बंगाल इम्यूनिटी के बारे में उन्हें कुछ शिकायतें मिली हैं; न कि औषध नियंत्रक से परन्तु कम्पनी का कहना है कि उनके बारे में दवाइयों की गुणवत्ता की जो शिकायतें की गई हैं वे अधिकांशतः बोतलों में दवाइयों के भरे जाने के संबंध में हैं। ये शिकायतें फफूंद के उत्पन्न होने तथा किसी विशेष पदार्थ के उपस्थित होने के बारे में हैं। वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान पंजाब एवं पश्चिम बंगाल के 1,387 बैचों में से सिर्फ 10 बैच ही सरकार को निम्न स्तर के मिले। सिर्फ कुछ ही घटनाएं ऐसी थीं। बंगाल कैमिकल्स को औषध नियंत्रक प्राधिकरण से सिर्फ दो शिकायतें प्राप्त हुई थीं। तथा अन्य जगहों से पांच शिकायतें प्राप्त हुई थीं ये शिकायतें प्रभविष्णुता, रंग आदि के संबंध में थीं। मैं इन बातों को यहां पर इसलिए बता रहा हूं कि माननीय सदस्य की धारणा यह है कि हमारी सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां घटिया अथवा नकली औषधियां बनाने में लगी हुई हैं। यह सच नहीं है। वे अच्छी गुणवत्ता की दवाइयां बना रहे हैं। जहां कही भी वे विशाल मात्रा में दवाइयां बना रहे हैं, सैकड़ों करोड़ रुपये की दवाइयां बनाई जा रही हैं, कभी-कभी निर्माण करने की प्रक्रिया के वक्त अगर कोई गलती हो जाती

है अथवा लाने ले जाने में अथवा देश के बाहर भेजने में पर्याप्त सावधानी नहीं बरती जाती है और अगर इसके भंडारण में भी उचित सावधानी नहीं बरती जाती है तो अच्छी दवाइयां भी घटिया किस्म की बन जाती हैं, परन्तु ऐसा जान बूझकर नहीं किया जाता है। पर्याप्त सावधानियां न सिर्फ राज्य औषध नियंत्रण विभाग द्वारा बरती जाती हैं परन्तु केन्द्रीय औषध नियंत्रण विभाग द्वारा भी पूरा ध्यान दिया जाता है। हर बार समय-समय पर हजारों की संख्या में नमूने लिए जाते हैं तथा औषधि के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए हजारों नमूनों का परीक्षण किया जाता है। अतः यह कहना सही नहीं है कि ये सरकारी अथवा अन्य कारखाने चाहे वे सरकारी क्षेत्र के हों या निजी क्षेत्र के वे निम्न अथवा घटिया स्तर की दवाइयां नहीं बनाते हैं। जहां कहीं भी अगर कोई शिकायत मिलती है तो वह शिकायत तुरन्त ही निर्माता के ध्यान में लाई जाती है तथा उसे दूर करने के लिए निर्माता तुरन्त ही कार्यवाही करते हैं तथा यह कोशिश करते हैं कि इस प्रकार की शिकायतें न आयें।

5.55 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

माननीय सदस्य उन दवाइयों के बारे में जानना चाहते हैं जो अन्य देशों में रद्द की जा चुकी हैं लेकिन वे अभी भी हमारे देश में बेची जा रही हैं। जहां तक ऐसी औषधियों का संबंध है, क्या उन्हे देश में बेचा जाए अथवा नहीं, यह प्राधिकार भारतीय औषध नियंत्रक का है जो कि स्वास्थ्य मन्त्रालय के तहत है। अगर वह समझता है कि हमारे देश के लिए कोई विशेष औषधि उपयुक्त नहीं है तो तुरन्त ही उस औषधि के निपणन पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाता है। कतिपय औषधियां हैं जो कि देश के बाहर बेची जा रही हैं परन्तु हमारे देश में नहीं। परन्तु कुछ ऐसी भी दवाइयां हैं जिन पर अन्य देशों में रोक लगाई गई है परन्तु वे हमारे यहां बिक रही हैं। यह भारतीय औषध नियंत्रक के निर्णय पर निर्भर करता है। उसको सलाह देने के लिए उनके पास एक विशेषज्ञ समिति है। वे समय-समय पर इन सभी मुद्दों की जांच करते हैं कि क्या इस विशेष औषध को बाजार में बेचा जाए अथवा नहीं। अतः यह कहना सही नहीं है कि रद्द की गई अथवा पुरानी औषधियां हमारे देश में बेची जाती हैं। मैं मानता हूं कि छुट-पुट मामले इस तरह के हो सकते हैं। जब कभी भी छुट-पुट मामले हमारे पास लाए जाते हैं तो तुरन्त कार्यवाही की जाती है।

मैं एक बार फिर माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि हम सभी यहां उपस्थित हैं चाहे राज्य सरकारें हों या केन्द्र सरकार उन्हें सुनिश्चित करना है कि देश में अच्छी किस्म की दवाइयों का उत्पादन हो उनकी आपूर्ति हो तथा वे बाजार में उपभोक्ताओं को उचित दामों पर मिलें।

डा० गौरी शंकर राजहंस : मुझे यह कहते हुए खेद है कि माननीय मन्त्री जी को पूरी जानकारी नहीं है। बाजार में नकली औषधियों की भरमार है तथा बहु राष्ट्रिक कम्पनियों के संबंध

[डा० गौरी शंकर राजहंस]

में, मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस मामले की जांच करें तथा इस विषय में संपूर्ण जांच-पड़ताल करें।

महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगले सत्र में नियम 193 के अधीन इस विषय पर पूरी तरह से चर्चा हो क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है तथा इस विषय पर मेरे पास बहुत सी सामग्री है।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, मैं भी अपने मित्र की बात का समर्थन करता हूं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि उद्योग मंत्रालय इसके नियंत्रण का काम करता है कि किस प्रकार की दवाइयां बनेंगी, कितनी मात्रा में और किस प्रकार की बाजार में बिकेंगी। किस तरह से नियंत्रण रखा जायेगा, इसका काम स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दोनों के बीच में प्रापर कोआर्डिनेशन न होने की वजह से जनता को बहुधा बहुत दिक्कतें उठानी पड़ती है। यह एक आम बात हो गई है कि नकली और सब-स्टैण्डर्ड दवाइयां विक रही हैं। ऐसी दवाइयां बिक रही हैं जो विकासशील देशों में प्रतिबन्धित हैं लेकिन मल्टी-नेशनल्स में बेचकर काफी पैसा कमा रहे हैं। महंगी दवाइयां बिक रही हैं लेकिन उनका अभाव है। हमने सोचा था कि 1983 में अलग-अलग सैक्शन की मांग पर सरकार ने इस बात का समर्थन किया था कि नेशनल ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल काउन्सिल बनाया जायेगा और उसके वर्किंग ग्रुप को इस बात का दायित्व सौंपा जायेगा कि प्रायोरिटी लिस्ट बनाई जाए कि किस प्रकार की दवाइयां ऐसेन्शियल हैं। हाथी कमेटी, डब्ल्यू० एच० ओ० और दूसरी रिपोर्ट के विस्तार में नहीं जा रहा हूं क्योंकि समय का अभाव है। यह कहा गया था कि एक नेशनल ड्रग पालिसी उत्पादन के विषय में बना सकेंगे। उसके साथ हमारी बहुत सारी आशाएं जुड़ी हुई थीं। जिस प्रकार की रिपोर्ट उसके विषय में आ रही है विशेषतौर से एन० डी० पी० सी० ने जो प्रायोरिटी लिस्ट तैयार की है, उससे उसकी पूरी वर्किंग के विषय में एक प्रकार की शंका पैदा हो गई है। समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि एक्सपर्ट्स जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन्होंने अपनी ओपोनियन दी है जिस पर संसद के दोनों सदनों में सदस्यों द्वारा किसी न किसी रूप में इस बात को व्यक्त किया गया हैं कि दवाइयों को प्रायोरिटी लिस्ट से अलग रखा गया है जिनको मल्टी नेशनल्स बनाती हैं। चाहे वह असैन्शियल ड्रग्स की श्रेणी में आती हों, उपयोगी दवाइयां हैं मगर उसके बावजूद भी किसी के इंटरैस्ट विशेष को सर्व करने के लिए उनको प्रियौरिटी लिस्ट से अलग रख दिया गया है। मैं समझता हूं कि मेरे इतना कहने से माननीय मंत्री जी मेरे आशय को समझ गये होंगे। मैं जानना चाहता हूं कि एन० डी० पी० डी० सी० ने जो प्रियौरिटी लिस्टड्रा की है, उसके विषय में आपने क्या प्रक्रिया अपनाई है, किस आधार पर उसे ड्रा किया गया है और क्या कारण है कि उस लिस्ट से कई ऐसे महत्वपूर्ण, असैन्शयल और लाइफ-सेविंग ड्रग्स को बाहर रख दिया है तथा जो कुछ इम्पोर्टेन्ट दवाइयों की श्रेणी में नहीं आती थीं, उनको उस प्रियौरिटी लिस्ट में स्थान दे दिया गया है, लिस्ट में शामिल कर लियां गया है।

6.00 म० प०

दूसरी बात यह है कि एन० डी० पी० डी० सी० ने जो प्रियौरिटी लिस्ट ड्रा की है, उससे पहले

आपके मंत्रालय से परामर्श अवश्य किया गया होगा, अथवा उसके बाद आपके मंत्रालय को भेजा गया होगा, तो क्या आप के मंत्रालय ने एन० डी० पी० डी० सी० द्वारा तैयार प्रियौरिटी लिस्ट को सीधे ही ओ० के० कर दिया। यदि हां, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब बहुत लम्बे समय तक जिद्दो-जहद के उपरान्त, काफी लड़ाई के उपरान्त सरकार ने इस बात को माना और उसके बाद एक नीतिगत निर्णय लिया, यदि उस नीतिगत निर्णय के बाद आपको वांछित फल प्राप्त नहीं होता, उससे आप जिस अभिष्ट को पूरा करने की इच्छा रखते थे, वह पूरा नहीं होता तो मैं समझता हूं कि इससे बहुत सी शंकाएं पैदा होने की सम्भावना है। उससे सरकार के ऊपर भी लांछन आयेगा, आपके मंत्रालय के ऊपर भी लांछन आयेगा और हमारे ऊपर भी लांछन आयेगा तथा जिनके कल्याण के लिए आप ये कदम उठाने जा रहे हैं, वे लोग भी पीड़ित रहेंगे। इसलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एन० डी० पी० डी० सी० ने जो प्रियौरिटी लिस्ट ड्रा की है और आपके वर्किंग ग्रुप की जो डैलीबरेशन्स हैं, उनको डिटेल्ड डिस्कशन के लिए क्या आप पार्लियामैंट के सामने रखेंगे ताकि अन्तिम स्वरूप दिये जाने से पूर्व हम जन-प्रतिनिधि उसके विषय में अपने विचारों को व्यक्त कर सकें।

[अनुवाद]

श्री अजय विश्वास (पश्चिम त्रिपुरा) : महोदय, वास्तव में बहुराष्ट्रिक कम्पनियां भारतीय औषधि बाजार का नियंत्रण करती हैं। अतः हम चाहते हैं कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का प्रभाव समाप्त हो जाये तथा सरकारी क्षेत्र की कम्पनियां आगे आयें। हम हर हालत में ऐसा चाहते हैं परन्तु साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि सरकारी क्षेत्र की औषध कम्पनियां अच्छी किस्म की औषधियां बनायें। यह सच है कि सरकारी क्षेत्र की औषध कम्पनियां घटिया किस्म की दवाइयों की आपूर्ति कर रही हैं। वास्तव में होता यह है कि सरकारी क्षेत्र की इकाइयां क्रयादेश प्राप्त करती हैं तथा फिर वह इन क्रयादेशों को निजी क्षेत्र की कम्पनियों को दे देती हैं। निजी क्षेत्र की कम्पनियां सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों की ओर से दवाइयां बनाती हैं। उनकी पैकिंग करती हैं तथा आपूर्ति करती हैं। अतः इन पर कोई नियंत्रण नहीं है। अगर निजी क्षेत्र की कम्पनियां घटिया किस्म की दवाइयां बनाती हैं तो स्वाभाविक ही है कि वे इसे अस्पतालों तथा अन्य जगहों पर भेजेंगे। अगर हम निजी क्षेत्र की औषधि कम्पनियों पर नियंत्रण नहीं रखते तो वे लोग घटिया दवाइयां बनायेंगे। अतः मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या यह सच है कि विशेष रूप में ग्रामीण विकास एवं कल्याण योजना के अधीन सरकार ने गांव में घूमने वाले चिकित्सकों के लिए दस लाख ग्रामीण चिकित्सा सामान (किट) देने का निर्णय लिया है। तथा यह क्रयादेश निजी क्षेत्र की औषध कम्पनियों को दिया गया था···

(व्यवधान)

डा० गौरी शंकर राजहंस : आई० डी० पी० एल०।

श्री अजय विश्वास : जी हां। और उन्होंने इस क्रयादेश को एकमात्र लाइसेंस प्राप्त निजी निर्माता को दे दिया उसने इन दवाइयों का निर्माण किया है। वे आई० डी० पी० एल० की ओर से इन दवाइयों की आपूर्ति करते हैं तथा इनके लिए कोई निविदा नहीं मांगी गई थी। मैं आपको बता

[श्री अजय विश्वास]

सकता हूं कि इसमें क्या-क्या हो रहा है। कोई निविदा नहीं मांगी जाती तथा निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र के औषध उत्पादकों के बीच एक प्रकार की मिली भगत है। अगर मंत्री जी इसे नहीं रोकेंगे तो वह घटिया किस्म की औषधियों का उत्पादन रोकने में समर्थ नहीं होंगे। अतः मेरा प्रश्न है कि क्या सरकारी क्षेत्र की इकाइयां, आई० डी० पी० एल० निहित हितों की मदद करने के लिए अपनी अधिष्ठापित क्षमताओं का उपयोग नहीं कर रहा है? सरकारी क्षेत्र की इकाइयों की उपयोगिता क्या है और ये ईकाइयां वास्तव में कितना उत्पादन कर रही हैं। दूसरा, आई० डी० पी० एल० एनालजिन, एस्प्रीन, कफ मिक्स्चर, सल्फा आदि जैसी औषधियां क्यों नहीं बनाता, जबकि इनका उत्पादन करने की क्षमता इसके पास है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि ग्रामीण चिकित्सा किट्स का आर्डर सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को दिया गया था तथा उसे एकमात्र लाइसेंस प्राप्त निर्माता को दे दिया गया था, किसने इसका उत्पादन किया और यह निर्णय कब लिया गया? मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसकी जांच करेगी। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या निजी क्षेत्र की कम्पनियों पर सरकार का कोई नियंत्रण है, क्या सरकारी क्षेत्र की इकाइयां अपनी तरफ से निजी क्षेत्र की ईकाइयों से औषधि निर्माण करवाने के किसी समझौते पर पहुंच रही हैं। यदि हां, तो इस समझौते की शर्तें क्या हैं?

[हिन्दी]

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक (मुरादाबाद) : माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह अनुरोध करूंगा कि जो नकली दवाएं बाजार में बिक रही हैं और उसके बारे में बराबर शिकायतें आती हैं, उसको रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं और अब तक इस सम्बन्ध में कितने लोगों को पकड़ा गया है और उन्हें क्या सजा दी गई है?

महोदय, जो हमारा आल इंडिया इंस्टीट्यूट आफ मेडीकल साइंसेस है, उसमें सुपर बाजार के नाम से दवाओं की एक दुकान खुली हुई है, लेकिन जो-जो दवाएं डाक्टर लिखते हैं, उसमें वे दवाएं उपलब्ध नहीं होती हैं जाहिर है कि इससे भ्रष्टाचार और नकली दवाओं की बिक्री को बढ़ावा मिलता है और उसी के कारण मरीजों को सही दवाएं नहीं मिल पाती हैं। तीसरी बात यह है कि हमारी जो सरकारी फैक्ट्री दवाएं बनाती है और जो निजी कारखाने दवाएं बनाने के हैं, उनके ऊपर सरकार का क्या कण्ट्रोल है?

चौथी बात मैं यह पूछना चाहता हूं कि जिन दवाओं की डेट निकल जाती है, वे भी बाजार में बिकती हैं, उनको बेचने से रोकने के लिए हमारे पास क्या उपाय है और ऐसी जो दवाएं बाजार में बिक रही हैं उनको रोक सकें, इस सबके लिए हमारी सरकारी के पास क्या उपाय हैं, मैं ये चार बातें ही पूछना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, माननीय सदस्य, श्री रावत ने नकली तथा घटिया दवाइयों के बारे में कहा।

जहां तक नकली दवाइयों का संबंध है, मैं माननीय सदस्य तथा सदन को बता सकता हूं कि जो लोग नकली दवाइयां बनाते हैं वे लाइसेंस के लिये सरकार के पास नहीं आते तथा स्वयं ही नकली दवाइयां बनाते हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा जाली नोटों की तरह ही इनका उत्पादन होता है। जाली नोट सरकार के छापेखाने में बनाये अथवा छापे नहीं जाते।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : हमने तो उसका जिक्र इसलिये किया कि आप स्वास्थ मंत्री जी तक हमारी भावनाओं को पहुंचा दें कि इसको रोकने के लिये इसमें कठोर कार्यवाही होनी चाहिये।

[अनुवाद]

श्री वीरेन्द्र पाटिल : इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जहां तक नकली दवाइयों का संबंध है ये असामाजिक तत्वों तथा अवांछित तत्वों द्वारा बनाई जाती हैं। ये गुप्त रूप से बनाई जाती हैं। इसके लिए राज्य औषध नियन्त्रक है। उनका अपना खुफिया विभाग होता है। हो सकता है कुछ राज्यों में ऐसा हो और कुछ में नहीं। जब उन्हें सूचना मिलती है तो तुरन्त ही वह इन क्षेत्रों पर छापा मारते हैं तथा वे कार्यवाही करते हैं। वे पुलिस को मामला भेज देते हैं। परन्तु मैं सदन को बता सकता हूं कि ऐसे मामले बहुत ही कम हैं। नकली दवाइयों के बारे में बोलने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इस तरह के मामले बहुत ही कम हैं, और नहीं के बराबर हैं।

डा० गौरी शंकर राजहंस : नकली दवाइयां बनाने के बहुत सारे मामले हैं। मैं इसे साबित करूंगा।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : इसीलिए मैं कहता हूं कि जहां तक औषधियों की किस्म का संबंध हैं, अगर ये देशी दवाइयां हैं तो 'सक्षम प्राधिकरण' अथवा 'उपयुक्त प्राधिकरण' राज्य सरकार है। राज्य सरकार के अधीन औषध नियन्त्रण है। जिसका कार्य अच्छी दवाइयों का उत्पादन, वितरण तथा आपूर्ति करना है।

अगर दवाइयों का आयात किया जाता है तो स्वास्थ्य मन्त्रालय में केन्द्र सरकार का हस्तक्षेप होता हैं। भारतीय औषध नियन्त्रक इसके लिए उत्तरदायी है।

अत: मैं समझता हूं कि नकली दवाइयां बनाने के मामले बहुत ही कम हैं तथा इस प्रकार की घटनाएं आम नहीं हैं, जैसा कि माननीय सदस्यगण कहने की कोशिश कर रहे हैं।

घटिया किस्म की दवाइयों के बारे में भी मैं बता चुका हूं कि इस प्रकार के उदाहरण बहुत ही

[श्री वीरेन्द्र पाटिल]

कम हैं चाहे वे सरकारी क्षेत्र में हो या निजी क्षेत्र में। अब मैं माननीय सदस्यों को जानकारी के लिए बताऊंगा कि पिछले दो वर्षों में किसी भी राज्य औषधि नियन्त्रक द्वारा आई० डी० पी० एल० को घटिया किस्म की दवाइयों की आपूर्ति के बारे में कोई भी शिकायतें नहीं मिली हैं।

पिछले उत्तर में मैं यह भी बता चुका हूं कि घटिया दवाइयों के बारे में कुछ छुट-पुट मामले थे जो हमको बताये गये तथा उन पर तुरन्त कार्यवाही की गई थी।

कुछ माननीय सदस्यों ने बार-बार बहुराष्ट्रिक कम्पनियों अथवा 'फेरा' कम्पनियों के बारे में बताया। 'फैरा' कम्पनियां हैं जो कि औषधियों का निर्माण कर रही हैं। ये बहुत ही कम हैं। पहले लगभग 31 या 32 'फैरा' कम्पनियां थीं। इन्होंने भारत सरकार के निदेशानुसार अपनी इक्विटी भागीदारी को कम कर दिया। उन्होंने अब अपनी इक्विटी कम करके यह 40 प्रतिशत ही रखी है। वे अब 'फैरा' से बाहर की कम्पनियों अथवा भारतीय कम्पनियां बन गई हैं। अब वे 'फैरा' कम्पनियों में नहीं हैं। परन्तु अगर वे 'फैरा' कम्पनियां अथवा "फैरा" कम्पनियों के बाहर की कम्पनी है या कोई भी कम्पनी है जो घटिया किस्म की औषधियों का निर्माण करने में लगी हैं, तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। परन्तु जैसा कि मैंने पहले कहा है ऐसी घटनाएं बहुत कम हुई हैं। जब कभी ऐसी कोई घटना हमारे ध्यान में लाई गई हैं, हमने तत्काल कार्रवाई की है।

अब माननीय सदस्य श्री रावत औषधि नीति और एन० डी० पी० सी० के प्रतिवेदन के बारे में जानना चाहते थे। उन्होंने भारत सरकार को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। उस प्रतिवेदन में प्राथमिकता सूची या एक ऐसी सूची है जिसकी कीमतों पर, उनकी सिफारिशों के अनुसार, नियन्त्रण होना चाहिए। इस प्रतिवेदन पर चर्चा हो चुकी है और कई सदस्यों ने सभा के अन्दर और सभा से बाहर इस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। परन्तु प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किया गया है और अभी विचाराधीन है। सरकार ने इस संबंध में अन्तिम निर्णय नहीं लिया है। इस पर सक्रिय रूप से विचाराधीन है। उन्होंने लगभग 95 औषधियों की एक प्राथमिकता सूची तैयार की है। कुछ सदस्य यह भी महसूस करते हैं कि 95 के स्थान पर इनकी संख्या 200 या 300 होनी चाहिए थी। यह अपनी-अपनी राय है। उन्होंने पूछा है कि प्राथमिकता सूची में 95 औषधियां ही क्यों सम्मिलित की गई हैं। इस संबंध में उन्होंने कारण दिये हैं। परन्तु जैसा कि मैंने कहा है सरकार ने अभी इस बारे में अपना दृष्टिकोण नहीं बनाया है। सरकार इस संबंध में अपना दृष्टिकोण बनाते समय इस सभा में तथा दूसरी सभा में सदस्यों के द्वारा व्यक्त विचारों को भी ध्यान में रखूंगा।

श्री हरीश रावत : उस प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने से पहले क्या आप हमारी प्रतिक्रिया जानने हेतु उस प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखेंगे ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : यह सामान्य प्रथा नहीं है। मैं नहीं जानता कि क्या मुझे यह बताना चाहिए कि इस प्रतिवेदन पर सलाहकार समिति में, जिसमें दोनों सभाओं के सदस्य मौजूद थे, बारीकी से विचार किया गया था। हम उनके दृष्टिकोण पर भी ध्यान देंगे। एक बार इस प्रतिवेदन पर निर्णय

लेने के बाद हम सभा को सूचित करेंगे कि क्या निर्णय लिए गये और क्या सिफारिशें की गई थीं। परन्तु यदि आप एन० डी० पी० सी० एल० के प्रतिवेदन की विषय,वस्तु के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं प्रतिवेदन की प्रति माननीय सदस्य को भेजने के लिये तैयार हूं और यदि वह अपने विचार भेजना चाहते हैं तो इनके विचारों का स्वागत है और हम उस पर विचार करेंगे।

श्री अजय बिश्वास ने एक बात कही है। उन्होंने घटिया दवाइयों की बात पुनः उठाई है और उन्होंने एकाकी लाइसेंस देना, लोन लाइसेन्सिग का जिक्र किया है। जहां तक लोन लाइसेंसिंग देने का संबंध है, आई० डी० पी० एल० में उन्हें वाणिज्यिक हित में ऐसा करना पड़ता है और वे केवल अपवाद के रूप में ऐसा करते हैं। यह बात आम नहीं है कि उन्हें जो भी आदेश मिलता है वह उस आदेश को किसी अन्य निर्माता को या लघु क्षेत्र के किसी निर्माता को भेज देते हैं और उत्पादन करा लेते हैं। परन्तु मांग की परिस्थितियां कैसी भी हों उन्हें काम करना पड़ता है। उन्होंने ग्रामीण स्वास्थ्य 'किट' का उल्लेख किया है। ग्रामीण स्वास्थ्य किटों की शीघ्रता थी क्योंकि उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय को देना था। ग्रामीण स्वास्थ्य 'किट' में 17 औषधियां आती हैं और 17 औषधियों में से ऐसी बहुत सी औषधियां हैं जिनका निर्माण आई० डी० पी० एल० नहीं करता। वह केवल 'बल्क' औषधियों का, आवश्यक औषधियों का और श्रेणी एक और दो में उल्लिखित औषधियों का निर्माण करता है। वह ऐसी औषधियों का उत्पादन करता है जिनका उत्पादन निजी निर्माता कम लाभ की वजह से करने से हिचकिचाता है। उनमें लाभ की गुंजाइश नहीं हैं। इसी कारण आई० डी० पी० एल० और एच० ए० एल० और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में घाटा हो रहा है। वह इसी कारण है क्योंकि वे इन औषधियों का उत्पादन करते हैं। अन्य औषधि निर्माता न केवल सस्ती औषधियों का उत्पादन कर रहे हैं, न केवल विटामिनों और श्रेणी III और IV में सम्मिलित औषधियों का उत्पादन कर रहे हैं बल्कि वे प्रसाधन सामग्री तथा अन्य वस्तुओं का भी उत्पादन कर रहे हैं और मोटी राशि कमा रहे हैं। परन्तु आई० डी० पी० एल० और एच० ए० एल० तथा अन्य सरकारी इकाइयों की स्थापना का उद्देश्य धन कमाना नहीं है बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि ऐसी आवश्यक और अन्य औषधियां जिनकी खपत अधिक है, उपभोक्ताओं को अधिक मात्रा में तथा उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराई जाएं। इसी कारण जहां कहीं आई० डी० पी० एल० यह देखता है कि इन औषधियां का उत्पादन उसके लिए संभव नहीं है और इन दवाइयों की जल्दी जरूरत है तो वह केवल उन्हीं दवाइयों को अन्य उत्पादकों को उत्पादन करने के लिए दे देता है—यही एकाकी लाइसेंस देना लोन लाइसेंसिग है। और वह उत्पादन भी हमारी इकाइयों के कड़े निरीक्षण में किया जाता है।

जहां तक ग्रामीण स्वास्थ्य 'किट' का संबंध है, जैसा कि मैंने कहा है इसमें 17 औषधियां सम्मिलित हैं। इनमें से अधिकांश का उत्पादन आई० डी० पी० एल० द्वारा नहीं किया जाता, इसलिए कुछ दवाइयों का एकाकी लाइसेंस (लोन लाइसेंसिंग) देकर उत्पादन कराया जाता है। मामले पर अच्छी तरह विचार करने के बाद लोन लाइसेंसिंग का चयन तकनीकी निरीक्षण के बाद तथा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यों पर किया गया था। इस संबंध में गुणवत्ता संबंधी कोई भी शिकायत किसी भी उपभोक्ता से अथवा उनसे जिन्हें हमने इन्हें सप्लाई किया है, प्राप्त नहीं हुई हैं। इसलिए यह कहना

[श्री वीरेन्द्र पाटिल]

उचित नहीं है कि सरकारी फैक्ट्रियां, सरकारी इकाइयां या निजी दवा निर्माता घटिया दवाइयों का उत्पादन कर रहे हैं।

माननीय सदस्य श्री सिद्दीक नकली दवाइयों के बारे में जानना चाहते थे। जैसा कि मैंने कहा है, नकली दवाइयों का उत्पादन समाज-विरोधी लोगों द्वारा चोरी-छिपे किया जाता है। यह राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के आसूचना प्रभाग का काम है कि वे यह देखें कि किन क्षेत्रों में, किन स्थानों पर इनका उत्पादन होता है और उन्हें तत्काल कार्यवाही करनी होती है। बहरहाल, ऐसे मामले बहुत कम हैं। सरकार के ध्यान में जब कभी ऐसे मामले लाए गए हैं, तत्काल कार्यवाही की गई है।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब कल प्रातः 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.20 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 21 अगस्त, 1985/30 श्रावण, 1907 (शक)
के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———

मुद्रक : विन्ध्यवासिनी पैकेजिंग, दिल्ली-110053